लोकसभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 27 अगस्त, 1991/5 भाद्र, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
26	नीचे से पंक्ति 5	"श्री सी0के0जाफर सरीफ" के स्थान पर "श्री सी0के0जाफर शरीफ" पढ़िये ।
45	13	"विमान" के स्थान पर "विमानन" पढ़िये ।
46	नीचे से पंक्ति 10	शीर्षक में "काईन" के स्थान पर "लाईन" पढ़िये ।
47	2	"बंत्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये ।
52	नीचे से पंक्ति 10	"यया" के स्थान पर "क्या" पढ़िये ।
115	5	प्रश्न संख्या "464" के स्थान पर "4644" पढ़िये ।
149	6	"श्री के0तुलसिया वान्डायार" के स्थान पर "श्री के0तुलसिऐया वान्डायार" पढ़िये ।

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 4, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 33, मंगलवार, 27 अगस्त, 1991/5 भाद्र, 1913 (शक)

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	... ...	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या :	569 से 574	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	... ...	22—179
तारांकित प्रश्न संख्या :	575 से 588	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4515 से 4525, 4527 से 4538, 4540 से 4542, 4544 से 4637, 4639 से 4745	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	... ...	197—199
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	199—202
(एक) शाहगढ़ में गोदावरी नदी पर नया पुल बनाने की आवश्यकता		
श्री अंकुशराव टोपे	... ...	199—200
(दो) मद्रास और मुंबई के बीच जनता और नवजीवन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को पुनः शुरू करने की आवश्यकता		
श्री ए॰ प्रताप साय	... ...	200
(तीन) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में गोपालपुर में कोयला डिवीजन खोलने की आवश्यकता		
कुमारी फ्रिडा तोपनो	... ...	200

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

(चार) जलगांव से लखनऊ भेजे जाने वाले केलों के कानपुर रेलवे स्टेशन पर वितरण में होने वाले विलम्ब को रोकने की आवश्यकता

डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे 201

(पांच) "रेजिन" और "रोजिन" को मुक्त सामान्य अनुज्ञा-पत्र के क्षेत्र से बाहर रखने और उन्हें स्वदेशी स्रोतों से खरीदने की आवश्यकता

प्रो० प्रेम धूमल 201

(छः) कानपुर शहर और कानपुर देहात में कारखानों के कार होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल ... . 201—202

(सात) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री प्रताप सिंह 202

(आठ) आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची से जंगली सुअर को निकालने की आवश्यकता

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 202

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92 ... ... 203—281

कृषि मंत्रालय

खाद्य मंत्रालय और

ग्रामीण विकास मंत्रालय

कुमारी उमा भारती ... ... 203—220

श्री के० प्रधानी ... ... 227—230

श्री शिव शरण सिंह ... ... 230—234

श्री नारायण सिंह चौधरी ... ... 234—237

श्री जायनल अबेदिन ... ... 237—242

विषय पृष्ठ

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड़	242—244
श्री मणि शंकर अय्यर	244—247
श्री एच० डी० देवगौड़ा	247—256
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दम	256—259
श्री के० तुलसिऐया वान्डायार	259—261
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु	261—266
श्री राजवीर सिंह	266—276
श्री वी० कृष्ण राव	276—280
श्री ई० अहमद	280—281

लोक सभा

मंगलवार, 27 अगस्त, 1991/5 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

*569 श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और हैदराबाद शहरों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शनों के लिए क्रमश: कितने-कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इस प्रतीक्षा सूची के सारे आवेदकों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क)

शहरों के नाम		1.7.1991 को प्रतीक्षा सूची
विजयवाड़ा	——	11,181
विशाखापत्तनम	——	15,335
हैदराबाद	——	79,991

(ख) यथा संभव अधिक से अधिक आवेदकों को एल० पी० जी० कनेक्शन यथा शीघ्र देने के प्रयास किए जाते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि माननीय मन्त्री ने प्रश्न के भाग ख का उत्तर बहुत अस्पष्ट दिया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इन तीनों शहरों में क्रमश: प्रतिवर्ष कितने नये रसोई-गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं तथा क्या यह सच नहीं है कि भारत पेट्रोलियम ने विजयवाड़ा में विकलांग श्रेणी के तहत् रसोई-गैस वितरण हेतु अक्टूबर 1989 में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये थे ऐसा पूर्व डीलर को हटाने के लिए किया गया था जिसकी डीलरशिप धांधली करने के कारण रद्द कर दी गई थी और यदि हां।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो केवल एक एजेंट के खिलाफ है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह प्रश्न विजयवाड़ा शहर से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप एक एजेंट की बात कर रहे हैं ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इसी प्रकार गन्नावरम् के बारे में भी जब एक प्रश्न का उत्तर दिया गया तब माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि रसोई गैस के उत्पादन में अड़चनों के कारण बीस हजार अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले अनेक स्थानों पर नयी डीलरशिप नहीं दी जा सकी। लगभग दो वर्ष पूर्व भारत पेट्रोलियम ने कुछ स्थानों के लिए आवेदन आमन्त्रित किये थे उदाहरण के लिए, मैंने एक स्थान का उल्लेख किया है। इसी प्रकार कृष्णा जिले में गन्नावरम् में भी आवेदन आमन्त्रित किये गये थे। लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय कब लिया जायेगा ताकि निकट भविष्य में इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की कारगर ढंग से सेवा की जा सके ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, इस समय देश में कुल सत्रह मिलियन रसोई गैस उपभोक्ता हैं तथा सात मिलियन व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं। तेल कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों के अनुसार इस वर्ष केवल पांच लाख अथवा आधा मिलियन आवेदकों को कनैक्शन दिए जा सकेंगे। यह रसोई गैस के स्वदेशी उत्पादन तथा आयात पर निर्भर करेगा ।

जहां तक डीलरशिप का सम्बन्ध है पिछले तीन या चार महीने से डीलरशिप का अथवा 1987-88 की बिक्री योजना के कार्यान्वियन का सम्बन्ध है जिसके तहत रसोई गैस, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल-तेल तथा मिट्टी के तेल के लिए डीलरशिप दी जाती है, विभिन्न कारणों से समीक्षाधीन है जिनका मैं यहां उल्लेख करना नहीं चाहता। हम इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना चाहते हैं और बकाया कनेक्शनों को देने का कार्य यथाशीघ्र कुछ सप्ताह के अन्दर ही शुरू हो जायेगा। देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक एजेंसी का विवरण देना मेरे लिए सम्भव नहीं है, लेकिन मांग निर्धारित करने तथा एक विशेष जिले में नयी एजेंसी खोलने की सम्भावना हेतु हमने मार्ग निदेश निर्धारित किए हैं। जिन एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं तथा ये प्रमाणित हो जाती हैं तो उन्हें हटाने और दंडित करने के लिए भी हमने प्रक्रिया निर्धारित की है ।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय सिर्फ विजयवाड़ा और हैदराबाद के बारे में नहीं बल्कि सारे देश के सम्बन्ध में उत्तर दे रहे हैं ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, माननीय मंत्री महोदय पुन: यह कह रहे हैं कि मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन इस सम्बंध में कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी थी। कुछ स्थानों के सन्बन्ध में तो आवेदन काफी पहले 1989 में ही आमन्त्रित किये गए थे। हैदराबाद शहर में भी जहां 80,000 उपभोक्ता प्रतिक्षा सूची में है उनके लिए अलवाल और इस शहर के अन्य स्थानों के लिए आवेदन मांगे गये थे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन तीन शहरों में' जिनके बारे में मैंने यह प्रश्न विशेष रूप से किया है, बहुत पहले आवेदन क्यों मांगे गए थे। इस सम्बन्ध में कार्यवाही काफी पहले की गई और आवेदन मांगे गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय इस सम्बंध में उपयुक्त कदम उठायेंगे ताकि इन तीन शहरों की आवश्यकताओं की कारगर रूप से पूर्ति करने हेतु यथाशीघ्र निर्णय लिया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : यह तीन शहरों तक ही सीमित है ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, आवेदन काफी पहले मांगे जाते हैं। इस सम्बंध में जांच करने की लम्बी प्रक्रिया है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जहां उनके द्वारा बताए गए

इन तीन शहरों का सम्बन्ध है, हम इस पर गहराई से विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सही आवेदकों को मंजूरी देने में तेजी लाई जाए।

श्री डी० डी० खनोरिया : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पहाड़ी जिलों में रसोई गैस की सप्लाई के बारे में जानना चाहता हूं। पहाड़ी जिलों में बुनियादी रूप से ईंधन लकड़ी है तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं को देखते हुए वन से ईंधन की लकड़ी नहीं काटी जा सकती। इन बातों को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि पहाड़ी जिलों में रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी और गैस एजेंसियों के लिए और अधिक केन्द्र खोले जाएंगे।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि जहां तक योजना आयोग द्वारा निर्धारित और सूचीबद्ध किये गए पहाड़ी जिलों का सम्बन्ध है, इनके लिए राज-सहायता दी जाती है पहाड़ी जिलों के लिए रसोई गैस पर राज सहायता अधिक है। मैदानी इलाके में भण्डार स्थलों से पहाड़ों में वितरण केन्द्र तक ले आने का भाड़ा नहीं लिया जाता। यह अतिरिक्त खर्चा तेल-पूल खाते में चला जाता है ऐसा पहाड़ी जिलों में रसोई गैस का अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जो कि पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में है। ताकि हम ईंधन की लकड़ा के स्थान पर गैस के इस्तेमाल को ला सकें क्योंकि ईंधन से वनों की कटाई होती है। पहाड़ी जिलों को विशेष प्राथमिकता देना हमारी तेल वितरण नीति का एक भाग है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने यहां पर कहा है कि सात लाख कंज्यु-मर वेटिंग लिस्ट में हैं और पांच लाख का प्लान है तो क्या हमेशा ही वेटिंग लिस्ट में रखने वाले हैं। जितनी वेटिंग लिस्ट है, वह पूरी खत्म हो जाए तो फिर कोई दूसरा प्लान करने वाले हैं क्या ? अभी तो वेटिंग लिस्ट है और बाद में और लोग आयेंगे। क्या सरकार का प्लान है कि हमेशा ही वेटिंग लिस्ट रहेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का प्रश्न मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो वेटिंग लिस्ट में हैं तो उनको देने का कोई प्लान है क्या ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रतिक्षा सूची को घटाना सरकार का सतत प्रयास है लेकिन मांग और सप्लाई के बीच अन्तर है रसोई गैस के स्वदेशी उत्पादन में अड़चनें हैं क्योंकि रसोई गैस का उत्पादन गैस के कुओं तथा तेल शोधक कारखानों में तेल से पैदा की जाती है। विदेशी मुद्रा तथा आयात के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इसके आयात में

अड़चने हैं। इसलिए रसोई गैस की उपलब्धता को केवल एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यह प्रतिक्षा सूची तो हमेशा ही रहेगी क्योंकि इस समय पांच लाख कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अगले वर्ष दस लाख कनेक्शन दिए जायेंगे। हमें आशा है कि 1995 के बाद हम प्रति वर्ष चालीस लाख कनेक्शन दे सकेंगे। हमें आशा है कि उस समय तक प्रतिक्षा सूची समाप्त हो जायेगी।

कुम्भ मेले के स्थानों पर पर्यटन विकास

[हिन्दी]

*570. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर कुम्भ मेला आयोजित किया जाता है वहां पर और विशेष रूप से उज्जैन में जहां अप्रैल 1992 में "सिंहस्थ कुम्भ" मेला आयोजित होना है पर्यटन के विकास के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारुक) : पर्यटन का विकास और संवर्धन करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से परामर्श करके, प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर धन की उपलब्धता, उनके गुण-दोष और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अप्रैल, 1992 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुम्भ मेला के सम्बन्ध में, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उज्जैन में 60-शय्या वाले यात्री निवास का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है।

इसके अतिरिक्त अप्रैल, 1992 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुम्भ मेला के लिए प्रचार सामग्री की छपाई के लिए धन निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसी कि प्रश्न की मंशा है या जो कुम्भ पर्व है यह देश की सहज एकत्रीकरण का सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का महान पर्व हो जाता है। जहां किसी प्रकार के निमंत्रण की अपेक्षा नहीं होती है, करोड़ों लोग स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं। ऐसा स्थान स्वत: ही पर्यटन के रूप में स्थापित हो जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि हरिद्वार, प्रयाग···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें।

श्री सत्य नारायण जटिया : वैसे तो आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, नासिक में भी ऐसा पर्व होता है। मेरा निवेदन यह है कि उज्जैन में अप्रैल, 1992 को सिंहस्थ का पर्व होगा वहां पर लाखों-करोड़ों लोग आने वाले हैं, मंत्रालय ने यात्री निवास की स्वीकृति दी है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये कि यह बहुत बड़ा पर्व है इसके लिए सरकार क्या कुछ तैयारी करने वाली है।

श्री सत्य नारायण जटिया : आप ही मेरी तरफ से पूछ रहे हैं तो अधिक अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न लम्बा है, मैं छोटा कर रहा हूं ।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर प्लेन उतरने की भी सुविधा है तो वहां पर पर्यटनों की सुविधा की दृष्टि से क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई विशेष प्रयास कर रहे हैं, यह प्रश्न माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, हवाई पट्टी की तरफ कुछ नहीं किया जा रहा।

नागरिक विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : महोदय जहां तक हवाई पट्टी का सम्बन्ध है यह पर्यटन मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है और मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि भविष्य में इस बारे में नागरिक विमाननमन्त्री से प्रश्न करें । लेकिन अगर माननीय सदस्य पूर्णतः आश्वस्त होना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार हमारे पास जो भी प्रयोजनायें भेजेगी हम उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे क्योंकि हम इस अवसर का महत्व समझते हैं और इस अवसर को सफल बनाने के लिए हम यथा सम्भव मदद करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : वहां पर कई ऐसे स्थान हैं जहां विकास की बहुत सम्भावनायें हैं, उन क्षेत्रों को विकास की दृष्टि से क्या माननीय मंत्री जी विशेष धनराशि उपलब्ध करायेंगे ?

श्री माधवराव सिन्धिया : आपके जो सुझाव है, वे मुझे दे दें, उस पर पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : देश भर में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां या तो कुम्भ पर्व होता है या हिन्दू, मुस्लिम, सिखों के भी पर्व होते हैं ।

क्या माननीय मंत्री जी पूरे देशभर में जो अनेक धर्मों के पर्व मनाये जाते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए देशभर के लिए कोई योजना तैयार करेंगे ?

श्री माधवराव सिन्धिया : यह प्रश्न कुम्भ मेले के बारे में है ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुम्भ मेला तो 4 स्थानों पर लगता है ।

श्री माधवराव सिन्धिया : आपने सभी पर्वों के बारे में बात की है लेकिन अगर आप चार स्थानों के बारे में जानकारी मालूम करना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से दे सकता हूं लेकिन मैं इसके अतिरिक्त बढ़ते हुए और आपको जानकारी देना चाह रहा था पर अगर आप सीमित रखना चाहते हैं तो मैं चार स्थानों के बारे में दूंगा पर मेरे पास पूरी लिस्ट है, अगर चाहो तो मैं आपको स्वयं दे दूंगा। इसमें 47 आईटम्ज हैं ।

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय पर्यटन मंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा कि मेले को सफल बनाने के लिए उनको जो भी प्रस्ताव देंगे, तो वे करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो प्रस्ताव देने का प्रयास करेंगे लेकिन सरकार की प्राथमिक जवाबदेही होगी कि 12 साल के बाद एक बार कुम्भ आता है चाहे वह इलाहाबाद हो चाहे नासिक हो···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनसे मत लड़िये ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : इसी वजह से पूछ रहा हूं। अभी मंत्री जी ने यह कहा कि वे तैयारी कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अभी बताया है कि 60-बैड वाला रैन बसेरा बनाया जा रहा है, कुछ प्रचार सामग्री छपवा रहे हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि वहां 50 लाख लोग आने वाले हैं जिनकी व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश सरकार तो पूरी तरह प्रयास कर रही है, इसमें कोई कसर नहीं रखेगी लेकिन केन्द्र सरकार कितनी धनराशि आबंटन कर रही है कि वहां आने वाले यात्रियों को सुख-सुविधा, दवाई, पीने के पानी, आवागमन साधन, रेल, पर्यटन, बस इत्यादि की सुविधा मिले। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुम्भ के मेले को माध्यम बनाकर यदि वहां पर एक हवाई पट्टी दे दें तो बड़ी उपलब्धि होगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय । इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है। अब श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ।

श्री माधवराव सिन्धिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जो प्रस्ताव प्रदेश सरकार से आते हैं, उन प्रस्तावों पर विचार करके हम अपनी स्वीकृति देते हैं और अभी तक तो प्रस्ताव आये हैं, वे लगभग 22 लाख रुपये के हैं और 10 लाख की स्वीकृति हमने दे दी है । इसके अलावा जो हम 45 लाख रुपये की लागत का यात्री निवास निर्मित करने वाले हैं, उसमें 23 लाख रुपया का अनुदान आलरेडी सी० पी० डब्ल्यू० डी० को दे दिया गया है। काम उसपर अभी भी जारी है। मैं मात्र यह कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश सरकार कहेगी, उसपर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे परन्तु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रदेश सरकार का रहता है और जहां तक प्रदेश सरकार का सवाल है, मैं भी उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से प्रयासरत रहेगी पर जो धर्मशाला, कन्वेंशन सेंटर महाकाली मन्दिर के पास बनने जा रहा है, उसपर अभी भी मात्र कंकरीट पिलर्स इरेक्ट हुए हैं और मुझे शंका है कि अप्रैल, 1992 तक यह कंपलीट होगा कि नहीं क्योंकि जिस धीमी रफ्तार से वहां काम चल रहा है। इसके अलावा जो घाट हैं, उनकी जो बुरी हालत है, प्रदेश सरकार ने अभी तक उन घाटों का कार्य शुरू नहीं किया है। मैं यह सब मात्र जानकारी के लिए कह रहा हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरे प्रश्न का सम्बन्ध केवल कुम्भ पर्व के स्थानों से ही नहीं है बल्कि सम्पूर्ण देश में फैले विभिन्न तीर्थ स्थानों से भी है।

इन तीर्थ स्थानों को आने वालों में समृद्ध लोग ही नहीं होते बल्कि उनमें से अधिकांश साधारण और गरीब व्यक्ति होते हैं जिनमें बहुत से गांवों से आने वाले होते है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पर्यटन मन्त्रालय विदेशी मुद्रा को अर्जित करने और आम गरीब तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास करने के बजाय उच्च वर्ग के पर्यटकों हेतु सुविधायें जुटाने में अधिक लगा हुआ है ।

अब जो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा वह यह है कि क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम और मंत्रालय तीर्थयात्रा के बहुत से स्थानों पर, जहां आप जानते हैं स्थिति बहुत बदतर हो रही है, उचित व्यवस्था

करने हेतु विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह कुम्भ मेले तक ही सीमित है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या उनके लिए भोजन स्वच्छ आवास उपलब्ध कराने हेतु भी कुछ विचार किया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं क्या पर्यटन उद्योग द्वारा विदेशी मुद्रा के जरिये अर्जित लाभ का प्रयोग साधारण लोगों के लिए ये सुविधायें उपलब्ध कराने में किया जाएगा।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध वास्तव में कुम्भ मेले से ही है। लेकिन मैं वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को मदद दे रहा है। सारी परियोजनायें हमें राज्य सरकारों से प्राप्त होती हैं और हम उन्हें पर्यटन से कम आय प्राप्त होने पर उन्हें सहायता दे रहे हैं। मेरे पास सम्पूर्ण जानकारी मेरे कार्यालय में है। मैं माननीय सदस्य से मिलकर सारी जानकारी उन्हें दे सकता हूं। यह मात्र 'पांच सितारा' पर्यटन नहीं है। वास्तव में, मैं कम बजट वाले पर्यटन पर बल देना चाहूंगा। जहां तक पर्यटन-स्थलों का सम्बन्ध है, हमें 47 स्थानों के नाम की सूची मिली है, जिनका हम इस वर्ष विकास करने जा रहे हैं। मैं महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों जैसे बद्रीनाथ और अन्य स्थानों के मार्गों पर सभी सुविधायें बढ़ाने के लिए बड़ी योजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं। इस पर हम तत्परता से विचार कर रहे हैं और पर्यटन मंत्रालय भी इन क्षेत्रों का विकास करेगा। लेकिन हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह हमें बद्रीनाथ और अन्य तीर्थ स्थानों के रास्तों पर सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयत्न में सहयोग दे और इस सम्बन्ध में अधिक प्रस्ताव भेजे।

श्री राम नाईक : महोदय, आजकल कुम्भ मेला महाराष्ट्र में नासिक में चल रहा है। वह इसी महीने शुरू हुआ है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि केन्द्रीय सरकार ने उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए एक अलग नोटिस की जरूरत है।

श्री राम नाईक : नहीं महोदय। उनके पास सभी कुम्भ मेलों के बारे में जानकारी है। यही उन्होंने कहा है। अगर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो वह ऐसा कह सकते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में अन्तर्ग्रस्त धनराशि के बारे में जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई थी।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हमें महाराष्ट्र सरकार से केवल एक प्रस्ताव, कुछ विशेष मदों, मुख्य रूप से मुद्रण, पत्र-पत्रिकाओं आदि के मुद्रण में सहायता करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसमें 5.74 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है जिसमें से 50 प्रतिशत तक देने के लिए हम सहमत हो गये हैं और वह धनराशि भी इस वर्ष जनवरी में हम दे चुके हैं। उसके बाद, महाराष्ट्र सरकार से हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम नाईक : क्या पीने के पानी के सम्बन्ध में आपको कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री माधवराव सिंधिया : हमें केवल कुछ पत्र-पत्रिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेलों में मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है

यह तीन हैं—पेयजल, शौचालय और आवास की। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि जहां-जहां ऐसे बड़े-बड़े मेले लगते हैं वहां पेयजल, शौचालय और आवास की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री माधवराव सिंधिया : यह मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।

कोयला क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्रों का विकास

[अनुवाद]

*571. श्री पीयूष तीरकी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्रों के परिधीय विकास क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कोयला क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्रों का विकास किए जाने का कार्य मुख्यत: सम्बद्ध राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोयला कंपनियां राज्य सरकारों को उपकरों तथा रायल्टी के रूप में काफी राशि की अदायगी करती हैं, जो कि परिधीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है।

किन्तु कोयला कंपनियां कोयला क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्रों को विकसित किए जाने के लिए निम्न-लिखित के माध्यम से योगदान करती है—पंचवर्षीय योजनाएं, बीस सूत्री कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विशेष कंपोनेंट योजना, अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए जनजाति उप-योजना और आम जनता के लाभ के लिए सामुदायिक विकास योजना। कोल इंडिया लि० द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास के लिए नीचे दी गई राशि आवंटित की गई :—

1988-89	—	रु० 271.12 लाख
1989-90	—	रु० 495.00 लाख
1990-91	—	रु० 500.00 लाख

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा शुरू की गई सामुदायिक विकास परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के संबंध में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग एक लाख विनिर्दिष्ट की गई है, जिसमें से लगभग पचास हजार व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं।

अनुबंध

वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-91 की पिछली तीन वर्ष की अवधि के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा शुरू की गई सामुदायिक विकास परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1988-89		1989-90		1990-91	
	सं०	व्यय (लाख)	सं०	व्यय (लाख)	सं	व्यय —(लाख)
1, स्कूली इमारतों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत	92	45.96	72	32.83	103	37.26
2. हैंड-पम्पों, कुओं, ट्यूबवैल्स, तालाबों तथा बांधों की स्थापना/मरम्मत	90	11.93	22	10.85	43	09.07
3. सड़कों/पुलियों का निर्माण कार्य/मरम्मत	19	05·88	17	12.63	25	13.69
4. स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, दवाइयों की आपूर्ति तथा परिवार-कल्याण कैंप	8	05.85	9	05.01	18	03.54
5. स्व-नियोजन तथा प्रशिक्षण	13	06.25	4	05.76	12	05.38
6. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कार्य	6	3.85	9	04.54	8	07.10
7. वृक्षारोपण	3,000	00·38	21,000	00.31	900	00.10
8. खेलकूद तथा सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम	—	10.66		05.15		07.95
		90.76		76.58		84.09

श्री पीयूष तीरकी : महोदय, मेरा प्रश्न यह है :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्रों के परिधीय विकास क्षेत्र में वृद्धि करने का है, हां, अथवा नहीं, अगर नहीं तो क्यों ?

(ख) क्या कोल इंडिया द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों में खदान सम्बन्धी कार्य के पूर्ण होने के बाद जमीन के अन्दर स्थित खान संबंधी कार्य अथवा खुली खानों को भरने का कोई नैतिक कर्त्तव्य है इससे पहले कि इसका प्रयोग आम जनता के हित में किसी अन्य विकास योजना में किया जा सके; और

(ग) क्या खदान सम्बन्धी कार्य अभियान के लिए अधिगृहीत भूमि उस भूमि के वास्तविक मालिक को उसके अपने प्रयोग के लिए वापिस की जा सकती है ?

कोयला मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, जब हम परिधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो साधारणत: उसका अर्थ यह होता है कि यह 10 किलोमीटर के घेरे के अन्दर होना चाहिए। वास्तव में जैसा कि मैंने जवाब में कहा है कि इसके एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते हम यह उत्तरदायित्व वहन नहीं कर सकते और परिधीय क्षेत्र का विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। चूंकि हमें लगता है कि हमें इन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए हम यह कार्य करते हैं। इस कार्य के लिए जो धनराशि आबंटित की गई है वह पर्याप्त नहीं है। इस वर्ष 5 करोड़ रुपये ही मिले हैं। इस कार्य हेतु धनराशि बढ़ाने का मेरा विचार है।

मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर भी लगभग दे चुका हूं।

जहां तक अर्जित भूमि को वापिस करने अथवा न करने का प्रश्न है, मैं अभी इनका उत्तर नहीं दे सकता। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं कुछ समय चाहता हूं।

श्री पीयूष तीरकी : मेरा प्रश्न (ख) यह है कि क्या खुली खदानों को भरने का कोल इन्डिया का नैतिक फर्ज है।

अध्यक्ष महोदय : यह अपने मत का प्रश्न है।

श्री पीयूष तीरकी : अगर सम्भव हो तो मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि मुझे इसका लिखित उत्तर दिया जाए।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है (क) कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; (ख) लाभान्वित लोगों में विस्थापित लोगों की संख्या और प्रतिशत क्या है (ग) विस्थापित व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार हेतु भावी योजनाओं का ब्योरा क्या है।

श्री पी० ए० संगमा : दरअसल, यह एक सामान्य बात है कि जब किसी परियोजना पर विचार किया जाता है और उसके लिए विशेष क्षेत्र अधिग्रहित किया जाना होता है तो प्रत्येक विस्थापित परिवार को रोजगार दिया जाना चाहिए। यह एक तयशुदा बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से मामलों में ऐसा नहीं होता। मुझे इससे बहुत बेचैनी महसूस होती है। हम पुनर्वास की नई नीति ला रहे हैं। हम पुनर्वास की एक नई नीति को अन्तिम रूप देने जा रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यह नीति बहुत प्रभावी होगी। मैं शीघ्र ही एक नई योजना लेकर मंत्रिमंडल के पास जाने की उम्मीद रखता हूं। अगर माननीय सदस्य उसपर सुझाव देना चाहते हैं तो एक सप्ताह के भीतर दे दें।

श्री बसुदेव आचार्य : यह कहना ठीक नहीं है कि चूंकि जमीन का अधिग्रहण कोयला क्षेत्र द्वारा कोयला निकालने के लिए किया गया है इसलिये कोयला क्षेत्रों के परिधीय विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। देश की सबसे पुरानी रानीगंज स्थित कोयला खान में हमने देखा कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व खदान सम्बन्धी कार्य करने और अवैज्ञानिक तरीके से खदान कार्य करने के लिए जमीन नीचे धंस गई।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछने के लिए समय दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कोयला क्षेत्र के परिक्षीय विकास के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसमें भूमि-सुधार के लिए कुछ भी नहीं है। कोयले के लिए सारी धनराशि लेने के पश्चात्, कृषि कार्यों के लिए भूमि का सुधार और उपयोग भी किया जाना है। मेरे विचार में भूमि सुधार और धंसे हुए क्षेत्र में भूमि की पुनः उसी स्थिति में बहाली के लिए भी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि तीन या चार वर्ष पूर्व रानीगंज स्थित कोयला क्षेत्र की धंसी हुई भूमि के सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा रखी गई योजना अनुमोदित की जाएगी तथा क्या सरकार भूमि के धंसने संबंधी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक धनराशि को स्वीकृति देगी तथा जहां से सारा कोयला निकाला जा चुका है वहां भूमि सुधार हेतु धनराशि पुनः दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

श्री पी० ए० संगमा : जो मैंने अपने जवाब में कहा वह पुनर्वास कार्यक्रम से बाहर की बात है। वह भूमि-धंसाव कार्यक्रम से भी अलग है। यह तो हम स्वैच्छिक आधार पर नैतिक दायित्व के रूप में कर रहे हैं। यही बात मैंने अपने उत्तर में कही है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप यह स्वैच्छिक आधार पर कर रहे हैं। यह आपकी जिम्मेवारी है क्योंकि कोयला निकाला जा रहा है और उससे जमीन धंस रही है। इसलिए उन जमीनों को पूर्वावस्था में लाने के आपकी अपनी और प्राथमिक जिम्मेवारी है। (व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : श्री बसुदेव आचार्य, आपने मेरी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। मैं यह कह रहा था कि उत्तर के मुख्य अंश में जिस राशि की मैंने बात की वह हम स्वैच्छिक आधार पर दे रहे हैं। जमीनों को भरने के लिए हमारे पास एक अलग कोष है। और, यह प्रश्न इस मद विशेष से संबंधित नहीं है। हमारे पास उसके लिए अलग राशि है। मैं समझता हूं कि यह राशि करीब 40 करोड़ है जिसे हमने अलग रखा है।

जहां तक रानीगंज का सम्बन्ध है, उसके बारे में हम बहुत पहले से ही चर्चा कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि इस सम्बन्ध में वह कानून बनाए और एक निकाय का गठन करें। हम इसे धनराशि उपलब्ध कराने और जो भी आवश्यक है वह सभी करने के लिए तैयार हैं। अब हम रानीगंज क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। मैं पुनः मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने जा रहा हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वह कोई एजेंसी बनाएं। हम उसे पैसा देने के लिए तैयार हैं और वे जो चाहें वह करें।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या कोयला क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों के सरकारों ने उपकर के नाम पर पैसे जमा किए हैं और यदि ऐसा है तो पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों ने विगत तीन वर्षों के दौरान कितने पैसे जमा किए और कोयला खदानों के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने कितना खर्च किया।

श्री पी० ए० संगमा : राज्य सरकार द्वारा उपकर लगाया जाता था। लेकिन अब इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब भी राज्य सरकारें उपकर लागू करती हैं तो किसी विशेष उद्देश्य से करती हैं। इस सम्बन्ध में प्रत्येक सरकार की विशेष उद्देश्य की जानकारी हमारे पास है। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल ने विशेषकर शिक्षा और सड़क निर्माण के लिए उपकर लगाया

है। उपकर लगाने का अभिप्राय यह था कि इससे प्राप्त धन हो सकता है कि अधिक राशि हो—का उपयोग कम से कम कोयला खदान क्षेत्र के विकास और साथ ही आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए हो। राज्य सरकारों ने इस मद में बहुत बड़ी रकम जमा की है। हमारे पास आंकड़े भी मौजूद हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको पश्चिम बंगाल और बिहार के सम्बन्ध में आंकड़े दे सकता हूं पश्चिम बंगाल ने वर्ष 1987-88 के दौरान 187-88 करोड़ रुपये, 1988-89 के दौरान 261.48 करोड़ रुपये, 1989-90 के दौरान 279.47 करोड़ रुपये एकत्र किये गये। बिहार में वर्ष 1987-88 के दौरान 402.34 करोड़ रुपये, 1988-89 के दौरान 642.61 करोड़ रुपये और 1989-90 के दौरान 648.59 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। उन क्षेत्रों के विकास के लिए यह काफी रकम थी। यह उसी के लिए हैं। उन्होंने इस रकम को खर्च किया या नहीं उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता अब उपकर लागू नहीं है इसलिए हमने कोयले की रायल्टी के दर की पुनरीक्षा की है। मैंने राज्य सरकारों को लिखा है और उनसे अपील की है कि वे कोयला खदानों के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक रकम खर्च करें।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोयला खदानों से रिवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेवारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है तो फिर पेरिफिरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी से केन्द्रीय सरकार कैसे बच सकती है। विशेषकर ऐसी हालत में जब कि वहां के गरीब किसान की जमीन ले ली जाती है तो उसके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं, उसे पीने का पानी नहीं मिलता क्योंकि पानी का लेवल काफी नीचे चला जाता है तथा उसे हर तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है कोयला खदानों के कारण। मेरा मंत्री जी से प्रश्न यह है कि पेरिफिरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर क्यों नहीं है जब कि वहां से रिवेन्यू कलैक्ट करने की जिम्मेदारी उनकी है।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : इसके दो पहलू हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जो कोयला खदान के आसपास स्थित है और कुछ विस्थापित गांव हैं। जहां तक विस्थापित गांव अथवा व्यक्तियों का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके पुनर्वास का हमारे पास अलग एक मुश्त कार्यक्रम है और सरकार नये एक मुश्त कार्यक्रम लाने का विचार कर रही है जो पहले से अधिक आकर्षक और अच्छा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विस्थापित लोग नहीं हैं परन्तु वे गांव खदान क्षेत्र के आसपास स्थित है। हमने उसका भी ध्यान रखा है। उसी मुद्दे पर प्रश्न पूछा गया है। हमारे विवाद का मुद्दा यह है कि खदान के आसपास के क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का और हमसे उसके लिये जो भी सहायता मांगी जाएगी हम देंगे।

[हिन्दी]

श्री तेजसिंह राव भोंसले : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कोयलरी का पूरा क्षेत्र आता है, उसमें काफी अच्छी कोयलरीज है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप एक स्पेसिफिक पर आ रहे हैं। ऐसे नहीं पूछा जा सकता है।

श्री तेजसिंह राव भोंसले : अच्छा अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल पूछता हूं, मंत्री महोदय ने इसमें

इन्फ्रास्ट्रक्चर और जनरल डिवेलपमेंट की बात कही है, तो जो काश्तकारों के वहां आने जाने का रास्ता था वह बिलकुल बन्द हो गया है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के प्रश्न को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रास्ता सम्बन्धी ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में विदर्भ में बहुत कोयले की माइन्स हैं। मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि बजट में से इसके लिए प्रावधान बढ़ाने वाले हैं, तो वहां की कोयला खदानों में बहुत अच्छा कोयला मिलता है। उसको बजट में पैसा बढ़ाकर निकालने का प्रयास करेंगे क्या और वहां पर जो थर्मल पावर स्टेशनों को अच्छा कोयला नहीं मिलता है उनको अच्छा कोयला वहां से निकालकर देने का प्रयास क्या किया जाएगा और क्या इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार ने आपके मंत्रालय को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि भेजा है तो उसपर अब तक सरकार ने क्या निर्णय लिया है, ये मंत्री महोदय मुझे बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका भी उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पी० ए० संगमा : मुख्य प्रश्न सेंट्रल कोल फील्ड्स के आसपास के क्षेत्रों के विकास के संबंध में है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप दे सकते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मैं यह जानकारी बाद में दूंगा।

श्री एस० बी० सिदनाल : माननीय मंत्री ने एक मुश्त योजना के बारे में उल्लेख किया है जिसे मंत्रिमंडल के सामने जल्द ही रखा जाने वाला है। चूंकि उन्होंने उक्त एक मुश्त योजना की बात का जिक्र किया है इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूं कि उसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं?

श्री पी० ए० संगमा : मैं व्यक्तिगत माननीय सदस्य से इस पर बात चीत करूंगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार पर या यह भी हो सकता है कि कोल इंडिया लिमिटेड या किसी अन्य सहयोगी कोयला कम्पनी पर खदानों के आस पास के क्षेत्रों का विकास करने के लिये उनके द्वारा खर्च की जा रही धनराशि से कहीं अधिक धनराशि खर्च करने के लिये जोर डाला जा रहा है चूंकि राज्य सरकारें उस मद में उपकर अथवा रॉयल्टी से प्राप्त धन का पर्याप्त हिस्सा खर्च नहीं कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परिधीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनके द्वारा अधिक धनराशि दिये जाने का मामला उठाएगी क्योंकि जो गांव कोयला क्षेत्र में स्थित हैं वहां पर गम्भीर पर्यावरणीय खतरा बना हुआ है।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने 1990-91 के लिये ··· करोड़ रुपया निर्धारित किया है। चालू

कोयला कम्पनियों को परियोजना तैयार करने और लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने के लिए क्या मार्गदर्शन दिये गए हैं। इसकी देख रेख कौन कर रहा है और इसे कैसे लागू किया जाएगा जबकि इस निधि का अत्यधिक दुरुपयोग किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न भ्रमपूर्ण होता जा रहा है।

श्री पी० ए० संगमा : गांव के लोगों द्वारा इस पर अधिक बल दिया जा रहा है। जब भी मैं कोयला खादान क्षेत्रों का दौरा करने जाता हूं तो ग्रामीण इस बात पर अत्यधिक जोर देते हैं कि इन क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही सभा को आश्वासन दे दिया है कि इन कार्यों के लिए मैं आवंटन को बढ़ाने जा रहा हूं। यदि ऐसी परियोजनाओं को लोगों के भागीदारिता के साथ लागू किया जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। और यदि लोग अपनी समिति गठित करते है या यदि स्वयंसेवी एजेंसियां इस क्षेत्र में आती हैं तो उन क्षेत्रों के विकास के लिए मैं धन उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हूं। (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या आप इसमें सांसदों को भी शामिल करेंगे।

श्री पी० ए० संगमा : जी हां, निश्चय ही शामिल किया जाएगा। हम शिक्षा, पेयजल और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे।

अमलापुरम, आन्ध्र प्रदेश में गैस पर आधारित परियोजनाएं

*572. श्री जी० एम० सी० बालयोगी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को देखते हुए राज्य के अमलापुरम क्षेत्र में गैस पर आधारित उद्योग तथा भण्डारण परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। उक्त क्षेत्र में स्थित उद्योगों के उपयोग के लिए उपलब्ध प्राकृतिक गैस का पहले ही आवंटन कर दिया गया है।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक नया सदस्य हूं और पहली बार प्रश्न पूछ रहा हूं। इसलिए कृपया मेरी सहायता करें। इसलिये अपने प्रथम पूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मैं मुख्य प्रश्न का उत्तर मंत्री जी से जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री ने इस क्षेत्र में गैस पर आधारित भंडारण परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है।

जहां तक मेरे पहले पूरक प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सड़क बनाने, वेदुरुलंका, यनम, कोट्टिपल्ली, मुक्तेश्वरम बोडासकर्रू में पुलों के निर्माण तथा अमालापुर क्षेत्र का विकास करने तथा बाढ़ से बचाने के लिए बांधों को मजबूत बनाने हेतु कोई धनराशि आवंटित करने का विचार रखता है। क्योंकि यह बीस लाख की आबादी वाला द्वीप

है और अपने भारी वाहनों को चलाने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यहां की सड़कों, पुलों और बांधों का उपयोग करता है और इससे इसकी टूट-फूट भी होती रहती है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जहां पूरक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, प्रश्न का जवाब किसी भी तरह दे नहीं दिया जा सका क्योंकि न तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, न तो तेल कंपनियां और न तेल मंत्रालय ही गैस पर आधारित उद्योगों को स्थापित करता है। उद्योगों को स्थापित करने का दायित्व राज्य उद्योग सम्वर्द्धन एजेंसियों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर है। हम केवल गैस का आबंटन करते है जब यह हमारे पास उपलब्ध होती है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार से सड़कों एवं पुलों के विकास कार्य को शुरू करने के लिए कहा था ताकि वह उस क्षेत्र से तेल निकाल सके और वहां का विकास करने का भी प्रयास करे। उसके बदले सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से ऋण की मांग की है। और हाल ही में बातचीत के बाद चार करोड़ रुपये का ऋण देने के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तैयार हो गया है। इसके लिये राज्य का सार्वजनिक कार्य विभाग और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मिलकर उन सड़कों और पुलों को चुनेंगे। जिनका विकास करना है और उक्त ऋण की रकम को 15 प्रतिशत ब्याज पर बाद में वसूल की जाएगी।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : मैं यह जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार क्या अमालापुरम, जयगुरूपाडु और काकीनाड़ा क्षेत्र में की गैस पर आधारित परि-योजनाओं को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस की आपूर्ति की जाएगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : अमालापुरम कृष्णा गोदावरी के तलछटी बेसिन का भाग है जब हमारा वर्तमान कार्यक्रम एक-दो वर्ष में पूरा हो जाएगा तब प्रतिदिन 6 मिलियन घन मीटर गैस उत्पादित करने की हम आशा करते हैं।

केवल एक क्षेत्र के ही 17 उद्योगों को 6 करोड़ घन मीटर गैस देने का पहले ही वचन दिया जा चुका है। मेरे पास उन 17 उद्योगों की सूची है। चूंकि गैस की इतनी मात्रा देने का पहले ही वचन दिया जा चुका है अतः दूसरे उद्योगों को गैस दी ही नहीं जा सकती तथा गैस तभी दी जा सकती है जबकि या तो भविष्य में गैस की सप्लाई को और बढ़ाया जाये अथवा गैस की सप्लाई रोक देने के के कारण दूसरे उद्योगों द्वारा इन उद्योगों का स्थान ले लिया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : कुल उपलब्ध गैस जिसका आबंटन किया गया है अथवा जिसे देने का आश्वासन दिया गया है, आज इनमें से वास्तव में इन उद्योगों द्वारा कितनी गैस का उपयोग किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप विशिष्ट प्रश्न से साधारण प्रश्न पर आते जा रहे हैं। यह प्रश्न आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, नहीं। यह एक अत्यन्त विशिष्ट प्रश्न है। उन्होंने बताया था कि कुल उपलब्ध गैस में से 6 करोड़ घन मीटर गैस का आबंटन किया गया है। उस क्षेत्र में कुल आबंटित गैस में वास्तव में कितनी गैस का उपयोग किया जा रहा है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : विजेश्वरम विद्युत संयंत्र द्वारा प्रतिदिन 0.4 करोड़ घन मीटर गैस का उपयोग किया जा रहा हैं। 6 करोड़ घन मीटर गैस देने का वचन दिया गया था। मैं माननीय

सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि परियोजना के पूरी होने पर 6 करोड़ घन मीटर गैस दिये जाने की योजना है।

श्री दिग्विजय सिंह : वास्तव में कितनी गैस का उपयोग किया जा रहा है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : 0.4 घन मीटर गैस का उपयोग किया जा रहा है।]

श्री दिग्विजय सिंह : या जलाई जा रही है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : नहीं, गैस का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। यह वह गैस नहीं है। केवल उतनी ही गैस ली जाती है तथा शेष गैस भण्डार में रह जाती है। इसे जलाया नहीं जाता है।

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या : महोदय, आंध्र प्रदेश में उद्योगों को आवंटित की गई गैस में से कितने उद्योगों ने इसे लेने से इंकार कर दिया है अथवा आपके द्वारा बढ़ाई जाने वाली एक तरफा विद्युत दर के कारण इसे लेने से स्वयं को असमर्थ कर लिया है।

विद्युत उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश को कितनी विद्युत की आवश्यकता है ? यद्यपि इसके लिए अधिक विद्युत की आवश्यकता है परन्तु आप इतनी आवंटित नहीं करेंगे।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह एक बहुत ही आम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल है।

श्री भू० विजय कुमार राजू : अध्यक्ष महोदय, वे पहले ही कुछ उद्योगों को सप्लाई कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने 17 उद्योगों के लिए आवंटित की है। परन्तु अब विद्युत दरें 900 रु० से 1,400 रुपये हो जाने के कारण उद्योग इस गैस को लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि वह 900 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से ही गैसे देगी जैसा कि पहले दिया करती थी ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : पिछले कई वर्षों से गैस का वर्तमान मूल्य 1,400 रु० प्रति हजार घन मीटर चल रहा है। 900 रुपये प्रति घन मीटर का यह मूल्य काफी समय पहले था। जिस समय गैस का मूल्य 1,400 प्रति हजार घन मीटर था, उस समय ये सारे उद्योग आगे आये थे।

केलकर समिति की जो गैस के मूल्य सम्बन्धी मामले पर विचार कर रही है, रिपोर्ट के अनुसार सरकार गैस के मूल्य में संशोधन करने पर विचार कर रही है। परन्तु हमने उन्हें भौगोलीय मानदण्डों अथवा आर्थिक मूल्य से भी कम मूल्य का प्रस्ताव किया है जो कि तेल उत्पादन करने वाली विदेशी कम्पनियों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद होगा तथा जो कि केलकर समिति द्वारा सिफारिश किये गये मूल्य से भी काफी कम है।

हमने इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। यह सरकार के पास निर्णय के लिए विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 573

श्री भू० विजय कुमार राजू : महोदय, इसमें कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे।

उपरि कोलाब विद्युत परियोजना

*573. श्री प्रद्युम्न चरण सेठी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उपरि कोलाब विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होताहै ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के अपर कोलाब पावर प्रोजैक्ट की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 240 मे० वा० (3×80 मे० वा०) है । अत्यधिक वाइब्रेशन सम्बन्धी आपरेशनल समस्याओं के कारण यूनिट-1 को मार्च, 90 से बन्द करना पड़ा है। इस समय, 160 मे० वा० के बराबर पावर जनरेशन कैपेसिटी उपलब्ध है ।

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अन्य विशेषज्ञों और प्रोजैक्ट अथार्टीज के सहयोग से किए गए इन्वेस्टीगेशन्स के आधार पर टेलपूल के डिजाइन में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है। इन संशोधनों को करने में लगभग 8 महीने का समय लगने की आशा है। यूनिट-1 के जनरेटिंग इक्विपमेंट के रेक्टिफिकेशन तथा इसके रीइरैक्शन सम्बन्धी कार्य को भी तब तक पूरा कर लिया जायेगा । आशा है कि इसके बाद सभी तीन मशीनें चालू हो जायेंगी ।

श्री प्रद्युम्न चरण सेठी : अध्यक्ष महोदय, सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उपरि कोलाब विद्युत परियोजना की एक इकाई मार्च 1990 से बन्द पड़ी है तथा इस इकाई को आरम्भ करने के लिए आठ माह का और समय लगेगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के ध्यान में इसे कब लाया गया था ?

दूसरे । इतना समय लगने के कौन से विशेष कारण है जबकि विकास प्रक्रिया में हर क्षेत्र में हमें विद्युत की इतनी अधिक आवश्यकता है ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार के समक्ष यह मामला लाया गया तो उसी समय इस खराबी को ठीक करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भी शामिल किया गया था। यह पता लगा था कि डिजाईन सम्बन्धी खराबी उत्पन्न हो गई है। इसमें सुधार करने के लिए प्रस्ताव किया गया । इस इकाई की स्थिति आठ माह के अन्दर ठीक कर दी जायगी ।

श्री प्रद्युम्न चरण सेठी : मेरा विशेष प्रश्न यह है कि इसमें बहुत अधिक समय लग चुका है।

मार्च 1991 में इसे सरकार के ध्यान में लाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह डिजाईन सम्बन्धी खराबी थी।

श्री अर्जुन चरण सेठी : यदि यह डिजाईन सम्बन्धी खराबी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह डिजाईन किसने दिया था ? क्या भारत सरकार की ही एक कम्पनी, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने ही यह डिजाईन नहीं भेजा था ? यदि ऐसा ही है तो क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स के लिए यह सम्भव नहीं है कि इस नुकसान के लिए वह स्वयं को जिम्मेदार मानकर यथा-संभव कम से कम समय के अन्दर इसकी मशीनरी को बदल दें ?

यदि ऐसा है, मैं जानना चाहता हूं कि इस इकाई के बाद होने के दौरान राज्य को कितना नुकसान हुआ है। क्या वह विशेष रूप से इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि वे इस समय तक इस डिजाईन के स्थान पर दूसरा डिजाईन लायेंगे तथा यह इकाई कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, राज्य को कोई विद्युत घाटा नहीं हुआ है। उस क्षेत्र की अत्यधिक मांग के मामले में ही केवल राज्य को घाटा हुआ है। अत्यधिक कम्पन होने के कारण उसमें यह खराबी आ गई है तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड और केन्द्रीय जल आयोग ने उस खराबी का पता लगा लिया है। वे अगले आठ माह में इसे ठीक भी कर देंगे। जब इसका यह दोष ठीक कर दिया जायेगा तभी यह कार्य आरम्भ कर देगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : उपरि कोलाबा विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है तथा मार्च 1990 से इस खराबी का पता लगने के बाद से इसकी क्या क्षमता रही है ? इस खराबी के कारण होने वाली बिजली की कमी को पूरा करने के लिए आपका क्या करने का विचार है ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, कोलाबा विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 240 मेगावाट है। तथा सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा में 30 प्रतिशत बिजली की कमी है। बिजली की इस कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार को अनेक परियोजनाओं की स्थापना करनी है जो इस समय चल रही हैं। तालचर एक ऐसी ही परियोजना है जिसका निर्माण चल रहा है तथा इसके पूरा होने पर 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जायेगा। अतएव इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात् बिजली की कमी की समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि दो खराबियों के कारण इकाई एक में मार्च 1990 से कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पिछले भाग तथा विद्युत उत्पादन उपकरण इन दोनों में केवल दो ही खराबियां थीं अथवा नहीं। यदि विद्युत उत्पादन करने वाले उपकरण में ही कोई खराबी थी तो क्या यह खराबी केवल इकाई एक में ही थी अथवा हर उस इकाई में थी जहां पर कि इस परियोजना के अन्तर्गत उस उपकरण का उपयोग किया गया था ? यदि ऐसा है, तो इस प्रकार का उपकरण क्यों बनाया गया था तथा इससे पहले इसमें सुधार करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री कल्पनाथ राय : इस परियोजना के अन्तर्गत तीन इकाई हैं तथा प्रत्येक इकाई की क्षमता 80 मेगावाट है। इन दो इकाईयों में कोई खराबी नहीं है। इसके निचले भाग में यह खराबी आ गई है तथा भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड और सी० ई० ए० ने इस मामले की छानबीन की थी तथा उन्होंने यह पता लगा लिया है कि इसमें खराबी है। वे इस खराबी को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उप-बिजली घरों का वित्त-पोषण

*574. श्री के० बोक्का राव :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 132 किलोवाट के उप-बिजलीघरों का वित्तपोषण करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी दिशा निर्देश क्या हैं और राज्यवार अब तक स्वीकृत किए गए ऐसे उप-बिजलीघरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) 132 के० वी० सब-स्टेशनों के लिए फंड की व्यवस्था, ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) तथा विद्युत वित्त निगम (पी० एफ० सी०) दोनों द्वारा की जाती है। मार्च, 1990 में निर्णय लिया गया था कि 132 के० वी० सब-स्टेशनों, जोकि मुख्य रूप से ग्रामीण पावर लोड की पूर्ति करते हैं, के लिए फंड की व्यवस्था आर० ई० सी० द्वारा की जाएगी और अन्य सब-स्टेशनों के लिए पी० एफ० सी० द्वारा वित्त-व्यवस्था की जाएगी।

आर० ई० सी० द्वारा मार्च, 1990 से अब तक स्वीकृत इस प्रकार के सब-स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. आंध्र प्रदेश	1
2. राजस्थान	2
3. उड़ीसा	4
4. उत्तर प्रदेश	4
	11

आंध्र प्रदेश के उपर्युक्त सब-स्टेशन के अलावा, आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा वारांगल जिले के मादीकोन्डा में स्थापित किए जाने वाले एक और प्रस्तावित 132 के० वी० सब-स्टेशन को आर० ई० सी०, द्वारा जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड क्रेडिट के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री के० बोक्का राव : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि सब-स्टेशन सैंगशन करने

की गाइड-लाइन्स क्या हैं, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। आपने ग्यारह सब-स्टेशन्स सैंक्शन्स किए हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सब-स्टेशन सैंक्शन करने की गाइड-लाइन्स क्या हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सन् 1990 में पावर मंत्रालय ने निर्णय लिया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पावर की शार्टेज होती है, उस लोड को पूरा करने के लिए 132 के० वी० का स्टेशन रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बनाएगा और जो शहरी क्षेत्रों में पावर लोड का प्राबलम है, उसको पावर फाईनेंस कारपोरेशन बनाएगा। इस सम्बन्ध में गाइडलाइन्स यह है, जब प्रदेश के विद्युत परिषद् केन्द्रीय सरकार को रिकमेंड करेंगे, तो केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुकूल निर्णय लेगी।

श्री जे० चोक्का राव : अध्यक्ष महोदय, आपने अपने जवाब में बताया है कि ग्यारह सब-स्टेशन्स सैंक्शन्स किए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, पूरे देश से आपके पास कितने प्रपोजल्स आए हैं और उनमें से कितने सैंक्शन किए हैं तथा आंध्र प्रदेश से कितने प्रपोजल्स आपके पास आये हैं व पैंडिंग पड़े हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश से केवल हैदराबाद के लिए 132 के० वी० का प्रपोजल आया है, जो विचाराधीन है, तथा निकट भविष्य में उस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने इस प्रश्न के उत्तर में आर० ई० सी० द्वारा मार्च, 1990 से अब तक स्वीकृत इस प्रकार के सब-स्टेशनों को राज्यवार ब्यौरा देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश से 4 हमने आर० ई० सी० के अन्तर्गत सैंक्शन किया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में सैदपुर है जहां से मंत्री जी भी हमारे पड़ोसी हैं वहां इन चार में से कोई सैंक्शन किया है अथवा नहीं। यदि नहीं किया है तो वहां बिजली की भारी दिक्कत है, तो क्या आर० ई० सी० योजना के अन्तर्गत 132 के० वी० सब-स्टेशन स्वैच्छिक रूप से सैदपुर में स्वीकृत करने के लिए आपके पास कोई योजना है या नहीं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष जी, ग्रामीण विद्युतिकरण की तरफ से जो ग्रामीण क्षेत्रों में पावर लोड की समस्या को हल करने के लिए जो योजना प्रदेश की सरकार भेजती है उसके ऊपर केन्द्रीय सरकार निणय लेती है। सैदपुर में 132 के० वी० सब-स्टेशन की आवश्यकता है, लेकिन माननीय सदस्य जी, यदि आप प्रदेश सरकार से इसकी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को भिजवा सकें तो उस पर केन्द्रीय सरकार अवश्य निर्णय लेगी।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आपको भी इस बात की सूचना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महीनों तक बिजली नहीं आती। आज की भी खबर है कि जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है और तीन दिन से गोकुल में बिजली नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध नहीं होती और आपने डेढ़ साल में केवल 11 ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत 11 सब-स्टेशन लगाए हैं। राजस्थान में केवल दो सब-स्टेशन की आपने स्वीकृति दी है। तो क्या मंत्री महोदय आप यह महसूस नहीं करते कि ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत आर० ई० सी० को और अधिक धन देकर ग्रामों में बिजली की समस्या को हल किया जा सके ताकि ग्रामीण लोगों को बिजली मिल सके। इसके लिए आप प्रयत्न करेंगे और यदि करेंगे तो कब तक करेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, बिजली देने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और इस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार है। मैं उनसे बिजली की सप्लाई के लिए कहूंगा ताकि आपकी यह समस्या हल हो सके। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप स्टेट्स को पूरा धन नहीं देते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं तो सारे स्टेट के अधिकार सेंट्रल को देने पड़ेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि सब-स्टेशनों की स्थापना करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निधि प्रदान न करने के कारण कृषकों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। लगातार बिजली की कटौती होने के कारण वे अपने खेतों में पानी नहीं दे पा रहे हैं। कई-कई दिनों तक बिजली गायब रहने से उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। ग्रामवासियों को बिजली की कमी के कारण पेयजल भी नहीं मिल रहा है। अतः क्या सरकार राज्य सरकारों की मांग पर ध्यान न देते हुए निगम को स-स्टेशनों की स्थापना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निधि प्रदान करेगी ?

श्री कल्पनाथ राय : सभी इस बात को मानते हैं कि देश में बिजली की कमी है। परन्तु यदि राज्य सरकारें सब-स्टेशनों का निर्माण करने के लिए अपनी सिफारिश करने को तैयार हैं तो भारत सरकार जो कुछ भी वह कर सकती है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो ग्रामीण विद्युतिकरण निगम ने राज्य सरकारों को मदद की है, वह महज केवल 11 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 132 के० वी० के हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें गांवों में विद्युतिकरण की स्थिति आज भी बहुत खराब है। जब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के प्रपोजल पर विचार करेगी तो क्या इस बात को प्राथमिकता दी जाएगी कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें ज्यादा धन दिया जाए, तो क्या निगम की तरफ से इसको ध्यान में रखा जाएगा ?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत उचित है। पिछड़े क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए और यह काम किया जाएगा, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास लगभग 3 लाख कृषि पम्पसैटों का विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य लम्बित पड़ा हुआ है। इसे देखते हुए क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और अधिक धन प्रदान करेगा ताकि ए०पी०एस०ई०बी० द्वारा कम-से-कम एक लाख अतिरिक्त कनेक्शन दिए जा सकें।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, राज्य विद्युत बोर्ड से जब यह प्रस्ताव आएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इस प्रश्न पर विचार करेगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पेट्रोल/डीजल/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एजेंसियों के आवंटन के मानदण्ड

[हिन्दी]

*575. श्री विजय कुमार यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की एजेंसियों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी हैं; और

(ख) इनके आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिनांक 1.4.91 को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 15056 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों तथा 3902 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थी।

(ख) विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के आधार पर आवंटन किए गए था।

विद्युत पारेषण की सुविधाएं

[अनुवाद]

*576. श्री प्रणय मुखोपाध्याय :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रिड प्रबंधन और सुविधाओं सहित विद्युत पारेषण की वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, ताकि ग्रिड में बार-बार होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में लोड डिस्पैच संबंधी कार्य, टू-टीयर रूप में किए जाते हैं। राज्यों में राज्य स्तर के लोड डिस्पैच सैंटर होते हैं, इन राज्य स्तर के सैंटर्स को इनके उचित रूप से प्रचालन हेतु रीजनल लोड डिस्पैच सैंटर्स के साथ लिंक किया जाता है। स्टेट लोड डिस्पैच सैंटर्स का प्रचालन, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। रीजनल लोड डिस्पैच सैंटर्स का प्रचालन सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। लोड डिस्पैच सैंटर्स का मुख्य कार्य, विद्युत की सप्लाई और मांग का प्रबंध करना तथा फ्रिक्वेन्सी, वोल्टेज आदि जैसे प्रणाली पैरामीटर्स को निर्धारित सीमा तक बनाये रखना होता है। इन सुविधाओं का लोड डिस्पैच सैंटर्स तक विस्तार करने और संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इसके आलावा, ग्रिड मैनेजमेंट टैक्नीक में सुधार किए जाने हेतु

भी उपाय किए जा रहे हैं जो कि एक आनगोइंग प्रोसेस है। नार्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न तथा नार्थईस्टर्न क्षेत्रों में रीजनल एवं स्टेट लेवल्स, दोनों प्रकार के लोड डिस्पैच सेंटर्स में उपर्युक्त सुविधाओं का विस्तार करने हेतु स्कीमें तैयार की गई हैं। वैस्टर्न रीजन के मामले में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गई है। जबकि नार्दर्न रीजन हेतु स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन की एडवान्स स्टेज में है, ईस्टर्न, सदर्न तथा नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन्स स्कीमें कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

*577. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1991 में राज्य विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या-क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र के विकास में राज्य बिजली बोर्डों की भूमिका और उनके कार्यनिष्पादन तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन 19 फरवरी, 1991 को आयोजित किया गया।

सम्मेलन में दिए गए मुख्य सुझाव, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वाणिज्यिक प्रणाली के आधार पर कार्य किए गए जाने से संबंधित थे जिससे कि उनके द्वारा निवल अचल परिसम्पत्तियों पर 3% का वार्षिक सांविधिक लाभांश प्राप्त किया जा सके। इस लाभांश को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे :—

—1:1 का ऋण: इक्विटी अनुपात प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों के पूंजीगत आधार में बढ़ोतरी की जानी चाहिए.

—टैरिफ के माध्यम से विद्युत उत्पादन लागत की पूरी तरह पूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

—राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण सब्सिडी का भुगतान नियमित रूप से किया जाना चाहिए; और

—राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई, विद्युत उत्पादन लागत से कम कीमत पर किए जाने की अवस्था में बोर्डों को होने वाली हानि की भरपाई की जानी चाहिए।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड राज्य सरकारों के नियंत्राधीन स्वायत्तशासी संगठन हैं और इसलिए

इन मामलों में संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ही कार्यवाही की जानी है। तथापि, यह खुशी की बात है कि लगातार सम्पर्क करने के बाद कई राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा टैरिफ की दर में बढ़ौतरी, पूंजीगत आधार में संशोधन और राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण सब्सिडी का भुगतान किए जाने के माध्यम से इन सुझावों को कार्यान्वित किए जाने के उपाय किए गए हैं.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी पर्यटक

*578. डा० जयंत रंगपी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र का भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों पर लागू विनियमों के समतुल्य नहीं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विद्यमान विषमताओं का ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र का भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों से और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय के अनुमान विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग संकलित नहीं किए जाते।

(ख) जी, हां।

(ग) विशेष अनुमति लिए बिना विदेशियों को पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश भागों की यात्रा करने की इजाजत नहीं है। इस प्रतिबंध की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए समुचित ढील दी जाती है। इस बारे में उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं—आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार और पर्यटक आकर्षण के स्थानों का विदेशों में प्रचार।

विकलांगों को रेल-किराये में रियायत

*579. श्री एम० डेनिस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विकलांगों को वातानुकूलित चेयरकारों और वातानुकूलित शायिकाओं में सफर करने के लिए रेल-किराये में रियायत देने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (शारीरिक रूप से विकलांग जो व्यक्ति पहले दर्जे में रियायत के पात्र हैं, किराये में अन्तर का भुगतान करके वातानुकूल शयनयान में यात्रा कर सकते हैं।

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :

(क) कर्षण के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन की मात्रा

	1988-89	1989-90
भाप (कोयला मिलियन टन में)	5.91	5.91
उच्च गति डीजल (मिलियन लीटर)	1652.56	1678.81
विद्युत ऊर्जा (मिलियन किलोवाट घंटे)	2863.59	3225.51
इस्तेमाल किए गए ईंधन की लागत (करोड़ रुपयों में)		
भाप (कोयला)	325.92	331.79
उच्च गति (डीजल)	599.77	622.81
विद्युत ऊर्जा	350.11	434.78
ढोया गया यात्री और माल यातायात (बिलियन सकल टन किलोमीटर में)		
भाप रेल इंजन	53.58	46.97
डीजल रेल इंजन	375.35	382.63
बिजली रेल इंजन	223.74	245.80

(ख) प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर के लिए भाप, डीजल और बिजली रेल इंजनों के परिचालन पर रुपयों में आई तुलनात्मक लागत

भाप रेल इंजन — ये इंजन अब डीजल और बिजली रेल इंजनों जैसी परिस्थितियों के अन्तर्गत परिचालित नहीं होते।

	1988-89		1989-90	
	ब० ला० (रुपयों में)	मी० ला० (रुपयों में)	ब० ला० (रुपयों में)	मि० ला० (रुपयों में)
डीजल रेल इंजन	31.48	47.89	30.41	51.03
बिजली रेल इंजन	27.95	42.83	31.43	71.89

कालावधि समाप्त ई० एम० यू० सवारी डिब्बों को बदलना

[अनुवाद]

*588. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन में कालावधि समाप्त ई० एम० यू० सवारी डिब्बों को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 1-4-91 को, गतायु ट्रेलर सवारी डिब्बों की संख्या 21 थी। 1991-92 के दौरान 10 सवारी डिब्बों के बदलाव का कार्यक्रम बनाया गया है। शेष सवारी डिब्बों का भविष्य में उत्तरोत्तर बदलाव किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कार्यकरण

4515. श्री मदन लाल खुराना :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासकीय सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) डेसू के अनुसार बिल बनाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने तथा डेसू द्वारा प्रतिभूति राशि को वापिस किये जाने के बारे में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा अध्ययन कार्य किया गया है। नवम्बर, 1989 में प्राप्त हुई उनकी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि मीटर-सीटें तैयार करने के लिए सभी जिलों हेतु एक समान प्रक्रिया अपनाई जाए, चक्रीय मीटर रीडिंग की पद्धति लागू की जाये, ऐसे कनेक्शनों का पता लगाना जिनके बारे में एक वर्ष से भी अधिक अवधि से बिल जारी नहीं किये गये हैं, परीक्षण के आधार पर स्थल पर ही बिल बनाने की प्रणाली लागू करना, सर्वप्रथम बिल को वास्तविक रीडिंग तथा अनुवर्ती बिल को मासिक/द्विमासिक अंतराल से अनुमान के आधार पर जारी किए जाने की व्यवहार्यता का पता लगाना; सरकारी आवास के लिए प्रतिभूति राशि की प्रणाली को समाप्त करना और निजी आवास के मामले में प्रतिभूति राशि का हस्तांतरण करना आदि।

अध्ययन दल के अनेक सुझावों का कार्यान्वयन किए जाने तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बिल बनाने की प्रक्रिया में सुधार करने एवं कारगर बनाने के लिए किये जा रहे अन्य उपायों एवं कम्प्यूटर के द्वारा बिल बनाने की प्रणाली में शनैः-शनैः स्थिरता आने के परिणामस्वरूप डेसू त्रुटिपूर्ण और विलम्ब से बिल बनाये जाने की घटनाओं की संख्या को कम करने में सक्षम हो पाया है।

लम्बन निवासी विमान परिचारिकाओं द्वारा अभ्यावेदन

4516. श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में लंदन निवासी अनेक यूरोपीय विमान परिचारिकाओं को अतिरिक्त घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसके बाद एअर इण्डिया ने पेरिस में अनेक विमान परिचारिकाओं की भर्ती की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या संघ सरकार को इस सम्बन्ध में लंदन निवासी विमान परिचारिकाओं से कोई अभ्या-वेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 6 यूरोपीय विमान परिचारिकाओं ने लन्दन में जन-शक्ति को घटाने की दृष्टि से एयर इण्डिया द्वारा 1988 में बनाई गई व्यतिरिक्त योजना के लिए स्वेच्छा से विकल्प दिया था। उन्होंने इस योजना के अधीन उपलब्ध मुआवजे का लाभ उठाया। उन्हें अनिवार्य रूप से व्यतिरिक्त घोषित नहीं किया गया।

(ग) और (घ) एयर इण्डिया के यूरोपीय यात्रियों के लिए घर जैसा वातावरण महसूस कराने और उसकी उड़ानगत सेवा में सुधार करने एवं परियोजना को प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से, एयर इण्डिया ने यूरोप के लिए यूरोप से होकर जाने वाली उड़ानों पर यूरोपीय विमान परिचारिकाओं को रखने का निर्णय किया है। तदनुसार, एयर इण्डिया द्वारा जुलाई, 1990 में नौ बीच विमान परिचारिकाओं को प्रशिक्षु विमान परिचारिकाओं के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर में अंधाऊ हवाई अड्डा

[हिन्दी]

4517. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर में स्थित अंधाऊ हवाई अड्डे का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है;

(ख) इसके निर्माण के समय इस हवाई अड्डे का क्षेत्र कितना था; और

(ग) इस हवाई अड्डे के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) गाजीपुर (अंधाऊ) की हवाई पट्टी उत्तर प्रदेश सरकार की है।

रोहा और मुम्बई के बीच रेलगाड़ी

4518. श्री गोविन्दराव निकम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कोंकण रेल लाइन पर निर्माण किये जाने वाले स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या रोहा और मुम्बई के बीच रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्टेशनों के नामों का निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजमुन्द्री, आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां और बाटलिंग प्लांट

[अनुवाद]

4519. डा० के० वी० आर० चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजमुन्द्री, आन्ध्र प्रदेश में एल० पी० जी० बाटलिंग प्लाटों के स्थापित करने तथा और अधिक रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। जबकि बाटलिंग संयंत्र की स्थापना के संबंध में निर्णय तकनीकी-आर्थिक आधार पर लिया जाता है। एल० पी० जी० की नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन उत्पाद की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता तथा समय-समय पर लागू सरकार की नीति के आधार पर किया जाता है।

सतपुड़ा बिजलीघर के लिए कोयले की सप्लाई

[हिन्दी]

4520. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सतपुड़ा बिजली घर कोयले की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता में बिजली का उत्पादन नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की कम सप्लाई के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बिजली घर को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबंध किये जा रहे हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्याम गौड) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

*580. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो एटा जिले में उन गांवों की संख्या कितनी है कितनी है जिनती है जिनका विद्युतीकरण कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां कार्य रोकने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, उत्तर प्रदेश में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार थे :—

गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन		पम्पसैट एनरजाइजेशन	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2350	2207	16100	18506

उत्तर प्रदेश में गांवों के इलैक्ट्रिफिकेशन के संबंध में कम उपलब्धि, फंड्स संबंधी कठिनाइयों के कारण रही। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1990-91 के दौरान 16 गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन किया गया, इस प्रकार एटा में इलैक्ट्रिफाइड गांवों की कुल संख्या 1088 हो गई है।

कोयले पर रायल्टी की दर में हुई वृद्धि का प्रभाव

*581. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर रायल्टी की दर में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण सरकार द्वारा कितना वित्तीय भार वहन किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या रायल्टी में वृद्धि के परिणामस्वरूप कोयले के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कोयले पर रायल्टी की अदायगी उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। इसका संग्रहण कोयला कम्पनियों द्वारा किया जाता है और इसे राज्य सरकारों को प्रेषित किया जाता है। अतः केन्द्र सरकार पर रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने के कारण कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा कोयले की निर्धारित पिट-हैड कीमतों में रायल्टी की दरें

में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, चूंकि कोयले की पिट-हैड कीमतों में रायल्टी तथा अन्य कर शामिल नहीं होते हैं। किन्तु उपभोक्ताओं की कीमतों में, ऐसे राज्यों में जहां उपकर कम दरों पर लगाया जाता था, कीमतों में वृद्धि होगी और ऐसे राज्यों में जहां उपकर ऊंची दरों में लगाया जाता था, रायल्टी की संशोधित दरों की तुलना में कीमतों में गिरावट आएगी। पश्चिम बंगाल और असम में उत्पादित कोयले के सम्बन्ध में कोयले की कीमतों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चूंकि रायल्टी की संशोधित दरें इन राज्यों पर अभी तक लागू नहीं की गई हैं।

केरल राज्य बिजली बोर्ड को विश्व बैंक से सहायता

[अनुवाद]

*582. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केरल राज्य बिजली बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पूर्व-शर्त के रूप में बिजली शुल्क में वृद्धि करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने केरल सरकार को सलाह दी है कि 3% का लाभांश प्राप्त करने हेतु एक विकल्प के रूप में पावर टैरिफ में बढ़ोत्तरी की जाए। यह केरल राज्य बिजली बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारित पूर्व शर्तों में से एक शर्त है। केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विश्व बैंक के सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

इज्जतनगर में लोको वर्कशाप

[हिन्दी]

*583. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इज्जतनगर (बरेली) में पूर्वोत्तर-रेलवे के लोको वर्कशाप में लोको कैरेज तथा हल्की और भारी क्रेनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों के उत्पादन में कुछ गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इज्जतनगर में केवल मीटर लाइन की हल्की और भारी क्रेनों का ही निर्माण किया जा रहा है। किसी रेल इंजन अथवा सवारी डिब्बे का वहां कभी निर्माण नहीं किया गया।

(ख) 1988-89 में 2 क्रेनों और 1990-91 में 6 क्रेनों का निर्माण किया गया था। 1989-90 में किसी क्रेन का निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि 1988-89 में जिन क्रेनों का निर्माण

किया गया था, वे प्रोटोटाइप ही थीं :

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पैठण का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

*584. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) इस योजना का कितना कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं । महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पैठण में पर्यटन के विकास के लिए कोई स्कीम नहीं भेजी है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

शहरी परिवहन प्रणाली

*585. श्री रामशरण यादव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में रेलगाड़ियों की तीव्र गति परिवहन प्रणाली में व्याप्त यातायात समस्या को सुलझाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है;

(ख) चालू वर्ष में शहरी परिवहन प्रणाली पर आधारित रेलगाड़ियों के नवीकरण, रख-रखाव और परिचालन के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में 1990 के दौरान कुल कितना खर्च हुआ और इससे लाभान्वित शहरों के नाम क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न गाड़ी सेवाओं, यथा दैनिक-यात्री, यात्री, माल तथा पार्सल गाड़ी सेवाओं पर खर्च संयुक्त रूप से किया जाता है । बाद में इस खर्च को विभिन्न गाड़ी सेवाओं में बांट दिया जाता है । इस प्रकार, दैनिक-यात्री गाड़ी सेवाओं के लिए बजटीय स्तर पर कोई आवंटन नहीं किया जाता ।

(ग) 1989-90 में महानगर क्षेत्र में रेल-आधारित दैनिक-यात्री गाड़ी सेवाओं पर लगभग 514 करोड़ रुपये की रकम खर्च की गई थी । 1990-91 के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

*586. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौजूदा कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्तमान खानों सहित कोयला उद्योग को आधुनिकीकृत किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसे भूमिगत और ओपेन-कास्ट, दोनों प्रकार के खानों में प्रगामी रूप से शुरू किया गया है। आधुनिकीकरण को आधुनिक खनन पद्धतियों को शुरू करके, धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है। शुरू की गई कुछ आधुनिक खनन पद्धतियां नीचे दी गई हैं :—

(1) ओपेनकास्ट खानों में बड़ी क्षमता वाले शावेलों, डम्परों और ड्रैगलाइनों का नियोजन।

(2) मलबा और कोयले के लिए इनपिट क्रॅशिंग और कन्वेइंग पद्धति।

(3) मशीनीकृत बोर्ड और पिल्लर पद्धति की शुरुआत।

(4) साइड डिस्चार्ज लोडरों/लोड हाल डम्परों की शुरुआत।

(5) रोड हैडरों जैसे सतत खनिकों की शुरुआत।

(6) विद्युत सपोर्ट लांगवाल प्रौद्योगिकी।

(7) आगर-सह-ड्रिलें।

(8) ब्लास्टिंग गैलरी पद्धति।

(9) हाइड्रोलिक खनन।

ये आधुनिक पद्धतियां मुख्यतः कोयले के उत्पादन, उत्पादकता तथा प्राप्ति में सुधार लाये जाने और खनिकों की सुरक्षा के संबंध में है। ऐसी प्रौद्योगिकियों में गहन अनुभव रखने वाले देशों से विशिष्ट भू-गर्भीय परिस्थितयों से संबंधित प्रौद्योगिकी का चयनित आयात भी किया गया है। कोल इंडिया लि० ने आठवीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण के लिए 39 खानों को विनिर्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लि० ने उत्पादकता में सुधार लाए जाने के लिए 34 भूमिगत खानों को विनिर्दिष्ट किया है। इन 34 भूमिगत खानों की उत्पादकता में सुधार की योजना को वित्त-पोषित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता के लिए एक प्रस्ताव को रखा गया है।

रेल इंजनों का तुलनात्मक कार्य निष्पादन

*587. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भाप, डीजल और बिजली चालित रेल इंजनों ने तुलनात्मक रूप से अलग-अलग कितने ईंधन का उपयोग किया और वह कितने मूल्य का था तथा उक्त अवधि के दौरान ही उन रेल इंजनों ने अलग-अलग कितना माल ढोया; और

(ख) समान परिस्थितियों में भाप, डीजल और बिजली के रेल इंजन चलाये जाने पर अलग-अलग आई लागत का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

से प्राप्त सूचना के अनुसार कोयले की कमी के कारण अप्रैल से जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह के उत्पादन में 111 मि० यूनिटों की हानि हुई।

(ख) सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह को कोयले की कम आपूर्ति किये जाने के मुख्य कारण निम्न-लिखित हैं—संयोजित खानों में कम उत्पादन और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० पेंच-कन्हान से रेल द्वारा कोयले का अपर्याप्त रूप में संचलन। इस विद्युत गृह को पर्याप्त रूप में कोयले को मुहैया किये जाने के लिए 27.30 हजार टन मात्रा में मई और जून, 1991 की अवधि में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से कोयले का प्रेषण किये जाने की व्यवस्था की गई। कोयला कंपनियों को कोयले के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं ताकि इस विद्युत गृह को कोयले का पर्याप्त रूप में संचालन किया जा सके।

वाणिज्य क्षेत्र में एयर टैक्सी चलाना

[अनुवाद]

4521. श्री पी० सी० थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कंपनियों को वाणिज्य-वायु यातायात क्षेत्र में एअर टैक्सी चलाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या एशिया एशियाटिक लिमिटेड की उड़ानें स्थगित कर दी गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन सेवाओं को फिर से कब बहाल किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) हवाई टैक्सी सेवाओं का परिचालन करने वाली निजी कम्पनियां माल भी ले जा सकती हैं।

(ख) और (ग) यह बताया गया है कि एअर एशियाटिक लिमिटेड ने अपनी आन्तरिक समस्याओं के कारण उड़ानें स्थगित कर दी हैं।

खाड़ी देशों के वायुमार्गों पर एअरबस

[हिन्दी]

4522. श्री रामटहल चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया के अन्तर्गत खाड़ी देशों के वायुमार्गों पर कितनी पुरानी एअरबसें चल रही हैं; और

(ख) नई और पुरानी एअरबसों की प्रतिशत उपयोगिता का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) एयर इण्डिया खाड़ी मार्गों पर 1982 में लिये गये तीन ए-300 बी-4 विमानों से परिचालन करता है।

(ख) 1990 के दौरान ए-300 बी-4 विमान और ए 310-300 विमानों की औसत दैनिक उपयोगिता क्रमशः 7.88 घंटे और 8.49 घंटे थी।

उत्तर प्रदेश में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

4523. श्री राम अवध :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को प्रदान की जा रही बिजली, पानी और खान-पान सुविधाओं के कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और विशेषकर शाहगंज जंक्शन और अकबर पुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार तथा उनका विस्तार करने और उनकी प्रबन्ध व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, राज्य बिजली बोर्ड से बिजली की सप्लाई में अवरोध के कारण, कुछ स्टेशनों पर बिजली उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन स्टेशनों पर ग्रामीण फीडरों से बिजली की सप्लाई होती है वहां बिजली की सप्लाई में अधिक व्यवधान पड़ता है। संबंधित रेलें प्रत्येक मामले में बिजली की सप्लाई पुनः चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ सम्पर्क करने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजकर तत्काल कार्रवाई करती हैं। जहां तक खान-पान का सम्बन्ध है, भोजन की गुणवत्ता और सेवा के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। खान-पान सेवाओं में सुधार लाने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों में आधार रसोईघरों/अल्पाहार गृहों का आधुनिकीकरण, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, गहन निरीक्षण और गलतियों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई शामिल हैं।

जहां तक शाहगंज जंक्शन और अकबरपुर रेलवे स्टेशनों का संबंध है, इन स्टेशनों पर मुहैया कराई गई बिजली संबंधी सुविधाएं मानदंडों के अनुरूप हैं और इन्हें पर्याप्त समझा जाता है। शाहगंज जंक्शन पर पानी की सप्लाई में सुधार लाने के लिए पानी की मौजूदा ऊपरी टंकी के बदले आर० सी० सी० की ऊपरी टंकी की व्यवस्था करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि शाहगंज में अल्पाहार गृह का विस्तार किया जाए तथा उसके लिए पुनः स्थान निर्धारित किया जाए। अकबरपुर स्टेशन पर खान-पान सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

रूपसा-बांगरीपोसी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

[अनुवाद]

4524. श्री भाब्वे लोबवंग :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपसा-बांगरीपोसी नैरोगेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने और इसका दक्षिण-पूर्व रेलवे के रेलवे स्टेशन गोक महीसीनी में टाटानगर बादामपहाड़ बड़ी रेल लाइन तक विस्तार करने के संबंध में 1989 से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) क्या प्रस्तावित परियोजना पिछड़े क्षेत्र में स्थित है और पिछड़े क्षेत्र के आधारभूत साधनों के विकास के आधार पर इस पर विचार करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इसे स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बिछाई गई उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं जो लगातार अलाभप्रद ही साबित हो रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 11

(ख) जी हां।

(ग) परियोजना का अलाभप्रद होना और संसाधनों की तंगी।

(घ) सातवीं योजना के दौरान खोली गई उन नयी लाइनों में से जिनके लिए वार्षिक वित्तीय समीक्षा की गई है सन्तरागाछी-बड़गछियां और तुपकाडीह-तलगड़िया लाइनों का वित्तीय दृष्टि से ऋणात्मक प्रतिफल का पता चलता है।

कथलगुड़ी ताप विद्युत संयंत्र के लिए जापानी सहायता

4525. श्री उद्धव बर्मन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कथलगुड़ी ताप विद्युत संयंत्र को मंजूरी दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र के कब तक चालू होने की संभावना है;

(ग) क्या इसे जापानी सहायता से वित्त-पोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रुपए के वर्तमान अवमूल्यन का इस परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) कथलगुड़ी गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना को अगस्त, 1994 तक चालू किये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) जापान की ओवरसीज इकोनामिक को-ऑपरेशन फण्ड ने 43.552 बिलियन येन की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिये दो ऋणों का आश्वासन दिया है।

(ङ) हाल ही में रुपये के किये गये अवमूल्यन का इस परियोजना पर प्रभाव पड़ने का अनुमान 116.286 करोड़रुपये लगाया गया है।

राज्यों को पेट्रोलियम उत्पादों का आवंटन

4527. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल, पेट्रोल तथा डीजल का अलग-अलग कितनी मात्रा में आबंटन किया गया और वास्तविक रूप में कितनी पूर्ति की गई;

(ख) इसके लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिये विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल और डीजल का कितनी मात्रा में अस्थाई आबंटन किया गया और प्रथम त्रैमासे में कितनी मात्रा जारी की गई;

(घ) क्या बिहार जैसे कुछ राज्यों ने स्थानीय मांग को पूरा करने के लिये कोटा में वृद्धि करने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण० कुमार) : (क) से (ग) पूर्व आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एस० के० ओ० का आबंटन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेट्रोल तथा डीजल का आबंटन नहीं किया गया है लेकिन बिक्री के आधार पर कुल खरीद की गई है।

1990-91		(हजार मि० टन में)
उत्पाद	आबंटन	आपूर्ति/बिक्री
एस० के० ओ०	8386	8415
एम० एस०	—	3540
एच० एस० डी०	—	21079
अप्रैल-जून 1991		(हजार मि० टन में)
एस० के० ओ०	1963	1947
एच० एस० डी०	—	5388

(घ) और (ङ) एस० के० ओ० के अतिरिक्त आबंटन के लिए निवेदन प्राप्त हुये हैं। देश की कठिन विदेशी विनिमय स्थिति की इस परिस्थिति में आबंटनों में वृद्धि नहीं हो पाएगी।

बिहार में रेल योजनाएं

4528. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में इस समय चल रही रेल योजनाओं का

ब्यौरा क्या है, ये योजनाएं किन-किन तारीखों से चल रही हैं और इन योजनाओं के किन-किन तारीखों तक पूरे होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इस समय बिहार में चल रही रेल योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

योजना का नाम	अनुमोदन का वर्ष	प्रत्याशित लागत (करोड़ में)	पूरा होने की संभावित तिथि
नयी लाइन			
1. बगहा-छितौनी (28 कि० मी०)	1974-75	160	94-95
आमान परिवर्तन			
1. समस्तीपुर-दरभंगा (37 कि० मी०)	1974-75	34.58	निर्धारित नहीं
2. छपरा-औंडिहार (171 कि० मी०)	1989-90	85.13	93-94
दोहरी लाइन बिछाना			
1. पितौंजिया-समस्तीपुर-उजियारपुर (16.49 कि० मी०)	1987-88	21.31	कुछ अवशिष्ट कार्यों को छोड़कर पूरी हो गयी है।
बछवाड़ा-बरौनी (16.40 कि० मी०)			
2. उजियारपुर-बछवाड़ा सिहो (छोड़कर) रामदयालनगर (सहित) के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना 24 कि० मी० चरण-II	89-90	19.6	91-92
3. क्यूल-जमालपुर-भागलपुर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना	80-81	32.20	92-93
4. गरवा रोड-सोननगर (चरण-II) सिगसिगी-बगहा बिष्णुपुर	1987-88	50.28	92-93

छोटे बिजली केन्द्रों का गैर-सरकारीकरण

4529. श्री मणि शंकर अय्यर :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा "निर्माण, संचालन और हस्तांतरण" प्रणाली के आधार पर

छोटे बिजली केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें विदेशी कम्पनियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना में पर्यटन को बढ़ावा देना

4530. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नितियां अपनाने का विचार है;

(ख) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। यह मंत्रालय ऐसी योजनाएं तैयार नहीं करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में वायुदूत सेवा

4531. श्री अन्ना जोशी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामान्य तौर पर देश भर में और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में वायुदूत सेवाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से, वायुदूत को देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में कटौती करनी पड़ी है। वायुदूत के भावी ढांचे के बारे में विभिन्न विकल्प सरकार के विचाराधीन है।

एयर इण्डिया में यातायात निरीक्षकों की नियुक्ति

4532. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया (दिल्ली क्षेत्र) में यातायात निरीक्षकों के लिये दिसम्बर, 1990 में एक साक्षात्कार का आयोजन किया गया था और सफल प्रत्याशियों के नामों की एक सूची बनायी गयी थी;

(ख) उस सूची के कितने प्रत्याशियों की नियुक्ति की गयी है और वायुदूत सेवाओं के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है;

(ग) क्या सूची के सभी प्रत्याशियों की नियुक्ति की जा चुकी है;

(घ) यदि नहीं, तो बाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सूची के शेष प्रत्याशियों को कब तक नियुक्तियां दिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) साक्षात्कार लिया गया था लेकिन नई नियुक्तियों पर सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के कारण पैनल रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की गई।

(ख) अभी तक न तो पैनल से और न वायुदूत से ही कोई नियुक्ति की गई है।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, पैनल रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की गई है।

(घ) सरकार ने एयरलाइन को निदेश दिया है कि वह वायुदूत से उपयुक्त कर्मचारियों के चयन पर विचार करे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें

[हिन्दी]

4533. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिले के जाले और भरवाडा में तथा मधुबनी जिले के बेनीपट्टी, जयनगर और झंझार पुर में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों की एजेंसियां तथा रसोई गैस एजेंसियों के कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) इन स्थानों पर एक व्यवहार्य खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप

या एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए फिलहाल पर्याप्त मांग क्षमता स्थापित नहीं हुई है।

पेट्रोल और डीजल के मूल्य

4534. श्री एस० एम० बेकारिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बड़े-बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा दरें क्या हैं और इन मूल्यों में भिन्नता होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पेट्रोल और डीजल के मूल्य गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र के राजकोट में सबसे अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन दरों में समरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) चार प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल कीमतें संलग्न विवरण में दी गई हैं। राजकोट में पेट्रोल की कीमत सर्वाधिक ऊंची कीमतों में से है। भाड़ा, स्थानीय अधिभारों आदि की वजह से कीमतों में अन्तर होता है। भंडारण स्थल पर कीमतें समान होती हैं।

विवरण

चार प्रमुख नगरों में पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य

रुपए/लीटर

	पेट्रोल (एम० एस० 87)	डीजल (एच० एस० डी०)
बम्बई	16.40	5.62
कलकत्ता	15.18	5.21
दिल्ली	14.62	5.05
मद्रास	16.58	5.42

ई० एम० यू० रेक्स का निर्माण

[अनुवाद]

4535. श्री बी० राजारवि वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास की उपनगरीय यातायात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वहां के 'ई० एम० यू० रेक्स' का निर्माण करके इनकी अधिक सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दक्षिण रेलवे के मीटर मामान के उपनगरीय खंड के लिए 1991-92 में सवारी डिब्बा कारखाना में 19 मोटर कोचों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है ।

वाराणसी-हटिया एक्सप्रेस का रद्द किया जाना

4536. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सप्ताह में दो बार चलने वाली वाराणसी-हटिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द कर दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कोई वैकल्पिक रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। बहुत कम लोकप्रिय होने के कारण।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ए० सी० द्वितीय श्रेणी का रूपान्तरण

4537. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० सी० प्रथम श्रेणी के स्थान पर ए० सी० द्वितीय श्रेणी (2 टायर) प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या महिला यात्रियों को अधिक एकांत और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ए०सी० द्वितीय श्रेणी माडल का रूपान्तरण करने की भी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) मीटर लाईन के वातानुकूल दूसरे दर्जे (2 टियर) के सवारी डिब्बों के कैबिनों में सरकने वाले दरवाजों की व्यवस्था की गई है । लेकिन बड़ी लाईन के वातानुकूल दूसरे दर्जे (2 टियर) के सवारी डिब्बों में पर्दों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गलियारे में अनुलम्बीय खानिकाओं की व्यवस्था होने के कारण सरकने वाले दरवाजे नहीं लगाए जा सकते।

इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कानपुर के लिए आरक्षण कोटा

[हिन्दी]

4538. श्री केसरी लाल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी एक्सप्रेस में कानपुर का आरक्षित कोटा कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस गाड़ी के वातानुकूल 2 टायर और कुर्सीयान में कानपुर का वर्तमान कोटा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 2302 अप राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का कानपुर स्टेशन पर वातानुकूल शयनयान की 2 शायिकाओं और वातानुकूल कुर्सीयान की 5 सीटों का आरक्षण कोटा कम कर दिया गया है । इस समय कानपुर के लिये उपलब्ध कोटा निम्न प्रकार है :

	2301 डाउन	2302 अप
वातानुकूल 2 टीयर	कुछ नहीं	4
वातानुकूल कुर्सीयान	20	15

(ग) जी नहीं ।

(घ) 2301/2302 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां मुख्यत: नयी दिल्ली और हावड़ा के बीच अन्तर्नगरीय यातायात की निकासी के लिए हैं । इसके अलावा, मांग के वर्तमान स्तर के लिए कानपुर पर वर्तमान कोटा पर्याप्त है ।

चित्तूर आंध्र प्रदेश में पर्यटन केन्द्र

[अनुवाद]

*4540. श्री महासमुद्रम ज्ञानेन्द्र रेड्डी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां । 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने तालकोंडा, चित्तूर जिले में एक पर्यटक बंगले का निर्माण करने के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है ।

गोवा में रसोई गैस की एजेंसियां

4541. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी एजेंसियां, अलग-अलग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों, विकलांगों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों को आबंटित की गई है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान श्रेणीवार कितनी रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1-4-91 की स्थिति के अनुसार गोवा में 28 एल०पी०जी० की डिस्टीब्यूटरशिपें थी जिसमें 8 आरक्षित श्रेणियों में थी।

(ग) विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार विभिन्न शहरों में एल० पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में भर्ती पर रोक

4542. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (?) :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में तकनीकी तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती पर 1985 से रोक लगी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह रोक कब तक उठाये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार 31,066 तकनीकी तथा 17,132 गैर-तकनीकी कर्मचारी थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पटना हवाई अड्डे पर बिजली व्यवस्था बन्द हो जाना

4544. श्री राम नरेश सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना हवाई अड्डे पर देर शाम की उड़ानों के लिए सुरक्षा जांच करते समय बिजली व्यवस्था बन्द हो जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत में लेखाओं की लेखा-परीक्षा

4545. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वायुदूत में लेखाओं के आयोजन संबंधी किसी मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त लेखाओं की लेखा परीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो लेखा परीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वित्तीय अनियमितताओं के कथित कुछ मामलों की जांच की जा रही है -

(ग) और (घ) वर्ष 1986-87 सहित उस वर्ष तक के कम्पनी के लेखा-परीक्षित लेखे लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रख दिये गये हैं। 1987-88 के लेखाओं की लेखा परीक्षा कर ली गई है। वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लेखे तैयार कर लिये गये हैं परन्तु अभी इनकी लेखा-परीक्षा की जानी है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन परियोजनाएं

[हिन्दी]

4546. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की कौन-कौन सी पर्यटन परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि इसमें विलम्ब है, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से हाल ही में प्राप्त साहसिक क्रीड़ा उपस्कर टेंटों की खरीद स्मारकों की प्रकाशपुंज व्यवस्था के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। अयोध्या और चित्रकूट में यात्री निवासों के निर्माण के प्रस्ताव विस्तृत अनुमान तैयार करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भेजे गये हैं। एक पर्यटक परिसर और दो मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अधूरे प्रस्तावों को

कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उन्हें वापिस कर दिया गया है।

विमान सेवाओं का गैर-सरकारीकरण

[अनुवाद]

4547. श्री हरिन पाठक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजनैतिक दलों को चुनावी कार्यों के लिए विमान उपलब्ध कराये थे;

(ख) यदि हां, तो राजनैतिक दलों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए वायु सेवाओं का गैर-सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन वायु सेवाओं की आर्थिक व्यवहार्यता क्या है; और

(ङ) वायु सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हवाई टैक्सी योजना के माध्यम से सरकार ने निजी पार्टियों द्वारा अन्तर्देशीय हवाई सेवाओं के परिचालन के ढांचे को उदार बना दिया है।

(घ) निजी पार्टियों का यह दायित्व है कि वे परिचालित की जाने वाली प्रस्तावित हवाई सेवाओं की साध्यता का आकलन स्वयं करें।

(ङ) दोनों राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के विमान बेड़े के नवीकरण कार्यक्रम की सरकार लगातार समीक्षा करती रहती है।

डीजल का उत्पादन

4548. श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान डीजल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) देश में तेल की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोल तथा डीजल की सप्लाई को नियंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वास्तविक

अनुमानों के अनुसार वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान एच० एस० डी० का उत्पादन करीब 2.18 प्रतिशत कम था। मांग को पूरा करने के लिए एच० एस० डी० का भी आयात किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास के लिए पुर्तगाल के साथ समझौता

4549. श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री बलराज पासी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विकास के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के कौन-कौन से विशिष्ट क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव है और उनके विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत गणतंत्र की सरकार और पुर्तगाल गणतन्त्र की सरकार के बीच पर्यटन के सम्बन्ध में सहयोग के करार पर लिस्बन में सोमवार 29 जुलाई, 1991 को हस्ताक्षर हुए थे। करार के अनुसार दोनों देश पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों संबंधी ज्ञान और अनुभव को आपसी आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच पर्यटक यातायात को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

(ग) इस करार में देश के किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों का विकास करने के लिए व्यवस्था नहीं है।

मराठवाड़ा/विदर्भ में रेल लाईन

4550. श्री तेजसिंह राव भोंसले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाड़ा/विदर्भ क्षेत्र के भीतरी भाग में नई रेल लाईनें बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है;

(घ) क्या अमरावती और नारखेड़ के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं योजना के लिए प्रस्तावों के बारे में निर्णय अभी नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) नारखेड़ अमरावती नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

समान पारेषण शुल्क

4551. **श्री पी० एम० सईद :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों के लिए समान पारेषण शुल्क निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र पारेषण टैरिफ में मूल्य ह्रास सहित वार्षिक निर्धारित प्रभार, ब्याज और प्रचालन एवं अनुराग प्रभार तथा केन्द्रीय क्षेत्र पारेषण लाइनों के माध्यम से ऊर्जा पारेषण में हुई पारेषण सम्बन्धी हानियों का भुगतान शामिल होता है। इन प्रभारों को लाभ प्राप्तकर्ता राज्यों द्वारा जिस अनुपात में विद्युत प्राप्त की जाती है। इसके अनुसार मासिक आधार पर संविभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक केन्द्रीय विद्युत उत्पादन निगम के सम्बन्ध में प्रत्येक क्षेत्र में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार केन्द्रीय क्षेत्र पारेषण टैरिफ के बारे में इस सीमा तक पहले से ही समरूपता विद्यमान है। उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

उतरी-पूर्वी क्षेत्र के बारे में जुलाई, 1991 में हुई बैठक में भागीदार राज्य इस बात से सहमत हो गए हैं कि अन्य क्षेत्रों के मामले की भांति केन्द्रीय विद्युत पारेषण हेतु एक समान पारेषण टैरिफ संबंधी प्रभार वसूल किए जायें।

उड़ीसा में पर्यटन विकास

4552. **श्री शिवाजी पटनायक :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये क्या कदम उठाने का है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने सामान्य रूप से राज्य में तथा विशेष रूप से कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के सम्बन्ध में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) इन विशिष्ट परियोजनाओं के नाम क्या हैं और केन्द्रीय सरकार का इनके लिए कितनी सहायता देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पर्यटन का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के संबंध में धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) जी हां।

(ग) 1991-92 के दौरान पांच यात्री केन्द्रों, दो पर्यटक परिसरों, एक यात्री निवास, बौद्ध अभिरुचि के स्थलों पर पर्यटक सुख-सुविधाओं के निर्माण, साहसिक उपस्करों की खरीद, गर्म स्रोतों का विकास, समुद्री (मेरीन) जल-क्रीड़ा की स्थापना और वातानुकूलित कोचों की व्यवस्था करने के लिए उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 247.80 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

धामपुर स्टेशन पर प्रतीक्षा कक्ष

[हिन्दी]

4553. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-हावड़ा सेक्शन (उत्तरी-रेलवे) के धामपुर स्टेशन पर एक प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। धामपुर स्टेशन पर ऊंचे वर्गों का प्रतीक्षा कक्ष पहले ही मौजूद है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

करीमगंज में पुल

[अनुवाद]

4554. श्री द्वारकानाथ दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में करीमगंज (स्टेशन रोड) में बढ़ते हुए यातायात के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रेलवे उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) सीमा सड़क कृतिक बल प्राधिकारियों ने करीमगंज स्टेशन के निकट बाई पास सड़क का प्रस्ताव किया है जिसमें उन स्थानों पर दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण की व्यवस्था है जहां से बाई पास सड़क रेलवे लाइनों से होकर गुजरेगी।

बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करना

4555. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किये गये बायो-गैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या उन्नत चूल्हों के राष्ट्रीय कार्यक्रम को और बढ़ावा दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत 1981-82 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान स्थापित किए गए पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत 31-3-91 तक 103 लाख से अधिक उन्नत चूल्हे स्थापित किए गए हैं, तथा 19 लाख से अधिक अतिरिक्त चूल्हों को 1991-92 के दौरान स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत 1981-82 से 1990-91 की अवधि के दौरान स्थापित किये गये बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार कुल संख्या।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82 से 1990-91 की अवधि के दौरान स्थापित किये गए बायोगैस संयंत्रों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	97905
2.	अरुणाचल प्रदेश	52
3.	असम	9748
4.	बिहार	62866

1	2	3
5.	गोआ	1664
6.	गुजरात	119449
7.	हरियाणा	20077
8.	हिमाचल प्रदेश	24490
9.	जम्मू और कश्मीर	898
10.	कर्नाटक	72554
11.	केरल	27171
12.	मध्य प्रदेश	40969
13.	महाराष्ट्र	421046
14.	मणिपुर	416
15.	मेघालय	219
16.	मिजोरम	711
17.	नागालैंड	124
18.	उड़ीसा	61429
19.	पंजाब	17195
20.	राजस्थान	38382
21.	सिक्किम	539
22.	तमिलनाडु	137079
23.	त्रिपुरा	164
24.	उत्तर प्रदेश	197869
25.	पश्चिम बंगाल	49176
26.	अंडमान और निकोबार	98
27.	चंडीगढ़	78
28.	दादर एवं नगर हवेली	143
29.	दिल्ली	600
30.	पांडिचेरी	472

देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

4556. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के हवाई अड्डों में विदेश स्थित हवाई अड्डों के समान ही सुरक्षोपाय हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सुरक्षोपायो में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) क्या हवाई अड्डों के विकास के लिए किया गया वित्तीय-आवंटन सन्तोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने हवाई अड्डों के नवीनीकरण के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) हमारे अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा मानक सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सिफारिश की गई पद्धतियों के अनुरूप हैं। तथापि, इनमें आगे और सुधार किये जाने की गुंजाइश है।

(ग) और (घ) हवाई अड्डों का उन्नयन किया जाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उपलब्ध संसाधनों की कठिनाई के भीतर हमारे अन्तर्देशीय हवाई अड्डों के उन्नयन पर ध्यान दिया जा रहा है।

फरक्का पन बिजली परियोजना

4557. श्री आयनल अबेदिन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित फरक्का में एक पन-बिजली परियोजना का निर्माण सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन फरक्का बैराज परियोजना के महाप्रबन्धक से फरक्का बराज जल विद्युत परियोजना (5 × 25 मे०वा० = 125 मे०वा०) के लिए परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 1990 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी। परियोजना का मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में पूरा कर लिया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 445.05 करोड़ रुपये है (मार्च, 90 के मूल्य स्तर पर)। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति पर आगे कार्यवाही करने का कार्य, अद्यतन लागत अनुमानों के प्राप्त होने पर और क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों द्वारा 152 पैसे/कि०वा०आ० (मार्च, 90 के मूल्य स्तर पर) की लागत पर, जैसाकि अद्यतन किया गया है, ऊर्जा की खरीद करने के लिए सहमत होने पर ही, सम्भव हो पायेगा।

महाराष्ट्र के पारस विद्युत स्टेशन का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

4558. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अकोला जिले में स्थित पारस विद्युत स्टेशन का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) 998 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के पारस विद्युत केन्द्र यूनिट 1 तथा 2 के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम (फेज-2) के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

गैस उपयोगिता नीति

[अनुवाद]

4559. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री हन्नान मोल्लाह :

प्रो० प्रेम धूमल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक गैस उपयोगिता नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिए भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

4560. श्री सूर्य नारायण सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बरौनी में तेल शोधक कारखाना के लिए भू-स्वामियों को पर्याप्त

मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहीत कर ली है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार उक्त करार को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एयरबस-300 की उड़ान बन्द करना

[अनुवाद]

4561. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

श्री गुरुदास कामत :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के अनेक एयरबस-300 विमान महीनों से मुम्बई में बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सेवा में लाये जा सकने वाले सभी विमानों का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(घ) इन विमानों की उड़ान बन्द करने के कारण इंडियन एयरलाइंस को कितना घाटा हुआ; और

(ङ) इंडियन एयरलाइंस में कितने एयरबस-300 विमान हैं और इसमें कुल कितने यात्रियों को ले जाने की क्षमता है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष, 1991 के दौरान विभिन्न समयों पर प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत के लिए औसतन दो से तीन अलग-अलग एयरबस ए-300 विमानों को नेमी रखरखाव के लिए रखा गया है। कार्य को पूरा करने में विलंब हुए हैं जो मुख्यतः लाईसेंसधारी विमान इंजीनियरों द्वारा कार्य को समय पर पूरा करने में पूर्ण सहयोग न देने के कारण हुए।

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस 7 एयरबस ए-300 विमानों का परिचालन कर रही है और उनके इष्टतम परिचालनों के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(ख) चूंकि निर्धारित आवश्यकताओं को उपलब्ध बेड़े की उपयुक्त रूप से तैनाती करके और लाइसेंसधारी श्रेणी में कार्यपालक इंजीनियरों द्वारा आवश्यक अतिरिक्त प्रयासों से पूरा किया जा रहा था, अतः इस कारण से हिसाब-योग्य कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में 11 एयरबस ए-300 विमान है। 9 विमान प्रत्येक 273 सीट क्षमता वाले तथा दो विमान प्रत्येक 271 सीट क्षमता वाले हैं।

बिहार में सीतामढ़ी जिले को विद्युत सप्लाई

[हिन्दी]

4562. श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की फालतू विद्युत को बिहार मे सीतामढ़ी जिले को सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह सप्लाई कब तक की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भविष्य में उपलब्ध में करवाई जाने वाली नेपाल की अधिशेष विद्युत को अपने यहां खपाए जाने के संबंध में सिद्धांत रूप से अपनी सहमति दे दी है बशर्ते टैरिफ एवं प्रचालन संबंधी पहलुओं के संबंध में समझौता हो जाए। इस विद्युत को बिहार के सीतामढ़ी जिले सहित, विभिन्न जिलों में वितरित करना, संबंधित राज्यों का कार्य है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार सीतामढ़ी जिले को नेपाल से विद्युत आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास

4563. श्री राम प्रकाश चौधरी :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके अन्तर्गत विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित हवाई अड्डों के नाम क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्यों का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) अगले पांच वर्षों के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम् पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल सुविधाओं और अन्य आधारभूत सुविधाओं में विस्तार करने की दृष्टि से

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 400 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इन हवाई अड्डों पर 1996 से आगे की अवधि में लम्बी अवधि की विकास योजनाओं के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की कल्पना की गई है।

सरकार ने बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 210 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का अनुमोदन भी किया है।

(ग) आगामी दो वर्षों में कुछ बड़ी परियोजनाओं के पूरा करने की लम्बित तिथियां नीचे दी गयी हैं।

(1) नये अन्तर्देशीय टर्मिनल परिसर (चरण-1) बम्बई को पूरा करना और चालू करना	—मार्च, 1992
(2) नये टर्मिनल परिसर (चरण-1) कलकत्ता को पूरा करना और चालू करना	—जुलाई, 1993
(3) कार्गो काम्प्लेक्स (चरण-1) सहार, बम्बई का विस्तार	—मार्च, 1993
(4) लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से त्रिवेन्द्रम् हवाई अड्डे पर सुविधाओं का उन्नयन।	—मार्च, 1992

रिहन्द पन बिजली परियोजना

4564. श्री मोहन लाल झिकराम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मध्य प्रदेश को रिहन्द पन बिजली परियोजना से अपना 15 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को बिजली का अपना समुचित हिस्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) रिहन्द की विद्युत के बंटवारे के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच एक समझौता किया गया है जिसमें ये प्रावधान हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को रिहन्द की विद्युत का समुचित हिस्सा न सप्लाई किए जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड समझौते की शर्तों के अनुसार इस प्रकार की विद्युत प्रदान किए जाने की प्रतिपूर्ति करेगा। ऐसे मामले का समाधान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच द्विपक्षीय रूप से किया जाएगा।

मारीसनम स्थान पर तेल और गैस का उत्पादन

[अनुवाद]

4565. श्री के० तुलसिऐया वाण्डायार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारीसनम स्थान से तेल और गैस का प्रतिदिन कितनी मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) इस स्थान से अब तक कितनी मात्रा में कच्चे तेल और गैस का उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में और अधिक कुएं खोदने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) लगभग 726 टन कच्चा तेल तथा 0.093 मिलियन घन मीटर गैस।

(ख) 15 अगस्त, 1991 तक 0.619 मिलियन टन कच्चा तेल तथा 137.221 मिलियन घन मीटर गैस का उत्पादन किया गया था।

(ग) और (घ) 16 विकास कूपों का वेधन किया गया है, एक कूप का वेधन किया जा रहा है।

हार्ड कोक उद्योगों को कोयले की सप्लाई

[हिन्दी]

4566. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या कोयला मन्त्री बिहार में हार्ड कोक की सप्लाई के बारे में 6 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1729 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी० सी० एल०) की झारखंड स्थित कोयला खान से हजारीबाग जिले के हार्ड कोक उद्योगों को कई हजार टन श्रेणी-II का कोयला सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) क्या कोयले के भंडार पहले तृतीय श्रेणी का घोषित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कोयला उद्योग को भारी क्षति उठानी पड़ी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का उन परिस्थितियों की जांच करने का विचार है जिनके अन्तर्गत कोयले की श्रेणी को बदला गया था; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां। ग्रेड-II वाशरी कोयले की आपूर्ति हजारीबाग जिले के हार्ड कोक उद्योगों को झारखंड कोलियरी से तिमाही आधार

पर की जा रही है। अप्रैल से जून, 1991 की तिमाही के दौरान 17,400 टन कोयले की आपूर्ति की गई।

(ख) से (ङ) झारखंड कोलियरी में खनन कार्य ब्लाक 13/1 ओपेनकास्ट में किया जा रहा है। वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान खनन कार्य केवल V सीम में किया गया और सीम का घोषित ग्रेड डब्लू-II था। किन्तु, वर्ष 1988-89 से 1989-90 के दौरान उत्पादन III/IV/V संयुक्त सीम से हुआ और घोषित संयुक्त ग्रेड डब्लू-III था। गुणवत्तानुसार III/IV सीमें घटिया किस्म की हैं। पुन: वर्ष 1990-91 के दौरान सीम-V तथा III/IV सीमों का उत्पादन/कोयले का ढेर को अलग से रखा जाना शुरू कर दिया गया। वर्ष 1990-91 के लिए सीमों से संबंधित कोयले के घोषित/ग्रेड को नीचे दर्शाया गया है :—

III-IV	सीम—आर० ओ० एम० ग्रेड—डब्लू-III
V	सीम—आर० ओ० एम० ग्रेड—डब्लू-II

इस समय (वर्ष 1991-92) इस कोलियरी से सम्बद्ध सीम के कोयले का ग्रेड नीचे दिया गया है :—

III/IV क	सीम—आर० ओ० एम० ग्रेड—डब्लू-III
V	सीम—आर० ओ० एम० ग्रेड—डब्लू-II

कोयला सीम/सीमों को दर्जा दिए जाने का कार्य कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता है,

यह कोयला कंपनी द्वारा की गई पहल के कारण ही हुआ कि पांच सीमों के कोयले के उत्पादन का अलग से ढेर में रखा गया, जिससे कंपनी को कोयलेकी बेहतर कीमत मिल सकी। उपर्युक्त को देखते हुए इस मामले में किसी तरह की जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

रेलवे विभाग में रिक्त पद भरा जाना

4567. श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त हुए तथा भर्ती किये गये व्यक्तियों का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) विभिन्न विभागों में इस समय कितने पद रिक्त पड़े है; और

(घ) सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं तथा इस संबंध में भावी योजना का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31.3.1990 को 16, 46, 704

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जलपाईगुड़ी में रसोई गैस एजेंसियां

[अनुवाद]

4568. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रसोई गैस डीलर के पास अधिकतम कितने उपभोक्ता वर्ग हैं, इस संबंध में क्या मानदण्ड रखा गया है;

(ख) क्या उत्तरी बंगाल विशेषकर जलपाईगुड़ी में यह मानदण्ड सभी डीलरों के प्रबंध में अपनाया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस शहर में और अधिक डीलर नियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) किसी एल० पी० जी० के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ संबद्ध उपभोक्ताओं की अधिकतम संख्या प्रतिमाह रिफिल सिलिंडरों की बिक्री पर निर्भर करती है जिसके लिए अधिकमत सीमा को महानगरीय शहरों को छोड़कर अन्य शहरों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह उत्पाद की समग्र उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) जी, हां।

(ग) एल० पी० जी० की नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शहरों की जनसंख्या, आर्थिक व्यवहार्यता विपणन योजनाओं तथा समय-समय पर लागू नीति जैसे घटकों पर आधारित होती हैं।

उद्योगों को कोयले की सप्लाई

4569. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री राम नाईक :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों के उद्योगों को कोयले की सप्लाई में बहुत कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90, 1990-91 में जून 1991 तक के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में कोयले की खपत वाले प्रमुख उद्योगों के लिए किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोयले की कम सप्लाइ किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) बेरोजगारी से बचने और उत्पादन में कमी न होने देने के लिए कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) जी हां। वर्ष 1991-92 की प्रथम तिमाही के दौरान गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के उद्योगों को कोयले की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है, चूंकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों, मुख्यत: विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर अधिक मात्रा में कोयले का प्रेषण किया गया। वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (जून, 1991 तक की अवधि) के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान के उपभोक्ता उद्योगों को कोल इन्डिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० से किए गए कोयले का प्रेषण ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(घ) कोयला मंत्रालय ने अब सभी कोयला कंपनियों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे न्यूनतम 50 प्रतिशत कोयले की संयोजित मात्रा की आपूर्ति गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को करें। यह आशा है कि देश के उद्योगों जिसमें उपर्युक्त उल्लिखित राज्य भी शामिल हैं, को कोयले की उपलब्धता में सुधार आ जाएगी।

विवरण—एक

कोल इंडिया लि० के स्रोतों से कोयले का प्रेषण

(आंकड़े 000 टन में)

राज्य	वर्ष	विद्युत	सीमेंट	उर्वरक	कागज	वस्त्र/रेयन	साफ्ट कोक	हार्ड कोक	(आंकड़े अनंतिम) अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	89-90	10182	651	252	52	1037	2	49	1438
	90-91	10110	1002	192	73	869	2	55	1299
	91-92 (अप्रैल-जून)	2753	190	42	18	240	4	11	383
महाराष्ट्र	89-90	15419	800	शून्य	344	569	शून्य	25	1999
	90-91	16967	847	—	310	495	—	18	2201
	91-92 (अप्रैल-जून)	4556	414	—	123	179	—	5	1192
कर्नाटक	89-90	171	538	—	372	8	—	8	82
	90-91	752	737	—	438	8	1	7	101
	91-92 (अप्रैल-जून)	356	135	—	66	10	0.5	1	16
तमिलनाडु	89-90	6391	515	—	157	66	—	25	105
	90-91	6890	627	—	227	52	—	20	167
	91-92 (अप्रैल-जून)	2036	152	—	28	8	—	6	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	89-90	1599	1097	336	—	77	1	7	792
	90-91	1467	1065	254	4	162	1	5	895
	91-92 (अप्रैल-जून)	530	264	64	—	28	—	3	145

विवरण—दो

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के स्रोतों से कोयले का प्रेषण

(लाख टन में आंकड़े)
(आंकड़े अनंतिम)

राज्य	वर्ष	विद्युत	सीमेंट	उर्वरक	अन्य
कर्नाटक	89-90	17.86	3.05	शून्य	0.93
	90-91	13.74	3.27	शून्य	0.79
(अप्रैल-जून)	91-92	1.82	0.90	शून्य	0.21
तमिलनाडु	89-90	0.45	1.71	शून्य	0.70
	90-91	0.02	2.03	शून्य	0.65
(अप्रैल-जून)	91-92	0.46	0.59	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	89-90	10.54	शून्य	शून्य	0.08
	90-91	7.17	शून्य	शून्य	0.05
(अप्रैल-जून)	91-92	0.19	शून्य	शून्य	0.30

राजस्थान को बिजली की सप्लाई

[हिन्दी]

4570. प्रो रासासिंह रावत :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विशेषकर पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का 'नेशनल पावर ग्रिड' से राजस्थान को और अधिक बिजली की सप्लाई करने का विचार है;

(ग) इस समय राजस्थान को 'नेशनल पावर ग्रिड' से कितनी मात्रा में बिजली की सप्लाई की जा रही है;

(घ) राजस्थान को अपेक्षित अतिरिक्त बिजली की सप्लाई कब तक की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 91 से जुलाई, 91 के दौरान राजस्थान में 0.8 प्रतिशत ऊर्जा की सीमांत कमी रही।

(ख) से (ङ) अप्रैल, 91 से जुलाई, 91 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से राजस्थान द्वारा 1550.9 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त की गई थी।

दादरी विद्युत परियोजना (817 मे०वा०) से भी राजस्थान को 9.18 प्रतिशत हिस्से का आवंटन किए जाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है।

राजस्थान में केन्द्रीय केन्द्रों से विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि बरसिंगसर में लिग्नाइट परियोजना के प्रथम चरण विद्युत उत्पादन यूनिट (लगभग 240 मे०वा०) का समग्र निवल विद्युत उत्पादन आवंटित किया जाएगा।

जलगांव जिले में तेल का भण्डार

[अनुवाद]

4571. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जलगांव जिले में तेल और गैस के कुछ भंडारों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कुओं की खुदाई का कार्य कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर-टोंक-कोटा रेल लाइन

[हिन्दी]

4572. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जयपुर से कोटा वारास्ता टोंक तक रेलमार्ग बनाने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाई माधोपुर से टोंक तक नई बड़ी लाइन के लिए 1987 में एक सर्वेक्षण किया गया था। चूंकि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पायी गयी थी, इसलिए इसे शुरू नहीं किया गया था।

बाद में, टोंक के रास्ते सवाई माधोपुर जयपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के मार्ग परिवर्तन संरेखण के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। मार्ग परिवर्तन, चौथ का बरवाड़ा से वनस्थली निवाई तक का था। चक्करदार मार्ग को भी वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों की सिफारिश पर दो सिलिंडरों वाले गैस कनेक्शन

4573. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों की सिफारिश पर आवेदनकर्ताओं को दो सिलिंडरों वाले कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का विस्तार

[अनुवाद]

4574. श्री हाराधन राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली के रेल इंजनों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पश्चिम बंगाल स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चितरंजन रेल इंजन कारखाने का पहले ही आधुनिकीकरण कर दिया गया है। बिजली रेल इंजनों के निर्माण के लिए कुल 22.50 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत से इसकी क्षमता प्रति वर्ष 100 यूनिट से बढ़ाकर 120 यूनिट करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस लक्ष्य को 1993-94 में प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी

4575. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान तथा 1991-92 में अब तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कालाबाजारी किए जाने तथा इनको कम मापे और तोले जाने के बारे में अलग-अलग जिला वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तेल कम्पनियों द्वारा बिहार में कालाबाजारी, कम तौलने आदि संबंधित मामलों तथा की गई कार्रवाई के जिले वार ब्यौरे दिखाने वाला विवरण

पेट्रोल/डीजल

(अप्रैल, 90 से मार्च, 91)

जिले	मामलों की सं०	अनाचार का प्रकार	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1. पटना	3	1. एच एस डी में कम सुपुर्दगी	1. निलम्बित बिक्री एवं आपूर्ति तथा पुनः अंशांकन के बाद पुनः आरम्भ करना।

1	2	3	4
		2. एच एस डी में स्टाक भिन्नता	2. चेतावनी पत्र जारी किए गए। चेतावनी पत्र के संतोषजनक उत्तर मिलने पर आपूर्ति पुन: आरम्भ की गई।
		3. एम एस/एच एस डी में सकारात्मक भिन्नता	3. बिक्री/आपूर्ति 15 दिनों के लिए निलम्बित कर दी गई। नमूने मंजूर किए गए।
2. रांची	1	एम एस/एच एस डी में स्टाक भिन्नता।	कोर्ट आदेश के अनुसार जब्त स्टाक को मुक्त कर दिया गया। रिटेल आउटलेट उप जिलाधीश गुमला के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है।
3. जहानाबाद	1	एच एस डी की काला बाजारी	15-12-90 से आपूर्ति निलम्बित कर दी गई और फरवरी, 91 में आरम्भ कर दी गयी।
4. नवादाह	1	एम एस/एच एस डी में कम सुपुर्दगी	बिक्री एवं आपूर्ति निलम्बित तथा पुन अंशांकन के बाद पुन: आरम्भ कर दी गयी।
5. बेगुसराय	1	एम एस का अधिक स्टाक	चेतावनी पत्र जारी किया। उत्तर संतोष जनक था।
6. भोजपुर	2	1. एच एस डी का अधिक दाम वसूल करना।	1. 15 दिनों के लिए बिक्री/आपूर्ति निलंबित की गयी।
		2. एच एस डी की कम सुपुर्दगी; शील टूटी मिलीं	2. बिक्री निलंबित की गयी और पुर्नसत्यापन के बाद पुन: आरम्भ की गयी।
7 धनबाद	2	1. एम एस/एच एस डी में सकारात्मक भिन्नता।	1. बिक्री/आपूर्ति 15 दिनों के लिए निलंबित की गयीं। नमूना मंजूर किया गया।
		2. एम एस कम सुपुर्दगी	2. बिक्री निलंबित की गयी और पुन: आरम्भ की गयी।
8. मोंघेर	1	एच एस डी में सकारात्मक भिन्नता।	चेतावनी पत्र जारी किया।
9. नालन्दा	1	—वही—	—वही—
10. सरान	1	एच एस डी पर लगी नाप एवं तोल सील में हेरफेर की।	15 दिनों के लिए बिक्री/आपूर्ति निलंबित की गयी।

1	2	3	4
11. मुजफ्फर नगर	1	एच एस डी की कम सुपुर्दगी; सील तोड़ी गयी।	बिक्री/आपूर्ति निलंबित की गयी तथा पुनसत्यापन के बाद पुन: आरम्भ की गयी।
(अप्रैल, 91 से जून, 91)			
1. पटना	2	1. एम एस/एच एस डी में कम सुपुर्दगी	बिक्री तथा आपूर्ति निलंबित की गयी तथा पुन: मुहर लगाने के बाद पुन: आरंभ की गयी।
		2. मिलावटी एम एस की आरोपित बिक्री	2. आउटलेट सील कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा बिक्री पर रोक लगा दी गयी। यद्यपि विशेष जज, जिला कोर्ट पटना के आदेश से बिक्री पुन: आरंभ की गयी।
2. मधुबनी	1	एच एस डी की कम सुपुर्दगी	सरकारी अधिकारियों द्वारा पुन: अंशांकन किये जाने तक 20 दिनों के लिए बिक्री निलंबित की गयी।
3. वैशाली	1	एम एस/एच एस डी में सकारात्मक भिन्नता।	15 दिनों के लिए बिक्री/आपूर्ति निलंबित की गयी। नमूना मंजूर किया गया।
4. गोधं	1	एम एस/एच एस डी में स्टाक भिन्नता	बिक्री निलंबित। इसी अधिनियम के अधीन एक आई आर दर्ज की गयी। आउटलेट बंद कर दिया गया।
एल० पी० जी०			
(अप्रैल, 90 से मार्च, 91)			
पटना	1	होम डेलिवरी प्रभावी नहीं है।	चेतावनी पत्र जारी किया गया था।
(अप्रैल, 91 से जून, 91)			
धनबाद	1	नये कनेक्शनों के जारी करने में देरी	जांच के अधीन,
गया	1	—वही—	—वही—

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों का विक्रय

4576. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का अपने पुराने विमानों को बेचने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमानों के लिये कोई आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(च) क्या इन विमानों को लाभकारी मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन ग्रौर पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1970 और 1971 में खरीदे गए चार बोइंग 737-200 विमानों को बेचे जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) चूंकि खुली निविदायें आमंत्रित की गयी हैं; इसलिए आरक्षित मूल्य के बारे में बताना संभव नहीं है।

(च) जी हां।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में रेल लाईनें

4577. श्रीमती बासवराजेश्वरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में कुछ नयी रेल लाइन बिछाने के कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है; और

(ग) अन्य प्रस्तावों को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए अनुरोध किया है :

क्र० सं०	प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव	टिप्पणी
1	2	3
1.	होसपेट-हुबली-अंकोला (280 कि०मी०)	1 और 2 पहले किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाई गयी थी। बार-बार अनुरोध किये जाने पर सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन करने का कार्य शुरू किया गया है। आगे की

1	2	3
2.	कोट्टूर हरिहर रेललाइन (68 कि०मी०)	कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
3.	बेंगलूर सर्कुलर रेलवे	3. इसका सम्बन्ध स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य सरकार तथा शहरी विकास मंत्रालय से है। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा धन उपलब्ध करा दिए जाने पर रेलें तकनीकी सहायता देने को तैयार है।

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बिलों का भुगतान

4578. **श्री मुकुल वासनिक :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य विद्युत बोर्डों ने केन्द्रीय सरकार को अपने बिलों का भुगतान रोक लिया है;

(ख) यदि हां, तो लम्बित बिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रिम भुगतान किए जाने की नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ग) जी, नहीं। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा केन्द्र सरकार को किसी प्रकार की दी जाने वाली राशि बकाया नहीं है।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम का कारोबार गैर-सरकारी कम्पनियों को देना

4579. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम की उस सम्पत्ति, कारोबार संबंधी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से गैर-सरकारी पार्टियों/फर्मों को दे दिया गया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की कोई संपत्ति पार्टियों/फर्मों को नहीं दी गई है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने संलग्न विवरण में दिए विवरण के अनुसार अपने चार होटलों के 5 रेस्तराओं में विशिष्ट भोजन परोसने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों से करार किया है।

विवरण

क्र० सं०	होटल का नाम	विशिष्ट रेस्तरां का नाम	विशिष्टता	गैर-सरकारी पार्टी का नाम
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	चाइना टाउन	चाइनिज भोजन	मैसर्स जेश्वान किचिन कैटरर्स
2.	लोदी होटल, नई दिल्ली	(क) वान्शाई (ख) — *	— वही — दक्षिण भारतीय शुद्ध शाकाहारी	मैसर्स वान्शाई कैटरर्स मैसर्स सागर फूड होम
3.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	कोकोनेट ग्रोव	दक्षिण भारतीय आमिष भोजन	मैसर्स के०एस० कुमार एण्ड कं०
4.	होटल आगरा अशोक, आगरा	चाइनिज रेस्तरा	चाइनिज भोजन	मैसर्स डेलिंग एण्ड कं०

** रेस्तरां अभी चालू किया जाना है ।

× इससे पहले मैसर्स वुडलैंड्स द्वारा चलाया जाता था । अब ठेका मैसर्स सागर फूड होम को दिया गया है । इस रेस्तरां ने अभी कार्य शुरू नहीं किया है ।

करूर से सेलम तक बड़ी लाइन बिछाना

4580. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करूर और सेलम के बीच वेलूर, नमक्कल, रासीपुरम से होते हुए बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी ।

किशनगंज रेलवे कालोनी में नागरिक सुविधायें

[हिन्दी]

4581. श्री कालका दास :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किशनगंज दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों की स्थिति में सुधार लाने और अन्य मूल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 20 शय्या वाले अस्पताल के निर्माण हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गए कदमों का मद-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली किशनगंज स्वास्थ्य यूनिट से मंडल रेलवे अस्पताल और सेंट्रल अस्पताल क्रमश: 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। ये सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं। किशनगंज कालोनी में अस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इन्द्रावती पनबिजली परियोजना में दुर्घटना

[अनुवाद]

4582. श्री रवि राय :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इन्द्रावती पनबिजली परियोजना के "पावर टनल" में 28 जुलाई, 1991 को कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस दुर्घटना में कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई तथा दुर्घटना होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से इस दुर्घटना की जांच करने के लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) मृत श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :(क) और (ख) इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना की हेडरेस सुरंग के अन्तर्वाह में निर्माण किए गए कोफर बांध (रिंग बांध) में 28 जुलाई, 1991 को अपराह्न में लगभग 3.30 बजे दरार पड़ गई थी। सुरंग में पानी भर जाने के समय ठेकेदार के लगभग 16 कर्मचारी उसमें फंस गए थे और इनके मारे जाने की आशंका है। तथापि अब तक केवल 14 शव ही प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस मामले में जांच किए जाने के संबंध में उड़ीसा सरकार की ओर से किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) मुख्य मंत्री राहत कोष से मृत श्रमिकों के प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को 25,000/-रु० अनुग्रह पूर्वक अदायगी राशि का भुगतान किए जाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। नियमों के

अधीन ग्राह्य औपचारिक मुआवजे की भुगतान लम्बित होने के कारण मृत श्रमिक के निकट संबंधी को 3000/-रु० अनुग्रह पूर्वक अदायगी राशि का तत्काल राहत के रूप में भुगतान किए जाने की राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि० ने घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक मृतक के परिवार के एक सदस्य को पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

राजस्थान में परिक्रमा मार्गों का विकास

[हिन्दी]

4583. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने तीन नये एवं पांच विद्यमान परिक्रमा मार्गों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार को 6 करोड़ रुपये का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। 1991-92 के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

[अनुवाद]

4584. श्री बसंप्पा भीमप्पा सावुल :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

क्र० सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगा०)	अनुमानित लागत (लाख रु०)	के० वि० प्रा० में प्राप्त होने की तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6
	ताप विद्युत				
1.	प० महाराष्ट्र ता० वि० के० (बम्बई सब-अर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड)	2×250 =500	79733	24.10.90	24.10.90 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तथापि फ्ल्यू गैस डी-सल्फे-राइजेशन (एफ०जी० डी०) संयंत्र स्थापित किये जाने से सम्बन्धित शर्तों की अभी पूर्ति नहीं की गई है।
2.	ट्राम्बे जी०टी०-सी०सी० (टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी	180	18970	8.5.90	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 8.5.90 को परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया था। पर्यावरण एंव वन मंत्रालय से पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
3.	पारली "सी" टी० पी०एस० यूनिट सं० (6 एवं 7)	2×210 =420	46080	3/86	1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीमों का मूल्यांकन किये जाने से पूर्व ईंधन लिंकेज, जल की उपलब्धता, पर्यावरणीय स्वकृति, राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की स्वीकृति तथा विद्युत सप्लाई अधिनियम, 1948 की धारा 29 के अधीन अनुपालन किया जाना जैसे कुछ आवश्यक निवेश सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। (मद 3 से 6 के लिए)
4.	दभोल जी०टी०-सी०सी० ताप विद्युत केन्द्र	4×120 (जीटी) 2×140 (एस०टी)=760	56920	3/80	
5.	नागोथाने जी० टी०सी०सी	4×130 (जीटी) 2×150=820	9?080	9/90	
6.	मै. कान्फीडेन्स शार्पिंग कम्पनी प्राईवेट लि० का पोत पर विद्युत संयंत्र/बार्ज पर स्थापित विद्युत संयंत्र	110	19850	4/91	

1	2	3	4	5	6
7.	घाटघर पम्पड स्टोरेज स्कीम	2×125 =250	19116	1/87	2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 9.3.88 को परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया था। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के लिए कार्यवाही की जायेगी।
8.	शीवपुरी पम्पड स्टोरेज स्कीम	1×90=90	8987	2/90	3. कुछ शर्तों के अधीन परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से 8.5.91 को स्वीकृत कर दिया गया था।

महानगरों में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा-सूची

4585. श्री के० वी० तंगाबालू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार महानगरों में, अलग-अलग, रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को गैस कनेक्शन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिनांक 1.7.91 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नानुसार है :—

		लाख
दिल्ली	—	5.66
मद्रास	—	2.70
कलकत्ता	—	3.86
बम्बई	—	2.15

(ख) यथा संभव अधिकतम आवेदकों को एल० पी० जी० कनेक्शन देने के प्रयास किए जाते हैं।

नई दिल्ली/पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4586. श्री तारा चन्द खण्डेलवाल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली में

नई दिल्ली स्टेशन पर 1991-92 के दौरान 24.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक द्वीप प्लेटफार्म, छह धुलाई लाइनों, तीन पड़ाव लाइनों, एक यात्री लाइन, छह मरम्मत लाइनों की व्यवस्था, मौजूदा ऊपरी पैदल पुलों का विस्तार, दो नये ऊपरी पैदल पुलों तथा स्वचल सवारी डिब्बा धुलाई मशीन की व्यवस्था करने के कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

पुरानी दिल्ली में

99.87 लाख रुपये की प्रत्याशित लागत से बुकिंग कार्यालय तथा रनिंग रूम की व्यवस्था करने का काम शुरू किया गया है।

'पिंक सिटी' में अलवर के लिए आरक्षण कोटा

4587. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पिंक सिटी एक्सप्रेस' में अलवर के लिए अलवर से जयपुर हेतु निर्धारित कोटा यात्रियों की मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी में अलवर से सामान्य श्रेणी में पर्याप्त संख्या में टिकट नहीं दिये जाते; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यात्रिकाओं के कोटे में वृद्धि करने और आवश्यक संख्या में टिकट देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कभी-कभी मांग आरक्षण के लिए आबंटित कोटे तथा अनारक्षित स्थान से अधिक हो जाती है।

(ग) इस गाड़ी का जयपुर के यात्रियों द्वारा पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए अलवर के कोटे में फिलहाल वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर-नौतनवां रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना तथा इसका विस्तार करना

[हिन्दी]

4588. श्री मोहन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर-नौतनवां रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे में रेल लाइनों का नेपाल में सिनौली तक विस्तार करने तथा गोरखपुर-नौतनवां रेल लाइन को नेपाल से जोड़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिल्ली में खाना पकाने की गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों का आबंटन

[अनुवाद]

4589. श्री राम विलास पासवान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कम्पनीवार पेट्रोल/डीजल की थोक दुकानों, गैस एजेंसियां, डीजल पम्पों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कितने वितरक हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को आरक्षित कोटे के अनुसार वितरक बनाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने पिछले बकाया को निपटाने के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों को और अधिक एजेंसियां आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार) : (क) 1-4-91 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नानुसार है :—

		खुदरा बिक्री केन्द्र	एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें
आई ओ सी	—	81	130
एच पी सी	—	66	33
बी पी सी	—	62	44
आई बी पी	—	25	0

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें — 3
एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें — 25

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत को तेल उद्योग द्वारा विपणन योजनाओं को तैयार करते समय रोलिंग आधार पर अपनाए गए 100 प्वायंट रोस्टर को बरकरार रखा जाता है। प्रगति पर निगरानी रखी जाती है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन का मुद्रण और प्रचार

4590. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कार्य की पुनरावृत्ति टालने के लिए सरकारी उद्यमों संबंधी समिति की सिफारिश पर पर्यटन विभाग के एककों के प्रचार और वितरण को 1971-72 में भारत पर्यटन विकास निगम को स्थानांतरित कर दिया;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की संख्या, नाम और पद क्या हैं जिन्हें 1970-71 या 1971-72 के दौरान सरकार के पर्यटन विभाग की प्रचार और वितरण की गतिविधियों को स्थानान्तरित करने के निर्णय लिए जाने के बाद भारत पर्यटन विकास निगम को भेज दिए गए थे;

(ग) क्या उक्त निर्णय के आधार पर भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन विभाग के प्रचार सामग्री के संयोजन, तैयारी और वितरण कार्य को हाथ में लिया और 1984-85 तक उसके लिए अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हुए कुशलतापूर्वक व्यवस्था की; और

(घ) यदि हां, 1985-86 से आगे पर्यटन विभाग द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम को पर्याप्त मुद्रणोत्पादन सम्बन्धी काम न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां, सामान्यत:।

(घ) बढ़े हुए कार्यभार और बजट संबंधी कम आवंटनों के कारण, वर्ष 1985-86 में यह निर्णय लिया गया था कि भारत पर्यटन विकास निगम समय-सारणी और विनिर्देशों के अनुसार कार्य की मात्रा को अकेले नहीं संभाल सकता अतः अन्य अभिकरणों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक है।

विवरण

क०सं०	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती एस० पाणिग्रही	उप महानिदेशक
2.	श्री एच० एस० गुप्ते	निदेशक (प्रचार)
3.	श्री आर० के० सक्सेना	अनुसंधान अधिकारी
4.	श्री झामन दास	सहायक निदेशक
5.	श्री जे०सी० शर्मा	सहायक निदेशक
6.	श्रीमती एल० सेठी	सूचना सहायक
7.	श्री एम०एल० भाटला	वरिष्ठ आशुलिपिक
8.	श्री के० एल० यादव	वरिष्ठ आशुलिपिक
9.	श्री वी० पी० सचदेवा	कनिष्ठ आशुलिपिक
10.	श्री कमल किशोर	कनिष्ठ आशुलिपिक
11.	श्रीमती बेअंत कौर	कनिष्ठ आशुलिपिक
12.	श्री पी० डी० टहल्यानी	उच्च श्रेणी लिपिक
13.	श्री एच० हासन	उच्च श्रेणी लिपिक
14.	श्री राम स्वरूप	अवर श्रेणी लिपिक
15.	श्री मोहन जगत्यानी	अवर श्रेणी लिपिक
16.	श्री शिवलाल	चपरासी
17.	श्री गजराज	चपरासी

विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करना

4591. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न विद्युत संयंत्रों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और 31 मार्च, 1991 तक उसमें कितनी वृद्धि की गई; और

(ख) किन-किन संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार देश में प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 59040.38 मेगावाट थी। 1-4-89 से 31-3-91 तक जोड़ी गई कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 7464.2 मेगावाट थी।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 और 2 में दी गई है।

विवरण-एक

अप्रैल, 89 से 31-3-90 तक की अवधि के दौरान चालू की गई/रोल की गई यूनिटों का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	यूनिट सं०	राज्य/संगठन	क्षमता (मे०वा०)	चालू करने के कार्यक्रम की तारीख	वास्तविक तिथि	
						रोल की गई	चालू की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
	जल विद्युत						
	केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	पंचेत हिल्ल	4	बिहार/डी वी सी	40	10/89	31.3.90	—
	उप जोड़ (के० क्षेत्र)			40			
	राज्य क्षेत्र						
1.	प० यमुना नहर	6	हरियाणा	8	4/89	15.04.89	17.04.89
2.	चूही	2	पंजाब	0.4	89-90	27.05.89	17.06.89
3.	रोहिती	2	पंजाब	0.4	89-90	01.09.89	19.09.89

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	माही-2	2	राजस्थान	45	9/89	14.09.89	27.09.89
5.	माही के एम सी-2	—	राजस्थान	0.165	—	07.12.89	—
6.	कदाना	1	गुजरात	60	10/89	31.03.90	—
7.	कुट्री	1	मध्य प्रदेश	0.1	2/90	—	31.03.90
8.	मोराण्ड	1	मध्य प्रदेश	0.335	89-90	—	31.03.90
9.	खाडकवासला	1	महाराष्ट्र	8	12/89	31.3.90	—
10.	खाडकवासला	2	महाराष्ट्र	8	1/90	15.03.90	—
11.	नागार्जुनसागर	1	आंध्र प्रदेश	30	12/89	31.03.90	—
12.	वराही	1	कर्नाटक	115	4/89	23.04.89	12.08.89
13.	कलमाला	—	कर्नाटक	0.4	89-90	06.02.90	—
14.	पायकारा	—	तमिलनाडु	2.0	89-90	04.10.89	07.10.89
15.	वैगई	1	तमिलनाडु	3	9/89	21.02.90	23.02.90
16.	वैगई	2	तमिलनाडु	3	10/89	25.02.90	03.03.90
17.	लोअर भवानी	3	तमिलनाडु	2	11/89	29.03.90	—
18.	लोअर भवानी	4	तमिलनाडु	2	12/89	23.03.90	—
19.	रेंगाली विस्तार	1	उड़ीसा	50	5/89	07.07.89	10.08.89

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	अपर कोलाब	3	उड़ीसा	80	9/89	24.01.90	10.02.90
21.	रेंगाली विस्तार	2	उड़ीसा	50	10/89	06.03.90	19.03.90
22.	अम्पानी	1, 2 तथा 3	अरुणाचल प्रदेश	0.8	89-90		10/89
23.	माचुका	—	अरुणाचल प्रदेश	0.05	—	12/89	12/89
24.	टाटारांग्राम	1	अरुणाचल प्रदेश	0.85	89-90	9/89	9/89
25.	टागो	[illegible]	अरुणाचल प्रदेश	1.5	2/90	23.3.90	—
	उप जोड़ (राज्य)			469.9			
	जोड़ (पूर्वी)			509.9			
	ताप विद्युत						
	केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	अंता एसटी	1	राज०/एनटीपीसी	149	90-91	—	05.03.90
2.	अंता जीटी	3	राज /एनटीपीसी	88	6/89	—	04.05.89
3.	रिहन्द	2	यूपी/एनटीपीसी	500	5/89	03.07.89	05.07.89
4.	औरैया एसटी	1	यूपी/एनटीपीसी	102	90-91	27 12.89	29.12.89
5.	औरैया जीटी	2	यूपी/एनटीपीसी	112	5/89	—	21.07.89
6.	औरैया जीटी	3	यूपी/एनटीपीसी	112	7/89	—	09.08.89
7.	औरैया जीटी	4	यूपी/एनटीपीसी	112	9/89	—	29.09.89

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	विन्ध्याचल	4	मध्य प्रदेश/एनटीपीसी	210	12/89	—	26.12.89
9.	विन्ध्याचल	5	मध्य प्रदेश/एनटीपीसी	210	90-91	—	21.03.90
10.	रामगुंडम	6	आंध्र प्रदेश/एनटीपीसी	500	2/90	15·10.89	16.10.89
11.	बारामूरा जीटी	3	एनईसी	6.5	1/90	19.02.90	06.03.90
	उपजोड़ (केन्द्र)			2101.5			
	राज्य क्षेत्र						
1.	पम्पोर जीटी	2	जम्मू व कश्मीर/ एफडीसी	25	5/89	—	20.07.89
2.	पम्पोर जीटी	3	जम्मू व कश्मीर	25	8/89	—	11.12.89
3.	कोटा	4	राज०/आरएसईबी	210	5/89	30.04.89	01.05.89
4.	टांडा	3	यू० पी०	110	12/89	09.03.90	28.03.90
5.	राजघाट	1	डेसू	67.5	9/89	21.11.89	24.11.89
6.	गांधीनगर	3	गुजरात	210	12/89	05.03.90	20.03.90
7.	कच्छ लिग्नाइट	—	गुजरात	70	2/90	24.03.90	29.03.90
8.	खापरखेड़ा	2	महाराष्ट्र	210	12/89	—	08.01.90
9.	ट्राम्बे	6	महाराष्ट्र	500	1/90	21.03.90	23.03.90

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	विजयवाड़ा	3	आं० प्र०/ एपीएसईबी	210	10/89	—	05.10.89
11.	विजयवाड़ा	4	आंध्र प्रदेश	210	3/90	30.03.90	
12.	मेत्तूर विस्तार	4	तमिलनाडु	210	2/9	14.02.90	16.02.90
13.	रोखिया जीटी	1	त्रिपुरा	6	1/90	28.02.90	21.03.90
	उप जोड़ (राज्य)			.065.5			
	जोड़ (ताप विद्युत)			416/			
	गैर-पारम्परिक						
1.	बिडमिल*		तमिलनाडु	10.8	—	—	03/90
	जोड़ (एनसी)			10.8			
	कुल जोड़ (जल विद्युत+ताप विद्युत+ गैर पारम्परिक)			468/./**			

* कार्यक्रम में शामिल नहीं की गई स्कीमें।

** 1989-90 के लिए कार्यक्रम में शामिल न की गई स्कीमों से 472.015 मेगावाट के लाभ इसमें शामिल हैं।

विवरण-दो

1990-1991 के दौरान चालू की गई/रोल की गई यूनिटों का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	यूनिट सं०	राज्य/संगठन	क्षमता (मेगा०)	चालू करने के कार्यक्रम की तारीख	वास्तविक तिथि: रोल की गई	वास्तविक तिथि: चालू की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
	जल विद्युत						
	केन्द्रीय क्षेत्र			शून्य			
	राज्य क्षेत्र						
1.	लोअर भवानी	2	तमिलनाडु	2	4/90	—	14.04.90
2.	लोअर भवानी	2	तमिलनाडु	2	6/90	—	21.[illegible]5.90
3.	कदाना पी[illegible]सएस	2	गुजरात	60	6/90	27.08.90	01.09.90
4.	हीराकुड चरण-3	1	उड़ीसा	37.5	6/90	—	10.09.90
5.	वाराही	2	कर्नाटक	115	7/90	24.09.90	12.11.90

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	बाणसागर टोन्स	1	मध्य प्रदेश	105	7/90	08.11.90	—
7.	बाणसागर टोन्स	2	मध्य प्रदेश	105	9/90	03.03.91	—
8	भात्सा	1	महाराष्ट्र	15	6/90	12.01.91	—
9	कान्हर	1	महाराष्ट्र	4	12/90	20.03.91	—
	उपजोड़ (राज्य)			445.5			
	कुल (जल विद्युत)			445.5			
	ताप विद्युत						
	केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	औरैया एसटी	2	उ० प्र०/एनटीपीसी	102	6/90	—	12.06.90
2.	बोकारो "बी"	1	डीवीसी	210	7/90	—	01.02.91
3.	विन्ध्याचल	6	म० प्र०/एनटीपीसी	210	12/90	—	07.011.90
4.	नैवेली	4	तमिलनाडु/एनएलसी	210	10/90	—	30.03.91
	उप-जोड़ (केन्द्रीय)			732			
	राज्य क्षेत्र						
1.	विज्जेश्वरम जीटी	1	आंध्र प्रदेश	33	6/90	—	31.08.90
2.	सीईएससी	1	प० बंगाल	67.5	7/90	09.08.90	12.08.90
3.	कोलाघाट	1	प० बंगाल	210	7/90	07.08.90	13.08.90

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	इम्फाल में डीजी सैट	1	मणिपुर	1	6/90	—	30.09.90
5.	इम्फाल में डीजी सैट	2	मणिपुर	1	6/90	—	30.09.90
6.	रोखिया जी०टी०	2	त्रिपुरा	8	5/90	—	26.11·90
7.	वास्वा सोसोजीटी	1	गुजरात	33	5/90	—	29.12.90
8.	कच्छ लिग्नाइट	2	गुजरात	70	12/90	—	25.03.91
9.	चन्द्रपुर	5	महाराष्ट्र	500	3/91	—	22.03.91
10.	विज्जेश्वरम जीटी	2	आंध्र प्रदेश	33	9/90	—	02.03.91
11.	रायचुर	3	कर्नाटक	210	1/91	—	30.03.91
12.	तूतीकोरिन	5	तमिलनाडु	210	2/91	—	31.03.91
13.	कोलाघाट	5	प० बंगाल	210	8/90	—	19.03.91
14.	चेतम डीजी सैट	1	अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह	2.5	5/90	—	18.10.90
15.	चेतम डीजी सैट	2	अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह	2.5	6/90	—	10.90
16.	चेतम में डीजी सैट	3	अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह	2.5	9/90	—	24.02.91

1	2	3	4	5	6	7	८
17.	चेतम में डीजी सैट	4	अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह	2.5	11/90	—	24.02.91
18.	चेतम में डीजी सैट	5	अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह	2.5	12/90	—	30.03.91
	उप जोड़ (राज्य क्षेत्र)			1599			
	जोड़ (ता० वि०)			2331			
	जोड़ (ज० वि०+ता० वि०)			2776.5*			

* फरवरी, 91 में चालू की गई 33 मेगावाट की एक गैर-यूटिलिटी जी आई पी सी एल के यूनिट-1 को छोड़कर।

मंगलगिरि नगर क्षेत्र में पुल का निर्माण

4592. प्रो० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर जिले में मंगलागिरि स्टेशन के दोनों ओर फैले नगर क्षेत्र को जोड़ने तथा वहां रह रहे लोगों की सुविधा हेतु इस स्टेशन पर एक फ्लाई ओवर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर स्टेशन हेतु आरक्षण कोटा

[हिन्दी]

4593. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमगिरि और श्रमजीवी एक्सप्रेस गाड़ियां जौनपुर में रुकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गाड़ियों के लिए वहां जौनपुर के लिए कोई आरक्षण कोटा नहीं है और वहां टिकट नहीं दिए जाते और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार जौनपुर के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने तथा उन गाड़ियों के लिए टिकट प्रारम्भ किए जाने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हिमगिरि और श्रमजीवी एक्सप्रेस गाड़ियां जौनपुर सिटी में ठहरती हैं। वे जौनपुर जं० नहीं जाती हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि जौनपुर सिटी पर हिमगिरी और श्रमजीवी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए आरक्षण कोटे की व्यवस्था नहीं है। हिमगिरी एक्सप्रेस के वास्ते 600 कि० मी० से अधिक के गंतव्य स्थल के लिए और श्रमजीवी एक्सप्रेस के लिए वातानुकूल शयनयान/पहला दर्जा/कुर्सियान में 250 कि० मी० तथा दूसरे दर्जे में 300 कि०मी० से आगे के टिकट जारी किए जा रहे हैं।

जौनपुर सिटी पर इन गाड़ियों में आरक्षण कोटा आबंटित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पीलीभीत में पेट्रोल/डीजल की दुकानें

4594. डा० परशुराम गंगवार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पीलीभीत में पेट्रोल, डीजल की खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस किन स्थानों के लिए दिए जायेंगे और इनके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के गांवों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

4595. श्री आनन्द रत्न मौर्य : विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के गांवों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष गांवों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाराणसी जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्नवत है :

गांव का विद्युतीकरण		पम्पसेट ऊर्जन	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
462	550	3338	4293

(घ) योजना आयोग द्वारा राज्य के लिए किए गये समग्र आबंटन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकता के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जिले वार गांव विद्युतीकरण संबंधी क्रियाकलाप कार्यान्वित किए जाते है।

रेलवे सामग्री की चोरी

4596. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में चोरी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में क्षेत्रवार रेलवे सामग्री तथा बुक किए गये सामान की चोरी के कुल कितने मामले हुए;

(ग) क्या सरकार ने इन चोरियों को रोकने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

रेलवे	वर्ष	चोरी के मामलों की संख्या	
		बुक किए गए परेषण	रेलवे सामान
मध्य	1989-90	1242	3971
	1990-91	994	4002
पूर्व	1989-90	7579	20332
	1990-91	6537	19077
उत्तर	1989-90	3460	37705
	1990-91	3059	38904
पूर्वोत्तर	1989-90	1543	1361
	1990-91	1173	1439
पूर्वोत्तर सीमा	1989-90	2581	483
	1990-91	1572	472
दक्षिण	1989-90	1567	5784
	1990-91	1535	5380
दक्षिण मध्य	1989-90	174	1472
	1990-91	708	1256
दक्षिण पूर्व	1989-90	3844	9528
	1990-91	2963	6445
पश्चिम	1989-90	1783	3085
	1990-91	1647	3546

(ग) और (घ) रेलों पर चोरी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है।

ईंधन बचाने और प्रदूषण रोकने के लिए उपस्कर

4597. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे उपस्कर की जानकारी है जो मोटर गाड़ियों की इंधन क्षमता में वृद्धि और प्रदूषण को भी कम करता है;

(ख) यदि हां, तो इस उपस्कर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपस्कर के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाणपत्र लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार को किसी ऐसे परिणाम प्रमाणित उपस्कर के बारे में जानकारी नहीं है जो मोटर वाहनों की ईन्धन क्षमता को बढ़ाता है तथा प्रदूषण को कम भी करता है।

(ग) और (घ) संबंधित उपस्कर निर्माता मूल्यांकन तथा गुण दोष आधार पर गुणवत्ता सत्यापन के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ से संपर्क कर सकता है।

पांडिचेरी से बंगलौर तक रेल लाइन बिछाना

4598. श्री पी०पी० कालियापेरुमल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी-बंगलौर के बीच बड़ी लाइन बिछाने का कार्य कब तक शुरू किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विंध्याचल ताप बिजली घर

[हिन्दी]

4599. श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विंध्याचल ताप बिजली घर में अतिरिक्त 500 मेगावाट का एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उससे मध्य प्रदेश को कितनी बिजली आपूर्ति किए जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र में 500-500 मे० वा० के दो यूनिट के जोड़े जाने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मार्च, 1991 में हुई अपनी बैठक में इस परियोजना के लिए

सिफारिश की थी; परियोजना का क्रियान्वयन सोवियत सहायता से किया जाएगा। राष्ट्रीय पन विद्युत निगम द्वारा नवम्बर, 1988 में सोवियत पक्ष के साथ एक ऋण समझौता किया गया है। कार्य स्थल पर किए जा रहे प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना के लिए सरकार की निवेश संबंधी स्वीकृति अपेक्षित है। सप्लाई अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 500 मे0वा० के पहले यूनिट को 5 वर्ष में तथा दूसरी यूनिट को इसके एक वर्ष के पश्चात चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) इस बीच विद्युत के आबंटन के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

आरा सासाराम मार्टिन रेल लाइन पर पुनः गाड़ियां चलाना

4600. श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरा सासाराम (मार्टिन) रेल लाइन पर पहले गाड़ियां चलती थी;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इस रेल लाइन पर पुनः गाड़ियां चलाने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस लाइन पर गाड़ियां पुनः कब से चलाई जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1980-81 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे इस लाइन के अलाभप्रद होने का पता चला था। इसके अलावा रेलें संसाधनों की बेहद तंगी का सामना कर रही हैं और योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया धन चालू कार्यों को चलाने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अच्छी सड़क सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

[अनुवाद]

4601. श्री सुधीर सावंत :

श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर राज्यवार प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की गैस का उपयोग किया गया और प्रत्येक स्थान पर सम्बद्ध एवं असम्बद्ध गैस को जलाया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ख) वर्ष 1990-91 के लिए संबद्ध गैस के राज्यवार उत्पादन उपयोग दहन तथा उसके मूल्य को संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य	उत्पादन एमएमएससीएम	उपयोगिता एमएमएससीएम	प्रदीप्ति एमएमएससीएम	उपयोग किया गया रु०/करोड़ में	लागत प्रदीप्ति रु./करोड़ों में
		विवरण			
असम	2011	1389	622	69.45	31.20
अरुणाचल प्रदेश	29.4	—	29.4	—	1.47
आन्ध्र प्रदेश	46	41	5	5.74	0.70
गुजरात	1696	1295	401	181.30	56.14
तमिलनाडु	64	9	55	1.26	7.70
त्रिपुरा	70	70	—	9.8	0.00
योग :	3916.4	2804	1112.4	267.55	97.11

नोट : उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 500 रु०/1000 घन मीटर की बिक्री कीमत पर तथा देश के बाकी राज्यों के लिए 1400 रु०/1000 घन मीटर की बिक्री कीमत पर मूल्य का परिकलन किया गया है।

लखनऊ-बरेली रेलवे लाइन का बदला जाना

4602. डा० जी० एल० कनोजिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लखनऊ से बरेली तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस खंड का एक बड़ा भाग, अर्थात मैलानी से बरेली तक का भाग पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण मीटर लाइन मार्गों के बीच मुख्य सम्पर्क का एक भाग है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा लखनऊ और बरेली पहले ही बड़ी लाइन द्वारा आपस में जुड़े हुए है।

मुंबई हवाई अड्डे पर हवाई सुरक्षा

4603. श्री शरद दिघे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंबई हवाई अड्डे पर बिगड़ी संचार व्यवस्था एक अति महत्वपूर्ण राडार तथा इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई०एल०एस०) के बार-बार फेल होने और प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव की जानकारी है जिससे हवाई अड्डे की यातायात नियन्त्रण और संचार ईकाइयां पूरी तरह गड़बड़ा जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुंबई हवाई अड्डे पर हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारी वर्षा और भू-संपर्क के प्रभाव के कारण स्वचालित टर्मिनल सूचना सेवा ए टी आई एस) के प्रसारण में कुछ बाधा आ गयी थी इसे अब ठीक कर दिया गया है।

जून, 1991 में 5 दिनों की अत्यधिक वर्षों के कारण राडार स्थल में भारी बाढ़ आ गयी थी और इससे हवाइ मार्ग निगरानी राडार (ए आर एस आर) से संबंधित उपकरण बुरी तरह से प्रभावित हो गये थे। हवाई मार्ग निगरानी राडार (ए आर एस आर) को दोबारा कार्य करने लायक बना दिया गया था। कार्य निष्पादन मानदण्डों के अनुरूप है। उपस्कर अवतरण प्रणाली (आई एल एस) संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और इसमें किसी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है।

झांसी में रेल कार्यशाला

[हिन्दी]

4604. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी मालडिब्बा मरम्मत कार्यशाला की लाहोरखाना मशीन की दुकान बंद करने के क्या कारण हैं;

(ख) यह मशीन की दुकान कब से बन्द की गयी है और तब से कितने फालतू कलपुर्जे बाहर से खरीदे गये;

(ग) कितने कर्मचारियों की छंटनी हुई, कितने कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया, कितनों को अन्यत्र खपाया गया और उसके लिए पद समाप्त कर दिए गए;

(घ) झांसी कार्यशाला में उत्पादित अतिरिक्त कलपुर्जों तथा खुले बाजार से खरीदे गये कलपुर्जों की तुलनात्मक लागत कितनी है;

(ङ) किन परिस्थितियों में मशीन की दुकान खोली गयी थी और खरीदी गई मशीनों की

लागत कितनी है; और

(च) मशीनों का अब किस प्रकार उपयोग किया जायगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) झांसी के सवारी और माल डिब्बा कारखाने की लाहौरखाना मशीन कर्मशाला बन्द नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) झांसी के कारखाने में निर्मित की जा रही मदों की पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाजार से खरीद नहीं कीग यी है।

(ङ) शुरू में मशीन कर्मशाला मुख्य सवारी और मालडिब्बा कारखाने के भाग के रूप में 1895 में खोली गयी थी तथा 1930 के दशक में इसे अद्यतन बनाया गया था। लागत 889.29 लाख रुपये थी।

(च) अभी तक मशीनों का उपयोग कल-पुर्जों के निर्माण के लिए किया जा रहा है।

समुद्र तटों तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में नग्नता की समस्या

[अनुवाद]

4505. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की निगाह में समुद्री तटों तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में नग्नता की समस्याएं सामने आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों और भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को दिये जाने वाले निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कोयला खानों में आग

[हिन्दी]

4606. श्री राम लखनसिंह यादव :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन कोयला खानों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान आग लगने की घटनाओं का पता चला है;

(ख) इन कोयला खानों में आग लगने की दुर्घटनाओं से गत तीन वर्षों के दौरान कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या बिहार में कुछ कोयला खानों में अभी भी आग लगी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इन कोयला खानों को आग से बचाने तथा इनमें लगी आग को बुझाने के लिए क्या प्रयास किए गए अथवा किए जा रहे है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० के झरिया कोयला क्षेत्रों में आग लगने की कोई नई घटना होने की सूचना नहीं मिली है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० की सयाल 'डी' कोलियरी की भूमिगत खान मे आग लगने की एक घटना को सूचना मिली। इस आग के कारण कोयले की कोई बड़ी हानि होने की संभावना नहीं है चूंकि सीमित मात्रा में इस कोयले का आने वाले समय में उत्खनन कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगने की बड़ी समस्या विद्यमान है। कोकिंग कोयला खानों को वर्ष 1971 में राष्ट्रीयकृत किए जाने से पूर्व काफी समय से भा० को० को० लि० की झरिया कोयला क्षेत्र में 70 आग विद्यमान थी। कोयला खानों को राष्ट्रीयकृत किए जाने से पूर्व झरिया कोयला क्षेत्र मे विद्यमान बड़ी आगों से निपटने के लिए ठोस प्रयास किए गये हैं। भारत कोकिंग कोल लि० ने 22 योजनाएं बनाई है जिनके लिए 114.57 करोड़ रु० की राशि मंजूर दी गयी है। यह योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अभी तक 71 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 5 आगों को पूर्णत: बुझा लिया गया है। इसके अलावा 3 स्थलों पर आग से निपटने के लिए अपेक्षित सुरक्षात्मक उपायों को पूरा कर लिया गया है और इन आगों को पूरी तरह से बुझाए जाने के मामले में कुछ और समय लगेगा! 13 अन्य स्थलों पर आगों को भी रोक लिया गया है और इस सम्बन्ध में इन आगों को पूरी तरह से बुझाने के लिए कार्य प्रगति पर है। सोवियत विशेषज्ञों की सहायता से मुकुन्दा ब्लाक के 6 और आग स्थलों पर आगे का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह संभावना है कि और अधिक विद्यमान आगों को वर्ष 1994-95 तक नियन्त्रित कर लिया जाएगा :

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की खानों में 10 सक्रिय आगे विद्यमान हैं। सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० ने इन आगों को नियंत्रित किए जाने के लिए योजनाएं बना ली हैं। यह संभावना है कि इन सभी आगों को वर्ष 1994-95 तक नियन्त्रित कर लिया जाएगा।

विमान चालकों की भर्ती

4607. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया द्वारा 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान भर्ती किए गये विमान चालको की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) उनमें भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके चयन में यदि भूतपूर्व सैनिकों को कोई छूट दी जाती है तो वह क्या है;

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयर लाइन्स ने 1989-90 और 1990-91 में क्रमश: 105 और 20 प्रशिक्षु विमान चालकों की नियुक्ति की। किसी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति नहीं की गई। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाती है।

एयर इंडिया ने 1989-90 और 1990-91 प्रत्येक वर्ष में 10-10 सहविमान चालकों की नियुक्ति की है। भूतपूर्व सैनिकों के श्रेणियों में क्रमश: 7 और 1 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। एयर इन्डिया ने भी 1989-90 और 1990-91 में क्रमश: 29 और 18 प्रशिक्षु विमानचालकों की नियुक्ति की थी लेकिन इसमें कोई भूतपूर्व सैनिक नहीं था। एयर इन्डिया भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं देता है।

एयरबस-320

[अनुवाद]

4608. डा० एस० पी० यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर बस ए-320 को खड़ा रखने से सरकार को अब तक कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ख) एअरबसों की उड़ानें फिर से शुरू करने के लिये इनपर कितना खर्चा हुआ है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 40 सप्ताह तक एअर बस ए 320 विमान बेड़े को ग्राउंड किये जाने के कारण इन्डियन एयरलाइन्स को 171.60 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ख) इन विमानों को परिचालन में लगाने में इन पर सामान्य रखरखाव खर्च के अतिरिक्त कोई अन्य खर्च नहीं किया गया था।

इन्डियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

4609. श्री के० प्रधानी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स को जून, 1991 में अपने कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के प्रशासनिक कार्यालय लोक सभा चुनावों, श्री राजीव गांधी को

मृत्यु और उनके दाह संस्कार के कारण क्रमश: 20-5-91, 22-5-91 और 24-5-1991 को बन्द रहे तथापि इण्डियन एयरलाइन्स के आरक्षण कार्यालय जो विमान सेवाओं के परिचालनों के लिए अनिवार्य है, इन दिनों में बन्द नहीं रहे। आरक्षण कार्यालय के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें इसके बदले छुट्टी दी जाए और इस प्रकार की प्रथा भविष्य में भी अपनाई जाए।

(ग) इस मामले में कर्मचारियों की मांग को मानना संभव नहीं है।

मध्य प्रदेश पेट्रोलियम परियोजनाएं

4610. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोलियम परियोजनाओं संबंधी कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ परियोजनाओं तथा उस राज्य में स्थापित की जाने वाली एक रिफाइनरी के लिए एच०बी०जे० पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए भारत सरकार से आग्रह किया है। इन आग्रहों पर अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रेलवे स्टेशनों का निर्माण

4611. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर रेलवे स्टेशनों का निर्माण करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए	दिए गए सुझाव
1. डा० वेदव्यास महाजन, मंत्री, पूर्वी दिल्ली संगठन, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली।	दिल्ली और दिल्ली शाहदरा के बीच सीलमपुर/गांधीनगर पर हाल्ट स्टेशन खोलना।

2.	श्री कालका दास, संसद सदस्य नई दिल्ली।	आनन्द विहार और तिलक ब्रिज स्टेशनों के बीच चन्द्रविहार/प्रीतविहार, मंडावली फजलपुर/पटपड़गंज में।
3.	श्री बिशम्बर नाथ, सचिव, गांधीनगर विकास परिषद दिल्ली	दिल्ली शाहदरा और बेहटा हाजीपुर स्टेशनों के बीच मानसरोवर के निकट नन्द नगरी में।
4.	डा० आर० एस० ओवास, सह सचिव, अखिल भारतीय युवा फेडरेशन, एफ-37 पश्चिमी विनोद नगर, दिल्ली	
5.	श्री रवीन्द्र गुप्ता, संपादक शिव राम वाणी, वंदना भवन, चन्द्र विहार, दिल्ली।	
6.	श्री मारकन्डे सिंह, उपराज्यपाल, दिल्ली	
7.	श्री रामजी लाल सुमन, भूतपूर्व श्रम मंत्री।	

(ग) और (घ) प्रस्तावों की जांच की गई थी लेकिन वित्तीय और परिचालनिक दोनों दृष्टियों से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

मुंबई में स्थानीय रेलगाड़ियां

[हिन्दी]

4612. श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई में बारह सवारी डिब्बों वाली कुछ स्थानीय गाड़ियां चलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी स्थानीय गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मध्य और पश्चिम रेलों पर परीक्षण के तौर पर 12 कार वाला एक-एक रेक परिचालन में है। पर्याप्त लम्बाई के प्लेटफामों की कमी के कारण इस प्रकार की और सेवाएं शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बारासात-हावड़ा रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलना

अनुवाद]

4613. श्री चित्त बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदा-बोंगांव सेक्शन में बारासात और दत्तपुकुर तथा दत्तपुकुर और हावड़ा के बीच की लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हालांकि दत्तापुकुर-हाबड़ा परियोजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है परन्तु बारासात-दत्तापुकुर परियोजना में 30 जून, 91 को 36% के लक्ष्य की तुलना में 34% ही प्रगति हुई है।

(ख) प्रस्तावित संरेखण के साथ-साथ अतिक्रमणों का होना।

(ग) अतिक्रमणों को खाली करने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है।

खाना पकाने की गैस की हाट प्लेटों आदि की जांच

4614. डा० सी० सिलवेरा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ तेल कम्पनियों ने अपने रसोई गैस डीलरों को रसोई गैस उपभोक्ताओं के घर पर जाकर उनकी हाट प्लेटों और रबड़ पाइपों की जांच करने का अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए प्रति उपभोक्ता दस रुपया लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन डीलरों द्वारा एकत्र की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार की जांच करने हेतु रसोई गैस डीलरों के कर्मचारियों को कोई पहचान-पत्र जारी किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) एल० पी० जी० का वितरण करने वाली तेल कम्पनियों ने अपने एल० पी० जी० वितरकों को प्राधिकृत किया है कि वे ग्राहकों के घरों में जाकर एल० पी० जी० उपभोक्ताओं के हाट प्लेटों तथा रबड़ की ट्यूब, सिलिंडर एवं प्रेशर रेगुलेटर की जांच करें। यह जांच दो वर्षों में एक बार 10 रुपये प्रति निरीक्षण के हिसाब से वितरकों के प्राधिकृत मैकेनिकों द्वारा की जाती है।

(घ) तेल कम्पनियां ऐसे खाते नहीं रखती हैं।

(ङ) से (छ) एल० पी० जी० वितरकों के मैकेनिकों से अपेक्षित है कि वे उपयुक्त पहचान चिन्ह साथ रखें।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

4615. श्री एच० डी० देवगौड़ा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सातवीं योजना के अन्त तक राज्यवार तथा लाइनवार कितने कि० मी० लम्बी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना नीचे दी गई है :—

	सातवीं योजना के अन्त तक विद्युतीकृत कुल मार्ग किलोमीटर	
राज्य	ब० ला०	मी ला०/छो० ला०
आंध्र प्रदेश	1123	कुछ नहीं
बिहार	989	,,
गुजरात	623	,,
हरियाणा	70	,,
महाराष्ट्र	1258	,,
मध्य प्रदेश	1264	,,
उड़ीसा	408	,,
राजस्थान	491	,,
तमिलनाडु	346	168
उत्तर प्रदेश	1180	कुछ नहीं
पश्चिम बंगाल	1243	,,
दिल्ली	89	,,
शेष राज्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जोड़ =	9084	168

केरल में पेट्रोल पम्पों का आबंटन

4016. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान केरल के विभिन्न भागों में नये पेट्रोल पम्प लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर;

(ग) क्या सरकार का केरल के पिछड़े क्षेत्र में पेट्रोल पम्प आबंटित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि पूर्व की विपणन योजनाओं में नियोजित खुदरा बिक्री केन्द्र की कुछ डीलरशिपें अभी तक चालू नहीं हुई हैं, वर्ष 1991-92 के लिए किसी नये कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें विभिन्न घटकों के आधार पर आबंटित की जाती हैं जिनमें मात्रा/दूरी मानक आर्थिक व्यवहार्यता विपणन योजना तथा समय समय पर लागू नीति शामिल हैं।

कुमारघाट से अगरतला तक रेल लाइन

4617. श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमारघाट से अगरतला तक रेल लाइन बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में आगे क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) कुमारघाट-अगरतला लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

गुजरात में रेलगाड़ियां रद्द करना

4618. डा० के० डी० जेस्वाणी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नडियाद, भद्रान, एन० जी० खण्ड (गुजरात) से कितनी पैसेंजर/एक्सप्रेस गाड़ियां रद्द की गई हैं;

(ख) क्या यात्रियों को हो रही असुविधा का समाधान करने के लिए इन गाड़ियों को फिर से चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दो जोड़ी ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्लाईट पर्सरस और विमान परिचारिकाओं की मृत्यु

4619. डा० सुधीर राय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इण्डिया के फ्लाईट पर्सरस और विमान परिचारिकाओं जो गत दो वर्षों के दौरान कार्य के दौरान मारे गये हैं या अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, की कुल संख्या कितनी है;

(ख) मृत्यु या हस्पताल में भर्ती किए जाने के ऐसे प्रत्येक, मामले के कारण और वह स्थान जहां यह दुर्घटना हुई, का नाम क्या है;

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एअर इंडिया में क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या इन घटनाओं के परिणामस्वरूप यात्रियों को कोई असुविधा हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में एअर इंडिया में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (ङ) दुर्घटनाएं किन्हीं परिचालनात्मक भूलों से सम्बन्धित नहीं है । एअर इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य रखरखाव और प्राथमिक सहायता का नियमित कार्यक्रम चलाता है;

(घ) जी, नहीं।

विवरण

ड्यूटी पर कार्यरत केबिन कर्मीदल के मृतकों का विवरण

क्र० सं०	दिनांक	स्थान	केबिन कर्मीदल के सदस्य का पदनाम	मृत्यु का कारण
1.	7.3.90	दिल्ली	उड़ान पर्सर	हृतपेशी व्यतिक्रम
2.	10.10.90	न्यूयार्क	उड़ान पर्सर	अत्यधिक चिरकालिक मदिरा सेवन
3.	14·10.90	लंदन	उड़ानगत पर्यवेक्षक	हृदय का रुक जाना

ड्यूटी पर तैनात केबिन कर्मीदल के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती किए जाने के संबंध में विवरण

क्र० सं०	अस्पताल में भर्ती की तारीख	स्थान	कर्मीदल के सदस्य का पदनाम	अस्पताल में भर्ती होने के कारण
1.	13.8.89	बैंकाक	उड़ान पर्सर जठर	आंत्र शोथ
2.	7.12.89	बम्बई	विमान परिचारिका	उल्टी और पेट दर्द
3.	29.4.89	फ्रेंकफुर्ट	सहा० उड़ान पर्सर	अतिसम्वातन संलक्षण
4.	25.2.90	मद्रास	उड़ान पर्सर	अन्तरावरुद्ध
5.	4.3.90	रोम	सहा० उड़ान पर्सर	अत्यधिक हृतपेशी अस्थि-भंग
6.	13.3.90	दिल्ली	सह० उड़ान पर्सर	आमाशय शोथ के साथ मूर्छा
7.	15.3.90	दिल्ली	उड़ान पर्सर	प्रोलेप्सड इन्ट्राकट्रीब्रालडिस्क
8.	24.4.90	दिल्ली	उड़ान पर्सर	सड़क दुर्घटना से संबंधी बहुल आघात
9.	23.4.90	दिल्ली	उड़ान पर्सर	हृदय पीड़ा
10.	19.6.90	बैंकाक	उड़ान पर्सर	अतिरुधिर तनाव
11.	4.7.90	दिल्ली	उड़ान पर्सर	रिनॉल कालिक
12.	13.10.90	सिंगापुर	उड़ान पर्सर	तेज बुखार
13.	6.11.90	दिल्ली	सहा० उड़ान पर्सर	म्यालजियाचेस्ट/पैशनिशूंज छाती
14.	4.12.90	दिल्ली	उड़ान पर्सर	अस्थिर अतिरुधिर तनाव
15.	7.12.90	दिल्ली	उड़ान पर्सर	खूनी बवासीर
16.	17.1.91	लंदन	विमानपरिचारिका	दाहिने टखने का टूटना
17.	25.1.91	मद्रास	सहा० उड़ान पर्सर	हाइपोग्लीसीमिया
	4.4.91	दुबई		कन्वलसिव डिस्आर्डर
18.	28.1.91	पैरिस	उड़ान पर्सर	उदर पीड़ा
19.	1.5.91	लंदन	सहा० उड़ान पर्सर	रिनाल कालिक
20.	1.7.91	दिल्ली	विमानपरिचारिका	इस्टाचियन काटाराह्
21.	11.1.90	लंदन	उड़ानगत पर्यवेक्षक	गाल ब्लाडर/किडनी स्टोन
22.	23.6.90	दिल्ली	उड़ानगत पर्यवेक्षक	हीमाटेमैसिस सहित गास्ट्रिक अल्सर
23.	6.7.90	दिल्ली	उड़ानगत पर्यवेक्षक	अतिरुधिर तनाव

कोठागुडम और विजयवाडा विद्युत केन्द्र की अधिष्ठापित क्षमता

4620. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडेम और विजयवाडा विद्युत केन्द्र की अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और पूर्ण उपयोग न होने के क्या कारण है; और

(ग) अधिष्ठापित क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाये जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अप्रैल से जुलाई, 91 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कोठागुडम और विजयवाडा ताप विद्युत केन्द्र का अखिल भारत 53.3% संयंत्र भार अनुपात की अपेक्षा संयंत्र भार अनुपात क्रमश: 45.7% और 66.5% रहा । कोठागुडम में कुछ उपस्कर के फेल हो जाने और कोठागूडम एवं विजयवाडा दोनों विद्युत केन्द्रों को कोयला कम सप्लाई किए जाने के कारण इस अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में कुछ हानि हुई ।

(ग) ताप विद्युत यूनिटों का 100% संयंत्र भार अनुपात पर प्रचालन किया जाना संभव नहीं है क्योंकि ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का कार्य-निष्पादन, इसकी कार्यविधि, कोयले की गुणवत्ता, प्रणालीगत भार संबंधी परिस्थितियां, राज्य/क्षेत्र में जल-विद्युत ताप विद्युत के मिश्रण की मात्रा, यूनिटों के आयोजित अनुरक्षण संबंधी कार्य एवं जबरनबंदी और प्रणाली में बाधाओं पर निर्भर करता है ।

प्रतिष्ठापित क्षमता के ईष्टतम समुपयोजन हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं:— (1) पुराने यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना (2) संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना, (3) पर्याप्त मात्रा में और अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला सप्लाई करना, (4) प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ० एंड एम०, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और (5) पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना ।

मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करना

4621. श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकार्य हैं; और

(ग) किस मानदण्ड के आधार पर इन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) केवल उन लाइनों को छोड़कर जिन पर पहले से काम चल रहा है, मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के किसी अन्य प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने मई 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित मानदण्डों की सिफारिश की थी :—

(i) जब इस बात का पता चले कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित यातायात को मौजूदा प्रणाली द्वारा संभाला नहीं जा सकेगा।

(ii) जब यानान्तरण की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि यह किफायती न रहे अथवा यातायात की प्रत्याशित मात्रा को सम्हालने के लिए यह सर्वथा व्यावहारिक ही न हो।

(iii) जब विकास की संभावना वाले क्षेत्रों को संचार के अधिक तेज और निर्बाध साधनों की व्यवस्था करने के लिए इसकी आवश्यकता हो।

स्टेशनों पर "बुक स्टाल"

4622. श्री बारे लाल जाटव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे-स्टेशनों पर "बुक स्टालों" के लिए मैसर्ज ए० एच० व्हीलर ही एकमात्र ठेकेदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनको ये ठेके कब से आबंटित किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई पर्यटन नीति

462?. श्री बलराज पासी :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने यूनुस समिति और टाटा समिति की रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर कोई राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनायी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समितियों की उन प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है और नयी पर्यटन नीति में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) यूनुस समिति

और टाटा समिति की रिपोर्टों की सिफारिशों की समीक्षा का कार्य हाल ही में आरम्भ किया गया है। यदि आवश्यकता हुई तो समीक्षा के बाद पर्यटन नीति में संशोधन किया जाएगा।

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को रेलवे पास

[हिन्दी]

4624. श्री अरविन्द नेताम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें उनके पासों के आधार पर इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सामान्यतः किराया देकर जाने वाले यात्रियों तथा ड्यूटी पर जाने वाले रेल कर्मचारियों को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति है।

"ऑयल फील्ड्स ओपन फार एलाइन फर्म्स" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

4625. श्री राम नाईक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" के मुम्बई संस्करण में "ऑयल फील्ड्स ओपन फार एलाइन फर्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक तेल खोज के कार्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तेजी से काम निबटाने में असमर्थता को देखते हुए विदेशी भागीदारी को आमंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तेल खोज के कार्य, में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की सामर्थ्य में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उनके अन्वेषण के प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार ने विगत में अन्वेषण के

लिए बोलियों के तीन दौर आयोजित किये हैं, जिनमें भाग लेने के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया था। सरकार ने बोली के चौथे दौर को अब अनुमोदित कर दिया है।

परिच्छा ताप विद्युत संयंत्र

4626. श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में झांसी के परिच्छा ताप विद्युत संयंत्र में 220 मेगावाट के शेष एककों की स्थापना कब तक हो जायेगी; और

(ख) इन एककों की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जून, 1979 में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (उ० प्र० रा० बि० बो०) से प्राप्त परिच्छा ताप विद्युत केन्द्र झांसी के चरण दो के अन्तर्गत 210-210 मे० वा० की दो यूनिटों की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनिकी आर्थिक स्वीकृति से विचार नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित नहीं की जा सकीं और इसलिए के० वि० प्रा० द्वारा इसे उ० प्र० रा० बि० बो० को लौटा दिया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक कोई संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बिलपुर (उ० रे०) एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोकना

[हिन्दी]

4627. श्री राजवीर सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के बिलपुर स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो बिलपुर स्टेशन पर कौन-कौन सी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोकने का विचार है और कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस खंड पर किन्हीं अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

कोटा-नीमच और कोटा-बीना लाइनों का विद्युतीकरण

4628. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-नीमच रेल लाइन और कोटा-बीना लाइन के विद्युतीकरण की कोई योजना सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब और उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उक्त योजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) संसाधनों की तंगी और विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष वरीयता के कारण कोटा-नीमच और कोटा-बीना खंडों के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार में लघु उद्योगों को कोयले की पूर्ति

4629. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में कोयले की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार में विभिन्न लघु उद्योगों को कितनी मात्रा में कोयले की पूर्ति की गई;

(ग) क्या ये लघु उद्योग कोयले की नियमित पूर्ति न होने के कारण बन्द होने के कगार पर खड़े हैं; और

(घ) वहां लघु उद्योगों को नियमित कोयले की पूर्ति पुनः प्रारम्भ करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोयले की मांग को विद्युत, सीमेंट, इस्पात, अन्य उद्योगों आदि जैसे बड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत मूल्यांकित किया जाता है और न कि राज्यवार ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के लघु क्षेत्र के उद्योगों को जिसमें ईंट-भट्ठा उद्योग शामिल है, कोयला तथा हार्ड कोक की आपूर्ति की गई मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :—

('000 टन में)

	88-89	89-90	90-91
कोयला	4350	4162	4891
हार्डकोक	48	58	66

(ग) और (घ) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि बिहार के लघु उद्योग कोयले

की नियमित रूप से आपूर्ति न प्राप्त किये जाने के कारण, बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वास्तव में कोल इण्डिया लि० ने अप्रैल से जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान देश के गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को, जिसमें बिहार शामिल है, 144.35 लाख टन कोयले की आपूर्ति की है, जिसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 123.82 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई थी। सरकार ने सभी कोयला कम्पनियों को यह निर्देश जारी कर दिए है कि वे कोयले की न्यूनतम 50% संयोजित मात्रा की गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को आपूर्ति करें।

साहिबगंज से विक्रमशिला एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव

4630. श्री साईमन मरान्डी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 167 अप तथा 168 डाऊन पटना-भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस का इंजन प्रति दिन भागलपुर से साहिबगंज जांच-मरम्मत और अनुरक्षण के लिए भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस रेलगाड़ी को भागलपुर की बजाय साहिबगंज से चलाने का विचार है और यदि हां, तो कब से; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान साहिबगंज रेलवे यार्ड तथा रेलवे स्टेशन के विकास व सुधार के लिए की गई कार्रवाई का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। यह इंजन साहिबगंज शेड में पहुंचने से पहले, जहां इसे खड़ा किया जाता है, अन्य पैसेंजर गाड़ियों में जोड़ा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यार्ड का विकास और सुधार :—

(i) 1989-90 में अतिरिक्त सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं सहित गाड़ी परीक्षक कार्यालय पूरा किया गया।

(ii) कंकरीट स्लीपर के साथ लाइन नं० 1 पर पुनः स्लीपर बिछाने का कार्य 1990-91 में पूरा किया गया।

रेलवे स्टेशन का विकास और सुधार :—

(i) 1988-89 में अल्पाहार कक्ष का नवीकरण।

(ii) 1988-89 में यात्री सूचना प्रणाली की व्यवस्था की गई।

(iii) 1989-90 में अप और डाउन प्लेटफार्मों पर मास्टिक फ्लोरिंग पूरा किया गया।

मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन को गैर-सरकारी कम्पनियों को सौंपना

4631. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन को गैर-सरकारी कम्पनियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विद्युत उत्पादन का निजीकरण किए जाने के लिए मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने जो कि मध्य प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से 3 ताप विद्युत परियोजनाएं और 2 जल-विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूर्व अर्हता हेतु जून, 1990 में निजी निवेशकर्ताओं से प्रस्ताव आमन्त्रित किए हैं। ये 3 ताप-विद्युत परियोजनाएं पेंच (2 × 210 मे० वा०), संजय गांधी विस्तार यूनिटों (2 × 210 मे० वा०), कोरबा पश्चिम (2 × 210 मे० वा०) और 2 जल-विद्युत परियोजनाएं, तावा (1 × 12 मे० वा०) एवं महेश्वर (10 × 40 मे० वा०) हैं। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि प्राप्त हुए 45 प्रस्तावों में से विचार किए जाने के लिए 11 (ग्यारह) निजी क्षेत्र के उद्यमियों की सूची तैयार की गई है। परियोजना कार्य-सूची के बारे में निर्णय लिए जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सक्षम है।

इंडियन एयरलाइंस में विमानों की कमी

[अनुवाद]

4632. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में विमानों की काफी कमी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कालीकट हवाई अड्डे पर एयरबस ए-320 शुरू करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स 1 मई 1991 से कालीकट के लिए एयरबस ए-320 विमान का परिचालन करती है।

मंत्रियों की सिफारिश पर एल० पी० जी० गैस कनेक्शन देना

[हिन्दी]

4633. **श्री ललित उरांव :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1989 से जून, 1991 के बीच केन्द्रीय मन्त्रियों की सिफारिश पर मन्त्री-वार कितने एल० पी० जी० गैस कनेक्शन दिये गये।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : ऐसी जानकारी नहीं रखी गई है।

डिग्बोई तेल शोधक कारखाने का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

4634. श्री नरुल इस्लाम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डिग्बोई तेल शोधक कारखाने का आधुनिकी करण तथा विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार द्वारा जून, 1989 में 143.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आधुनिकीकरण प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। इस समय, इंडियन आयल कारपोरेशन संशोधित लागत अनुमान तैयार कर रहा है।

कटिहार-जोगबनी लाइन को बदलना

[हिन्दी]

4635. श्री सुखदेव पासवान :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कटिहार-जोगबनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पहले कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) 1984 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार 107 कि० मी० खण्ड के आमान परिवर्तन की तत्कालीन कीमतों के आधार पर अनुमानित लागत 30.12 करोड़ रुपये थी तथा उससे ऋणात्मक वित्तीय प्रतिफल (—8.5%) प्राप्त होना था। अब इसकी लागत लगभग 65 करोड़ रुपये होगी।

केरल में रेलवे फाटकों और पुलों का निर्माण

[अनुवाद]

4636. श्री एन० रमन्ना राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से रेलवे की लागत पर नये फाटक खोलने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या केरल ने रेलवे फाटकों की संख्या में वृद्धि करने और ऊपरी पुलों का निर्माण करने तथा विद्यमान ऊपरी पुलों को चौड़ा करने की मांग की है;

(ग) पूर्ण रूप से रेलवे की लागत पर फाटक खोलने के बंध में गत एक संवर्ष के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उनमें से कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें मात्र अपनी लागत पर नई रेल लाइनें बिछाने के समय और लाइन को यातायात के लिए खोलने के बाद आगे की 10 वर्षों की अवधि के दौरान राज्य सरकारों के परामर्श से नए समपारों की व्यवस्था करतीहै ।

(ख) जी हां।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा नई उड़ान शुरू करना

4637. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने हाल ही में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो नये नेटवर्क के अन्तर्गत लाये गये नये स्थानों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली और राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण नगरों के मध्य नयी वायु सेवायें शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) नयी उड़ानें किस तिथि से शुरू करने का कार्यक्रम है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) मई, 1991 से अब तक के बीच, इंडियन एयरलाइंस ने कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और ग्वालियर के लिए अपनी सेवाएं पुनः आरम्भ कर दी है । 3 अगस्त, 1991 से बम्बई-अहमदाबाद-इन्दौर मार्ग पर सप्ताह में दो बी-737 सेवा भी आरम्भ कर दी गयी हैं ।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलाइंस का दिल्ली और जैसलमेर के बीच एक सेवा चलाने का प्रस्ताव है । इसका वाराणसी होकर कलकत्ता और जयपुर के बीच एक सेवा चलाने का भी प्रस्ताव है । जोधपुर होकर दिल्ली-बम्बई सेक्टर के बीच एक दूसरी सेवा चलाने की भी योजना है । विमान क्षमता की उपलब्धता के आधार पर, 1991 की शरदकालीन समयावली में इन सेवाओं के परिचालन की योजना है ।

असम की उत्तरी कछार पहाड़ियों में कोयला भंडार

4639. डा० जयन्त रंगपी

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कबरी अंगलोग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के पहाड़ी जिलों में कोयले का कुल कितना भंडार है;

(ख) इस समय इन भंडारों से कितना वार्षिक उत्पादन होता है; और

(ग) उक्त पहाड़ी जिलों के कोयला भंडारों को सर्वांगीण उत्पादकता यूनिटों में विकसित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कबरी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार पहाड़ियों के पहाड़ी जिलों में कोयले के कुल भंडार नीचे दिए गए हैं :--

(भंडार मि० टन में)

	प्रमाणित	अनुमानित	जोड़
(I) कबरी अंगलोंग	0.52	1.50	2.02
(II) उत्तरी कछार पहाड़ी जिला	0.17	0.52	0.69
	0.69	2.02	2.71

(ख) और (ग) अभी तक अन्वेषित किए गए कोयले के भंडार न केवल थोड़ी मात्रा में विद्यमान हैं, बल्कि यह विस्तृत रूप में संवितरित हैं और इनमें वाणिज्यिक खनन के लिए क्षमता विद्यमान नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज

4640. डा० जयंत रंगपी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए असम के करबी अंगलोंग और उत्तर कछार हिल्स जिलों में अब तक कोई अन्वेषण कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त जिलों में अन्वेषण कार्य शुरू करने प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों को संसाधित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद और विशाखापत्तनम् विमानपत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में बदलना

4641. श्री के० वी० आर० चौधरी :

श्री दत्तात्रेय बंडारु :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और विशाखापत्तनम् विमानपत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में बदलने के लिए वहां की सुविधाओं में सुधार लाने के प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित पर्यटन यात्रायें

4642. श्री के० वी० आर० चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्यटन केन्द्रों में मध्यमवर्गीय देसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये और अधिक शयनागारों का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम की बसों द्वारा आन्ध्र प्रदेश को नियमित पर्यटन यात्रायें आयोजित की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कम आय वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को यात्री निवासों, यात्रिकाओं और शयनकक्षों वाले पर्यटक गृहों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम मद्रास से तिरुपति तक प्रतिदिन आयोजित यात्राएं (टूअर) परिचालित करता है। इसमें बालाजी मन्दिर और मंगपुरम स्थित लक्ष्मी मन्दिर के दर्शन कराए जाते हैं।

कोचीन के निकट नया हवाई अड्डा

4643. श्री पी० सी० थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगह की कमी होने के कारण कोचीन के निकट नया हवाई अड्डा स्थानांतरित करने अथवा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भूमि उपलब्ध न होने और परियोजना की बहुत ऊंची लागत दोनों के कारण कोचीन के निकट नए हवाई अड्डे का निर्माण व्यवहार्य नहीं है।

मेजिया तथा चमेरा विद्युत परियोजनाओं पर अनुमान से अधिक लागत

46 4. श्री माण्ये गोवर्धन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेजिया ताप विद्युत परियोजना और चमेरा पनबिजली परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत कितनी-कितनी है;

(ख) क्या इन पर अनुमान से कुछ अधिक लागत आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को संशोधित लागत अनुमानों पर चालू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ)

क. मेजिया ताप विद्युत परियोजना

दामोदर घाटी निगम की मेजिया ताप विद्युत परियोजना (3 × 210 मेगा०) की संशोधित अनुमानित लागत (अगस्त, 89 के आधार पर) 1134.00 करोड़ रुपये है। 566.00 करोड़ रुपये (मार्च, 86 के आधार पर) की मूल अनुमानित लागत से यह लागत की राशि 568.00 करोड़ रुपये अधिक है। लागत में वृद्धि का ब्यौरा निम्नवत है;

		(करोड़ रुपये)
1.	अभिवृद्धि	384.10
2.	कार्यक्षेत्र में परिवर्तन	92.14
3.	कार्य की मात्रा में वृद्धि	69.61
4.	नई मदें	22.15
	जोड़ :	568.00

परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड और आर्थिक कार्य सम्बन्धी मंत्रिमण्डलीय समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

ख. चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-I

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की चमेरा जल-विद्युत परियोजना चरण-I (3 × 180 मेगावाट) की संशोधित अनुमानित लागत 1743.16 करोड़ रुपये (मार्च, 91 के मूल्य स्तर पर) है। लागत की

राशि में हुई वृद्धि की मात्रा 933.87 करोड़ रुपये है। लागत में वृद्धि का ब्योरा निम्नवत् है :—

		करोड़ रुपये
1.	अभिवृद्धि	293.50
2.	कार्यक्षेत्र में परिवर्तन	111.01
3.	सांविधिक भिन्नता	114.02
4.	नई मदें	136.37
5.	निर्माण के दौरान ब्याज	308.97
	जोड़ :	933.87

परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड और आर्थिक कार्य सम्बन्धी मंत्रिमण्डलीय समिति की स्वीकृति अपेक्षित है ।

उर्वरक एककों को सप्लाई की जाने वाली प्राकृतिक गैस का मूल्य

4645. श्री उद्धव बर्मन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उर्वरक एककों को सप्लाई की जाने वाली प्रति हजार वर्ग मीटर प्राकृतिक गैस का राज्यवार मूल्य क्या है; और

(ख) मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) प्राकृतिक गैस की कीमतें 30-1-1987 से निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं :—

(2) स्थलावतरण बिन्दु पर अपतट एवं तटवर्ती गैस मार्ग में	1400 रु०/1000 एम³
(2) एचबीजे पाइपलाइन से/बेची गई गैस	2250 रु०/1000 एम³
(3) प्रत्येक मामले में 500 रु0/1000 एम³ तक छूट के प्रावधान के साथ उत्तर पूर्व राज्यों में गैस बेची ।	1000 रु०/1000 एम³

(ख) क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर उत्तर पूर्वी राज्यों को दी गई छूट के कारण, असम में लागत कम आती है। वास्तविक मूल्यों में परिवहन लागत, स्थानीय कर आदि के कारण परिवर्तन होते हैं ।

लंका-चन्दरपुर रेल लाइन

4646. श्री उद्धव बर्मन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में लामडिंग से बदरपुर तक की वर्तमान रेल लाइन के स्थान पर लंका से बदरपुर तक एक वैकल्पिक रेल लाइन बिछाने की संभावना का पता लगाने के लिए दो बार सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इस रेल लाइन का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। तथापि, जाबी रोड से बदरपुर और लंका से सिलचर तक नयी रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) संसाधनों की तंगी।

धलेश्वरी पन बिजली परियोजना

4647. श्री उद्धव बर्मन :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धलेश्वरी पनबिजली परियोजना (भैरवी) इस समय किस चरण में हैं; और

(ख) इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) मिजोरम की धलेश्वरी (बैराबी) जल विद्युत परियोजना पर पूर्व में एक बहु उद्देशीय परियोजना के रूप मे विचार किया गया था तथा अक्तूबर, 1988 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना के विद्युत उत्पादन संबंधी घटक को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी बशर्ते, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना की लागत को केवल 60% राशि विद्युत उत्पादन के लिये आवंटित की जाये। मिजोरम सरकार ने अब यह अनुरोध किया है कि पूर्णत: जल विद्युत परियोजना के रूप मे जिसकी पूरी लागत विद्युत उत्पादन के लिये प्रभार्य हो, स्वीकृति किये जाने के लिए इस परियोजना पर पुन: विचार किया जाये। विद्युत उत्पादन की उच्च लागत और काफी भू-क्षेत्र जलमग्न हो जाने को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम से यह अनुरोध किया गया है कि इस परियोजना को पूर्णत: जल विद्युत परियोजना की तकनीकी आर्थिक संबंधी व्यवहार्यता की पुन: जांच करें।

इन्डियन एयरलाइन्स में रिक्त पद

4648. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय सफदरजंग हवाई अड्डा, नयी दिल्ली

में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित लोडर, हैल्पर और चपरासियों के अनेक पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित क्रमश: 12 और 5 पद खाली पड़े हैं। इनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं—

	अनु० जाति के लिए रिक्तियां	अनु० जनजाति के लिए रिक्तियां
चपरासी	2	—
भारक	6	2
हैल्पर	4	3
कुल :	12	5

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई चल रही है।

रेल टिकट निरीक्षकों का स्थानांतरण

4649. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल टिकट निरीक्षकों की स्थानांतरण नीति और उनके नाम स्थानांतरण के लिए पंजीकरण करने सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें कोई कारण दिये बिना पंजीकरण नहीं किया गया था और स्थानांतरण के इच्छुक सभी रेल टिकट निरीक्षकों के नाम पंजीकृत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चल टिकट परीक्षक संवेदनशील पदों पर काम करते हैं और वे बार-बार जनता और/अथवा ठेकेदारों/सप्लायरों के संपर्क में आते रहते हैं। उन्हें हर चार वर्ष के बाद स्थानांतरित करना होता है। इसके अलावा कदाचारों में लिप्त पाए गए चल टिकट परीक्षकों को अन्तर्मण्डलीय स्थानांतरणों पर भी भेजा जाता है।

पंजीकरण की प्राथमिकता के आधार पर उसी रेलवे के निकटवर्ती मंडलों अथवा अन्य रेलवे पर स्थानांतरण के अनुरोधों (केवल भर्ती ग्रेड में) पर भी विचार किया जाता है, बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक हो। इसके अलावा जहां कहीं अव-

हारिक होता है वहां पारस्परिक स्थानांतरणों पर भी विचार किया जाता है ।

(ख) कदाचार के सिद्ध मामलों में स्थानांतरण के अनुरोधों को दर्ज नहीं किया जाता है ।

राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना

4650. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और वास्तव में खर्च की गई;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किए गए बायो-गैस संयंत्रों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सामुदायिक बायो-गैस संयंत्रों के कार्यकरण का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) संशोधित बजट नियतन तथा किया गया वास्तविक व्यय क्रमश: 56.03 करोड़ रुपये और 56.44 करोड़ रुपये थे ।

(ख) राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना के अंतर्गत 1.65 लाख से अधिक बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त 700 से अधिक सामुदायिक संस्थागत बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं । राष्ट्रीय बायो-गैस परियोजना के अन्तर्गत बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई श्रेणियां नहीं हैं ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 10 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना के 5000 से अधिक बायो-गैस संयंत्रों में से लगभग 79 प्रतिशत संयंत्र कार्यशील पाए गए । एक मूल्यांकन से पता चला है कि कुल मिलाकर सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस भी संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं ।

आंध्र प्रदेश के अजीत सिंह नगर में बायो-गैस संयंत्र

4651. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जिले के अजीत सिंह नगर में बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संयंत्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस समय यह योजना किस चरण में है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मल जल गैस उपयोग प्रणाली स्थापित करने के लिए विजयवाड़ा नगर निगम के एक प्रस्ताव पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग मार्च, 1987 में सहमत हुआ था। परियोजना की अनुमानित लागत 28 लाख रुपये थी और अपारम्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग 19.6 लाख रुपये का अंशदान सहायता अनुदान के रूप में देने के लिये सहमत हो गया था। जनवरी, 1990 में परियोजना की लागत को संशोधित करके 46 लाख रुपये किया गया था जिसमें 25 लाख रुपये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग का अनुमान भी शामिल था। नगर निगम ने फिर भी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी कर दी और परियोजना परिव्यय तथा सहायता अनुदान में और भी आगे वृद्धि की मांग की। अपारंपिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया और विभाग को अपना सहायता अनुदान वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा।

मनुगुरू स्थित सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की सप्लाई

4652. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 तक आगामी वर्षों में कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने मनुगुरू में प्रस्तावित सुपर ताप विद्युत केन्द्र को मनुगुरू कोयला क्षेत्रों से कोयले की सप्लाई की संभावना पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) वर्तमान प्रक्षेपण के अनुसार वर्ष 1991-92 से वर्ष 1994-95 की अवधि के दौरान देश में कोयले का उत्पादन निम्नलिखित रूप में होने की संभावना है :

(मिलियन टन में)

	91-92 (लक्ष्य)	92-93 (प्रक्षिप्त)	93-94 (प्रक्षिप्त)	94-95 (प्रक्षिप्त)
को० इं० लि०	203.00	214.56	230.24	247.00
सिं० को० कं० लि०	20.50	24.50	27.00	30.50
अन्य	4.05	4.90	5.00	5.10
अखिल भारतीय	228.00	243.96	262.24	282.60

मनुगुरु सुपर तापीय विद्युत गृह को एक पिटहैड विद्युत गृह के रूप में प्रस्तावित किया गया है, मनुगुरु खानों में उपलब्ध कोयले के भंडारों को पहले ही वचनबद्ध कर दिया गया है। इसमें एक पिटहैड विद्युत गृह को वहन करने की क्षमता नहीं है :

बिजली शुल्क

4653. **श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्याध्यक्ष समिति ने देश में एक समान बिजली शुल्क की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसकी सिफारिश पर कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) राज्याध्यक्ष समिति ने 1980 में यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय विद्युत को समग्र देश में राज्य बिजली बोर्डों को एक समान कीमत पर बेचा जाना चाहिए तथा जैसा कि राज्य बिजली बोर्डों के मामले में मानदण्ड के अनुसार न्यूनतम कार्य निष्पादन को प्राप्ति की शर्त की पूर्ति किए जाने पर लगाई गई पूंजी पर 15% लाभ अर्जित किए जाने के आधार कीमत का निर्धारित किया जाना चाहिए। श्री वी०बी० ईश्वरन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति ने भी नवम्बर, 1988 में भी इस मामले पर विवेकपूर्ण विचार-विमर्श किया था, परन्तु समिति के इस दीर्घकालिक विचार-विमर्श के बाद भी एक समान टैरिफ के मामले में आम सहमति नहीं हो पाई क्योंकि विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग विचार प्रकट किए गए थे। केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत की बिक्री हेतु एक समान टैरिफ लागू किए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम) को विद्युत की बिक्री हेतु टैरिफ का निर्धारण किये जाने के बारे में सिद्धांतों और मानदण्ड संबंधित पैरामीटरों का निर्धारण किये जाने के लिये के० पी० राव समिति (जून, 1990) को सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र की प्रचालानात्मक स्थिति और विद्युत उत्पादन को सीमांत लागत के आधार पर सीमांत कीमत के हित में राज्यों को विद्युत की बिक्री के लिए केन्द्रवार टू पार्ट टैरिफ 1 अप्रैल, 1991 से लागू की जाए।

कोयला खान क्षेत्रों में वनरोपण परियोजना

4654. **श्री पीयूष तीरकी :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने अपने विभिन्न कोयला खान क्षेत्रों में वन रोपण परियोजनाएं आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस मद में कोयला खानवार, वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने अपनी कोयलरियों में वन रोपण का कार्य शुरू किया है। वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने निम्नलिखित रूप में पौधारोपण किया है :

1988	1989	1990
6,57,881	11,54,604	16,68,002

(ग) वर्ष 1988, 1989 एवं 1990 के दौरान किए गये व्यय का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) वृक्षारोपण पर किया गया व्यय : (राशि रु० में)

क्र० सं० क्षेत्र का नाम	वर्ष 88 के दौरान किया गया व्यय	वर्ष 89 के दौरान किया गया व्यय	वर्ष 90 के दौरान किया गया व्यय
1. नार्थ कर्णपुरा	3,97,811	8,55,946	26,07,754
2. कुजू	3,29,730	4,12,564	—
3. राजरप्पा	5,22,000	2,48,705	12,45,026
4. कारगली	1,30,500	1,31,029	—
5. कठारा	2,33,334	8,07,257	22,95,113
6 ढोरी	1,71,775	1,33,557	87,529
7. बरकाकाना	2,39,350	6,30,418	7,81,633
8. हजारीबाग	1,72,[illegible]21	2,10,631	—
9. अरगदा	3,04,500	4,28,066	7,50,214
10. सी० डब्लू० एस० बरकाकाना	44,065	47,197	—
11. अशोक	2,61,000	3,67,230	—
12. गिरीडीह	1,74,000	21,750	6,31,421
जोड़	29,80,586	42,94,350	83,95,689

(ख) पौधारोपण :

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	वर्ष 88 में किया गया पौधारोपण	वर्ष 89 में किया गया पौधारोपण	वर्ष 90 के दौरान किया गया पौधारोपण
1.	नार्थ कर्णपुरा	91,451	1,80,000	3,00,000
2.	कुजू	75,800	72,800	-
3.	राजरप्पा	1,20,000	1,50,000	3,00,000
4.	कारगली	30,000	45,000	
5.	कठारा	53,640	2,55,000	7,87,371
6.	ढोरी	39,500	20,000	8,200
7.	बरकाकाना	55,000	1,58,500	82,431
8.	हजारीबाग	39,660	41,954	—
9.	बरगडा	70,000	1,45,500	1,00,000
10.	सी०डब्ल्यू०एस० बरकाकाना	10,130	10,850	—
11.	मुख्या० और सेन्ट्रल अस्पताल, नई सराय	8,700*	—	—
12.	अशोक	60,000	70,000	—
13.	गिरीडीह	4,000	5,000	90,000
	जोड़	6,57,881	11,54,604	16,68,002

*विभागीय रूप में किया गया कार्य।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में ट्रांसपोर्ट कंपनियां

[हिन्दी]

4655. श्री पीयूष तीरकी :

क्या कोयला मंत्री सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० परिवहन कंपनियों के बारे में 15 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8793 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या ट्रांसपोर्ट कंपनियों को ढुलाई के ठेके दिए जाने में अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनपर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसके फलस्वरूप गत पांच वर्षों के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० को कितना नुकसान हुआ है ?

कोयला मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस सिलिंडर का मूल्य

[अनुवाद]

4656. श्री के० बोवका राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस का सिलिंडर अलग अलग शहरों, विशेष रूप से मुंबई तथा हैदराबाद में अलग अलग दरों पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी स्थानों पर रसोई गैस सिलिंडरों का समान मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) यद्यपि भंडारण स्थल पर एल०पी०जी० का मूल्य समान रहता है तथापि भाड़ा, स्थानीय अधिभारों आदि में विभिन्नता की वजह से सिलिंडरों का खुदरा मूल्य में भिन्नता होती है।

पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी सम्मेलन

4657. श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वर्ष 1990 और 1990-91 (जनवरी-जून) के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में आयोजित किये जाने वाले सम्मेलन को रद्द/स्थगित कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है औरा इसके क्या कारण थे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) विश्व पर्यटन संगठन के तत्वावधान में पर्यटन विभाग 28 से 31 जनवरी, 1991 तक नई दिल्ली में युवा पर्यटन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने वाला था। तथापि, खाड़ी क्षेत्र में युद्ध होने के कारण और विश्व पर्यटन संगठन की सलाह पर विभाग को यह सम्मेलन स्थगित करना पड़ा।

एयर इण्डिया द्वारा खरीदे गए विमानों के इन्जनों की जांच

4658. श्री एन० डेनिस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इन्डिया द्वारा खरीदे गए विमानों के इंजनों की जांच करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : एयर इंडिया द्वारा खरीदे जा रहे बोइंग 747-400 विमानों के लिए इंजनों के चयन की समीक्षा करने और रिपोर्ट करने के लिये सरकार ने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डा० वी०एस० अरुणाचलम और सचिव रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, रक्षामंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

नागरकोइल में प्रशिक्षण परिसर

4659. श्री एन० डेनिस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में नागरकोइल में रेल प्रशिक्षण परिसर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बायो-गैस संयंत्र

[हिन्दी]

4660. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना के तहत 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित पारिवारिक आकार के बायो-गैस संयंत्रों की जिलावार संख्या

जिला	संयंत्रों की संख्या	
	लक्ष्य	स्थापित
1	2	3
सहारनपुर	315	1042
मुजफ्फरनगर	380	381
मेरठ	535	536
बुलन्द शहर	440	444
गाजियाबाद	315	321
हरिद्वार	160	160
अलीगढ़	375	375
मथुरा	100	100
आगरा	145	146
मैनपुरी	145	145
एटा	230	230
फिरोजाबाद	100	100
बरेली	315	318
बदायूं	440	440
शाहजहांपुर	350	352
पीलीभीत	125	125
मुरादाबाद	440	441
बिजनौर	375	3 [illegible] 7
रामपुर	250	250
फरुखाबाद	250	250
इटावा	375	385
कानपुर (देहात)	500	501

1	2	3
कानपुर (शहरी)	75	77
फतेहपुर	250	253
इलाहाबाद	440	441
प्रतापगढ़	250	250
झांसी	65	69
जालौन	95	95
हमीरपुर	95	95
बान्दा	95	95
ललितपुर	65	65
मिर्जापुर	125	125
वाराणसी	500	501
जौनपुर	360	361
गाजीपुर	440	440
बलिया	215	217
सोनभद्र	40	40
गोरखपुर	365	365
देवरिया	315	315
बस्ती	190	190
आजमगढ़	200	202
मऊ	95	96
सिद्धार्थ नगर	105	105
महाराजगंज	75	94
फैजाबाद	250	209
गोंडा	315	368
बहराइच	250	251
सुलतानपुर	315	315
बाराबंकी	225	231

1	2	3
लखनऊ	190	190
उन्नाव	315	319
रायबरेली	440	441
सोनपुर	375	376
खीरी	315	315
हरदोई	375	375
नैनीताल	250	250
पिथौरागढ़	30	30
अल्मोड़ा	30	30
गढ़वाल	30	54
टिहरी गढ़वाल	30	30
उत्तरकाशी	25	22
चमोली	25	25
देहरादून	100	104

गोरखपुर के लिए विमान सेवा

4661. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नियमित विमान सेवाओं से गोरखपुर को जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित उड़ानों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयर-लाइन्स दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली मार्ग पर सप्ताह में दो बार बी-737 सेवा का परिचालन कर रही है।

न्यू माडल कालोनी, इज्जतनगर में दुकानें

4662. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने डिविजन रेलवे कार्यालय, इज्जतनगर के अन्तर्गत न्यू माडल कालोनी,

इज्जतनगर में कुछ दुकानों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुकानों का निर्माण कब किया गया; और

(घ) इनसे प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त हो रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 9 मीटर×3.85 मीटर माप की आठ पक्की दुकानों का निर्माण 1959 में किया गया था।

(घ) 11520 रुपये।

इज्जतनगर में स्लीपर कारखाना

4663. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इज्जतनगर बरेली, में रेलवे स्लीपर निर्माण करने वाला कोई कारखाना है;

(ख) क्या सरकार ने इस कारखाने को बंद कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें कार्य कर रहे कामगारों के भाग्य का क्या हुआ ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इज्जतनगर के निकट कलट्टर-बक गंज (बरेली) में एक क्रिओसोटिंग (प्रकाष्ठ स्लीपर अभिक्रिया) संयंत्र था जिसे नरम लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग कम हो जाने के कारण बंद कर दिया गया है। सभी रेल कर्मचारियों को पूर्वोत्तर रेलवे पर वैकल्पिक पदों पर समाहित कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें

4664. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में अब तक आवंटित रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों की जिला-वार संख्या कितनी-कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : 1.4.91 के अनुसार मध्य प्रदेश में 2·4 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 869 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें थी।

मध्य प्रदेश में बायो-गैस संयंत्र

4665. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए गए और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितने संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : मध्य प्रदेश में सातवीं योजना के दौरान 22,000 से अधिक पारिवारिक आकार के और 53 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। आठवीं योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मध्य प्रदेश में तेल के भण्डार

4666. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गत वर्ष सर्वेक्षण के दौरान तेल के भण्डार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर मिले हैं और खुदाई का काम कब से शुरू होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नये रेलवे स्टेशनों की स्थापना

4667. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से जुलाई 1991 तक डिवीजन-वार ऐसे कितने नए रेलवे स्टेशन स्थापित किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने स्टेशनों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने औद्योगिक यूनिटों को रेलवे स्टेशनों से जोड़ा गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) :

रेलवे	मंडल	स्थापित/खोले गए स्टेशनों की संख्या	जोड़
1	2	3	4
मध्य	बम्बई	2	
	भुसावल	1	

1	2	3	4
	झांसी	1	
	शोलापुर	1	
	नागपुर	1	
	जबलपुर	3	9
पूर्व	सियालदह	5	
	मालदा	1	
	दानापुर	1	7
उत्तर	अम्बाला	3	
	इलाहाबाद	1	4
पूर्वोत्तर	लखनऊ	1	
	वाराणसी	1	
	समस्तीपुर	2	4
पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार	8	
	अलीपुरद्वार	1	9
दक्षिण	मद्रास	2	
	तिरुवनन्तपुरम	1	
	मैसूर	6	9
दक्षिण मध्य	विजयवाडा	5	
	सिकन्दराबाद	5	10
दक्षिण पूर्व	आद्रा	2	
	बिलासपुर	2	
	खोरधा रोड	4	
	वाल्तेर	2	
	चक्रधरपुर	1	
	खड़गपुर	1	
	नागपुर	3	15
पश्चिम	राजकोट	1	
	कोटा	2	
	अजमेर	13	16

(ग) बीस 1

अलाभकारी (वायु) मार्गों पर वायुदूत सेवाओं का रद्द किया जाना

[अनुवाद]

4668. श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अलाभकारी (वायु) मार्गों पर वायुदूत सेवायें रद्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन (वायु) मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत ने 1989-90 और 1990-91 के दौरान 54 स्टेशनों के लिए जिनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है अपनी सेवाएं बन्द कर दी हैं। इस समय यह 42 स्टेशनों पर परिचालन कर रहा है।

विवरण

उत्तरी क्षेत्र

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू
2. राजौरी

उत्तर प्रदेश

3. इलाहाबाद
4. आगरा
5. वाराणसी

पंजाब

6. भटिण्डा

राजस्थान

7. कोटा
8. जयपुर

मध्य प्रदेश

9. जबलपुर
10. खजुराहो
11. रीवा
12. भोपाल
13. गुना
14. बिलासपुर
15. रायपुर
16. सतना
17. जगदलपुर
18. इन्दौर

पूर्वी क्षेत्र

त्रिपुरा

19. कमालपुर

अरुणाचल प्रदेश

20. जैरो
21. दपारिजो
22. एलोंग
23. पासीघाट

24. तेजू

पश्चिम बंगाल

25. माल्दा

बिहार

26. गया

27. धनबाद

28. पटना

29. रांची

उड़ीसा

30. भुवनेश्वर

31. जैपोर

32. राउरकेला

मणिपुर

33. इम्फाल

नागालैंड

34. दोमापुर

दक्षिणी क्षेत्र

आंध्र प्रदेश

35. कुडुप्पा

36. रामागुन्डम

37. विशाखापत्तनम्

कर्नाटक

38. वेल्लारी

39. मैसूर

40 हुबली

तमिलनाडु

41. तन्जावूर

42. नेवेल्ली

43. त्रिचुरापल्ली

44. मदुरै

केरल

45. कालीकट

संघ शासित

पांडिचेरी

46. पांडिचेरी

पश्चिमी क्षेत्र

गुजरात

47. दोसा

महाराष्ट्र

48. रत्नागिरी

49. सोलापुर

50. ओस्मानाबाद

51. नागपुर

52. अकोला

53. नांदेड़

संघ शासित

दमन और द्वीव

54. दमन

हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना का कार्यकरण

4669. श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री रमेश चन्द तोमर :

श्री दत्तात्रेय बंडारु :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी 1990 की रिपोर्ट संख्या 9 (वाणिज्यिक) में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के कार्यकरण पर विपरीत टिप्पणी की है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में उठाये गये मुद्दों पर सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी० ए० जी०) ने अपनी रिपोर्ट में एच० बी० जे० पाइपलाइन के उपलब्ध सम्भाव्य क्षमता से कम उपयोग, गेल को हुई राजस्व की हानि, एल० पी० जी० तथा सी$_2$ सी$_3$ निष्कर्षण परियोजनाओं की स्थापना में हुए विलम्ब तथा तीन उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में हुए विलंब पर टिप्पणी की है।

उठाये गये अन्य उपचारी कदमों में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ गैस सप्लाई संविदा पर तीन विलम्बित उर्वरक यूनिटों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना, विजयपुर में एल० पी० जी० निष्कर्षण संयंत्र को आरम्भ करना तथा पाइप लाइन से सी$_2$ सी$_3$ पर आधारित औरैया में संघटित पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए गेल की परियोजना को जल्दी पूरा करना शामिल है।

बायो-गैस संयंत्रों की लागत

4670. श्री पी० एम० सईद :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलर कुकर रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने पर कितनी लागत आती है और उन्नत चूल्हे का मूल्य क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) घरेलू सौर कुकर के लिए 150/-रुपये या उसकी लागत का एक तिहाई हिस्सा इनमें जो भी कम हो, केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्राप्त है। सामुदायिक सौर कुकरों के लिए उसकी लागत का एक-तिहाई हिस्सा या 1050/-रु० इनमें जो भी कम हो, केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्राप्त है।

(ग) एक घनमीटर से 6 घनमीटर तक की क्षमता के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर लगभग 5,400/-रुपए से लेकर लगभग 14,200/-रुपए लागत आती है जो संयंत्र के आकार, स्थान तथा मॉडल पर निर्भर होती है। आकारों और माडलों के आधार पर स्थिर प्रकार के उन्नत चूल्हे की लागत लगभग 25/-रु० से लेकर लगभग 105/-रु० तक और सफरी प्रकार के उन्नत चूल्हे की लागत करीबन 60/-रु० से लगभग 165/-रुपए तक होती है।

लक्षद्वीप में पर्यटन का विकास

4671. श्री पी० एम० सईद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को पर्यटन का भरपूर विकास करने वाले स्रोतों का दोहन करने हेतु सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को उन संसाधनों का दोहन करने में मदद की जा रही है जिनमें पर्यटन के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। 1991-92 के दौरान एक परिभ्रमण नौका (क्रूजिंग बोट) जलक्रीड़ा उपस्कर और एक मछली पकड़ने की नौका (फिशिंग बोट) की खरीद के लिए धन निर्धारित किया गया है।

आगरा में विदेशी पर्यटकों के वाणिज्यिक मेले का आयोजन

[हिन्दी]

4672. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने और विदेशी पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगरा में एक स्थायी वाणिज्यिक मेला आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगरा में पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं चूंकि आगरा में विदेशी

पर्यटकों को दस्तकारी और अन्य स्मृति चिह्न संबंधी वस्तुएं बेचना एक सामान्य बात है, इसलिए वहां पर एक स्थायी व्यापार मेला आयोजित करने की जरूरत अनुभव नहीं की गई है।

कोल इंडिया लि० को घाटा

[अनुवाद]

4673. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री रमेश चन्द तोमर :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान कोल इंडिया लि० को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का घाटा हुआ है और इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में संघ सरकार का क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि० के वर्ष 1990-91 के लेखे अन्तिम प्रक्रिया के अधीन हैं। कोल इंडिया लि० के अनुसार को० इं० लि० में घाटे का मुख्य कारण कोयले की निर्धारण कीमत में वृद्धि किए जाने के कारण विलम्ब का होना है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न आगतों जैसे मजदूरी, विद्युत, ईंधन, विस्फोटक, पूंजी आदि की लागत में हुई वृद्धि को कीमतें पूर्ण रूप से पूरा नहीं करती हैं। फालतू श्रमशक्ति और कम उत्पादकता का भी घाटे में योगदान रहा है।

(ग) कोल इंडिया लि० में घाटे को रोके जाने तथा इसकी कार्य क्षमता मे वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं :—

(1) भूमिगत खानों पर विशेष बल देते हुए उनके उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना।

(2) पर्याप्त वर्कशाप सहायता मुहैया करके, कलपुर्जों के सुधरे प्रबंधन तथा उपकरणों के सामयिक नियोजन द्वारा उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार किया जाना।

(3) अतिरिक्त कामगारों को पुन: नियोजित करके श्रमशक्ति आयोजन में सुधार तथा प्राकृतिक अपशिष्टता के कारण हुई रिक्तियों पर नए कामगारों का नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना।

(4) विस्फोटक क्षमता, विद्युत संबंधी मुद्दे तथा सुधारात्मक सूची नियंत्रण में सुधार करके अतिरिक्त कलपुर्जों तथा विभिन्न अन्य आगतों के प्रयोग में मितव्ययता लाना।

(5) लागत में कमी संबंधी उपायों की निगरानी में सुधार करना।

(6) बड़े उपभोक्ताओं जैसे राज्यों के बिजली बोर्डों की ओर बकाया कुल देय राशि में कमी

तथा उनकी बेहतर वसूली।

(7) परिचालन क्षमता में सुधार लाए जाने के लिए सुधार की गई प्रणालियां तथा प्रबंधन उपायों को अंगीकार करना।

(8) उत्पादकता में सुधार लाए जाने के लिए विद्यमान खानों को पुनर्गठन करना।

कोंकण रेल परियोजना

4674. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री सुधीर सावंत :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चारों राज्यों में जोर-शोर से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोंकण रेलवे लाइन तीन राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। इन सभी तीनों राज्यों में भूमि के अधिग्रहण का कार्य पूरे जोरों पर है।

(ख) इन तीनों राज्यों में पड़ने वाले संरेखण की कुल लम्बाई इस प्रकार है :—

महाराष्ट्र	...	382 कि० मी०
गोवा	...	10[illegible] कि० मी०
कर्नाटक	...	273 कि० मी०

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है और समूची लम्बाई में ये कार्य विभिन्न चरणों में हैं।

इस बीच, निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए, प्रत्येक राज्य में सहमति पत्रों के आधार पर भूमि कब्जे में ली गयी है जो इस प्रकार हैं :—

महाराष्ट्र	...	117 कि० मी०
गोवा	...	6 कि० मी०
कर्नाटक	...	62 कि० मी०

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) अधिकाधिक कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाते हैं, जिन्हें सूचित कर दिया गया है कि वे यथा संभव स्थानीय कामगारों को काम पर लगाएं।

दिल्ली में जे० जे० कालोनियों को बिजली की आपूर्ति

4675. श्री मदन लाल खुराना :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1991 के दैनिक समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित शीर्षक "डेसू कट ऑफ पावर इन टवेल्व जे० जे० कोलोनीज" की तरफ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इन कालोनियों की सड़कों पर पर्याप्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा संबंधित कोलोनाइजिंग एजेंसियों अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन आदि की ओर से प्रतिष्ठापना संबंधी लागत के शतप्रतिशत भुगतान और निर्धारित अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान आधार पर सड़क रोशनी की व्यवस्था की जानी है और इसकी देख रेख की जाती है। डेसू ने कथित समाचार में उल्लिखित 12 जे० जे० कालोनियों में सड़क रोशनी हेतु विद्युत सप्लाई बन्द कर दी है ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा ओवर हैड विद्युत लाइनों से सीधे बिजली लेकर विद्युत की चोरी किए जाने को रोका जा सके। विद्युत की चोरी और इसके दुरुपयोग की रोकथाम हेतु डेसू द्वारा सतत रूप से चलाए जा रहे अभियान के तहत, डेसू द्वारा 1.4.91 से 22.8.91 तक विद्युत की चोरी के 19837 मामलों का पता लगाया गया है। इसके अलावा, प्रतिबंधित घंटों के दौरान एयर-कंडीशनर, नियोन साइन के उपयोग, विद्युत के दुरुपयोग एवं व्यस्ततमकालीन लोड संबंधी उल्लंघनों से संबंधित दिल्ली बिजली नियंत्रण आदेश के उल्लंघनों के भी 3840 मामले दर्ज किए गए थे। इस अवधि के दौरान 314 प्रथम सूचना रिपोर्टें भी दर्ज कराई गई थीं।

रती का नगला स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था करना

[हिन्दी]

4676. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ जिले में रती का नगला स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर बिजली की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई/और करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) किसी स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था करने के संबंध में तभी विचार किया जाता है जब स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत बिजली सप्लाई उपलब्ध हो और स्टेशन पर रात्रि में कम से कम एक जोड़ी गाड़ियां ठहरती

हों। रतो-का नगला स्टेशन पर बिजली की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता है।

प्रसंग में बराईग्राम जंक्शन से दुल्लभचेरा तक चलने वाली गाड़ी को स्थगित करना

[अनुवाद]

4677. श्री द्वारका नाथ दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमगंज, शाखा लाइन पर बराईग्राम जंक्शन से दुल्लभचेरा तक चलने वाली गाड़ी को अप्रैल, 1991 में आई भारी बाढ़ के कारण स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलगाड़ी को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 30.9.91 तक पुनः चलाये जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में पर्यटन विकास

4678. प्रो० अशोक आनन्द राव देशमुख :

श्री गोबिन्दराव निकम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार का पर्यटन विकास संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार से लाटूर में एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह केन्द्र सरकार को भूमि की अंतरणीयता प्रमाणित करे जो कि धन जारी करने हेतु एक पूर्वापेक्षा है। विभाग को महाराष्ट्र सरकार से ऐसा प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों का विकास

4679. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान तथा 30 जून, 1991 तक महाराष्ट्र में कितने विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों ने पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया;

(ख) इस राज्य में और अधिक पर्यटन स्थलों का विकास करके पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन विकास कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज्य को कुल कितनी धनराशि दी गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राज्य सरकार ने संगत आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये है।

(ख) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी पर्यटक स्थल का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेवारी हैं।

(ग) महाराष्ट्र में पर्यटन विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सरकार ने 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमश: 6.3 लाख रुपये और 142.61 लाख रुपये स्वीकृत किए है।

पौड़ी गढ़वाल और चमोली में रसोई गैस एजेंसियां

4680. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में उन कस्बों के क्या नाम हैं जहां रसोई गैस एजेंसियां उपलब्ध करा दी गई हैं और साथ ही सरकार 1991-92 के दौरान किन-किन स्थानों पर और रसोई गैस एजेंसियां उपलब्ध कराने की योजना बना रही है; और

(ख) क्या सरकार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर रसोई गैस एजेंसियां उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पौढ़ी, श्रीनगर, लैंसडाउन, कोटद्वार, कोलागढ़ तथा गोपेश्वर। वर्ष 1991-92 के दौरान इन जिलों में फिलहाल, अतिरिक्त एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने की कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

पौढ़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध

4681. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पौढ़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन जिलों में लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों के सेवान्त लाभ के मामले

4682. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में जोन-वार सेवान्त लाभ में कितने मामले निपटान हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं;

(ग) इन मामलों के इतने लम्बे समय तक लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अकोला के लिए विमान सेवा

[हिन्दी]

4683. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अकोला के लिये विमान सेवा स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अकोला में हवाई पट्टी की लम्बाई बढ़ाकर नियमित आधार पर इस सेवा की बहाली के लिए आठवीं योजना में कोई प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से सेवाएं रोक दी गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) अकोला की हवाई पट्टी डोर्नियर विमान के लिये उपयुक्त है। सेवाओं का रोका जाना हवाई पट्टी की अपर्याप्त लम्बाई के कारण नहीं है।

विदर्भ एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग

4684. श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

श्री मुकुल वासनिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ एक्सप्रेस (नागपुर-मुम्बई-नागपुर) को प्रतिदिन चलाने की मांग काफी समय पहले से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इसकी जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य संबंधी समिति

[अनुवाद]

4685. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की पिछली बार कब समीक्षा की गई थी;

(ख) क्या इस मामले की जांच के लिए एक समीक्षा समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) रॉयल्टी की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण देशी कच्चे तेल की कीमतों को हाल में संशोधित किया गया था। पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को 25-7-1991 की प्रभावी तिथि से संशोधित किया गया था।

(ख) और (ग) सितम्बर, 1989 में स्थापित तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल में सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

मैसूर-चामराज नगर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4686. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैसूर-चामराज नगर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का विचार है;

(ख) क्या इसके लिए चालू वित्त वर्ष में कोई आवंटन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिरूर-तालगुप्पा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

4687. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरूर और तालगुप्पा बारास्ता शिमोगा के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की मांग की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मन्त्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) बेंगलूर-मिरज तथा इन क्षेत्रों में अन्य सम्बद्ध मीटर लाइन शाखा लाइनों के आमान परिवर्तन के साथ-साथ बिरूर-तालगुप्पा के आमान परिवर्तन के लिए 1984 में सर्वेक्षण किया गया था। यह परियोजना अलाभप्रद पाई गई थी। पुरजोर मांग पर सर्वेक्षण को 1989 में अद्यतन किया गया था और इसके बावजूद भी इसे अलाभप्रद पाया गया था और इसपर विचार नहीं किया जा सका था।

"स्लैक-वैक्स" का उत्पादन

[हिन्दी]

4688. श्री सूर्य नारायण सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने में 'स्लैक-वैक्स' के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने में मोम की फैक्टरियों के उद्यमियों के लिए "स्लैक-वैक्स" का कोटा इसकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार निर्धारित किया गया है और क्या ये मोम की फैक्टरियां अब आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखकर स्लैक वैक्स का आबंटन किया जा रहा है।

मऊ-आजमगढ़ में रेलवे विभाग की भूमि को पट्टे पर देना

4689. श्री राम बदन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मऊ-आजमगढ़ स्टेशन में रेलवे विभाग की भूमि को तेहबाजारी के आधार पर आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(घ) क्या इस प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अमिला स्टेशन यार्ड में 2080 वर्गमीटर तथा इन्दिरा रेलवे स्टेशन पर 1250 वर्गमीटर रेलवे भूखण्ड तहबाजारी के लिए लाइसेंस पर दिए गए हैं।

(ग) वर्तमान निति के अनुसार नई भूमि को तहबाजारी के लिए देने पर प्रतिबंध लगा है। पहले से लाइसेंस पर दी गयी भूमि का आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

4690. श्री राम बदन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेल कर्मचारियों को दी गयी चिकित्सा सुविधाओं के बारे में रेलवे अस्पतालों और चिकित्सा केन्द्रों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चिकित्सा सुविधाओं के बारे में अकबरपुर, शाहगंज और जौनपुर से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इन शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चिकित्सकों की कमी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग से 600 चिकित्सकों का एक नया पैनल प्राप्त हुआ है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद उनकी नियुक्ति की पेशकश की जाएगी। इस प्रकार चिकित्सकों की कमी पूरी हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में रेलवे अस्पताल

4691. श्री राम बदन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रेलवे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1990-91 के दौरान कितने

अस्पतालों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्य में मौजूदा अस्पतालों में इस समय कितने बिस्तरों की क्षमता है और इनमें कितने डाक्टर हैं; और

(ग) प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों द्वारा खरीदे जा रहे अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे अस्पताल	पलंग की सं०	डाक्टरों की सं०	उपलब्ध चिकित्सा उपकरण	खरीदे जाने वाले चिकित्सा उपकरण
1	2	3	4	5
1. झांसी	180	21	1. आधुनिक एक्सरे उपकरण 2. ई०सी०जी० 3. सेमी आटो एनालाइजर सहित प्रयोग शाला सुविधाएं 4. ट्रेडमिल टेलीमेट्री 5. गैस्ट्रो फोब्रेनोस्कोप 6. फिजियों थरेपी यूनिट	कोई नहीं
2. गोरखपुर	330	35	1. एक्सरे मशीन 2. ई०सी०जी० 3. दन्त एक्सरे 4. अल्ट्रा साउंड 5. थेराप्यूटिक उपकरण	कोई नहीं
3. इज्जत नगर	130	18	1. एक्सरे मशीन 2. ई० सी० जी० 3. दन्त एक्सरे 4. फ्लूरो फोटोग्राफिक कैमरा 5. थेराप्यूटिक उपकरण	कोई नही

1	2	3	4	5
4. लखनऊ	52	13	1. एक्सरे मशीन 2. ई सी जी 3. फ्लूरो फोटोग्राफिक कैमरा 4. थेराप्यूटिक उपकरण	कोई नहीं
5. गोंडा	70	13	1. ई सी जी 2. एक्सरे मशीन 3. थेराप्यूटिक उपकरण	कोई नहीं
6. वाराणसी	156	25	1. एक्सरे मशीन 2. ई सी जी 3. अल्ट्रा साउंड 4. फ्लूरो फोटोग्राफिक कैमरा 5. थेराप्यूटिक उपकरण	सीटी स्केन
7. डी०रे० का०	80	13	1. एक्सरे मशीन 2. ई सी जी 3. अल्ट्रा साउंड 4. फ्लूरो फोटोग्राफिक कैमरा 5. थेराप्यूटिक उपकरण	कोई नहीं
8. कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी	50	18	1. एक्सरे मशीन	कोई नहीं
9. इलाहाबाद	150	23	1. एक्सरे स्टेटिक और मोबाइल 2. दन्त एक्सरे यूनिट 3. फ्लूरो फोटोग्राफी एक्सरे यूनिट 4. ई सी जी 5. थेराप्यूटिक उपकरण	कोई नहीं
10. मुरादाबाद	115	19	1. एक्सरे स्टेटिक और मोबाइल	1. ओडेल्का कैमरा

1	2	3	4	5
			2. दन्त एक्सरे	2. कंप्यूटरीकृत डिफैब्रिलेटर
			3. फ्लूरो-फोटो एक्सरे यूनिट	3. 50 एम ए एक्सरे मोबाइल मशीन
			4. ई सी जी	4. इमेज इंटेसिफायर
			5. थेराप्यूटिक उपकरण	5. रैस्पिरेटर 6. बायलेस एपरेटस एम के-1
11. लखनऊ चारबाग	275	29	1. एक्सरे स्टेटिक और मोबाइल	कोई नहीं
			2. दन्त एक्सरे	
			3. फ्लूरो फोटो एक्सरे यूनिट	
			4. ई सी जी	
			5. थेराप्यूटिक उपकरण	
12. कानपुर	50	11	1. एक्सरे स्टैटिक और मोबाइल	कोई नहीं
			2. ई सी जी	
			3. थेराप्यूटिक उपकरण	
13. टूण्डला	75	7	1. एक्सरे स्टेटिक और मोबाइल	कोई नहीं
			2. ई सी जी	
			3. फ्लूरो फोटो एक्सरे यूनिट	
			4. थेराप्यूटिक उपकरण	
14. सहारनपुर	15	3	1. एक्सरे स्टेटिक	कोई नहीं
			2. ई सी जी	
			3. थेराप्यूटिक उपकरण	
15. मुगलसराय	159	17	1. एक्सरे मशीन	कोई नहीं
			2. ई सी जी —ट्रेड मिल	

1	2	3	4	5
			3. दंत यूनिट	
			4. ग्लूकोमीटर	
			5. प्रयोगशाला उपकरण	
16. झारीपा	58	1	1. ई सी जी	कोई नहीं
			2. थेराप्यूटिक उपकरण	

उत्तर प्रदेश में एक नये अस्पताल के बारे में 1990-91 के निर्माण कार्यक्रम में कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया था।

शिकारा स्टेशन के निकट रेल दुर्घटना

4692. मोहन लाल झिकराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 में दक्षिण-पूर्व छोटी रेल लाइन के शिकारा स्टेशन के निकट हुई रेल दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण थे और पीड़ितों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया तथा यह मुआवजा कब दिया गया;

(ग) क्या कुछ पीड़ितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया और यदि हां, तो ऐसे पीड़ितों की संख्या कितनी है तथा उन्हें अब तक मुआवजे का भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पीड़ितों को मुआवजा कब तक दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवत: आशय 26.2.89 को दक्षिण पूर्व रेलवे के नैनपुर-जबलपुर छोटी लाइन खण्ड पर शिकारा और सुकरीमगेला स्टेशनों के बीच 3 नैनपुर-हाऊबाग-जबलपुर पैसेंजर गाड़ी के पटरी से उतरने के बारे में है। इस दुर्घटना में 25 व्यक्ति मारे गए और 102 व्यक्तियों को चोटें आई।

(ख) पश्चिमी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त ने जांच की थी जिन्होंने दुर्घटना के निम्नलिखित कारण बताए हैं :—

(i) छोटी लाइन के सवारी डिब्बों की छत और दाहिनी ओर के फुट बोर्डों पर यात्रियों के अनियमित रूप से चढ़ जाने के कारण आई अस्थिरता।

(ii) मोड़ों पर बहुत अधिक रफ्तार।

15.4.91 को मृत्यु के 6 मामलों में और घायल होने के 4 मामलों में 7,60,000 रु० की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। और इस महीने के दौरान मृत्यु के 7 मामलों में 7 लाख रुपये के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) जी हां। रेल दावा अधिकरण/भोपाल के पास क्षतिपूर्ति के 83 आवेदन-पत्र निर्णय हेतु लम्बित हैं।

(घ) रेल दावा अधिकरण, भोपाल से निर्णय प्राप्त होते ही।

तमिलनाडु को रसोई गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

4693. श्री के० तुलसिरैया वान्डायार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में घरेलू तथा वाणिज्यिक दोनों प्रयोजनों के लिए उपभोक्ताओं को रसोई गैस की कितनी मात्रा सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु को रसोई गैस के आबंटन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1990-91 के दौरान तमिलनाडु में उपभोक्ताओं को दी गई डिब्बा बन्द घरेलू तथा गैर घरेलू (वाणिज्यिक एवं औद्योगिक) एल पी जी की मात्र लगभग 191.5 हजार मि० टन थी। इसके अतिरिक्त 1990-91 के दौरान तमिलनाडु में बल्क उपभोक्ताओं को लगभग 12.4 हजार मि० टन एल पी जी की आपूर्ति की गई थी।

(ख) से (घ) देश में किसी विशेष राज्य की एल पी जी की मांग का आंकलन उस राज्य में विद्यमान ग्राहकों तथा एक विशेष वर्ष में बनने वाले उन नए ग्राहकों की मांग के आधार पर किया जाता है जो वर्ष के दौरान एल पी जी की अनुमानित उपलब्धता पर निर्भर है,।

विमान कम्पनियों की क्षमता का उपयोग

[हिन्दी]

4694. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान घरेलू सेवाओं के लिए इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की कुल कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) मुख्य मार्गों और महानगरों से आरंभ होने वाली सेवाओं के लिए मार्ग-वार तथा सेवा-वार कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत सेवाओं में सभी स्थानों के लिए किराया समान है;

(घ) वैमानिकी ईंधन और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धि के परिणामस्वरूप

इन सेवाओं के किराये में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) क्या इन सेवाओं के लिए किराया दूरी अथवा सेवा मार्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है; और

(च) इस समय किराये पर लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रभारों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उपलब्ध कराई गई कुल क्षमता निम्न प्रकार है :—

(उपलब्ध सीट किलोमीटर)

	1989-90	1990-91
इंडियन एयरलाइंस	10650 मिलियन	8589 मिलियन
वायुदूत	3559 लाख	3055 लाख

(ख) मुख्य मार्गों के लिए इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा उपयोग की गई क्षमता और महानगरीय शहरों से प्रारंभ सेवाएं क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा साझे रूप से परिचालित क्षेत्रों पर किराये सामान्यत: एक जैसे ही हैं।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने विमानन टरबाईन ईंधन की कीमत में वृद्धि और विनिमय दर समायोजन के प्रभाव से निपटने के लिए विभिन्न विकल्प तैयार किये हैं, जिनमें से एक किराये में संशोधन करना है। इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) इण्डियन एयरलाइन्स का किराया ढांचा सेवाओं के मार्गों पर आधारित है। वायुदूत के मामले में सैक्टरों/मार्गों पर किराये, इसमें अन्तर्ग्रस्त दूरी और उस पर लागू टेपर के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं।

(च) विमानकम्पनियों को प्राप्त होने वाले किराये के अतिरिक्त अन्तर्देशीय यात्रा पर इस समय निम्नलिखित प्रभार लगाये जा रहे हैं :—

(1) प्रति यात्री 10/-रुपये की दर से यात्री सेवा शुल्क।

(2) कुल किराये पर 15% की दर से अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर।

विवरण-एक

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1989-90 और 1990-91 के दौरान महानगरों शहरों और से आरंभ होने वाले मुख्य मार्गों और सेवाओं पर क्षमता उपयोगिता

(सीट गुणक %)

क्र० सं०	उड़ान संख्या		मार्ग	1989-90	1990-91
1		2	3	4	5
1.	आई० सी०	103/104	बम्बई/अहमदाबाद	91.59	86.8
2.		105/106	बम्बई/बंगलोर	88.0	88.4
3.		107/108	बम्बई/बंगलोर	80.7	89.1
4.		113/114	बम्बई/अहमदाबाद	91.6	89.6
5.		117/118	बम्बई/हैदराबाद	76.9	79.5
6.		119/120	बम्बई/हैदराबाद	58.0	89.9
7.		149/150	बम्बई/मद्रास	87.4	91.1
8.		151/152	बम्बई/बंगलोर	88.4	81.2
9.		159/160	बम्बई/बंगलोर	90.7	85.0
10.		161/162	बम्बई/कोचीन	90.4	90.1
11.		163/164	बम्बई/गोवा	88.2	90.0
12.		167/168	दिल्ली/बम्बई/त्रिवेन्द्रम्	79.4	83.1
13.		169/170	बम्बई/गोवा	82.0	74.3
14.		171/172	बम्बई/मद्रास	83.3	86.7
15.		173/174	बम्बई/मद्रास	81.9	79.0
16.		175/176	बम्बई/कलकत्ता	81.1	77.0
17.		177/178	बम्बई/दिल्ली	79.0	72.5
18.		179/180	बम्बई/मंगलोर	85.0	78.5
19.		181/182	बम्बई/दिल्ली	81.4	85.6
20.		183/184	बम्बई/दिल्ली	76.1	81.2
21.		185/186	बम्बई/दिल्ली	82.6	80.4

1	2	3	4	5
22.	187/188	बम्बई/दिल्ली	76.7	71.2
23.	189/190	बम्बई/बड़ौदरा	76.8	84.3
24.	191/192	बम्बई/कोचीन	88.7	80.1
25.	197/198	बम्बई/कालीकट	82.1	81.0
26.	229/230	कलकत्ता/गुवाहाटी	85.6	84.9
27.	263/264	कलकत्ता/दिल्ली	82.7	84.0
28.	265/266	कलकत्ता/मद्रास	89.0	90.0
29.	271/272	कलकत्ता/बंगलौर	82.0	85.7
30.	273/274	कलकत्ता/बम्बई	85.1	82.3
31.	401/402	दिल्ली/कलकत्ता	84.2	85.7
32.	403/404	दिल्ली/बंगलौर	83.0	90.0
33.	405/406	दिल्ली/बम्बई	89.0	92.8
34.	425/426	दिल्ली/श्रीनगर	82.7	71.2
35.	427/428	दिल्ली/श्रीनगर	73.8	77.6
36.	435/436	दिल्ली/लखनऊ	76.0	68.8
37.	439/440	दिल्ली/हैदराबाद/मद्रास	77.0	84.7
38.	461/462	दिल्ली/अहमदाबाद	84.6	78.9
39.	505/506	मद्रास/बंगलौर	56.7	76.5
40.	509/510	मद्रास/बंगलौर	83.0	85.0
41.	511/512	मद्रास/बंगलौर	86.3	59.3
42.	513/514	मद्रास/बंगलौर	80.6	41.9
43.	515/516	बंगलौर,हैदराबाद	75.0	87.2
44.	539/540	मद्रास/दिल्ली	81.1	79.2
45.	567/568	हैदराबाद/दिल्ली	57.4	61.5
46.	593/594	मद्रास/बम्बई	58.8	77.8
47.	595/596	कोयम्बतूर/बम्बई	83.2	82.2

1	2	3	4	5
48.	601/602	बम्बई/बंगलौर	—	92.4
49.	603/604	बम्बई/हैदराबाद	55.7	89.8
50.	605/606	बम्बई/बंगलौर	78.4	81.4
51.	607/608	बम्बई/बंगलौर	—	86.6
52.	613/614	बम्बई/अहमदाबाद	90.2	76.5
53.	617/618	बम्बई/हैदराबाद	90.2	78.8
54.	619/620	बम्बई/हैदराबाद	78.6	76.7
55.	629/630	बम्बई/नागपुर	77.8	60.9
56.	663/664	बम्बई/गोवा	81.2	74.5
57.	669/670	बम्बई/गोवा	96.4	81.7
58.	671/672	बम्बई/मद्रास	—	83.4
59.	727/728	कलकत्ता/गुवाहाटी	—	77.4
60.	729/730	कलकत्ता/गुवाहाटी	—	72.7
61.	765/766	कलकत्ता/मद्रास	83.0	76.7
62.	771/772	कलकत्ता/बंगलौर	67.8	55.0
63.	805/806	दिल्ली/बम्बई	78.2	89.0
64.	807/808	दिल्ली/बम्बई	77.4	92.0
65.	839/840	दिल्ली/हैदराबाद	—	73.9
66.	861/862	दिल्ली/अहमदाबाद	60.8	96.0
67.	889/890	दिल्ली/गुवाहाटी	68.7	48.0
68.	915/916	बंगलौर/हैदराबाद	86.4	74.8
69.	917/918	मद्रास/हैदराबाद	73.9	69.8
70.	919/920	हैदराबाद/बम्बई	—	84.6
71.	927/928	हैदराबाद/बम्बई	—	69.6
72.	939/940	मद्रास/हैदराबाद	92.4	60.9
73.	597/598	कोचीन/बम्बई	—	70.5

विवरण-दो

वायुदूत द्वारा 989-90 के दौरान महानगरीय शहरों से आरंभ होने वाले मुख्य मार्गों और सेवाओं पर क्षमता उपयोगिता

क्र० सं०	मार्ग	सोट गुणक %
1	2	3
1.	दिल्ली-लुधियाना	60.8
2.	दिल्ली-देहरादून	62.4
3.	दिल्ली-चण्डीगढ़-कुल्लू	60.9
4.	दिल्ली-पंतनगर	56.2
5.	दिल्ली-कानपुर-लखनऊ	68.9
6.	दिल्ली-जयपुर-कोटा	54.5
7.	दिल्ली-चण्डीगढ़	71 5
8.	दिल्ली-इलाहाबाद-जबलपुर	37.8
9.	दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी	75.6
10.	दिल्ली-शिमला	81.9
*11.	शिमला-कुल्लू	79.8
12.	दिल्ली-जम्मू-राजोरी	62.8
13.	भोपाल-गुना-दिल्ली	28.7
*14.	भोपाल-बिलासपुर-रायपुर-जगदलपुर	60.6
*15.	भोपाल-जबलपुर-नागपुर-बिलासपुर-रायपुर	41.5
*16.	भोपाल-इन्दौर-जयपुर	43.1
17.	कलकत्ता-अगरतला-कमालपुर-कैलाशहर	75.7
18.	कलकत्ता-कूच बिहार	60.8
19.	कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर	58.9
20.	कलकत्ता-शिलांग-गुवाहाटी-सिल्चर	59.8

* महानगरीय शहरों से नहीं ।

1	2	3
21.	कलकत्ता-जमशेदपुर-कलकत्ता-जमशेदपुर-पटना	48.9
22.	कलकत्ता-गुवाहाटी-जोरहाट-लीलाबाड़ी-डिब्रूगढ़-तेजू	58.0
23.	कलकत्ता-गुवाहाटी-लीलाबाड़ी-जीरो	47.1
24.	कलकत्ता-एजवाल-सिल्चर	60.4
25.	कलकत्ता-मालदा	11.3
26.	कलकत्ता-धनबाद-पटना-गया	24.9
27.	कलकत्ता-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़-पासीघाट-एलांग	36.9
28.	कलकत्ता-राउरकेला-रांची	25.8
29.	बम्बई-कांडला-बम्बई-कांडला-राजकोट-बम्बई कांडला-पोरबंदर	76.6
30.	बम्बई-पोरबंदर-राजकोट/बम्बई-पोरबन्दर	67.5
31.	बम्बई-केशतोड़	63.2
32.	बम्बई-पूने-इन्दौर/बम्बई-इन्दौर	55.2
33.	बम्बई-पूना-गोवा/बम्बई-पूना	66.4
34.	बम्बई-औरंगाबाद-नांदेड़	64.3
35.	बम्बई-कोलहपुर-बेलगाम	77.3
36.	बम्बई-नासिक	48.4
37.	बम्बई-रत्नागिरी	66.8
38.	बम्बई-दमन-सूरत-भावनगर	60.6
39.	बम्बई-इन्दौर-नागपुर-अकोला	47.2
40.	बम्बई-शोलापुर-उसमानाबाद	29.6
41.	मद्रास-कोचीन-अगत्ती/मद्रास-कालीकट कोचीन-अगत्ती	41.4
42.	मद्रास-कोयम्बटूर/मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर	47.5
43.	मद्रास-त्रिचि/मद्रास-तंजावूर-त्रिचि	44.5
44.	मद्रास-हैदराबाद	64.3
45.	मद्रास-बंगलौर-कालीकट-त्रिवेन्द्रम	25.9

1	2	3
46.	मद्रास-तंजावूर-मदुरै-कोचीन मद्रास-नेवेली-पांडिचेरी	33.2
47.	मद्रास-तिरुपति-विजयवाड़ा-राजमुंदरी-विजाग	47.6
48.	मद्रास-तिरुपति-विजयवाड़ा-राजमुंदरी-विजाग	47.6
49.	हैदराबाद-रामगुंडम	18.5
50.	हैदराबाद-बेलेरी-बंगलोर	40.0
51.	हैदराबाद-पूना-गोवा/हैदराबाद-गोवा	42.7
52.	हैदराबाद-विजयवाड़ा-राजमुंदरी-विजाग	61.8
53.	हैदराबाद-विजाग-जयपोर-भुवनेश्वर	54.1
54.	हैदराबाद-कुडप्पाह	19.8
55.	हैदराबाद-तिरुपति	58.1
56.	हैदराबाद-तिरुपति-मद्रास	68.6
57.	हैदराबाद-मद्रास	61.0
58.	हैदराबाद-बंगलोर	35.5

वायुदूत द्वारा 1990 91 के दौरान महानगरीय शहरों से आरंभ होने वाले मुख्य मार्गों और सेवाओं पर क्षमता उपयोगिता

क्र० सं०	मार्ग	सीट गुणक %
1	2	3
1.	कलकत्ता-एजवाल-सिल्चर	74.3
2.	कलकत्ता-रांची-राउरकेला	20.3
3.	कलकत्ता-कूचबिहार	55.3
4.	कलकत्ता-जमशेदपुर-पटना	37.5
5.	कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर	52.4
6.	कलकत्ता-गुवाहाटी-जोरहाट-लीलाबाड़ी- दीमापुर-डिब्रूगढ़-तेजू	52.5
7.	कलकत्ता-जमशेदपुर	53.4

1	2	3
8.	कलकत्ता-अगरतल्ला	91.7
9.	कलकत्ता-गुवाहाटी-जोरहाट-लीलाबाड़ी-दीमापुर-डिब्रूगढ़-तेजू	30.3
*10.	गुवाहाटी-सिल्चर	50.0
11.	कलकत्ता-एजवाल-सिल्चर-गुवाहाटी	59.6
12.	कलकत्ता-गुवाहाटी-दीमापुर-जोरहाट-लीलाबाड़ी-डिब्रूगढ़	41.7
13.	कलकत्ता-जमशेदपुर-रांची-पटना	43.5
14.	कलकत्ता-शिलांग-गुवाहाटी-सिल्चर	52.1
15.	कलकत्ता-अगरतल्ला-कमालपुर-कैलाशहर	79.2
16.	कलकत्ता-अगरतल्ला-सिल्चर	81.9
17.	कलकत्ता-इम्फाल-अगरतल्ला	56.5
18.	कलकत्ता-अगरतल्ला-शिलांग-गुवाहाटी	75.5
19.	कलकत्ता-अगरतल्ला-कमालपुर-सिल्चर	84.8
20.	मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर	52.0
21.	मद्रास-हैदराबाद	79.5
22.	मद्रास-कोयम्बटूर-कोचीन-अगत्ती	47.0
23.	मद्रास-कोयम्बटूर	59.0
24.	मद्रास-बंगलौर-बेलगांव	39.1
25.	मद्रास-बंगलौर	49.9
26.	मद्रास-बंगलौर-त्रिवेन्द्रम	47.6
27.	मद्रास-त्रिची	35.4
28.	मद्रास-नेवेली	26.1
29.	मद्रास-पांडिचेरी-बंगलौर	47.7
30.	मद्रास-कालीकट-त्रिवेन्द्रम	49.2

* महानगरीय शहरों से नहीं ।

1	2	3
31.	मद्रास-नेवेली-पांडिचेरी	31.0
32.	मद्रास-बंगलौर-कालीकट-त्रिवेन्द्रम	61.7
33.	मद्रास-कोचीन-अगत्ती	55.2
34.	मद्रास-बंगलौर-कालीकट-कोचीन-त्रिवेन्द्रम	66.9
*35.	कोचीन-अगत्ती	55.2
36.	मद्रास-बंगलौर-कोचीन-अगत्ती	46.8
37.	मद्रास-तिरुपति-बंगलौर-त्रिवेन्द्रम	51.6
38.	मद्रास-तिरुपति-बंगलौर-बेलगांव	5[illegible].1
39.	मद्रास-तिरुपति-बंगलौर-कोचीन-अगत्ती	33.6
40.	दिल्ली-जयपुर-कोटा	46.5
41.	दिल्ली-चण्डीगढ़-शिमला	67.7
*42.	शिमला-कुल्लू	71.4
43.	दिल्ली-पन्तनगर	55.7
44.	दिल्ली-चंडीगढ़-लुधियाना-जम्मू-राजौरी	64.0
45.	दिल्ली-देहरादून	58.3
46.	दिल्ली-भटिन्डा-लुधियाना	62.6
47.	दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी	45.7
48.	दिल्ली-चण्डीगढ़-कुल्लू	77.4
49.	दिल्ली-चण्डीगढ़-गग्गल	68.4
50.	दिल्ली-लुधियाना	63.4
51.	दिल्ली-चण्डीगढ़	60 5
52.	दिल्ली-लखनऊ-कानपुर	78.9
53.	दिल्ली-इलाहाबाद-जबलपुर	49.8
54.	दिल्ली-इलाहाबाद-वाराणसी-जबलपुर	50.6

* महानगरीय शहरों से नहीं।

1	2	3
55.	दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी	70.4
56.	दिल्ली-उदयपुर-सूरत-बम्बई	64.9
57.	दिल्ली-जोधपुर-उदयपुर-सूरत-बम्बई	55.9
58.	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर	17.0
59.	दिल्ली-लुधियाना-चण्डीगढ़	63.3
60.	हैदराबाद-औरंगाबाद-बम्बई	37.8
61.	हैदराबाद-औरंगाबाद-पुणे	47.1
62.	हैदराबाद-मद्रास	71.6
63.	हैदराबाद-तिरुपति	59.1
64.	हैदराबाद-विजयवाड़ा-तिरुपति-मद्रास	69.1
65.	हैदराबाद-बंगलौर	51.9
66.	हैदराबाद-बिल्लारी	75.9
67.	हैदराबाद-राजामुन्दरी-विजयवाड़ा	52.8
68.	हैदराबाद-तिरुपति-मद्रास	79.1
69.	हैदराबाद-विजयवाड़ा-राजामुन्दरी-विजाग	52.4
70.	हैदराबाद-विजयवाड़ा-तिरुपति	58.5
71.	हैदराबाद-पुणे-बम्बई	47.0
72.	हैदराबाद-पुणे	56.0
73.	हैदराबाद-विजयवाड़ा-राजामुन्दरी	55.2
74.	हैदराबाद-पुणे-गोवा	62.1
75.	हैदराबाद-गोवा	52.6
76.	भोपाल-गुना-दिल्ली	[illegible]7.5
*77.	भोपाल-जबलपुर-रायपुर-जबलपुर	57.4
*78.	भोपाल-इन्दौर-जयपुर	42.2
* 79.	भोपाल-रीवा-सतना-खजुराहो	23.2
* 80.	भोपाल-जबलपुर-बिलासपुर-रायपुर-नागपुर	63.8

* महानगरीय शहरों से नहीं ।

1	2	3
81.	बम्बई-कोल्हापुर-बेलगांव	72.1
82.	बम्बई-पोरबंदर-केशोद	87.6
83.	बम्बई-कांडला-राजकोट	82.9
84.	बम्बई-पुणे-गोवा	69.4
85.	बम्बई-पुणे	72.6
86.	बम्बई-पोरबंदर	52.2
87.	बम्बई-केशोद	62.7
88.	बम्बई-कांडला	71.6
89.	बम्बई-बेलगांव	60.4
90.	बम्बई-पुणे-इन्दौर	62.6
91.	बम्बई-भावनगर	61.9
92.	बम्बई-बड़ौदा	51.5
93.	बम्बई-सूरत-भावनगर	50.4
94.	बम्बई-दमन-सूरत-भावनगर	63.0
95.	बम्बई-औरंगाबाद-नांदेड़	58.0
96.	बम्बई-इन्दौर-नागपुर	61.5
97.	बम्बई-औरंगाबाद-अकोला	47.4
98.	बम्बई-औरंगाबाद	47.3
99.	बम्बई-नासिक	30.3
* 100.	गोहाटी-सिल्चर-एजवाल	73.0
* 101.	गोहाटी-सिल्चर	74.5
* 102.	गोहाटी-जोरहाट-लीलाबाड़ी	22.4
* 103.	गोहाटी-जोरहाट-लीलाबाड़ी-डिब्रूगढ़	23.5
* 104.	गोहाटी-लीलाबाड़ी	10.5
* 105.	गोहाटी-लीलाबाड़ी-पासीघाट	10.7
* 106.	गोहाटी-दीमापुर-जोरहाट-लीलाबाड़ी-डिब्रूगढ़-तेजू	27.3

* महानगरीय शहरों से नहीं।

जयपुर-टोडा राय सिंह रेल लाइन को कोटा तक बढ़ाना

4695. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-टोडा राय सिंह छोटी रेल लाइन को कोटा से जोड़ने के लिए केकड़ी-अजमेर रेलमार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए इस रेल लाइन को कब तक जोड़ने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान की अन्ता विद्युत परियोजना

4696. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्ता गैस आधारित विद्युत परियोजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अन्ता गैस आधारित विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 430 मे० वा० है, का विस्तार किये जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर, 1988 में तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया गया था और इसे उपयुक्त पाया गया था बशर्ते ईंधन लिंकेज, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति, जल उपलब्धता की पुष्टि आदि सुनिश्चित कर ली जाएं। परिवर्तनशील भार प्रचालन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना पर विचार किया गया था लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि गैस विद्युत केन्द्रों का प्रचालन भार पर ही आधारित होना चाहिए। इसलिए इस परियोजना के बारे में निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने से पूर्व भार आधारित प्रचालन के कारण गैस लिंकेज सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा।

कोल विद्युत परियोजना को स्वीकृति

4697. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल विद्युत परियोजना राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकारों की एक संयुक्त परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना इस समय नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम के पास लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कोल बांध जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, का क्रियान्वयन नाथपा झाकरी विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा। परियोजना की लागत में दोनों सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में भागीदारी होगी। सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा परियोजना को स्वीकृत कर दिया गया है। मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात परियोजना सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे।

रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

4698. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत तेल निगम लिमिटेड के सतर्कता विभाग को रसोई गैस के वितरकों, विशेषकर दिल्ली स्थित रसोई गैस के वितरकों द्वारा अनियमितता बरतने के कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों, विशेषकर दिल्ली के वितरकों के विरुद्ध शिकायतों, का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों पर क्या कारंवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है; और

(घ) लम्बित पड़ी शिकायतों का निपटान कब तक किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) वर्ष 1988 से भारतीय तेल निगम के सतर्कता विभाग को चौंसठ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों की जांच की जा चुकी है और जहां कहीं भी शिकायतें प्रमाणित हुई हैं (विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों) के अनुरूप उचित कारंवाई की जा चुकी है। लम्बित मामलों पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

जाजपुर-क्योंझर रोड जंक्शन पर पुल का निर्माण

[अनुवाद]

4699. श्री अनादि चरण दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के जाजपुर-क्योंझर रोड जंक्शन पर उपरिपुल का निर्माण करने के लिए आवंटित की गई धनराशि तथा 30 जून, 1991 तक खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) आज तक कितना कार्य पूरा हो चुका है तथा इसके पूरा होने के लिए कौन-सी तिथि निर्धारित की गई थी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1991-92 में इस कार्य के लिए 18.93 लाख रुपये के परिव्यय का आबंटन किया गया है। 30-6-91 तक 20.00 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) प्रारम्भ में ठेकेदार की विफलता के कारण रेलपथ के पुल खास के कार्य की प्रगति में रुकावट आई है।

(ग) पुल खास के रेलवे के भाग की वर्तमान प्रगति 5% है और राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले पुल पहुंच मार्गों पर 12% प्रगति हुई है। यद्यपि रेलवे द्वारा पुल खास को मार्च, 93 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है। परन्तु सम्पूर्ण काम का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पुल पहुंच मार्गों को पूरा कर लिए जाने पर निर्भर करेगा।

रेल लाइनों से आर्थिक लाभ

4700. श्री माण्ये गोवर्धन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइनों पर किये जाने वाले पूंजीनिवेश पर कितने प्रतिशत आर्थिक लाभ का मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिछाई गई उन नई रेल लाइनों के नाम क्या हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बट्टागत रोकड़ प्रवाह पद्धति अपनाकर, जिन नई रेल लाइनों से 12% या इससे अधिक वार्षिक वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होता है, उन्हें अर्थक्षम माना जाता है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोली गई जिन नई लाइनों के सम्बन्ध में वार्षिक वित्तीय समीक्षा की गई है, उनमें से सन्तरागाछि-बड़गछिया, तुपकाडीह-तलगाड़िया लाइनों ने ऋणात्मक वित्तीय प्रतिफल दर्शाया है।

(ग) मुख्यत. अधिक संचालन व्यय के कारण।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

4701. श्री माण्ये गोवर्धन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशीय उत्पादन से पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की वर्षवार कितने प्रतिशत मांग पूरी की गई;

(ख) 2000 ई० तक कितने प्रतिशत मांग पूरी होने का अनुमान है; और

(ग) देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम के आयात बिल में सदा हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टि में रखते हुए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाये

गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क)

	1988-89	1989-90	1990-91
कच्चा तेल	65.7	65.6	63.8
पेट्रोलियम उत्पाद	93.5	92.6	91.6

(ख) अभी तक ठोस आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) विभिन्न कदम जिनमें मांग प्रबन्ध तथा संरक्षण उपाय जैसे ईंधन कुशल स्टोव, ऑटोमोबाइल इंजनों तथा ऊर्जा आडिट शामिल हैं, उठाये गये हैं। प्रतिस्थापन ईंधनों तथा अन्तर ईंधन प्रतिस्थापन के प्रयोग विचाराधीन हैं।

विद्युत आदानों के मूल्य

4702. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत आदानों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण विद्युत उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत आदानों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अप्रैल, 1991 से जुलाई, 1991 के दौरान देश में ऊर्जा का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की तुलना में 6.8% अधिक था। अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान कुल उत्पादित ऊर्जा 85329 मि० यू० थी; अप्रैल-जुलाई, 1991 के दौरान विद्युत उत्पादन 91092 मि० यू० रहा।

अरब देशों से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4703. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश अरब देश अब भारत को कच्चा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान कुवैत, सऊदी अरबिया, ईरान और इराक से कितनी मात्रा में अपरिष्कृत तेल पेट्रोलियम, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया;

(ग) उनसे कुल कितनी मात्रा में मांग की गई थी; और

(घ) कितनी मात्रा में तथा किन दरों पर मांग को पूरा किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) वर्षों से भारत अपना कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद अरब देश सहित विभिन्न देशों से प्राप्त करता रहा है। चूंकि स्पाट क्रय बाजार हमेशा किसी विशेष देश से सम्बद्ध नहीं रहा है, इसलिए प्रत्येक देश से प्राप्त मात्रा के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

कोयले का उत्पादन

4704. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1991-92 के दौरान राज्यों की कुल कितनी मांग है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की मांगों को कहां तक पूरा करने में सक्षम हो पाई है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) देश में कोयले का उत्पादन वर्ष 1989-90 और 1990-91 की अवधि के दौरान क्रमशः 200.89 मिलियन टन तथा 211.73 मिलियन टन रहा।

(ख) और (ग) कोयले की मांग का निर्धारण बड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत किया गया है और न कि राज्यवार आधार पर। देश में अप्रैल-जुलाई, 91 के दौरान अनुमानित कोयले की 81.77 मिलियन टन मांग की तुलना में कोयले का कुल उठान 72.20 मिलियन टन हुआ।

अप्रयुक्त होटलों का अधिग्रहण

4705. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ऐसे सभी होटलों को अधिग्रहीत करने पर विचार कर रही है जो अप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन होटलों को अधिगृहीत करने का प्रस्ताव है उनकी कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या अनेक श्रमिक संघों ने इस कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा रखे गये प्रमुख मुद्दे क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस बारे में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

4706, **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए अनेक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी लम्बी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जायेगा; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जोलारपेट्टै-बेंगलूरू खंड के विद्युतीकरण का काम चल रहा है जिसका बिसनत्तम-बेंगलूरू (92 कि० मी०) भाग कर्नाटक राज्य में पड़ता है। समूची परियोजना पर 50.00 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

विमानों की आवश्यकता

4707. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और वायुदूत में विमानों की आवश्यकता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) बेड़े में वृद्धि करने तथा इसे अद्यतन बनाने हेतु क्या उपाय करने का विचार है और खरीदे जाने वाले विमानों की किस्म और उनकी संख्या का ब्योरा क्या है; और

(घ) पुराने पेड़ गए और पुराने माडल के तथा अलाभप्रद विमानों के निपटान के लिए बनाई गई सरकार की योजना का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े की लगातार समीक्षा की जाती है। एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों को हाल ही में विमान बेड़े के नवीकरण के लिए लम्बी अवधि की भावी योजना तैयार करने के निदेश दिए गए हैं, जिससे विमान बेड़े को चुस्त और आधुनिक बनाये रखा जा सके। वाणिज्यिक साध्यता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और अन्य सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के बाद, दोनों राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के विमान, बेड़े को समय-समय पर नया बनाया जायेगा। इस समय वायुदूत द्वारा विमान लेने की कोई योजना नहीं है।

तेल क्षेत्र का गैर-सरकारीकरण

4708. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल क्षेत्र का गैर-सरकारीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तेल उद्योग के भिन्न विशेष क्षेत्रों का गैर-सरकारीकरण किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कम बजट का पर्यटन कार्यक्रम

4709. श्री रवि राय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पर्यटकों को प्रोत्साहन देने के लिए कम बजट के पर्यटन कार्यक्रम को बढ़ावा देने और आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों को आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करती है जिससे कम आय वाले पर्यटकों विशेषकर स्वदेशी यात्रियों की मांगों को पूरा किया जा सके । वित्तीय सहायता सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है, जिन पर उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है ।

कम आय वाले पर्यटकों की जरूरत को पूरा करने के लिए होटलों/गृहों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को भी वित्तीय सहायता दी जाती है ।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

[हिन्दी]

4710. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मदवार खपत क्या रही;

(ख) क्या पेट्रोल की खपत कम करने की दृष्टि से पेट्रोल की कीमत में हाल ही में वृद्धि की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता मिली और यदि सफलता नहीं मिली तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 25 जुलाई, 1991 से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि विशेषरूप से केवल पेट्रोल की खपत को नियन्त्रित करने के लिए नहीं की गई है। कीमत में वृद्धि के कारण पेट्रोल की खपत पर प्रभाव का मूल्यांकन करना समयपूर्व होगा।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादवार खपत निम्नानुसारहै

आंकड़े हजार मी० टन

उत्पाद	1988-89	1989-90	1990-91
एल० पी० जी०	1962	2268	2417
एम० एस०	3052	3491	3540
नापथा	3364	3350	3434
ए० टी० एफ०	1713	1775	1689
एस० के० ओ०	7731	8239	8385
एच० एस० डी०	18795	20706	21079
एल० डी० ओ०	1437	1486	1477
ल्यूब	847	926	910
एफ०ओ०/एल०एस०एच०एस०	8456	8820	8845
बिटुमिन	1498	1695	1574
अन्य	1236	1339	1424
कुल :	50092	54095	54772

विद्युत अधिनियम में परिवर्तन

[अनुवाद]

4711. **श्री के० वी० तंगाबालू :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान विद्युत अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण की शर्तों को पूरा कर सके; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित मूल्यों पर कच्चे तेल की खरीद

4712. श्री के० वी० तंगाबालू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल की कीमतों में संशोधन करने तथा मूल्यों में रियायत प्राप्त करने हेतु उत्पादक देशों के साथ बातचीत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत को कार्यकुशल बनाना

[हिन्दी]

4713. श्री राम टहल चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत में ऊपरी खर्च को न्यूनतम स्तर तक घटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि यात्रियों के वसूले जाने वाले भाड़ों में कमी की जा सके; और

(ख) समय की पाबंदी सुनिश्चित करने तथा वायुदूत सेवाओं को कार्यकुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत के ऊपरी खर्च को न्यूनतम करने के लिये कुछ उपाय किये जा रहे हैं जैसे वायुदूत द्वारा परिचालित स्टेशनों की संख्या में कमी करना, वायुदूत के कर्मचारियों द्वारा यात्रा की मात्रा और प्रकार एवं यात्रा के समय उनके कर्मचारियों के स्थान की श्रेणी पर प्रतिबन्ध, विज्ञापन सम्बन्धी खर्च पर रोक, पूंजीगत व्यय पर रोक तथा कर्मचारियों की नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध आदि। तथापि वायुदूत द्वारा वसूल किये जा रहे किरायों में कमी करने की कोई गुन्जाइस नहीं है क्योंकि यहां तक कि वर्तमान किराये वायुदूत के कम दूरी के परिचालनों की लागत को भी पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

(ख) वायुदूत का यह सतत प्रयास रहता है कि यह अपने परिचालनों के समय-पालन और

विश्वसनीयता पर निगरानी रखे तथा उसे सुनिश्चित रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये ।

इंडियन एयरलाइन्स में चयन समितियां/भर्ती बोर्ड

[अनुवाद]

4714. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा विभिन्न ग्रेडों में अपने कर्मियों की भर्ती/चयन हेतु स्थापित किए गए स्थाई और तदर्थ भर्ती बोर्डों तथा चयन समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार इन समितियों और बोर्डों में इनके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा इन बोर्डों/समितियों के माध्यम से वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रेड-वार कितने कर्मियों की भर्ती की गई; और

(घ) इन्डियन एयरलाइन्स ने इसी अवधि के दौरान इन समितियों/बोर्डों से परामर्श किये बिना कितने कर्मियों को भर्ती किया ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान की गयी कार्मिकों की भर्ती/चयन के लिए गठित स्थायी और तदर्थ भर्ती बोर्डों और चयन समितियों का ब्यौरा, उनका गठन और श्रेणीवार भर्ती किए गये कार्मिकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा तीन उम्मीदवार भर्ती बोर्डों/समितियों की सहायता के बिना भर्ती किये गये हैं ।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान की गई कार्मिकों की भर्ती/चयन के लिए गठित स्थाया ओ· तदर्थ भर्ती बोर्डों और चयन समितियों का ब्यौरा, इन बोर्डों/समितियों का गठन और श्रेणीवार भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या

(क) ग्रौर (ख) : 1. सीधी भर्ती बोर्ड

बोर्डों का गठन

पद	मुख्यालय	क्षेत्र
1	2	3
1. चपरासी/हैलपर/लोडर/चालक के पद (पूर्वकालिक श्रेणी 1/2)	1. कार्मिक निदेशक या उसके नामित व्यक्ति	1. संबंधित विभागीय प्रमुख या उनके नामित व्यक्ति
	2. विभागीय प्रमुख या उसके नामित व्यक्ति	2. प्रबन्धक कार्मिक सेवाएं या उसके नामित व्यक्ति
2. उपरोक्त (1) के अतिरिक्त तथा अखिल भारत संवर्गों में जो शामिल नहीं हैं उनके अलावा पदों के लिए	1. कार्मिक निदेशक या उसके नामित व्यक्ति 2. विभागीय प्रमुख या उसके नामित व्यक्ति	1. क्षेत्रीय निदेशक या उसके नामित व्यक्ति 2. संबंधित विभागीय प्रमुख या उसके नामित व्यक्ति
	3. सचिव या उसके नामित व्यक्ति	3. प्रबन्धक कार्मिक सेवाएं या उसके नामित व्यक्ति

1	2	3
3 अखिल भारत संवर्ग में मुख्य प्रबन्धक/उप निदेशक (पूर्वकालिक ग्रेड 18) के स्तर तक शामिल और वहां तक के पद	1. सम्बन्धित विभागीय प्रमुख या उसके नामित व्यक्ति 2. कार्मिक निदेशक या उसके नामित व्यक्ति 3. प्रबन्धक निदेशक द्वारा नामित किए जाने वाला एक अधिकारी	
4. निदेशक (पूर्वकालिक ग्रेड 9 क) और उप प्रबन्ध निदेशक के पद	निगम द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सदस्यों का शामिल करते हुए एक चयन बोर्ड	

नोट—1. ऐसे पदों के संबंध में जिनके लिये प्रबंधक बोर्ड कार्मिक सेवाएं/कार्मिक निदेशक/ सचिव विभागीय प्रमुख हैं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य विभाग से नामित किए जाने वाला अधिकारी सदस्य हो सकता है।

2. प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सरकार के किसी भी निर्देश के अधीन आवश्यक और/या विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने के प्रयोजन से आवश्यक समझे गये प्रयोजन के लिये ऐसे अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त कर सकता है।

2. तदर्थ बोर्ड

प्रबन्ध निदेशक आवश्यक समझे गये ऐसे अधिकारियों को शामिल करते हुये तदर्थ भर्ती बोर्ड का गठन कर सकता है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान भर्ती किये गये कार्मिकों की संख्या और उनके वेतनमान ब्यौरों के अनुसार 804 है जो निम्नप्रकार है—

वेतनमान रुपये	पदों की संख्या
3155-4235	1
2585-3875	8

1	2	3
	2545-3265	46
	2285-3395	12
	2005-2965	52
	1685-2645	3
	1555-2405	10
	1555-2465	81
	1330-2285	74
	1305-1905	2
	1185-2275	3
	1185-1755	251
	1185-1705	4
	1080-1360	246
	990-1305	1
	930-1185	1
	870-1110	7
	विदेशी स्टेशनों पर स्थानीय नियुक्तियां	2
	कुल	804

बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

4715. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

श्री सूरज मंडल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति अनुसार बिहार में जिला-वार रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों की संख्या कितनी थी;

(ख) एक जिले में अलग-अलग ऐसी एक से अधिक गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें खोलने के लिए मांग और सप्लाई के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार में जिला-वार कितनी गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें खोलने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिनांक 1-4-1991 को बिहार में 141 एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 908 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें थीं।

(ख) मात्रा/दूरी मानकों के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहार्यता उत्पाद की उपलब्धता आदि के आधार पर एल पी जी एजेंसियों का आबंटन किया जाता है।

(ग) यद्यपि पूर्व में तैयार की गयी विपणन योजनाओं में नियोजित कुछ एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। वर्ष 1991-92 के लिए किसी नये कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

चांगसारी असम में उपरीपुल

4716. श्री उद्धव बर्मन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में चांगसारी के पास जिला में रेल लाइन के ऊपर उपरिपुल के निर्माण की कोई परियोजना थी;

(ख) क्या असम राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रस्ताव अगथोरी तथा चांगसारी स्टेशनों के बीच समपार संख्या एस के/2 के बदले

ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए है। रेलवे द्वारा हाल ही में सामान्य संशोधित विन्यास नक्शा राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। नक्शों/अनुमान को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जाएगा।

पुणे से मुम्बई और कलकत्ता के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

4717. श्री अन्ना जोशी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुणे-मुंबई और पुणे-कलकत्ता सेक्शन पर वहां यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों को कब तक चलाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे और शिवाजी नगर स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना

4718. श्री अन्ना जोशी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पुणे और शिवाजी नगर रेलवे स्टेशनों का विकास करने/आधुनिक बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे ने पुणे रेलवे स्टेशन के विकास/आधुनिकीकरण का कार्य शुरू कर दिया है और फिलहाल शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं है।

(ख) पुणे रेलवे स्टेशन के विकास/आधुनिकीकरण के कार्य की अनुमानित लागत लगभग 51 लाख रुपये हैं। 31-3-1991 तक इस कार्य पर 41.8 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत परिचलन क्षेत्र, सम्मिलन क्षेत्र, बुकिंग कार्यालय, प्रतिक्षालय, विश्राम कक्ष, अल्पाहार गृह, प्लेटफार्म और शौचालय सुविधाओं में सुधार संबंधी कार्य पूरे हो गये हैं और प्लेटफार्म एप्रन की धुलाई व्यवस्था में सुधार, ऊपरी पैदल पुल और मूत्रालय की व्यवस्था संबंधी काम चल रहे हैं।

पुणे हवाई अड्डे की धावन पट्टी का विस्तार

4719. श्री अन्ना जोशी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे को कलकत्ता, इन्दौर, अहमदाबाद, नागपुर, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और गोवा आदि से जोड़ने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार का पुणे हवाई अड्डे के 'रन-वे'

का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या वर्तमान विमान समय-सारणी को विशेषकर पुणे के संबंध में और अधिक सुविधा-जनक बनाने के लिए उसमें फेर-बदल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पुणे हवाई अड्डा रक्षा मन्त्रालय के नियंत्रण में है। दिल्ली, मद्रास और बंगलौर के अलावा इन्डियन एयरलाइंस की 1991 की अपनी शरदकालीन समयावली में सीमीत आवर्ति के आधार पर पुणे को अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ने की योजना है। इस समय पुणे को कलकत्ता, इन्दौर, नागपुर, अथवा गोवा को जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) समयावली संबंधी विवशताओं के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स, यथासंभव सुविधाजनक समय सारिणी उपलब्ध कराती है।

गैस पर आधारित परियोजनाओं को आबंटित गैस का रद्द किया जाना

4720. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन परियोजनाओं को आबंटित प्राकृतिक गैस को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है जो इसका उपयोग करने के अपने वचन को नहीं निभा पाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कितनी परियोजनाओं के बारे में जानकारी मिली है तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार द्वारा एक गैस संयोजन समिति स्थापित की गई है जो समय-समय पर प्राकृतिक गैस पर आधारित अनुप्रवाह यूनिटों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करेगी। यह समिति यथा आवश्यक होने पर उन यूनिटों को दी जाने वाली गैस के आबंटन को रद्द करने की सिफारिश करेगी जो गैस के प्रयोग के लिए सुविधाएं जुटाने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाती हैं।

महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

4721. श्री अन्ना जोशी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का अगले तीन वर्षों के दौरान विशेष अभियान के अन्तर्गत महाराष्ट्र में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) महाराष्ट्र बिजली बोर्ड ने घोषणा की है कि 1981 की जनगणना के अनुसार मार्च, 1989 तक समूचे राज्य में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस प्रकार महाराष्ट्र में विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या 39106 हो गई है।

श्रेणी 'ख' के अधिकारी

[हिन्दी]

4722. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31-3-91 को भारतीय रेलवे के श्रेणी 'ख' के कितने अधिकारी तदर्थ आधार पर ऊंचे वेतनमान पर कार्य कर रहे थे;

(ख) विभिन्न विभागों और विभिन्न संस्थाओं (मानक संस्थान, क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन एकक) में अलग-अलग इन अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) 31 मार्च, 1991 के अनुसार रेलवे के विभिन्न विभागों और विभिन्न संस्थाओं में उन श्रेणी 'ख' के अधिकारियों की संख्या कितनी है जो सहायक ग्रेड अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम

4723. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे विभाग के राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे; और

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में भेजे गये ग्रेड 'ए' 'बी' 'सी' और 'डी' के अधिकारियों की संख्या का वर्ष-वार विभाग-वार और ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) ग्रुप 'डी' के किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं भेजा गया है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए ग्रुप 'ए' ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष वार, विभाग और ग्रेड वार संख्या नीचे दी गई है—

विभाग	ग्रेड	ग्रुप 'ए'			ग्रुप 'बी'			ग्रुप 'सी'	
	वर्ष 1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
यांत्रिक	36	35	33	14	18	4	81	60	20
सिविल	13	27	12	5	6	—	8	15	—
बिजली	19	20	42	1	7	1	34	6	13
सिगनल एवं दूर संचार	18	36	9	4	13	1	5	5	—
भंडार	4	13	2	—	—	—	—	—	—
यातायात	22	33	17	—	4	—	1	5	—
लेखा	8	9	16	—	—	—	—	—	—
कार्मिक	4	2	6	—	1	—	—	—	—
चिकित्सा	3	1	9	—	—	—	—	—	—
कुल जोड़—	127	176	146	24	49	6	129	91	33

मुंबई-दिल्ली और सौराष्ट्र एक्सप्रेस के पहुंचने/छूटने का समय

4724. श्री एस० एम० बेकारिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और सौराष्ट्र एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के बड़ौदा पहुंचने और वहां से छूटने के क्या समय निर्धारित हैं;

(ख) क्या मुंबई से आने वाले राजकोट और उसके आसपास के यात्रियों को उपयुक्त संपर्क सेवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार का इन रेलगाड़ियों के निर्धारित समय बदलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 2951 राजधानी एक्सप्रेस 21.30 बड़ोदरा पहुंचती है और 9015 सौराष्ट्र एक्सप्रेस 16.55 बजे बड़ोदरा से रवाना होती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बम्बई और राजकोट के बीच 3 जोड़ी गाड़ियां यथा 9015/9016 सौराष्ट्र एक्सप्रेस, 9017/9018 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस तथा 9005/9006 सौराष्ट्र मेल पहले ही उपलब्ध है ।

मद्रास के लिए बड़ी लाइन का दूसरा टर्मिनल

[अनुवाद]

4725. श्री बी० राजारवि वर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास के लिए दूसरी बड़ी लाइन के टर्मिनल को विकसित करने का काम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विल्लीवाक्कम-अन्नानगर केयाम्बेदू क्षेत्र में दूसरे कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था के लिए सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं ।

विल्लिवाक्कम से अन्नानगर तक रेल लाइन का निर्माण

4726. श्री बी० राजारवि वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विल्लिवाक्कम से अन्नानगर तक रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रत्नागिरी के लिए एयर टैक्सी सेवा

[हिन्दी]

4727. श्री गोविन्दराव निकम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि के लिए एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) हवाई टैक्सी सेवाओं का परिचालन निजी प्रचालकों द्वारा किया जाता है और वे देश में अनुसूचित परिचालनों के लिए खुले सभी हवाई अड्डों के लिए परिचालन कर सकते हैं। उन्हें किसी विशेष मार्ग पर परिचालन करने के लिए सरकार का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

रेलवे में दावों का कम्प्यूटर द्वारा निपटान

[अनुवाद]

4728. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर, दक्षिण-मध्य, पश्चिम-दक्षिण और पूर्वोत्तर रेलवे में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए दावों के कम्प्यूटर द्वारा निपटान के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पूर्वोत्तर रेलवे पर 1989 में दावा संसाधित प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एक पाइलट परियोजना शुरू की गई थी। ग्राहक सेवा के क्षेत्र में इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन को देखते हुए इस प्रणाली का चार और रेलों यथा उत्तर, पूर्व; दक्षिण-मध्य तथा पश्चिम रेलों पर विस्तार करने के काम को 1991-92 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृति प्रदान की गई है।

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में वृद्धि

4729. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए खरीदे जाने वाले विमानों का ब्यौरा क्या है, उनकी क्षमता कितनी होगी, प्रति विमान लागत कितनी होगी और उनकी अन्य मुख्य विशेषताएं क्या होंगी; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने 958.78 करोड़ रुपये की लागत पर, जिसमें 633.121 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा अंश शामिल है, बारह एयरबस ए-320 विमान (168 सीट वाले) की प्राप्ति के लिए 5-6-1989 को एक खरीद करार पर हस्ताक्षर किये थे, इनकी सुपुर्दगी 1993 और 1994 में की जाएगी।

एयर इंडिया ने 667.09 मिलियन अमरीकी डॉलर के विदेशी मुद्रा अंश सहित 1962.03 करोड़ रुपये की लागत से चार बोइंग 747-400 विमानों (448 सीटों वाले) की खरीद के लिए एक खरीद करार पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनकी सुपुर्दगी 1993 और 1994 में की जानी है।

कानपुर में पर्यटन का विकास

[हिन्दी]

4730. श्री केशरी लाल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर में बिठूर को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) बिठूर में एक पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 11/39 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार को 5.50 लाख रुपये की राशि अवमुक्त की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश के रायगढ़ में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

[अनुवाद]

4731. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश मे रायगढ़ जिले में गत वर्ष ड्रिलिंग कार्य के दौरान तेल और गैस के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां ड्रिलिंग कार्य बन्द करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में वेधन कार्य नहीं किया गया है।

सेफ्टी फिल्मों की चोरी

4732. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सेफ्टी फिल्में विभिन्न स्थानों पर दिखाये जाने के लिए रेल मार्ग से ले जाते समय गुम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावित पक्षों के नाम क्या हैं और इस प्रकार की चोरियां कहां-कहां पर हुई हैं; और

(घ) दावेदारों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1990-91 के दौरान ऐसे परेषणों के प्राप्त न होने के 9 मामले दर्ज किए गए थे।

(ग) दावाकर्ता निम्नलिखित थे :—

(i) मैसर्स आर० एस० पोद्दार, सरायगंज, मुजफ्फरपुर।

(ii) मैसर्स शिव शक्ति फिल्म्स, सूर्यपट्टी, मुजफ्फरपुर।

(iii) मैसर्स नेशनल फिल्म्स डिवलेपमेंट कार्पो०, कलकत्ता।

(iv) मैसर्स राजश्री प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, बम्बई।

(v) मैसर्स खजांची फिल्म्स एक्सचेंज, अमरावती।

परिवहन के दौरान जिन स्थानों पर नुकसान/चोरियां हुई उनका ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जा सका है।

(घ) 1990-91 के दौरान केवल एक मामले में दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में 1,609 रुपये का भुगतान किया गया है।

पवन ऊर्जा में पूंजी निवेश

4733. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन ऊर्जा पर राज्यवार कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) पवन ऊर्जा द्वारा बिजली का कितना उत्पादन किया जाता है और ग्रिडों को दिया जाता है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां पवन ऊर्जा द्वारा सफलतापूर्वक विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पवन ऊर्जा पर निवेश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार एक करोड़ रुपये से अधिक दी गई

राशियाँ नीचे दी गई हैं :—

1. तमिलनाडु	—	11.61 करोड़ रुपये
2. गुजरात	—	9.20 करोड़ रुपये
3. महाराष्ट्र	—	3.13 करोड़ रुपये
4. उड़ीसा	—	2.30 करोड़ रुपये
5. आन्ध्र प्रदेश	—	2.10 करोड़ रुपये

इसके अलावा, पवन ऊर्जा के लिए 20 अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि भी दी गई है।

(ख) देश में कुल 37.5 मे० वा० पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। पवन ऊर्जा से विद्युत का संचयी उत्पादन 9 करोड़ यूनिट से अधिक है जिसे सम्बन्धित राज्य ग्रिडों को दिया गया है।

(ग) पवन फार्म परियोजनाएं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

गोवा में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना

4734. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गोवा में एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और पटना के बीच उड़ान

4735. श्री राम नरेश सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली और पटना के बीच उड़ानों में की गई कटौती का ब्यौरा क्या है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें पुनः कब चालू किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 1-8.1991 से पटना के लिए/पटना से होकर परिचालित होने वाली निम्नलिखित सेवाओं को

अपर्याप्त भार गुणक के कारण बन्द कर दिया गया है/कम कर दिया गया है :—

(1) दिल्ली-वाराणसी, पटना और वापसी (सप्ताह में दो बार) — बन्द कर दी गई

(2) दिल्ली-गोरखपुर-पटना-दिल्ली (सप्ताह में दो बार) —बन्द कर दी गई

(3) दिल्ली-पटना और वापसी (सप्ताह में चार बार) —इसे घटाकर 3 बार कर दिया गया है।

(ग) इस समय पटना के लिए/पटना से होकर उन सेवाओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिन्हें बन्द कर दिया गया है/कम किया गया है।

औरंगाबाद, बिहार में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

4736. श्री राम नरेश सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री बिहार राज्य की लम्बित परियोजनाओं के सम्बन्ध में 13 अगस्त, 1991 को दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 2821 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के औरंगाबाद जिले में नबी नगर बारुण में एक ताप विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिहार में औरंगाबाद जिले के नबी नगर में 1404 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का 2 × 500 मेगावाट क्षमता का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बी० एस० ई० बी०) ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) को सितम्बर, 1988 में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चूंकि 9वीं योजना तक लाभ प्राप्त करने हेतु विद्युत संबंधी कार्यदल द्वारा पता लगाई गई स्कीमों में इस परियोजना को शामिल नहीं किया गया है और अपेक्षित लिंकेज भी सुनिश्चित नहीं हैं इसलिए बिहार राज्य प्राधिकारियों की जानकारी में यह ला दिया गया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीम पर कारंवाई नहीं की जा रही है।

बिहार में औरंगाबाद जिले में गांवों का विद्युतीकरण

4737. श्री राम नरेश सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के औरंगाबाद जिले में विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकृत गांवों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) शेष गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1981 की जनगणना के आधार पर 31-3-1991 को बिहार के औरंगाबाद जिले में विद्युतीकृत गांवों की संख्या 1683 और अविद्युतीकृत गांवों की संख्या 66 है।

12.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री रबि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गंभीर मसले के प्रति आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब से अल्पमत की सरकार दिल्ली की गद्दी पर आई है, लगता है कि राष्ट्रहित के मसलों को वह नजर अन्दाज करती जा रही है। असल में अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान के पक्ष में जो प्रचार हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले 15 दिनों में जो हमारे मेहमान बन कर आए, जैसे काफमैन, उसी तरह से अमरीका के पाकिस्तान में स्थित राजदूत, इन लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार किया। इसी तरह से आर्गनाइजेशन आफ इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से भी पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार किया गया। इन तीनों की तरफ से जिस प्रकार से भारत के खिलाफ' हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रचार जारी है और उसके जवाब में भारत सरकार का जो अफेंसिव मूव होना चाहिए, उसमें भारत सरकार पूरी तरह से असफल रही है। लगता है भारत सरकार सो रही है, इस तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है, यह देखकर हम शर्मिन्दा हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि काफमैन साहब जो कि शेडो फारेन सेक्रेट्री लेबर पार्टी ब्रिटेन के है, लोग समझते हैं कि लेबर पार्टी की सरकार इंग्लिश-तान में आ जाए तो वे फारेन सेक्रेट्री होने वाले हैं, ये भारत सरकार के मेहमान बन कर आए और यहां यह कह कर गए कि कश्मीर का मसला हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का आपसी मसला नहीं है, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ये भारत सरकार के मेहमान बनकर आए थे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पाकिस्तान में अमरीकी राजदूत श्री ओकले साहब, उन्होंने भी फरमाया कि कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से आर्गनाइजेशन आफ इस्लामिक कंट्रीज के सालाना सम्मेलन में पाकिस्तान के पक्ष में हिन्दुस्तान के खिलाफ रवैया अपनाया गया, सिर्फ सीरिया और अल्जीरिया को छोड़कर इस बात का सारी दुनिया को पता है। इसके साथ-साथ हमें इस बात की बहुत तकलीफ है कि इस अवसर पर* जिनको भारत सरकार ने बहुत सहायता दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारी चीजों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अमरीका में और इंगलिशस्तान में क्या हो रहा है। मैंने अपने दौरों के दौरान वहां जाकर देखा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : *का संदर्भ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रबि राय : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, दोस्त राष्ट्र हैं, इसलिए हमको तकलीफ होती है और इसी वजह से मैंने इस मामले को यहां नहीं उठाना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इंगलिशतान में मैंने देखा है, लंदन में और योरोपियन पार्लियामेंट में मैंने देखा है कि लेबर पार्टी के मेंबर्स पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को कश्मीर के मामले में ईक्वेट कर रहे हैं। कश्मीर के सिलसिले में जब हमारी बात हुई तो हमको जानकारी मिली कि

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लंदन में, इंगलिशतान में जो लोग पाकिस्तानी नागरिक हैं, ये जाकर एमपीज से मिलते हैं और दबाव डालते हैं कि हमारे पक्ष में प्रचार करो। इस पर एक खोज अमरीकन कांग्रेस की ओर से भी हुई है। वहां पर हिन्दुस्तान के नागरिकों में खालिस्तान विरोधी बहुमत में है और खालिस्तान के समर्थक अल्पमत में है, कश्मीर में सेसेसनिष्ट के समर्थक अल्पमत में हैं, वे लोग कांग्रेस सदस्यों पर पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार करने के लिए दबाव डालते हैं।

लेकिन, वहां खोज निकला है, रिसर्च हुई है कि हिन्दुस्तान के जो नागरिक हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जबर्दस्त हैं। लेकिन वे लोग जिस तरीके से अमरीका कांग्रेस के सदस्यों पर दबाव डालना चाहिए वह नहीं डाल रहे हैं। मेरा यह कहना है कि पाकिस्तान के प्रचार को काटने के लिए आफेंसिव रहना चाहिए, उसमें सफलता होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो हमारे फारेन मिशन हैं, उनको कहा जाए कि वे इसको काटे।

दूसरी चीज आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान के वाशिन्दे अमरीका में हैं, उनको कहा जाए कि यहां से मेम्बर आफ पालियामेंट और विदेश मंत्रालय के मन्त्री, खुद जाकर उनसे संपर्क स्थापित करें। वहां शोर हो रहा है कि हिन्दुस्तान के सारे लोग खामोश हैं। वे हिन्दुस्तान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन खालिस्तान के पक्ष में दूसरे लोग भी पाकिस्तान बोल रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार की ओर से हिन्दुस्तानियों को बताया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के खिलाफ जो प्रचार हो रहा है उसको काटा जाए।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान देश भर में गैर कानूनी तरीके से लगातार प्रवेश कर रहे विदेशी घुसपैठियों की ओर दिलाना चाहता हूं। विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार इस समय पश्चिम बंगाल में 60 लाख से अधिक बांगलादेशी घुसपैठी निवास कर रहे हैं। ये विदेशी घुसपैठी खासकर बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 35 लाख से अधिक विदेशी असम में, एक लाख पच्चीस हजार त्रिपुरा मे, एक लाख से अधिक जम्मू कश्मीर मे, डेढ लाख से अधिक मुम्बई में, 55 हजार से अधिक हैदराबाद मे, 35 हजार भोपाल मे और दस लाख से अधिक दिल्ली में गैर-कानूनी रूप से निवास कर रहे है। बिहार में इनकी संख्या 12 लाख, गुजरात में डेढ़ लाख तथा राजस्थान में इनकी संख्या दो लाख से अधिक हो गयी है। नवीनतम समाचारों के अनुसार गुजरात और राजस्थान में विदेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये विदेशी घुसपैठी अवैध हथियारों और सोने चांदी की तस्करी कार्य में लगे हुए है। इनके वेष में विदेशी जासूस भी बड़ी संख्या में प्रवेश करने में सफल हो गये है। वे देश के रक्षा संस्थानों और सुरक्षा अड्डों की जासूसी कर रहे हैं, मुम्बई और दिल्ली जैसे महानगरों में ये विदशी घुसपैठी गंदी और मलिन बस्तियों का निर्माण करके इनको आवास, राशन और सफाई व्यवस्था को गम्भीर खतरा पैदा कर रहे हैं। इस सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि ऐसे विदेशी घुसपैठियों को अविलम्ब देश से निकाला जाय क्योंकि ये तत्व न केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को भी भारी क्षति पहुंचा रहे है। इनके अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जानी चाहिए।

ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा) : अध्यक्ष महोदय, सूत के भाव अत्याधिक और अचानक बढ़ जाने से हजारों पावरलूम मजदूर बेरोजगार हो गये है। वे फाका-कशी कर रहे हैं। इसमें डाईंग प्रोसेस कलेण्डर के एवं प्रिंटिंग में भी इस मूल्यवृद्धि का प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से खासतौर से हमारे खंडवा जिले के बुरहानपुर शहर में पचास हजार बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। मैं शासन का ध्यान

इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अतिशीघ्र सस्ते दामों पर सूत उपलब्ध कराकर इन बेरोजगार बुनकरों को काम देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गुरुदासपुर जिले से 400 परिवारों का एक दल पंजाब में आतंकवादियों द्वारा की जा रही हिंसा के कारण अपने घर-बार छोड़कर भाग गया है और इस समय इंडिया गेट के मैदान में बिना किसी आश्रय के पड़ा हुआ है।

उन्होंने अनकहे दुःख सहे हैं और साथ ही सम्पत्ति की हानि, उठायी है। मुझे यह बताते हुए खेद है कि सरकार द्वारा उन्हें जो भी सहायता दी गई, वह उन तक नहीं पहुंची है। यदि आप वहां जायें, तो आप इन दिनों हो रही भारी वर्षा में उनकी दुर्दशा देख सकते हैं। मैं इस अवसर पर आपकी मार्फत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय दृष्टि से इस समस्या पर विचार करें और जीवन की न्यूनतम प्राथमिक आवश्यकताओं की सामग्री उन्हें तत्काल उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : देश के पूर्व प्रधान मन्त्री और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले माननीय मोरारजी भाई देसाई को 24 अगस्त, 1991 को मुम्बई में भारत रत्न, देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। आज मोरारजी भाई देसाई की उम्र 95 वर्ष है, वे शताब्दी की ओर जा रहे हैं इसलिए स्वाभाविक है कि वे सम्मान लेने के लिए दिल्ली में नहीं आ सके। लेकिन ऐसे समय पर ये पहले प्रधान मन्त्री हैं जिनको जीवितकाल में इस प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है। राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया, इंदिरा गांधी को भी मरणोपरांत दिया गया। ऐसा सम्मान लेने के लिए मोरारजी भाई नहीं आ सकते ये उम्र के कारण अतः होना यह चाहिए था कि राष्ट्रपति हों, प्रधान मंत्री हों या उप-राष्ट्रपति हों, मुम्बई में उनके घर जाकर इसे देते और इस सम्मान को योग्यता से दिया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि इस सरकार के संयुक्त सचिव के जरिए यह दिया गया... (व्यवधान)...यह कार्यक्रम केवल दो मिनट का रहा। उसमें न मुम्बई के मंत्रियों, सांसदों और डिग्नेटरीज को बुलाया गया और न किसी अन्य व्यक्ति को बुलाया गया। सम्मान देते हुए भी एक असम्मानित ढंग से यह किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इतने सर्वोच्च सम्मान को इस तरीके से क्यों दिया और सरकार ने यह जो दिया प्रधान मंत्री को इसके बारे में बयान देना चाहिए और देश से क्षमा याचना करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मुम्बई शहर में भी इसके कारण असंतोष बन गया है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार या प्रधान मन्त्री इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

हर कोई इस बारे में महसूस करता है। (व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : मैं आपके माध्यम से इस महान सभा को उड़ीसा राज्य में उत्कल विश्वविद्यालय पर उत्तरदायित्व के असाधारण भार की जानकारी देना चाहता हूं। यह दयनीय बात है कि इस उत्कल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कालेजों की संख्या 212 हो गई है जो अभूतपूर्व है जबकि किसी भी एक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अधिकतम 100 कालेजों का प्रबन्धन किया जा सकता है। इस दृष्टि से अब इस विश्वविद्यालय को भारत में विशालतम विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त

है। किन्तु यह मिथ्याभिमान की भावना है क्योंकि वस्तुतः यह एक ऐसे असामान्य बोझ तले असहाय रूप से कराह रहा है जिसने इसे अपने कृत्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने में असमर्थ बना दिया है।

अन्ततः सरकार इस बात से संतुष्ट हुई थी कि बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिलों के लिए एक अन्य विश्वविद्यालय स्थापित करना अपरिहार्य रूप से आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस विचार का जोरदार समर्थन किया है। किन्तु मयूरभंज, उड़ीसा के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं। इसीलिए मैंने मानव संसाधन विकास मन्त्री से पुरजोर निवेदन किया था कि विश्वविद्यालय आयोग को इस मामले की जांच करने के निदेश दिये जायें। राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव आना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को इन क्षेत्रों मे एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इस मामले पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मैं अपेक्षा करता था कि सदन के नेता इसका स्पष्टीकरण देंगे। चूंकि मैं गत इतवार को इस घटना के एक दिन बाद बम्बई गया था, जो व्यक्ति मुझे मिला, सब मुझसे यह चर्चा करते थे कि इन बातों का कौन निर्णय करता है? यह सही है कि राष्ट्रपति जी की ओर से सम्मान है लेकिन इसके बारे में निर्णय तो सरकार ही करती है। सम्मान किनको देना चाहिए, भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए तो उसकी प्रक्रिया भी वही तय करते हैं और एक ज्वायंट सैक्रेटरी जाकर बिना किसी औपचारिक समारोह के, बिना किसी निमंत्रण दिये हुए इस प्रकार दे दें मानो कोई न कोई बात करनी है। मैं समझता हूं कि सर्वथा यह शालीनता शून्य कार्य था। सैंस ग्रेस और इसलिए मैं समझता हूं कि विलम्ब से सही लेकिन इसका परिमार्जन सरकार को करना चाहिए कि यह क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसका स्पष्टीकरण देश को देना चाहिए क्योंकि कोई कारण नहीं था और नहीं तो वहां के राज्यपाल एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यपाल भी जाकर दे सकते थे, वहां के मुख्य मन्त्री दे सकते थे।

अध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूं कि मैंने देश में बहुत सारे राजनेताओं को देखा है, उनके साथ-साथ काम किया है। श्रीमन्, मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज बहुत कम रह गए हैं हमारे देश में सार्वजनिक जीवन में और ऐसे व्यक्ति को अगर प्रधान मन्त्री स्वयं भी आकर दे देते तो बहुत बड़ी गलत बात नहीं होती लेकिन जो अपेक्षा मैं करता था कि वहां के राज्यपाल जाकर दे देते या मुख्य मन्त्री देते तो उपयुक्त होता। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में कोई चिन्तन हुआ या अनायास कुछ हुआ कि किसी ने निर्णय किया—ज्वायंट सैक्रेटरी ने या किसी सैक्रेटरी के लेवल पर निर्णय हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ?

[अनुवाद]

श्री श्रीमन्नारायण राव बाडडे (विजयवाड़ा) : महोदय, सम्पूर्ण सभा विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सरदार पटेल के साथ भी यही हुआ था। जब सरदार पटेल को दिया गया था तो इसी तरह से दिया गया था...(व्यवधान)

श्री रबि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं आडवाणी जी के साथ सहमत हूं।

(ख) योजना आयोग द्वारा राज्य के लिए किए गए समग्र आबंटन के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकता के आधार पर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जिलेवार ग्राम विद्युतीकरण संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं।

जौनपुर में सेवा केन्द्र

[हिन्दी]

4738. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर में बनारस और मुम्बई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी में प्रयुक्त सवारी डिब्बों की सफाई के लिए एक सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) इस सेवा केन्द्र पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सेवा केन्द्र का प्रयोग उस कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए यह स्थापित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वाराणसी और बम्बई (दादर) के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी जौनपुर होकर नहीं जाती है।

(ख) से (घ) जौनपुर में, जौनपुर-इलाहाबाद पैसेंजर गाड़ी की सफाई के लिए 8 लाख रुपये की लागत से एक धुलाई लाइन स्थापित की गई है तथा जिसका इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है। जौनपुर और दादर के बीच चलने वाला जो खण्डीय और सवारी डिब्बा वाराणसी-दादर एक्सप्रेस में लगाया जाता है। उसका रख-रखाव भी इस गर्त लाइन पर किया जाता है।

जौनपुर और मुंबई के बीच रेल सेवा

47 9. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर और मुंबई के बीच बरास्ता इलाहाबाद रेल सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जौनपुर और दादर के बीच 1027/1028 दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस में चल रहे दूसरे दर्जे के एक दैनिक थ्रू शयनयान तथा 1 एस जे बी/190 पैसेंजर गाड़ियों द्वारा यातायात की मांग पूरी की जाती है। एक पूरी गाड़ी चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

तंजावुर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

[अनुवाद]

4740. श्री मणि शंकर अय्यर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तंजावुर जिले को घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तंजावुर हवाई अड्डे पर पुनः विमान सेवाएं आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटन केन्द्रों का विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार ने तंजावुर में पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसके लिए 25.60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1990-91 में 12.50 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं। भारत पर्यटन वर्ष की स्कीम के अंग के रूप में केन्द्र ने निम्नलिखित सुविधाओं हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमति दी है।

1. होटल तमिलनाडु में स्तरोन्नयन सुविधाएं 5-50 लाख रुपये।

2. होटल तमिलनाडु तंजावुर में इ पी ए बी एक्स सुविधा 2.00 लाख रुपये।

(ख) परिचालनात्मक एवं वाणिज्यिक कारणों से इस समय तंजावुर जाने के लिए हवाई सेवा पुनः शुरू करना संभव नहीं है।

तंजावुर के स्टेशनों पर वातानुकूलित रेल गाड़ियां

4741. श्री मणि शंकर अय्यर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजावुर जिले के स्टेशनों पर वातानुकूलित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में रेलवे परियोजनाएं

4742. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक

परियोजना के पूरा होने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन निर्माणाधीन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितना खर्च होने का अनुमान है और इनके पूरे होने का कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या प्रत्येक परियोजना के पूरा होने में असाधारण विलम्ब हुआ है ?

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं का निर्माण शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उड़ीसा में चल रही नई रेल लाइन परियोजनाओं, उनकी प्रगति और उनको पूरा करने की लक्ष्य तिथि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र०सं० परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	जुलाई, 91 तक कार्य की वास्तविक प्रगति	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1. कोरापुट-रायगडा (164 कि०मी०	353.28	81%	30-6-92
2. तालचेर-सम्बलपुर (172 कि० मी०)	100.00	22.45%	तालचेर से अंगुल और सम्बलपुर से मानेश्वर तक 34 कि० मी० खंड को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31-12-91 है।

(ग) और (घ) खाड़ी संकट के कारण उत्पन्न डीजल की अत्यधिक कमी के अलावा राज्य सरकार द्वारा भूमि के सौंपे जाने में विलम्ब, भारी वर्षा और विनाशकारी चक्रवात के कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने के कार्यों में कुछ विलम्ब हुआ है। उड़ीसा सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी और रायल्टी में की गई असाधारण वृद्धि के कारण भी और विलम्ब हुआ है।

(ङ) इन परियोजनाओं की संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे को पर्याप्त धन राशि और अन्य सहायता प्रदान की जा रही है।

तमिलनाडु में रसोई गैस पृथक्करण सुविधाओं के लिए परियोजना

4743. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में रसोई गैस पृथक्करण सुविधाओं संबंधी परियोजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) मैसर्स मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड 40.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कावेरी बेसिन से प्राकृतिक गैस प्रयोग करके 16,500 मि० टन प्रति वर्ष एल पी जी उत्पादन करने के लिए तंजौर जिले के पनानगुडी गांव में एक परियोजना स्थापित कर रही है। अनुमान है कि यह परियोजना जनवरी, 1994 तक पूरी हो जाएगी।

दार्जिलिंग में पर्यटन विकास

4744. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग में पर्यटन के विकास के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस ज्ञापन में क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विष्णुप्रयाग बहु-उद्देशीय परियोजना पर व्यय

4745. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में विष्णुप्रयागबहु-उद्देशीय परियोजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था और उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान परियोजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में विष्णुप्रयाग बहु-उद्देशीय परियोजना के लिए योजना आयोग द्वारा 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। योजना आयोग में प्राप्त सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान वास्तविक व्यय 6 करोड़ रुपया था।

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए योजना आयोग के कार्यदल द्वारा 1 करोड़ रु० की धनराशि की अनुशंसा की गई थी।

मेरे जैसे जो संसद सदस्य और इस गृह के माननीय सदस्यों ने जब अखबारों में पढ़ा तो हमको यह चीज खटकी कि संसद सदस्यों को भी बम्बई जाने के लिए क्यों नहीं निमन्त्रित किया गया। मैं यह समझकर चलता हूं कि बहुत संसद सदस्य इस उत्सव में शरीक होते। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि भारत सरकार को कोई ढंग का सोच नहीं है। जैसे कि नौकरशाह का इतना बोलबाला हो गया है, इससे यह प्रभावित हो गई है। सरकार को इस तरह की चीज के सिलसिले में कोई सोच नहीं है। हमें तकलीफ है कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री को नहीं बुलाया गया, मुम्बई मेयर को नहीं बुलाया गया और उस उत्सव में कोई राजनेता नहीं था। असल में भारत सरकार ने तय किया, यह अच्छा भी हुआ कि मोरारजी देसाई को भारत-रत्न की उपाधि देनी चाहिए लेकिन मुझे तकलीफ है कि इस तरह की सारी चीज को नौकरशाह इस तरीके से तय कर लें। सारे लोगों को भी तकलीफ हुई है। हमें बहुत लोगों के तार आगे हैं, लोग पूछ रहे हैं कोई जवाब है? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप भी इस पर रुचि लें? कोई चीज रुचि के साथ करना चाहिए, मैं यही जानना चाहता हूं कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को भारत-रत्न की उपाधि देते समय शालीनता के साथ कार्य करना चाहिए था।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, मैं एक बात कह सकता हूं कि श्री मोरारजी देसाई जैसे देश के एक वरिष्ठ नेता के प्रति अनादर दिखाने का कभी प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जहां तक हम इस मामले के प्रस्तुत ब्यौरे और तथ्यों का सम्बन्ध है—मैं चाहूंगा कि सदस्य इसे मेरे साथ सहन करें—मैं इन सब बातों को प्रधान मन्त्री के ध्यान में लाऊंगा और उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सरकार को माफी मांगनी चाहिए·· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, उलफा उग्रवादियों ने एक जुलाई को 8 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को बन्धक बनाकर रखा है जिसमें सीनियर आई० ए० एस० आफिसर्स हैं। इनमें श्री शिव किशोर तिवारी जो 1970 के बैच के हैं, 21 साल की उनकी सीनियरटी है। चार वरिष्ठ अधिकारी ओ० एन० जी० सी० के हैं, 3 वरिष्ठ इंजीनियर्स और अभी तक सरकार ने दो महीने हो गये हैं, इन 8 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को उनके बन्धक से मुक्त कराने की कोई पहल नहीं की और आज उन उलफा उग्रवादियों ने यह चेतावनी दी है कि आज 27 उनकी अन्तिम तारीख है—डैड लाईन—वे कहते हैं कि कल से एक के बाद एक इन अधिकारियों को वे मार डालेंगे लेकिन भारत सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं यह सरकार इस सदन में वक्तव्य दे कि उन आठ अधिकारियों की प्राण रक्षा के लिए और बंधन से मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या किया और उन अधिकारियों की आज की तारीख में क्या स्थिति है। क्या "उल्फा" उग्रवादियों ने उनमें से किसी को मार डाला है या उनके बंधन में वह बिल्कुल ठीक स्थिति में हैं, इसके बारे में पूरे देश को और इस सदन को सरकार बताने का कष्ट करे, यह मैं आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंककबालू (धर्मपुरी) : "बाजना वैयागन" और "बाजगा बालामुदान" नाम की दो जाली वित्तीय कम्पनियां काम कर रही हैं। उन्होंने तमिलनाडु में सेलम, धर्मपुरी और इनके आस-पास के जिलों के भोले-भाले लोगों से 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। वस्तुत: धोखाधड़ी का काम केन्द्रीय और राज्य सरकारों, विशेषकर सेलम जिले के अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। मेरा वित्त मन्त्री और गृह मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस विशेष मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और विशेषकर सेलम और धर्मपुरी जिलों में अंशदानकर्ताओं को उनका धन वापस दिलवाएं। इसमें 10,000 से अधिक लोग अन्तर्ग्रस्त हैं और वे बेघर-बार हो गए हैं। अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और लोगों को अपनी मेहनत से अर्जित की गई पूंजी से वंचित रखा गया है। अत: महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वित्त मन्त्री तथा गृह मन्त्री जी को अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने की सलाह दें तथा निर्धन जमाकर्ताओं की पूंजी वापिस दिलाएं।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : 1 नवम्बर, 1985 से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता पीठ ने दो पीठों के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। अपने द्वारा दिए गए निर्णयों में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल के रेल कर्मचारियों की सेवा का विवाद, सिक्किम सरकार तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के कर्मचारियों के मामले के संबंध में दिए गए निर्णय शामिल हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किए गए लम्बित मामलों के अतिरिक्त, इस न्यायाधिकरण द्वारा प्रति वर्ष लगभग 1200 नये मामलों के बारे में निर्णय दिया जा रहा है। इस समय 30-6-1991 को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता में लम्बित पड़े मामलों की संख्या 3990 है। बकाया मामलों के भारी बोझ को देखते हुए काफी समय पहले कलककत्ता में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की तीसरी पीठ की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई थी। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के उपाध्यक्षों की 21 तथा 22 सितम्बर, 1990 को दिल्ली में हुई बैठक में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता में तीसरी न्यायपीठ की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तथापि, इसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता में केवल एक ही स्थायी न्यायपीठ है और 10 जुलाई, 1991 से दूसरी न्यायपीठ एक ही प्रशासनिक सदस्य द्वारा चलाई जा रही है। यह पाया गया है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के चेयरमैन ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता के न्यायिक सदस्य के पद को भरने तथा कलकत्ता में तीसरी न्यायपीठ के गठन के कार्यान्वयन की सिफारिश की थी, परन्तु संबंधित मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए यह अभी लम्बित पड़ा है।

कलकत्ता में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पर्याप्त स्थायी न्यायपीठों के अभाव में वादकारियों को बहुत अधिक कष्ट होता है तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता के पास निर्णय के लिए बहुत अधिक मामले लम्बित पड़े हैं तथा इससे केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के उद्देश्य ही विफल हो रहे हैं (व्यवधान)...मैं सरकार का ध्यान शीघ्र उपचारात्मक उपाय करने की ओर दिलाना चाहता हूं अन्यथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है।

श्री सुधीर गिरि (कोंटाई) : देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के प्राधिकारियों ने दो संस्थानों अर्थात् वन मिट्टी व वनस्पति सर्वेक्षण तथा गन्ध सफेदा अनुसंधान केन्द्र और पर्यावरण अनुसंधान केन्द्र को बंगाल से स्थानांतरित किए जाने की इच्छा व्यक्त की है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि संस्थानों को स्थानांतरित न करे। इन संस्थानों की स्थापना 1975 में देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के नियंत्रणाधीन अनुसंधान और प्रायोगिक कार्यों के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान अपनी स्थापना के समय से ही मिट्टी व वनस्पति सर्वेक्षण का कार्य करके बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है तथा इनके द्वारा दार्जलिंग वन प्रभाग, पूर्वी मिदनापुर वन प्रभाग, बीरभूमि वन प्रभाग तथा सिक्किम के दक्षिण और पूर्वी वन विभागों के महत्वपूर्ण नक्शे तैयार किए जाते हैं। इन संस्थानों के अनुसंधानोंमुखी कार्यों की भारत के विशेषज्ञों द्वारा काफी प्रशंसा की गई है। मिदनापुर संस्थान द्वारा भी विद्यासागर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों अध्यापकों तथा अनुसंधान-कर्ताओं को काफी सहायता मिलती है जो अनुसंधान तथा वनस्पति विज्ञान, वन विद्या तथा पश्चिम बंगाल के मध्यरले क्षेत्र में वन रोपण उपायों के कार्यों में लगे हुए है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थान को अपनी इमारत बनाने के लिए 5 एकड़ भूमिदान की है। परन्तु देहरादून केवन अनुसंधान संस्थान प्राधिकारियों ने अपने 8-?-1981 के पत्र संख्या 16/.75/82 स्थापन वन के माध्यम से इन दो संस्थानों को पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की थी। अत: मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इन दो संस्थानों को पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित करने के स्थान पर इनके कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए उपयुक्त उपाय करे।

[हिन्दी]

श्री मानकराम सोढ़ी (बस्तर) : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कोन्टा ब्लाक के इंजरम ग्राम में सुरंग बिछाकर नक्सलवादियों ने 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला। ऐसी मध्य प्रदेश में यह तीसरी घटना है। अभी हाल में बालाघाट में ? व्यक्ति मार डाले गये। नक्सलवादी पहले एक गांव में क्राइम करते हैं और जब पुलिस टीम घटना की जाँच के लिए वहाँ जाती है तो पुलिस टीम को सुरंग बिछा कर उड़ा दिया जाता है। इससे पहले भोजी गांव में भी एक आदमी ऐसे ही मारा गया था। वहां भी जो पुलिस टीम जांच के लिए गई थी, उसे सुरंग लगाकर उड़ा दिया गया। जब किसी गांव में कोई जांच टीम भेजी जाये तो मध्य प्रदेश शासन को सतर्कता से काम लेना चाहिए कि ऐसी घटना हो सकती है क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। यदि सरकार पहले से सतर्क होती तो सुरंग लगाकर पुलिसकर्मियों को मारने के षडयंत्र से बचा जा सकता था, 8 लोग बेमौत न मारे गये होते। इस तरह राज्य शासन बिल्कुल फेल्योर सिद्ध हो रहा है। सतर्कता बरतने से ऐसी घटना को टाला जा सकता था। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ध्यान दे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपसे किसी ने इन्फार्मेशन नहीं पूछी, फिर आप क्यों दे रहे है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन,

[हिन्दी]

सोढ़ा जी ऐसे नहीं, आप बैठिए।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्रीमती सुशीला गोपालन का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान केरल के एल्लेपी तथा कोट्टायम जिलों में मछली प्रजातियों में फैले कीटाणुओं के संक्रमण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहती हूं। वेमबानाड झील तथा इसके आस-पास की नहरों की मछलियां अज्ञात कीटाणुओं के संक्रमण से प्रभावित है। यह झील 75 कि०मी० लम्बी तथा 13 कि०मि० चौड़ी है। आप इस समस्या की महत्व को समझ सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग इससे प्रभावित है। मछलियों के शरीर पर जख्म हो गए हैं जिसमें गन्दी बदबू आती है और उस हिस्से में से मांस बाहर निकल आता है। लोग अन्य प्रकार की मछलियां जैसे झींगा इत्यादि को खाने में भी डरते हैं, जो इस संक्रमण से प्रभावित नहीं है। लोग वास्तव में आतंकित हैं तथा मछुआरों के हजारों परिवार सचमुच भूखे मर रहे हैं। हम जानते हैं कि मेघालय तथा असम में 1988 में मछलियों की प्रजातियों में इसी प्रकार का संक्रमण फैला था।

एक विशेषज्ञ चिकित्सक दल शीघ्र जांच तथा तुरन्त उपचारात्मक उपायों के लिए केरल में भेजा जाना चाहिए। मछुआरों के भूख से मर रहे हजारों परिवारों को तुरन्त राहत प्रदान की जानी चाहिए जैसा कि असम तथा मेघालय में किया गया था।

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर) : महोदय, उड़ीसा के क्योंझर जिले की बेतरनी, कुसई, समकोई, मुसुल, अरदई इत्यादि नदियों के किनारों पर पानी के बह निकलने से बाढ़ आने से अत्यधिक तबाही हुई है।

बेतरनी नदी का बांध दांयी ओर आनन्दपुर से गरेसवर तक जाता है। नदी पर बांयी ओर गरेसवर से आगे कोई मेड नहीं है। इसके कारण समाना, गोविन्दपुर, अगोरा, कुशलेसवर, बालीपुर इत्यादि अक्सर डूब जाते हैं। 3 जनवरी 1991 तथा 29 जुलाई 1991 को टी० ए० सी० में समाना से अगोरा तक 3.80 कि० मी० की दूरी तक 27.70 लाख की अनुमानित लागत से मेड बनाने का प्रस्ताव दो बार रखा गया था। कटक में दूसरी ओर मेड को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आनन्दपुर शहर को सुरक्षित करने के लिए एक थोड़े से भाग पर मेड़ बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए 17.40 लाख की अनुमानित लागत का प्रस्ताव जनवरी,1991 तथा 27 जुलाई 1991 को टी० ए० सी० में रखा गया था। वह दोनों प्रस्ताव दो बार अस्वीकार कर दिए गए। यह दो प्रस्ताव बांयीं ओर के किनारे की ओर गांवों को डूबने से बचा सकते हैं।

दांयी ओर खप्परखाई से पनुपली तक मेड़ बनी हुई है। कुसई नदी के बांयी ओर का किनारा बेतरनी नदी के बांयी ओर के किनारे से मिला हुआ है। उनके मिलने के स्थल पर पचुपल्ली से छत्रा तक 3.2 कि० मी० की लम्बी दूरी का अन्तराल है। टी० ए० सी० में इस प्रस्ताव को सहमति प्राप्त हो गई। परन्तु पर्याप्त धनराशि के अभाव में इस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। इस पर 54 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है जिसमें नहर की लागत भी शामिल है। इससे बांयी ओर छत्रा से पंचुपल्ली, नुआगांव इत्यादि के किनारे के गांवों की रक्षा होगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है ?

श्री गोबिन्द चन्द्र मुण्डा : जी, हां।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, बंगलौर के पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट समय से जारी नहीं किए जा रहे हैं। नियमों के अन्तर्गत पासपोर्ट जारी करने का समय 40 दिन है, इस बीच आवेदकों को पासपोर्ट जारी कर दिया जाना चाहिए अथवा उन्हें इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि उन्हें पासपोर्ट न जारी किए जाने के क्या कारण हैं। आप जानते हैं श्रीमन्, कि हम सबको ज्ञात है कि इस देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। फिर भी अन्यत्र नौकरियाँ खोजने वालों को जिनके पास बीजा भी हैं, समय पर पासपोर्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि वहाँ महिला पासपोर्ट अधिकारी नियुक्त की जाती है। पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट अधिकारी और उसके कर्मचारियों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक अन्य बात यह है कि पासपोर्ट हेतु कुल आवेदकों में से 60 प्रतिशत से भी अधिक दक्षिण कन्नड़ जिला के हैं। इसलिए मंगलूर में पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने की अत्यधिक मांग है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं आपके माध्यम से विदेश मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया वह आवेदकों को शीघ्र पासपोर्ट जारी करने और मंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, आज हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री रामविलास पासवान और श्री दर्शन सिंह जी आंध्र प्रदेश में जो चुंदूर की घटना हुई उसके बारे में धरने पर बैठे हुए हैं। आपने उस घटना के ऊपर मेहरबानी करके यहां कई घंटे बहस कराई तथा सबकी राय के मुताबिक सरकार ने भी यह स्वीकार किया था कि जुडीशियल इन्क्वायरी होगी और इन्क्वायरी कमीशन, स्पेशल कोर्ट की घोषणा सदन में गृह मंत्री ने की, लेकिन आज 3 सप्ताह के बाद उल्टा हो रहा है। वहां शैड्यूल कास्ट के लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है और उनकी जान-माल को खतरा पैदा हो गया है। जब आंध्र प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है तो आज सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हुए है, उसमें हमारे दो माननीय सदस्य भी बैठे हुए है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसी तरह से स्थिति बिगड़ जाती है। यदि तत्काल कार्यवाही नहीं होती है तो परिस्थिति बिगड़ जाती है; वहां डर इस बात का है कि उसके प्रकरण में कोई दूसरी घटना न हो जाए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक तो तत्काल कमीशन बैठाई जाए, दूसरे वहां पर स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और वहां के शैड्यूल कास्ट के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। (व्यवधान)

12.36 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से संसदीय कार्य

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम]

मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी-संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी०—468/91]

तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय, मैं श्री बी० शंकरानन्द की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग (विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०—469/91]

कोयला मन्त्रालय को वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं कोयला मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०—470/91]

— — —

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिए जाएंगे। श्री अंकुशराव टोपे।

(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना), महोदय, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को आन्ध्र प्रदेश में एक महिला को नग्न कर सड़कों पर घुमाया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले भी उठाया गया है। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। वासनिक जी, आप इस तरह हर समय शोर नहीं मचा सकते। यह रिकार्ड कर लिया गया है? मैं नियम बताना चाहूंगा कि किसी मामले को एक बार सभा में उठाए जाने के बाद आप उसे दुबारा नहीं उठा सकते। "पहले उत्तरित प्रश्न अथवा जिसका उत्तर प्राप्त हो चुका है प्रश्न को सारांश में नहीं दोहराऊंगा।" मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री टोपे को अनुमति दी है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हम गृह मंत्री का वक्तव्य चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप गृह मंत्री से मिल लें।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह आपके अपने हित में है। हम कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार कर रहे हैं। क्या आप कृषि की अनुदान मांगों पर विचार नहीं करना चाहते हैं। यह क्या हो रहा है ? जिन मामलों पर हम वर्षों से विचार कर रहे हैं, हम उन पर विचार नहीं करना चाहते और जो कुछ आपके दिमाग में आता है आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं। लोढा जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी सभा है। यह आपका अपना समय है। आप ही सबका समय नष्ट नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अंकुशराव टोपे का नाम लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री टोपे का नाम लिया है। कार्यवाही वृत्तान्त में केवल श्री टोपे का भाषण कार्यवाही में सम्मिलित किया जाएगा किसी अन्य सदस्य का भाषण सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

12.39 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) शाहगढ़ में गोदावरी नदी पर नया पुल बनाने की आवश्यकता

अंकुशराव टोपे (जालना) : महोदय, शाहगढ़ में गोदावरी नदी पर स्थित प्रमुख पुल में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाली मराठवाड़ा क्षेत्र में की मुख्य लाइन

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अंकुशराव टोले]

पर यातायात पिछले एक साल से प्रभावित है। संबंधित अधिकारी नये पुल का निर्माण करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। वाहनों को अपने गन्तव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नये पुल के निर्माण के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए तथा मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को उक्त कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू करने का निदेश दिया जाए।

(दो) मद्रास और मुम्बई के बीच जनता और नवजीवन एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को पुन: शुरू करने की आवश्यकता

श्री ए० प्रताप सम्य (राजमपेट) : रायलसीमा, जोकि आंध्र प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में बहुत कम रेलवे नेटवर्क है। मद्रास मुम्बई बड़ी रेल लाइन रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों से होकर गुजरती है। उक्त गाड़ी 35 वर्ष पहले चलाई गई थी तथा स्थानीय किसानों के लिए बहुत किफायती थी जिससे वे अपनी कृषि उत्पाद जैसे आम, नीबू, सन्तरे, केले तथ मुख्यत: पान के पत्ते दोनों महानगरों में सीधे लेजाते थे।

यह गाड़ी जनसाधारण के लिए भी आरामदायक थी। ऐसी लोकप्रिय रेलगाड़ी लोक प्रतिनिधियों से सलाह लिए बिना अचानक रद्द कर दी गई और इसे रद्द करके कोई उचित कारण ही बताया गया। इसी प्रकार इस बड़ी लाइन पर मद्रास और अहमदाबाद के बीच चलने वाली नवजीवन एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया जिससे लोगों को बहुत अधिक आर्थिक कठिनाई हुई है। अत: इस क्षेत्र की विकास गतिविधियां आम आदमियों, किसानों तथा उद्योगपतियों के कार्य इस गाड़ी के रद्द करने से रुक गए हैं।

इस पिछड़े हुए क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जनता तथा नवजीवन एक्सप्रेस को इस क्षेत्र से गुजरते हुए दोबारा शुरू किया जाए।

(तीन) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में गोपालपुर में कोयला डिवीजन खोलने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : गोपालपुर के सुन्दरगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कोयले का भण्डार है। कोयला खानों को अभी कार्य शुरू करना है। भारत सरकार के निर्देश पर 15 गांवों को खाली कराये जाने के लिए निर्धारित किया गया है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि उनको हटाने से पहले उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा उनके पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इन विस्थापितों के परिवारजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाने के तत्काल कदम उठाये जाएं। सुन्दरगढ़ के लोगों की यह मांग है कि गोपालपुर में एक कोयला डिवीजन खोली जाए।

गोपालपुर में कोयला डिवीजन खोले जाने से विस्थापित लोगों तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। यह स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा तथा यदि खानों के निकट डिवीजन कार्यालय खोला गया तो प्रभावी एवं समय पर कार्यवाही की जा सकेगी।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गोपालपुर में कोयला डिवीजन खोला जाए।

(चार) जलगांव से लखनऊ भेजे जाने वाले केलों के कानपुर रेलवे स्टेशन पर वितरण में होने वाले विलम्ब को रोकने की आवश्यकता

डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जलगांव) : जलगांव जिले में उत्पादित केलों को रेल डिब्बों द्वारा उत्तर भारत में भेजा जाता है तथा उन्हें वहां वितरित किया जाता है। रेल डिब्बों को जलगांव जिले से लखनऊ तक के लिए लादा जाता है। तथापि रेलवे अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के बढ़ावा देने पर कानपुर रेलवे स्टेशन पर इसके वितरण में अनावश्यक देरी की जाती है। चूंकि केला नष्ट होने वाला फल है इसके वितरण में देरी नुकसान होता है।

अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर ऐसी देरी रोकी जाये तथा लखनऊ और कानपुर के लिए विशेष फल वाली रेक की व्यवस्था की जाए।

(पांच) "रेजिन और रोजिन" को मुक्त सामान्य अनुज्ञा-पत्र के क्षेत्र से बाहर रखने और उन्हें स्वदेशी स्रोतों से खरीदने की आवश्यकता

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, हिमाचल प्रदेश में ठंडे जंगलों में से रेसिन निकालने तथा रोसिन और तारपीन की फैक्टरी में इसको परिष्कृत करने का कार्य पिछले 50 वर्षों से चल रहा है। प्रमुख रूप से रेसिन निकालने का सम्पूर्ण कार्य तथा इसके परिष्करण का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लि० द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों में कुछ छोटे उद्योग भी इस कार्य में लगे हुए हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग 7000 श्रमिक इस कार्य में लगे हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इस कार्य में बल लगी हुई है।

कुछ सालों से यह देखा गया है कि जब भी देश में रेसिन और रोसिन का आयात किया जाता है तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के स्वदेश में विकसित रोसिन की बिक्री कम हो जाती है बड़ी संख्या में रोसिन एकत्र हो जाने से सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में नुकसान होने लगा है तथा श्रमिकों की आजीविका में कमी आई है। रोसिन की बिक्री दरों में गिरावट का मुख्य कारण खुला सामान्य लाइसेंस नीति के अन्तर्गत आयातित रोसिन का सस्ता मिलना है। उपरोक्त उत्पादों के आयात किये जाने के कारण हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के हजारों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

मुम्बई में आयातित रोसिन का मूल्य 24 रुपये प्रति किलो है जबकि हिमाचल प्रदेश से देश में उत्पादित रोसिन का मूल्य 26 रुपये प्रति किलो है।

दरों में भिन्नता होने के कारण रेसिन और रोसिन के भण्डार फैक्ट्रियों में जमा हो रहे हैं तथा खुला सामान्य लाइसेंस नीति के कारण बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूप से बाहर जा रही है। मैं सुझाव देता हूं कि रेसिन और रोसिन को खुला सामान्य लाइसेंस के क्षेत्र से निकाल देना चाहिए।

[हिन्दी]

(छ:) कानपुर शहर और कानपुर देहात में कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदूषण के मामले में कानपुर नगर की

[श्री केशरी लाल]

स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। प्रदूषण से कानपुर देहात में रनियां तथा घाटमपुर में स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सम्पूर्ण रनियां क्षेत्र में प्रदूषण से त्राहि-त्राहि मची हुई है तथा कमोवेश यही स्थिति घाटमपुर की भी है। वहां पर सीमेंट फैक्ट्री सर्वाधिक प्रदूषण फैला रही हैं। कानपुर में भी कारखानों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण से वहां की नदियां पाण्डु एवं रिन्द बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। परिणामस्वरूप कानपुर देहात में किसानों तथा मवेशियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि कानपुर देहात तथा शहर में प्रदूषण फैला रहे कारखानों का सर्वेक्षण कराकर उनमें या तो अविलम्ब प्रदूषणरोधी यन्त्र लगाए जाएं या फिर जनहित में उन्हें बन्द किया जाए।

(सात) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री प्रताप सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या अपने विकरालतम स्तर पर है। शिक्षित होते हुए भी नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा समय-समय पर आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या को त्वरित गति से हल करने के प्रयास किये जाएंगे। आज कुछेक रिक्तियों को छोड़कर लगभग सभी जगह स्नातक तक की शिक्षा का होना अनिवार्य-सा हो गया है। आंकड़े यह बताते हैं कि प्रतिवर्ष शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। किन्तु उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह आयु सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र घोषणा करे, ताकि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सकें और यह शिक्षित एवं दिशाविहीन होने से बच सके।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम की सूची से जंगली सूअर को निकालने की आवश्यकता

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : जंगली सूअर अर्थात् बनैला सूअर आन्ध्र प्रदेश में गुन्टूर, आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल, खम्माम, नालगोंडा, कुड्डप्पा, अनन्तपुर और कुरनूल जिलों की गन्ने, मूंगफली, सब्जियों आदि की फसलों को नष्ट कर देते हैं। इन बनैला सूअरों के कारण कई करोड़ रुपये की फसलों का नुकसान हो जाता है। गुवरात सहकारी चीनी मिल के क्षेत्र में गन्ना क्षेत्र के बहुत से हिस्से को इन बनैले सूअरों द्वारा पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है। किसान गन्ने की फसल करने से डरने लग गए है। इसलिए मिल इस स्थिति में नहीं है कि गन्ने की पर्याप्त मात्रा पा सके जिसके कारण किसानों, हिस्सेदारों तथा कार्मिकों को भारी नुकसान होता है। चूंकि 'जंगली सूअर' वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आता है, इसलिए इस जानवर को मारना अपराध होगा। इसलिए गांव वाले बहुत कष्ट सहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। सरकार द्वारा इसकी तत्काल जांच कराये जाने की आवश्यकता है और जंगली क्षेत्रों के रहने वाले ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनैली सूअर को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम संबंधी जंगली जानवरों की सूची से बाहर करने के लिए संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

12.50 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

कृषि मन्त्रालय, खाद्य मन्त्रालय और ग्रामीण विकास मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी।

कुमारी उमा भारती अपना भाषण जारी रखेंगी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, कल जहां से मैंने चर्चा का समापन किया था कि हमारे देश में गांवों के विकास की ओर, चाहे कृषि हो और चाहे गांवों के छोटे-छोटे हस्तकला, दस्तकारी से संबंधित उद्योग हों, उनके बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि हमारे देश का पहले नाम था धर्म-परायण कृषि प्रधान देश और 44 साल के बाद जो अब हमारा देश है, इसको बनाने की कोशिश की गई—उद्योग प्रधान धर्मनिरपेक्ष देश। मुझे लगता है कि हम दोनों ही जगह पर बहुत बुरी तरह से असफल रहे। धर्मनिरपेक्षता में हम कैसे असफल रहे, अगर इसको मैं चर्चा करूंगी तो अप्रासंगिक होगी, किन्तु आर्थिक तौर पर प्रगति करने में हम किस प्रकार से असफल रहे, इसकी चर्चा मैं अपने विषय पर बोलते हुए निश्चित रूप से करूंगी। आज 44 साल के बाद हम एक आर्थिक दुष्चक्र में फंस गये कि आय कम है इसलिए बचत कम है, बचत कम है इसलिए निवेश कम है और निवेश कम है इसलिए उत्पादन कम है, फिर उत्पादन कम है इसलिए आय कम है, आय कम है इसलिए बचत कम है, बचत कम है इसलिए निवेश कम है और फिर निवेश कम है इसलिए फिर उत्पादन कम है। हम यह समझ रहे हैं कि शायद इस दुष्चक्र से हम विदेशी धन की सहायता के जरिए निकल सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि विदेशी धन हमें इस दुष्चक्र से निकालेगा नहीं बल्कि धीरे-धीरे आर्थिक गुलामी की ओर धकेलता चला जायेगा और जो कभी भारत की स्वतंत्रता को हासिल करते समय, भारत के बारे में चर्चिल ने बड़े आहत हो करके घोषणा की थी कि भारत के लोग स्वतंत्रता के अभ्यस्त नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सदियों की गुलामी भुगत ली है इसलिए वे बहुत जल्दी ही अपनी गुलामी की दूसरी व्यवस्था भी बना लेंगे और 44 सालों में आर्थिक तौर पर आज हम जहां पहुंचे हैं उससे लग रहा है कि हमने अपनी गुलामी की व्यवस्था, खास करके आर्थिक गुलामी की व्यवस्था की पूरी तैयारी की हुई है। इसलिए यदि हमें इस दुष्चक्र से निकलना है कि यदि आय कम होगी तो बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा और हम इसमें फंसे हुए हैं। तो इससे निकलने का उपाय यह है कि आज हम देशी संसाधनों का सहारा लें और उसमें हम सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि गांव और कृषि का हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं।

एक बात है कि अभी तक हमारा जो इकोनोमिकल सेटअप बन गया है उसमें निश्चित रूप से इस दुष्चक्र से निकलने में हमें बहुत समय लगेगा। अगर हम देशी संसाधनों का सहारा लेते हैं तो, लेकिन देशी संसाधनों का सहारा लिए बगैर हम इस दुष्चक्र से निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें उस सारी व्यवस्था के बारे में सोचना होगा जिसमें ऐसा हमने इन्तजाम किया था कि उद्योगों के साथ में दुलरवा लाडले बेटे का बर्ताव और कृषि के साथ में आयस का बर्ताव, जैसे लाडले

[कुमारी उमा भारती]

बेटे की देखभाल के लिए आया रखी जाती है उसी तरह से उद्योगों की देखभाल के लिए, उनको रॉ-मेटिरियल देने के लिए ही कृषि है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात दिमाग के अन्दर आई, इसलिए खेती को बनाया गया। घर में काम करने वाली नौकरानी, लड़के की देखभाल करने वाली नौकरानी और उद्योगों को भारी मशीनों पर आधारित उद्योगों को बनाया गया लाडला बिगड़ा हुआ सपूत। अन्त में आज उसके ये परिणाम आये हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके तत्काल बाद 1950 और 51 के जो आंकड़े हैं वे बता रहे हैं कि कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान 60 प्रतिशत था और आज मालूम पड़ रहा है कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान सिर्फ 30 प्रतिशत रह गया है। इससे दो बातें साफ होती हैं कि अन्य क्षेत्रों में तो प्रगति हुई, लेकिन कृषि के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके साथ-साथ एक और बात स्पष्ट होती है कि कृषि के ऊपर से जन का दबाव सिर्फ 5 प्रतिशत कम हुआ है, यदि पहले 74 प्रतिशत लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे तो आज 69 प्रतिशत गांव के लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं। इससे साबित होता है कि कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान आधा हो गया, इससे यह स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि गांवों में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। हम इस तरीके को किसी भी प्रकार से काट नहीं सकते है। गांवों में निश्चित रूप से गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है। गांवों में जो बेरोजगार लोग हैं, उनको गांवों में रोके रखने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए सारी की सारी भीड़ विस्फोटक तरीके से शहर की ओर बढ़ रही है और शहरों की अर्थव्यवस्था जो कि पहले से ही कमजोर है, इस वजह से मैं समझती हूं कि शहरों का सारा का सारा सैटअप डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए एक बार फिर कृषि के बारे में गहराई के साथ विचार करना होगा। यह सोचना होगा कि अधिकतम जमीन इस देश में कृषि योग्य बनाई जाए और कृषि योग्य जमीन का अधिकतम भाग सिंचित किया जाए और जन-दबाव जमीन पर कम किया जाए ताकि गांवों की भीड़ शहर में न आए, उस भीड़ को रोकने के लिए गांव में ही व्यवस्था करनी चाहिए। गांव में हस्तकला, दस्तकारी आदि तरीके है, जिन पर आधारित उद्योग गांवों में लगाए जा सकते है और बेरोजगार लोगों को शहरों में आने से रोका जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि एक व्यवसाय मात्र नहीं है, बल्कि जीवन-दर्शन है, किसानों का खेती के साथ एक रागात्मक संबंध होता है। मैं स्वयं किसान परिवार में पैदा हुई हूं, मेरे भाई खेती करते हैं, मेरा परिवार छोटा कृषक परिवार है, वहां पर ट्रेक्टर से नहीं बल्कि हलों द्वारा खेती होती है। मैंने देखा है कि जब मेरे भाई खेत में हल चलाना शुरू करते हैं, तो उससे पहले धरती की पूजा करते हैं, फसल काटने से पहले फसल की पूजा करते हैं, क्योंकि भूमि उनके लिए मात्र साधन नहीं है, बल्कि भूमि के साथ उनका बड़ा रागात्मक सबंध है। एक प्रकार की जीवन पद्धति, जीवन दर्शन किसान का कृषि के साथ, जमीन के साथ बना हुआ है, जैसे माता का संबंध बेटे के साथ होता है। कृषि के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे खेती के साथ गोपालन भी जुड़ा हुआ है।

लेकिन आज कृषि और गोपालन की क्या स्थिति है। आज हमारे उद्योग जिस प्रकार से भारी मशीनों पर आधारित हैं, इसी तरह से कृषि को भी यंत्रों पर आधारित बनाया जा रहा है। कृषि के आधुनिकीकरण के नाम पर उसका पश्चिमीकरण किया जा रहा है और कृषि का यांत्रिकीकरण किया जा रहा है। कृषि को यंत्रों पर और कृत्रिम रासायनिक खादों पर निर्भर किया जा रहा है। यांत्रिकीकरण के चक्कर में हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि किसानों के लिए गाय का क्या महत्व है। जैसे ही गाय की बात उठती है तो लोग समझते हैं कि यह भी कोई सांप्रदायिक मामला उठाया जा रहा है। रामजन्मभूमि मामले की तरह इसको भी सांप्रदायिक मामला समझा जाता है। जब हम धारा 370

की बात करते हैं तब भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इसी तरह से जब गोपालन की बात हम करते हैं तो भी उसको धर्म से जोड़ा जाता है। गाय का महत्व गांवों में सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, गाय का और भी काफी महत्व है। आज गांवों में 13 प्रतिशत लोग 57 प्रतिशत जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और यही 13 प्रतिशत ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकते है, इनमे से भी कई अफोर्ड नहीं कर सकते। गांव का छोटा किसान ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए उसको बैलों का ही सहारा है। आज हम यंत्रों और रासायनिक खाद के जरिए हरित-क्रांति का सपना देख रहे है, यह हमारी भूल है। हम अमरीका और यूरोप की नकल करने के चक्कर में गलती कर रहे हैं। अमरीका में सिर्फ 6 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है और भारत में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है। अमरीका का किसान 2-3 साल के लिए जमीन की उर्वरा शक्ति फिर से हासिल करने के लिए उसको खाली छोड़ सकता है, लेकिन भारत का किसान नहीं छोड़ सकता। क्योंकि भारत के किसान के पास एक तो भूमि कम है और दूसरा उसके पास भूमि के अलावा जीवनयापन का और कोई साधन नहीं है। वह भूमि को खाली नहीं छोड़ सकता। अगर भूमि को किसान खाली छोड़ेगा तो भूखों मर जाएगा। इस प्रकार से आज धरती की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। आज अगर हिन्दुस्तान में गाय को पूरा महत्व दिया गया होता, गोवंश के वध पर पूरी तरह से बंदिश लगाई गई होती, धार्मिक मामले से न जोड़कर गोमांस के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया होता तो आज यह स्थिति न होती। बेचारा छोटा किसान जो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, वह आज ठीक से खेती नहीं कर पा रहा है। बिजली, खाद, यंत्र इस सबके साथ उसका मेल नहीं हो पाया है।

1.00 म० प०

छोटा किसान सीमान्त किसान में बदला, सीमान्त किसान भूमिहीन मजदूर में बदला और भूमिहीन मजदूर या तो बंधुआ मजदूर में बदला या गिट्टी तोड़ने के लिए और बड़े-बड़े भवन, पूंजीपतियों के लिए खड़ा करने के लिए मजदूर बनकर के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, लखनऊ और कानपुर में आ गया। यह सारी गलती इसलिए हुई कि हम यह नहीं समझ पाए कि छोटे-छोटे किसान के लिए क्या-क्या सुविधाएं देनी होंगी। उसके लिए गाय का क्या महत्व है, वह नहीं समझे। गाय, गोबर देती है तो खाद बनता है, बछड़ा देती है तो बैल बनता है, दूध देती है तो किसान के बच्चे पुष्ट होते हैं। ट्रैक्टर, दूध, गोबर और बछड़ा देगा क्या। इस देश में सत्तर प्रतिशत खेती ऐसी है जो बैलों के सहारे हो रही है। बाकी खेती पन्द्रह प्रतिशत अन्य पशुओं के सहारे हो रही है। मेरा अन्दाजा ऐसा है कि 10, 11 या 12 प्रतिशत ऐसी है जो ट्रैक्टर के सहारे हो रही है। गोवंश पालन के साथ किसान की पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। गाय, बछड़ा देती है तो बैल बनता है, दूध देती है तो बच्चे स्वस्थ होते हैं, गोबर देती है तो खेती के लिए अच्छा खाद मिलता है। हमारे देश में विदेशी गाय आने लगी हैं जिनको वी० आई० पी० गाय बोलते हैं। उनको, मां कहने का मन नहीं होता। देशी गाय मां लगती है और विदेशी गाय मैडम लगती है तो उनको मां कहने का मन नहीं होता, मैडम कहने का मन होता है। उन विदेशी गायों को नहलाना पड़ता है और पंखे की हवा देनी पड़ती है और उनके तन में किल्ली लग गई तो वह दूध नहीं देती। इतने नखरे देशी गाय नहीं करती। कांग्रेसी सरकार के मिनिस्टर या आइ० ए० एस०, आइ० पी० एस० श्रेणी के अधिकारियों के इतने नखरे होते हैं। देशी गाय खुब नहाने तालाब में जाती है और हवा खाती है और वह प्यार करना जानती है। विदेशी गाय भी वैसी ही हैं जैसी विदेशी महिलाएं होती है और प्यार के मामले में संकुचित होती है।···(व्यवधान) गो-हत्या के प्रतिबंध को लेकर के जो महात्माओं ने आन्दोलन किया था तो धार्मिक की वजह से नहीं था। वह किसान की भलाई के लिए था। आज इस समय हमारे देश में आठ करोड़ भारवाही पशु है। उनका स्थान लेने के लिए 67 लाख ट्रैक्टर चाहिए। अभी करीब छह लाख ट्रैक्टर है। इस हिसाब से कैसे

[कुमारी उमा भारती]

व्यवस्था होगी। ईमानदारी से किसानों की चिंता है और यह सरकार अगर साबित करना चाहती है तो इनको देश में गो-हत्या, गो-वंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध घोषित करना चाहिए और गों-मांस के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। जिस प्रकार से खेती का संबंध गो-पालन से है, उसी प्रकार से किसान का संबंध वनों के साथ होता है। वन में हर पेड़ किसान का देवता जरूर होता है जो भारत का चिनन और भारत की संस्कृति का चिन्तन है। धरती से लेकर आकाश तक जितने भी जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, बनस्पति और नदियां हैं, उनमें भेद नहीं होता। वे सब के सब उसे पूज्य हैं। इसी प्रकार से वन से भी किसानों का बड़ा रागात्मक संबंध होता है। लेकिन हमने उसको भंग किया। अंग्रेजों की फॉरेस्ट पालिसी ने उसको भंग किया जो कि हमने बनाए रखी जैसी हमने अंग्रेजों की अंग्रेजी बनाए रखी। वैसे ही वन नीति बनाए। गांव के लोगों के मन में वनों के प्रति सुरक्षात्मक भावना होती है, वह समाप्त हो गई। वन, अंधाधुंध कटे और ठेकेदारों ने अंधाधुंध कटवाए। इसकी जगह हमें पड़ोसी चीन से सीखना चाहिए। चीन में बेरोजगार गांव के लोग शहरों की ओर नहीं भागते और गांव में कोई साधन मिल जाता है। बेरोजगार परिवारों को खाली पड़ी हुई वन भूमि देनी चाहिए। हमारे यहां रिकार्ड में होता है कि वन है। वैसे एक पेड़ भी नहीं होता है। मैं खुद गांव की हूं। लोग कहते है कि यहां वन भूमि है। यहां खेती नहीं हो सकती है जबकि यहां पेड़ है। वहां एक भी पेड़ नहीं होता है, उसको वन भूमि कहते हैं। चीन की तरह गांव के लोगों को वृक्षारोपण का अधिकार दिया जाए। उनकी भूमि उनका हिस्सा होता है। गांव के गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर, सीमान्त और छोटे किसानों के जो नौजवान बच्चे शहर की ओर भागते हैं। वे वृक्षारोपण के जरिये अपना रोजगार कमाते और अन्त में गांवों में ही सीमित होकर रह जाते। आज हमारे देश में 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर वृक्षारोपण हो सकता है और 7 करोड़ श्रमिकों के परिवार ऐसे हैं, अगर हम ठीक से गांवों के बेरोजगारों को भूमिहीन श्रमिकों को वृक्षारोपण की ओर लगाते तो यह जो गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, इस विधि से उसको रोका जा सकता था। वन कटे और भूमि खाली हुई। उसके कारण जल और वर्षा पर भी असर पड़ा। परिणाम अन्त में यह निकला कि इस देश में पानी की खेती के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए भी वह नहीं हो पाई। वैसे हम गौरव करते है कि भारत में हरितक्रांति हुई, हम खाद्यानों में पहले जितना उत्पादन करते थे उससे तीन गुना अधिक करने लगे है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं अगर अपनी तरफ ही देख-देखकर खुश होना है तो जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए। वेदान्त और अध्यात्म का नियम है कि अपनी आत्मा को देखो बाकी दुनिया को बिलकुल मत देखो तब तो ठीक है। अगर दुनिया में रहना है, नदियों के किनारे तपस्या करनी है, गुफाओं में रहकर आत्मदर्शन नहीं करना है तो दूसरों के साथ तुलना करनी पड़ेगी। हम गांवों को भूले हुए है और यही सोच कर खुश हो रहे हैं कि हमने तीन गुना अधिक उत्पादन कर लिया है। जबकि हकीकत यह है कि दूसरे देशों की तुलना में हमारी उत्पादकता बहुत कम है। हमारे पड़ोसी देश चीन में जितनी भूमि में 16 करोड़ टन चावल पैदा होता है उससे अधिक भूमि में हम 7 करोड़ टन चावल पैदा कर पाते है। इसका कारण है कि सिंचाई का अभाव। जापान में प्रति हेक्टेयर भूमि में चावल का जितना उत्पादन है उसके मुकाबले हम एक तिहाई ही उत्पादन कर रहे है। इसका कारण है सिंचाई का अभाव। सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं गया। सिंचाई की तरफ ध्यान गया लेकिन पहली तीन योजनाओं में सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह था कि पहले कृषि को नौकरानी समझा जाता था कि खेती इस लिए है कि वह उद्योग को रा-मटेरियल सप्लाई करती रहे और थोड़ा बहुत खाने के लिए पैदा करती रहे। यह लोगों की समझ में नहीं आया कि यह देश कृषि प्रधान और धर्म निरपेक्ष देश है और यह जबर्दस्ती उद्योग प्रधान और धर्मनिरपेक्ष

देश नहीं बन पाएगा। इसकी यह संस्कृति या प्रकृति नहीं है। इसको खोवेंगे तो असफल हो जायेंगे। असफलता सामने आई जब 1965 का अकाल पड़ा और झटका लगा। उस समय सिंचाई का महत्व समझ आया कि निश्चित रूप से बड़ी भारी भूल कहीं हुई है लेकिन तब देरी हो चुकी थी। पिछली तीन योजनाओं में सिंचाई का लक्ष्य कम रखा और लक्ष्य के अनुसार प्राप्ति भी बहुत कम हुई। उसके बाद चेतना जागी और अकाल का झटका पड़ा और खेती का महत्व और खेती मे सिंचाई का महत्व समझ में आया। इसीलिए चार-पांच योजनाओं में लक्ष्य भी बड़े रखे गए और लक्ष्यों के अनुसार प्राप्ति भी बड़ी हुई। तीसरी योजना में लक्ष्य भी कम और प्राप्ति 42 प्रतिशत हुई और चौथी और पांचवीं योजना में लक्ष्य भी बड़े और लक्ष्यों की प्राप्ति भी 90 प्रतिशत। इसीसे मालूम पड़ता है कि पहली तीन योजनाओं में कृषि की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी और कृषि के मामले में सिंचाई में भी पूरी तरह उपेक्षा की गई। यह पहली तीन योजनाओं की तुलना चौथी-पांचवीं योजना से करें तो स्पष्ट हो जाता है।

अभी जो नये आंकड़े हैं उससे एक बात और मालूम पड़ रही है कि हरित क्रांति की जो गति है वह धीमी है, उसका मोमेन्टम भी कमजोर बढ़ा है। इसका कारण है जो हरित क्रान्ति आई है वह सिंचित भूमि में आई है जबकि वह सिर्फ 40 प्रतिशत है। 60 प्रतिशत भूमि अभी भी कृषि योग्य जो जमीन है वह असिंचित है। उस असिंचित कृषि योग्य भूमि में कौन सी फसल पैदा की जाए जो ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सके। इसके बारे में नहीं सोचा गया। जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं वे किसान थोड़े ही पैदा करते है, ये अफसर पैदा करते हैं। वहां से किसान पैदा होने चाहिए, वे भी ऐसे जिनको टेक्नोलोजी का ज्ञान हो कि सिंचित के अलावा असिंचित भूमि का भी अस्तित्व इस देश में बड़ा है 60 प्रतिशत उस असिंचित जमीन में कौन सी किस्में उपजाई जायें जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सकें, उसकी टेक्नोलोजी के बारे में विचार करने वाला होना चाहिए कृषि विश्व-विद्यालय में पढ़कर निकले हुए विद्यार्थी को कि कैसे हरित क्रांति ला सकते हैं। इस लिए हरित क्रांति आई तो सिर्फ सिंचित क्षेत्रों में आई। अगर 60 प्रतिशत असिंचित क्षेत्रों के बारे में ठीक से विचार नहीं किया जाएगा तो हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, 60 प्रतिशत असिंचित क्षेत्र वाले पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। पानी गिरेगा तो फसल होगी, पानी नहीं गिरेगा तो फसल नहीं होगी। ऐसी जगह जो पहले बीज उगाये जाते थे वे भी अब कम हो गए हैं। पहले धान की जितनी फसल मिलती थी वह भी कम हो गई है। मुझे अपने बुन्देलखंड का मालूम है, हमारे यहां समा, कौदों, लठारा, राजी और कुटकी कितने प्रकार के बीज होते थे, आज धीरे-धीरे उनका पता नहीं लग रहा है, न जाने कहां लुप्त हो गए। उनको कैसे बचाया जा सके इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका बहुत महत्व था उनको खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता था। आजकल जो खाने का गेहूं मिलता है हमारे गांव के किसान लोग उसको भूसा कहते हैं। और इसके पहले जो पुरानी किस्में थीं गेहूं की, वे अमृत देती थीं। पुराने जमाने के जो किसान लोग हैं, अगर वे हाथ पकड़ लें तो हाथ छुड़ाना कठिन होता था। मेरे बाबा 90 साल के थे अगर मेरे भैया का हाथ पकड़ लें तो हाथ छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता था और 90 साल के बूढ़े आदमी के हाथ कड़क थे। मैंने उनसे पूछा कि इतना दम कैसे है शरीर में तो बोले हमने खाया है ललकटिया गेहूं और तुमने खाया है भूसा। इसलिए उसका असर है हमारे ऊपर तो हमारी हड्डियों में दम है और तुम्हारी हड्डियों में दम नहीं है। इसलिए हमारी देसी किस्में बनी रहें और उनका महत्व बना रहे। उसके बारे में भी विचार होना चाहिए और उनको उचित संरक्षण मिले और धीरे-धीरे उनका अस्तित्व नष्ट न हो जाए, इसकी तरफ भी हमे ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जब बात आयी तो मैंने एक बात यहां कही थी और माननीय कृषि मंत्री ने मुझसे कुछ कहा भी। उसके बारे में निवेदन कर दूं कि सिंचाई का महत्व समझो। ये जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं जिनके बारे में मैंने उस दिन भी कहा था ये कैसे हैं जो कि धारा खूब जा रही है

[कुमारी उमा भारती]

लेकिन दूध अभी तक नहीं दे रही है। इन बड़ी बड़ी योजनाओं पर हजारों करोड़ों रुपया अटका हुआ है, भगवान जाने कब पूरी होंगी ? यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पड़ी हुई हैं, काम लटका हुआ है फाईलें चल रही है। लोगों को तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह लेने वाले उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पड़े-पड़े मक्खियां मार रहे है। इन बड़ी-बड़ी योजनाओं की जगह पर यदि छोटी-छोटी योजनाओं को महत्व दिया गया होता तो जो गांव में भूखंड होते हैं, जिनमें छोटे-छोटे जलाशय बन सकते हैं, छोटे-छोटे नाले बन सकते है, उनको महत्व दिया गया होता तो जल्दी सिंचाई देने लग जाते। कहीं-कहीं तो दो, पांच या दस साल में देने लग जाते हैं। देश की ऐसी योजनायें कब पूरी होंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब तक ये हजारों-करोड़ों रुपये की योजनायें चलती रहेंगी, समझ में नहीं आता कि इनका भविष्य क्या होगा ? सिंचाई के बारे में भी हमने विदेशों की नकल करने की कोशिश की है। विदेशों में बड़े-बड़े बांध हैं तो हमारे यहां भी बड़े-बड़े बांध होंगे। वहां खूब जमाकर खाद्यान्न उत्पन्न इसलिए किया कि यदि वहां पर बड़े-बड़े बाँध हैं तो कृषि पर निर्भर करने वाले लोगों की संख्या कम है। वे इन्तजार कर सकते हैं, उनका धैर्य हो सकता है। हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं है। यहां की स्थिति उनसे भिन्न है। इसलिए सिंचाई के मामले में छोटी-छोटी योजनाएं और थोड़े समय पर पूरी होने वाली योजनाओं की तरफ यदि उचित ध्यान दिया जाए तो ज्यादा लाभ होता और अभी भी, अगर हम चाहें तो जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि अगर हम थोड़ा सा भी सैट-अप को बदलने की कोशिश करें तो एक दशक के अन्दर अच्छा परिणाम लाकर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे किसान नेता श्री दत्तोपन्त जी ठेंगड़ी हैं उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे और उन्होंने कहा था कि 6 वर्ष के लिए अगर सरकार मेरे इन सुझावों के ऊपर अमल करेगी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी सरकार देख सकती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन कृषि के मामले में इस देश में लाया जा सकता है। मान लीजिए कि सिंचाई हो गयी और कृत्रिम रासायनिक खाद के जरिए उपज खूब हो गयी लेकिन इस देश में किसान के साथ बहुत बड़ी दगाबाजी हुई कि जब-जब इस देश में कृषि के मामले में रिकार्ड उत्पादन हुआ है, तब-तब हमने अनाज आयात किया है। पी एल-480 के जरिए हमने आयात किये और इतना जबरदस्त आयात किया है कि किसानों को पीठ में छुरा भोंका क्योंकि उसे कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल सका। उसको उचित मूल्य इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि आलरेडी अनाज हम आयात कर रहे थे। उस समय अनाज आयात करने की कौन सी जरूरत थी ? वह भारी सबसिडी वाला भूसा जैसा गेहूं हमें मंगाने की क्या आवश्यकता थी ? जब कि इस देश में किसान इन वर्षों में सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे थे। क्यों हमने किसानों के साथ दगाबाजी की क्यों हमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा ? क्यों नहीं हम उनको उचित मूल्य दिला पाए ? आप किसानों के साथ ऐसा क्यों करते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक बहुत बड़ी घटना टलते-टलते रह गयी। जैसा दबाव आई०एम०एफ० के जरिये सबसिडि को खत्म कर देने के लिए डाला गया, ऐसा ही दबाव जी० ए० टी०टी० की वार्ता में अमेरिका ने यूरोपीय देशों के ऊपर भी डाला था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि अमेरिका उत्पादन के ऊपर सबसिडी देता है और निर्यात के ऊपर भी सबसिडी देता है और यूरोपीय देश भी उत्पादन पर सबसिडी देते हैं और निर्यात पर भी सबसिडी देते हैं। शायद हमारे वित्त मंत्री और सरकार को लगा कि हम अमेरिका से बहुत ज्यादा धनी हैं और यूरोपीय देशों से भी ज्यादा धनी हैं और हमारे किसान हेलीकाप्टरों से उड़-उड़ के अपने खेतों का निरीक्षण करते हैं,

इसलिए बहुत सम्पन्न हो गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तुलना में ऐसे कोई सबसिडी की जरूरत नहीं है, ऐसा शायद हमने समझा। फिर यहां आंदोलन हुए और उसका जबरदस्त विरोध हुआ और शायद सरकारी दल की ओर से और दल के अन्दर भी उसका विरोध हुआ और उसके परिणाम सामने आए लेकिन मुझे तो यह बताओ कि यह तय कैसे करोगे कि कौन छोटा किसान है और कौन बड़ा है ? माननीय कृषि मंत्री महोदय स्वयं खेती करते हैं और अगर उनको छोटा किसान मान लें लेकिन उनके कपड़ों से, उनके रहन-सहन से लगता है कि छोटे किसानों से दूर-दूर तक उनका वास्ता नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर उनको जानकारी हो तो उनको मालूम होना चाहिए कि सौ एकड़ जमीन रखने वाला परिवार भी अपने आपको छोटा किसान साबित कर सकता है। थोड़ा सा छोटा ही करने की जरूरत है और वे साबित कर देंगे कि हम छोटे किसान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भूमि सुधार कानून लागू हुए और भूमि आवंटन की बात आयी तो आप आश्चर्य करेंगे कि बुन्देलखंड क्षेत्र में जिन परिवारों के पास सौ-सौ एकड़ के खेत हैं, वे भूमिहीन साबित हो गये। उनके लड़कों और बहुओं को जमीन मिली और जो भूमिहीन किसान वास्तव में थे, उनको मिली नहीं। क्या इस प्रकार का घोटाला होता रहेगा, क्या इस प्रकार की गड़बड़ इसमें नहीं होगी। इसीलिए अमेरिका जैसे देश सबसिडी देते रहे हैं दो-दो बार सबसिडी दे रहे हैं। यूरोपीय देश जो सम्पन्न हैं, वे सबसिडी दे रहे हैं और हम इतने अमीर कब से हो गए हैं कि हमें लगा कि हमें सबसिडी की कोई जरूरत नहीं है। हमें देना ही नहीं है, ऐसा हमें कब से लगने लगा। शायद ऐसा हो।

[अनुवाद]

दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते।

[हिन्दी]

जब भीख का कटोरा हाथ में लेकर खड़े रहेंगे तो जिन-जिन शर्तों पर भीख मिलेगी, उन शर्तों को मजबूरी में मानना पड़ेगा, गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी, ठोकरें भी खानी पड़ेंगी और दुत्कारें भी सुननी पड़ेंगी जबकि आप भीख का कटोरा पूरी दुनिया के सामने लेकर खड़े रहेंगे। हमें इस प्रकार लज्जित होना पड़ेगा और कई ऐसी चीजों में कटौती करनी पड़ेगी। अब पूंजिपति तो कटौती नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूंजीपतियों ने बहुत सारे लोगों को खरीद रखा है जो जन-प्रतिनिधि कहलाते हैं लेकिन उनके मन पूंजीपतियों की जेबों में पड़े रहते हैं। इसलिए पूंजीपतियों के खिलाफ कोई ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन किसानों के विचारों जैसे कितने प्रतिनिधि होते हैं ? जब तीन योजनाओं तक किसान और सिंचाई की उपेक्षा हुई, उसका कारण यह था कि उस समय आयातित सोच के जरिये इस देश को नीतियां चलाने की कोशिश की गयी। कितने लोग हैं जो सरकारों में किसानों की तरफ से बैठे रहते हैं और नीति निर्धारण में उनकी कितनी भूमिका रहती है ? यह एक महत्व की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि पं० जवाहरलाल नेहरू बहुत उत्साही थे। इस बात के लिए कि देश की तरक्की होनी चाहिए और देश बहुत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वे जिन देशों में पढ़े और जिन देशों से प्रभावित हुए उन देशों की जो विधि थी प्रगति की, वह हमारे देश में सफल नहीं हो सकती थी क्योंकि हमारे देश की सोच अलग और हमारे देश की विधि अलग, देश का चिन्तन अलग। इसलिए इन सारी बातों को देखना होगा कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं, छोटे-छोटे किसान हैं, उनको हम कैसे लाभ पहुंचायेंगे क्योंकि अधिकतर लाभ पहुंचाने की बात जब होती है तो बड़े किसानों की तरफ चले जाते हैं। इस संबंध में मुझे एक और संदर्भ स्मरण दिलाना है कि व्यावसायिक फसलों के बारे में सहकारिता का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सहकारिता की क्रान्ति सफल भी हुई। जैसे

[कुमारी उमा भारती]

कपास इत्यादि वाले जो छोटे-छोटे खाद्यान्न उत्पादन करने वाले जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको कुछ लाभ हो लेकिन जो आप लोगों की रिपोर्ट 1990-91 की प्रकाशित हुई है, पूरा हिसाब-किताब कृषि विभाग का उसमें लगता है कि वह छोटे किसानों के लिए कम है। मुझे यह बताओ कि सहकारिता के मामले में, दलहन-तिलहन के मामले में, अन्न खाद्यान्न के मामले में किसान कैसे लाभ उठा सकें और उन क्षेत्रों में कैसे सहकारिता की क्रांति आ सके, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं किया गया और इसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है या नहीं? इसका जवाब मुझे माननीय कृषि मंत्री जी से चाहिए कि हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट छपीं हैं, उससे पूरा हिसाब-किताब साबित हुआ है कि कपास का उत्पादन कम हुआ है तो उसका क्या कारण है? उस कारण को समझने के बाद तदनुरूप व्यवस्था बनाने का कोई विचार है या नहीं। कपास के संबंध में मुझे एक बात और जाननी है कि कपास को अगर हैण्डलूम सेक्टर के साथ जोड़ें तो उसी जगह पर उत्पादन द्वारा और उस उत्पादन के जरिये उसी जगह में लगाया गया उद्योग माईग्रेशन को रोकेगा? यह भी गांव से शहर को मुंह करने वाले पलायन को रोकेगा लेकिन फिर भी कपास वाले किसान कुछ प्रसन्न हुए, गन्ना वालों के साथ भी तकलीफ हुई लेकिन उसको भी कुछ लाभ मिले। जो खाद्यान्न उत्पादन करने वाले किसान हैं, जब फसल आती है तो इतना ज्यादा प्रसन्न दिखाई देता है कि खलिहान में किसान खुश हो जाता है लेकिन रात में अपनी पत्नी को हिसाब-किताब बताता है कि इतना बैंक को चुकाना है, इतना खाद का चुकाना है, इतना सेठ-साहूकार को चुकाना है, घर में तो बहुत कम आयेगा किन्तु पहाड़ के ढेर को देखकर खुश मत हो जा। यह जो पहाड़ जैसा ढेर दिखाई दे रहा है, जब यह घर में आएगा तो बहुत कम रह जाएगा। इसलिए इस मामले में, जैसा कि कपास के मामले में आन्दोलन हुआ था को-आप्रेटिव का, ऐसा ही आंदोलन सहकारिता क्रांति अन्न खाद्यान्न में आ जाए तो जो चमक गन्ना, कपास उगाने वाले किसान के चेहरे पर दिखाई देती है। वही चमक अन्य व्यवसायिक फसल उगाने वाले किसानों के चेहरों पर भी दिखाई देगी, जो छोटे छोटे किसान अन्न खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं उनके चेहरों पर भी दिखाई देगी।

अगर वह चमक लानी है तो उचित मूल्य की भी व्यवस्था करनी होगी। वैसे इस उचित मूल्य के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की गईं—एक सी० ए० सी० टी० बनी 1965 में, फिर 1990 में डा० हनुमन्ता राव के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी, फिर शरद जोशी जी के नेतृत्व में एक स्टैंडिंग कमेटी, फिर भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी बनी, यानी एक कमेटी के बाद दूसरी कमेटी, दूसरी के बाद तीसरी कमेटी और इस तरह कमेटियां तो बनीं, और मुझे लगता है कि यह सरकार भी कहीं एक-आध कमेटी और न बना दे, जैसे कि 4-5 कमेटियां पहले बनाई गई थीं, वैसे ही एक आध कमेटी और न बन जाये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें सबसे बड़ी बाधा जो सामने आती है वह यह है कि भानु प्रताप सिंह जी की कमेटी की रिपोर्ट, शरद जोशी कमेटी की रिपोर्ट, डा० हनुमन्ता राव जी की कमेटी की रिपोर्ट' सी० ए० सी० पी० यदि इन सबकी रिपोर्ट को इकट्ठा करके देखा जाये तो उनकी रिकमैन्डेशन्स आपस में मेल नहीं खातीं। एक की रिपोर्ट दूसरे से मेल नहीं खाती, दूसरे की रिपोर्ट तीसरे से मेल नहीं खाती और तीसरे की रिपोर्ट चौथे से मेल नहीं खाती। अब यह चक्कर क्या है। हमें इस कमेटी के चक्कर से बचना होगा और किसान को उचित मूल्य मिल सके इसके लिए उपभोक्ता जितना देता है, अब वह किसान तक कैसे पहुंचे उसका इन्तजाम करना होगा। अभी तक तो सिर्फ 50 पैसा या 50 फीसदी ही पहुंच पाता है। बाकी बीच के बिचौलिये खा जाते हैं। इसलिए क्या आप उचित मूल्य का

निर्धारण मार्केट प्राइस के आधार पर करेंगे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर करेंगे, इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि यदि आप कास्ट आफ प्रोडक्शन को आधार मानकर इसका निर्धारण करेंगे तो जैसे बजाज स्कूटर की लागत 6 या साढ़े छ: हजार रुपये के आसपास पड़ती होगी परन्तु जब वह बाजार में आता है तो उसकी कीमत 14-15 हजार रुपये क्यों हो जाती है। यही बात है तो किसान को भी वही छूट क्यों नहीं दी जा रही है, यह छूट केवल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को ही क्यों दी जाती है। तब किस आधार पर आप इसे तय करेंगे। क्या मार्केट प्राइस पर उचित मूल्य का निर्धारण करेंगे या कैसे करेंगे। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए, यदि उपभोक्ता ने 100 पैसे दिया है तो उसका कम से कम 70 प्रतिशत भाग, 70 पैसे किसान की जेबों में जा सके, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी।

यद्यपि इसकी व्यवस्था करने के लिए आपने एफ० सी० आई० बनाई हुई है ताकि बिचौलियों और दलालों की भूमिका कम की जा सके लेकिन आज एफ० सी० आई० का क्या हाल है। सबसे बड़ी बिचौलिया तो वह खुद बन गई है, जैसे बन्दरबांट जब हुई तो उसमें सबसे ज्यादा लाभ तो बांटने वाला ही ले गया। एफ० सी० आई० की स्थापना इसलिए हुई थी कि यदि एफ० सी० आई० होगी तो उपभोक्ता द्वारा दी गई रकम का ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा हिस्सा उत्पादक की जेब में पहुंच सके लेकिन सारा मामला उल्टा हो गया। आज एफ० सी० आई० के होल्डिंग चार्जेज 85 परसेन्ट तक पहुंच गए हैं यानी सबसे बड़ी मुनाफाखोर एफ० सी० आई० खुद बन गयी है।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे कि यदि मुझे कोई एक मुनाफाखोर मिले तो मैं उसे सबसे नजदीक के लैम्प-पोस्ट पर ले जाऊं और वहां उसको टांग दूं। अब उन्हीं की विचारधारा को अपनाने वाली इस सरकार से मैं पूछती हूं कि जब आपकी एफ० सी० आई० खुद मुनाफाखोरी कर रही है तो जहां आप दूसरे लोगों को सजा देंगे, एफ० सी० आई० को क्या सजा देने जा रहे हैं जिसका मार्जिन इतना ज्यादा बढ़ गया है।

यदि एफ० सी० आई० अपना मार्जिन बढ़ायेगी तो जो दूसरे प्राइवेट व्यापारी हैं, वे भी अपना मार्जिन बढ़ा देते हैं और किसान बेचारा मारा जाता है जिसके लिए आपने सारी व्यवस्था की है। वह सारी की सारी व्यवस्था से वंचित रह जाता है।

इसलिए हम चाहते हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले छोटे किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और पंजाब की तरह न हो, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पंजाब की समस्या पर जब हम विचार करते हैं तो यह बात दिमाग में आती है कि गांव का नौजवान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पंजाब में उग्रवाद की एक लहर चली जिसमें गांव का छोटा किसान सीमान्त किसान में, और सीमान्त किसान भूमिहीन मजदूर में परिवर्तित हो गया। अब उस भूमिहीन मजदूर नौजवान को जब कहीं रोजगार नहीं मिला, दूसरी तरफ चूंकि पंजाब में उग्रवाद की एक लहर चली थी, उसकी ओर वह प्रेरित हुआ और मुझे तो लगता है कि गांवों में जो यह गड़बड़ हुई, उसके कारण स्थिति यह बनी कि उग्रवाद और बढ़ता चला गया। गांव का नौजवान उग्रवाद की ओर अग्रसर होता चला गया। जब वह खाली रहा तो उसका उत्तेजित होना स्वाभाविक है, उसके सामने उत्तेजित होने के अवसर भी आये। इस कारण पंजाब की समस्या उलझती चली गई।

इसलिए किसान को उचित मूल्य देने के लिए सबसे पहले आपको एफ० सी० आई० को खत्म करना होगा, एक प्रकार से उसे अस्तित्वहीन करना होगा। इसके साथ-साथ गांवों में जो भण्डारण की व्यवस्था है, अन्य व्यावसायिक फसलों में जिस तरह से सहकारिता की क्रान्ति आई है, खाद्यान्न के मामले में भी, सहकारिता की वह क्रान्ति लानी पड़ेगी। तभी छोटा किसान पनप पायेगा।

[कुमारी उमा भारती]

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक दुश्चक्र में फंसे हुए हैं और वह दुश्चक्र है—आय कम-बचत कम, बचत कम-निवेश कम, निवेश कम-उत्पादन कम, उत्पादन कम-आय कम, आय कम-बचत कम, फिर निवेश कम। इससे आप बच नहीं सकेंगे। इसलिए उचित मूल्य के जरिये किसानों की जेब में जब पैसा जायेगा तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बचत होगी और फिर निवेश होगा। निवेश होगा तो उत्पादन होगा। इस प्रकार हम आर्थिक दुश्चक्र से निकलेंगे तो दूसरे चक्र में चलेंगे, जैसा मैंने अभी कहा। इसलिए किसान को उचित मूल्य मिलना बहुत जरूरी है, इस तरफ भी हमारा ध्यान जाये। जब तक किसान को यह मिलेगा नहीं, जब तक किसान के अपने हाथ में हक नहीं आयेगा, जैसा कि अन्य व्यावसायिक फसलों के मामलों के में आया है, और उसके आ जाने के कारण आज किसान इतने प्रसन्न हैं, खासकर व्यावसायिक फसल वाले, यद्यपि उनके भी कुछ दुख-दर्द होंगे और यहां पर जो अन्य माननीय सदस्य विराजमान हैं, वह उनकी कठिनाइयों को भी सामने लाएंगे लेकिन मेरा जो अपना निजी अनुभव है, वह छोटे किसानों के मामले में है और वह भी खाद्यान्न उत्पादित करने वाले किसानों के बारे में है। इसलिए मैं उनकी समस्याओं के बारे में विशेषरूप से निवेदन कर रही हूं क्योंकि उन्हीं की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। एक तो उस बेचारे को सिंचाई कम मिली। आज आप पंजाब और हरियाणा की हालत देखिये। 60 लाख हैक्टेयर जमीन उनकी सिंचित हुई तो सारे देश को भोजन करा सकते हैं। हमारे देश में 22 करोड़ हैक्टेयर भूमि ऐसी है जो सिंचित की जा सकती है। कृषि योग्य भूमि 12 करोड़ हैक्टेयर है, 14 करोड़ हैक्टेयर है लेकिन 3 करोड़ हैक्टेयर भूमि ऐसी है जो दो बार फसलें देती है। इसलिए हम उसको 17 करोड़ हैक्टेयर भूमि मान लेते हैं। उसमें से 12 करोड़ हैक्टेयर भूमि ऐसी है जिसको सिंचाई की व्यवस्था हम कर सकते हैं। उसमें से 60 लाख हैक्टेयर भूमि पंजाब और हरियाणा की सिंचित हुई तो पूरे भारत को खिलाने लगे और अगर भारत की 12 करोड़ भूमि ऐसी है जिसकी हम सिंचित कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था जल की है, अगर उतनी जमीन सिंचित हो जाये तो हमारे देश की भूमि शस्यश्यामला हो जाएगी। एक तो हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे पास सिंचाई की क्षमता है 8 करोड़ की। उसमें से एक करोड़ की क्षमता तो है लेकिन नालियां नहीं बनीं, किसी का ध्यान नहीं है। हमने खुद अपने गांव मे देखा कि नालियां ठीक नहीं है। सिंचाई हो रही है मात्र 7 करोड़ हैक्टेयर में और यह जो गर्व करते हैं कि हम खाद्यान्न में आगे बढ़ गए, सिंचाई में आगे बढ़ गए और हरित क्रान्ति में आगे बढ़ गए हैं, इनसे पूछो कि 1950-51 में 3 करोड़ हैक्टेयर भूमि सिंचित थी और अब 5 करोड़ हैक्टेयर भूमि सिंचित हो पाई है, यानि 44 साल में हमारी यह उपलब्धि कि सिर्फ 8 करोड़ हैक्टेयर भूमि ऐसी है जो हम सिंचित कर पाए हैं। एक तो हमने सिंचाई के मामले में किसान की पीठ में छुरा घोंपा, उसको लाभ नहीं मिला, फिर सब्सिडी के मामले में छोटे किसानों के छुरा घोंपने की कोशिश की लेकिन बच गया किसान और अब जब उचित मूल्य की बात आई, तो जिस तरीके से उचित मूल्य मिल सकता है उस पद्धति को हमने अपनाने की कोशिश अभी तक नहीं की और इस मामले में जो सहकारिता की रिपोर्ट 1990-91 की मैंने पढ़ी है, मुझे नहीं लगता है कि अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में, सहकारिता के मामले में उस किसान के लिए क्या किया जाएगा। अभी कुछ उसे लाभ नहीं मिला है। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि इसके मामले में कुछ कर पाएंगे या नहीं, और जो खाद्यान्न उत्पादन करने वाले किसान हैं, वह ऐसे ही बने रहेंगे या उनकी भी सहायता की जाएगी। क्या सहकारिता के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किया जाएगा? सरकार की तरफ इसकी कोई व्यवस्था की जाएगी?

उपाध्यक्ष महोदय, जो बच्चा कमजोर पैदा होता है, मां की ड्यूटी है कि उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक भोजन मिले, अच्छा दूध मिले, सही समय पर दवा मिल जाए। जब छोटा किसान कमजोर है तुलना में व्यावसायिक फसल उगाने वाले किसान के, साधारण किसान अगर कमजोर है, तो उस किसान को हम कैसे मजबूत बना सकें इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से भी तो कुछ होवे और इसके लिए सरकार अगर जल्दी से जल्दी कुछ करे तो अच्छा है, नहीं तो जैसा हमने कहा कि हम ऐसी हालत में पहुंचने वाले हैं जैसे इकबाल ने एक शेर कहा था, पता नहीं उन्होंने किस परिस्थिति के लिए कहा होगा --

"वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है,
तेरी बरबादियों के मशविरे हैं आसमानों में।"

और मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐ हिन्दोस्तां वालों --

"तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।"

अगर अभी भी न संभले तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। इतना जबरदस्त आक्रमण होगा शहर की तरफ गांवों से, क्योंकि गांवों के आदमियों का गांवों में रोकने की व्यवस्था नहीं है। कृषि पर जनता का दबाव जिस प्रतिशत में कम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। किसान के साथ अन्याय करने में कोई कमी नहीं है। मैं तो देखकर दंग रह जाती हूं—धान उगाने वाला किसान कमजोर का कमजोर है, राइस मिल जिसकी है वह ए० सी० 1000 मारुति में घूम रहा है। दाल उगाने वाला किसान कमजोर का कमजोर है, पर जिसकी दाल मिल है वह बढ़िया इम्पोर्टेड कारों में घूम रहा है। सरसों उगाने वाला किसान कमजोर का कमजोर है और जिनकी ऑयल मिल है वह बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं शिमला, कश्मीर, नैनीताल, हिमाचल, पता नहीं कहां-कहां घूम रहे हैं। ये अन्याय कब तक चलेगा? अगर ये अन्तर बना रहा तो किसानों के सहारे उद्योगों को तो सुविधा दें और किसान गरीब का गरीब रह गया तो मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, और यह मेरी कोई वाक्-प्रगल्भता नहीं है, मैं जमहूर लफ्फाजी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रही हूं। एक निवेदन करना चाहती हूं कि हम 20वीं सदी के अन्तिम दशक में इस भारत की भूमि पर समझना होगा और मेरा एक निवेदन है कि—

"पंडित तू तो बोला था पाषाण बदल जाएगा,
मुल्ला तू भी बोला था रहमान बदल जाएगा।"

अब भी अवसर है समझ लो नहीं तो

तुम्हारे ईश्वर अल्लाह को भूखा इन्सान निगल जाएगा।"

यह स्थिति आ जाएगी। अगर गांवों में यह स्थिति आई तो इससे भी भयानक स्थिति हो जाएगी। (व्यवधान) हमारी तरफ आप अंगुली उठा रहे हो, आप अपने गिरेबान में झांककर देखो, यहां भी बहुत अंगुलियां तुम्हारी तरफ उठ रही हैं। (व्यवधान) रहा, जरा शीशे में शक्ल देखकर आओ। हमें सिखा रहे हो। कश्मीर के हालात किसने खराब किये, पंजाब के हालात किसने खराब किये, राम जन्म भूमि का मसला किसने उलझाया? अगर आपने शीशे में शक्ल देखी होती, तो शर्म आ जाती। इसलिए हमें शीशा मत दिखाओ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपनी शक्ल आइने में देखी होगी, लेकिन हमने भी यहां देखी है, बहुत अच्छी है। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : मुझे मालूम नहीं था उपाध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य यहां शक्लें देखने के लिए ही आते हैं। यहां सदन में शक्लों का तो कोई मतलब नहीं होता है। यहां तो अक्ल ही काफी होती है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यह शक्ल और अक्ल में क्या अन्तर है, जरा दुबारा से समझा दीजिए।

कुमारी उमा भारती : शक्ल और अक्ल में अन्तर यह है कि शक्ल सिर्फ दिखाने भर के लिए होती है और अक्ल दूसरों को उनकी शक्ल दिखाने के लिए होती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के पास तो शक्लें ज्यादा नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के पास शक्ल दिखाने की अक्ल जरूर है। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : जनता ने दिखा दिया है हमारी शक्ल यहां के लिए है और आपकी शक्ल उधर के लिए है।

कुमारी उमा भारती : कितने दिन के लिए है ?, अभी अभिमान मत करो। पहले अपने आपको संभाल लो। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : लगातार 44 साल से कांग्रेस की शक्ल यहां रही है और आपकी उधर रही है। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सवाल पूछना है और मेरा विश्वास है कि मुझे इसका जवाब जरूर मिलेगा-मैंने जो आंकड़े पढ़े हैं खाद्यान्न उत्पादन के, उनके अनुसार 1990-91 में उत्पादन का लक्ष्य भी बहुत बड़ा रखा गया और प्राप्तियां भी बहुत बड़ी हुई और वसूली भी बहुत बड़ी हुई, फिर खाद्यान्न का भाव क्यों बढ़ा ? इसका कारण क्या हो सकता है ? हो सकता है मेरी अक्ल संकुचित हो, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन यह विरोधाभास क्यों है ? वर्ष 1990-91 में जबर्दस्त उत्पादन खाद्यान्न का हुआ, वसूली भी जबर्दस्त हुई, फिर खाद्यान्न के भाव क्यों बढ़े ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनाफाखोरी के और भी आयाम हों, कुछ और भी क्षेत्र हों, जो हमारे देखने में नहीं आ रहे हों ? या तो यह विरोधाभास मेरी समझ में नहीं आया या फिर मैं अगर इस विरोधाभास को सही ढंग से नहीं समझ सकी तो मैं कृषि मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है, वे इसका जवाब अपने उत्तर के समय मुझे अवश्य दें। नहीं, तो ऐसा न हो जाए कि खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ता रहे और भाव भी बढ़ता रहे ? इसका संतुलन आखिर क्यों बिगड़ा, इसकी व्यवस्था क्यों बिगड़ी आखिर कुछ तो समझ में आना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं पूर्व में कर रही थी, उसी पर मैं वापस लौटूंगी कि गांव में अगर कृषि पर जन दबाव कम हुआ है और जिस जन का दबाव कम हुआ है, उसको शहर की तरफ जाने से रोका नहीं गया, अगर कोई बड़ा अफसर बनकर जाए, तो जाए, लेकिन गांव में रहकर ही उसको गांव में आधारित उद्योग जैसे ट्राइसम की योजना, इसके अन्तर्गत काम मिलना चाहिए। अब इस ट्राइसम की योजना की जितनी पोलें मैं जानती हूं उतनी पोलें मेरे जैसी स्थिति में रहने वाला आदमी ही जानता होगा। इसी प्रकार से आई० आर० डी० पी० योजना है। यहां हमारे अधिकारी सब बना देते हैं कि हमारा इतना लक्ष्य है और हमने इतने लोगों को सिखा दिया है, लेकिन मुझे मालूम है ये आई०आर० डी० पी० के अधिकारी या बी० डी० ओ० वगैरह जब ये गांव में जाते है, तो महिलाओं से जाकर पूछते हैं कि मुर्गी पाल लोगी ? अब बताओ उनको, ठीक से समझाना, वे किस कला में निपुण

हैं, उस कला का उनको अनुभव कराना और उसके बाद, उसका लाभ उन्हें देना, ये सब बातें दूर रहीं। होता यह है कि अधिकारी गांव में जाता है और गांव के दलाल से पूछता है, क्योंकि एक-एक दलाल, हर गांव में सत्ता पक्ष का बैठा रहा है, वर्तमान में बैठी हुई सरकार ने उसका पूरी तरह से पोषण किया है और गांव में वह दलाल जोंक की तरह बैठा रहा है। जिस तरह जोंक भैंस के थन से लगती है, तो वह दूध कभी नहीं पीती, सिर्फ खून पीती है। उसी तरह से सत्ता पक्ष के दलाल गांव में बैठे रहे हैं और किसानों का खून पीने के सिवाय उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया है। वे फिर सक्रिय हो गए हैं और हिसाब बना लिया है जब भी कोई बी० डी० ओ० या एस० डी० ओ० आता है, वह उनके दरवाजे पर जाकर बैठता है और कहता है कि बताओ गांव के कितने लोगों को आई० आर० डी० का लाभ देना है? तो वह कहता है कि जितने लोगों ने हमको वोट दिया है, यह रही उनकी सूची। इसको दो हजार रुपए दे दो, इसको बकरी पालने के लिए 5 हजार रुपए दे दो, इसको मुर्गी पालने के लिए दे दो, इसको भैंस पालने के लिए दे दो और इसको मछली पालने के लिए दे दो। (व्यवधान) सुन लो, क्यों बेचैन हो रहे हो। क्यों छटपटा रहे हो। लगता है मेरा निशाना ठीक जगह पर लगा है। मैं महिला हूं मैं जानती हूं, मुझे वास्तविकता पता है। आप क्यों छटपटाते हो। ये जो इतने उछल रहे हैं, इसी से पता लगता है कि निशाना बिलकुल सही बैठ रहा है। मेरा कहना यह है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और आई० आर० डी० पी० की योजना वैज्ञानिक तरीके से गांवों में लागू होनी चाहिए। इसकी समीक्षा गैरसरकारी लोगों द्वारा होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से गांवों के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं।

मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि पूना के पास एक छोटा सा गांव है। वहां पर पूना के कुछ समाजसेवी गए और उन्होने तय किया कि हम गांव की सेवा करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि यह बताइए आप लोगों के लिए हम क्या करें। गांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहां पर सब है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बढ़िया सड़क है, कुंआ है, अस्पताल है, बिजली, पानी सब है। तब वे समाजसेवी घूमे और उन्हें दिखाई दिया कि गांव में टॉयलेट नहीं है। उन्होंने सोचा कि अपना पैसा टॉयलेट बनाने में लगा देते हैं। वे टॉयलेट बनाकर चले गए। एक साल बाद वे समाजसेवी लौटकर आए कि इसका क्या इस्तेमाल हुआ। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि आप लोग तो प्रसन्न होंगे। चलिए हमें वह जगह दिखाइए, सब ठीक-ठाक है, कोई खराबी तो नहीं है कि हम उसे सुधरवा दें। जब वे लोग पहुंचे तो उनको पता लगा कि वहां पर तो बकरियां बंधी हुई हैं। उन्होंने पूछा कि आपने यहां पर बकरियां क्यों बांधी हैं। गांव वालों ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आप चार-पांच कमरे जैसे बना गए, हमारे पास बकरियां बांधने को जगह नहीं थी इसलिए हमें बकरियां बांधने की अच्छी जगह मिल गई। हमारे पास बाहर जाने के लिए जंगल बहुत है लेकिन बकरियां बांधने के लिए कोई छायादार जगह नहीं थी। इसलिए यह तो गांव का आदमी तय करेगा।

जिस तरह से एस० डी० ओ० गांवों में प्रवेश करते है आई० आर० डी० पी० की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और गैर-व्यवसायिक लोगों द्वारा होनी चाहिए। मुझे मालूम है इसके लक्ष्य भी बहुत बड़े रखे जाते हैं और इसका बजट भी खूब दिया जाता है। जितना भ्रष्टाचार आई० आर० डी० पी० के मामले में होता है उतना भ्रष्टाचार शायद ही किसी अन्य क्षेत्र में होता हो। गांव का आदमी सही ढंग से बता नहीं सकता है कि उनसे कितना खाया गया, वह समझता है कि हमने जो दिया है वह भी पूरी व्यवस्था का अंग है यानि देने की प्रक्रिया होती हैं और यह भी एक सरकारी काम है कि हमने दिया है। उसको यह नहीं मालूम होता है कि मैंने अपने हाथ का दिया हुआ है। इसलिए इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए कि इतनी गड़बड़ कहां

[कुमारी उमा भारती]

पर होती है और यह योजना क्यों नहीं सफल हो पाई । यदि आई० आर० डी० पी० की योजना सफल हुई होती तो गांव की बेरोजगारी काफी मात्रा में कम हुई होती । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । शहरों की तरफ होने वाला पलायन नहीं रुका है । यदि यह पलायन नहीं रुका है तो इसका मतलब है गांव के विकास की हमने जो योजनाएं बनाई, गांव के बेरोजगार को गांव में ही रोजगार की जो व्यवस्था बनाई है उन व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं वैज्ञानिकता की कमी थी, तार्किकता की कमी थी इस कारण यह स्थिति बनी । इसलिए अधिकतर जमीन को कृषि योग्य बनाना, कृषि योग्य जमीन को सिंचित बनाना और जमीन पर से जल का दबाव कम करना, जमीन से जल के दबाव को कम करने के लिए गांव में ही रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए ।

जब हमारे देश में मुगल आए तो उन्होंने सबसे पहले खेती पर हमला बोला, खेती पर कर लगाए क्योंकि इस देश में रहने के लिए उन्हें सैन्य शक्ति चाहिए थी और सैन्य शक्ति का खर्चा पूरा करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती किसानों पर कर लगाकर वसूली की । फिर अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे उद्योगों पर हमला बोला । गांवों के उद्योगों पर हमला बोला और अन्त में गांव पूरी तरह से उद्योगविहीन हो गए । महात्मा गांधी की जो नीति थी यदि उस नीति पर चले होते तो आज यह स्थिति नहीं होती । पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी यह कहा था कि इस देश का विकास गांव की तरह से शुरू होगा, गांव के किसानों की तरफ से शुरू होगा और गांव के ही बेरोजगारों को रोजगार देकर शुरू होगा । इसलिए गांव में लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए गांव में हस्तकला, दस्तकारी और अन्य तरीके हैं । मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी । मैं एक जगह देखने बिहार गई थी । चम्पारण जिले में बिशनपुर एक जगह है । वहां पर तीन लड़कों ने आई० आई० टी० इंजीनियरिंग की और एम० बी० ए० की । वे सब स्वयंसेवक बने । उन्होंने शादी की और अपनी पत्नियों से बात करके वे गांव चले गए । वे इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि गांव से ही गांव का विकास शहरों से बहुत कम लिए और, गांव में ही गांव की तरक्की कैसे हो, गांव के बेरोजगारों को गांव में ही कैसे रोजगार देकर रोक लिया जाए आदि । उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया । अब मैं देखकर आई हूं कि 500 गांवों में उनकी यूनिट चल रही हैं । यदि उस उदाहरण पर देश की सरकार कुछ करे और इसके आधार पर उनसे कुछ शिक्षा लेकर गांव में ही गांव के बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएं तो आज जो स्थिति बन रही है इसे बहुत हद तक रोका जा सकता है । इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन चाहिए सारे सैट-अप में, आमूलचूल परिवर्तन के लिए मैं दूसरा और निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि इंजीनियरिंग कालेज जो बनते हैं या कृषि विश्वविद्यालय जो बनते हैं, उनका एक-एक पोलीटेक्नीक भी गांव में होना चाहिए और वह पोलीटेक्नीक किस के लिए होना चाहिए, देशी तरीके से खेती कैसे हो, जो क्षेत्र वर्षा के ऊपर निर्भर करते हैं, उनमे किस प्रकार से अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके और उनमें कैसे फसल का उत्पादन किया जा सके, कृषि विश्वविद्यालयों में इसपर चिन्तन होना चाहिए, कृषि पोलीटेक्नीक में इसपर चिन्तन होना चाहिए कि वहां पर कैसे हम एक नई टैक्नीक विकसित कर सकें । इसमें एक-एक जिले में एक-एक कृषि पोलीटैक्नीक जरूर होना चाहिए । कृषि विश्वविद्यालय भी सफेद हाथी जैसे अफसर पैदा करने की जगह पर अगर सही ढंग से किसानों को पैदा करें और किसान सही ढंग से शिक्षित होकर वहां से निकलें और फिर वह किसान जैविक खाद का सहारा लेकर, जिसका मैंने आपसे निवेदन किया और देशी तरीके से फसल को पैदा करें और उसमें भी उस जगह पर जो वर्षा पर निर्भर हों, वहां पर कैसे बढ़िया से बढ़िया उत्पादन कर सकें, इसके बारे में विचार होना चाहिए ।

मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, मेरे कुछ सुझाव हैं, जो मैं देना चाहती हूं। जो मैंने पहले निवेदन किया कि रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद कोप्रोत्साहन हमारी सरकार दे। क्योंकि, जैविक खाद को प्रोत्साहन मिलेगा तो किसान पनप पायेगा। विदेशी, आयातित खाद के सहारे जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जायेगी और जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, उनकी हालत धीरे-धीरे खस्ता हो जायेगी। मेरी इन बातों को कोई भविष्यवाणी मत समझिये। पहले जमाने में बूढ़े लोग पेड़ लगाते थे कि हमें फल खाने को नहीं मिलेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तो फल खाएंगी। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा न हो कि हम पेड़ को काटकर रख दें कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए फल ही न बचें। हम बहुत लम्बे समय तक कृषि पर आधारित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि जैविक खाद पर हम ज्यादा अपनी निर्भरता बढ़ाने की कोशिश करें और रासायनिक खादों के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो।

दूसरी बात जो मैंने निवेदन की, कृषि विश्वविद्यालयों को देशी खेती की तरफ मोड़ा जाय। आजकल हम समझते हैं कि देशी किसानों को तो कुछ समझ ही नहीं है, यूरोप से समझ लाओ, अमेरिका से समझ लाओ। आपने हजारों साल की किसानों की समझ को अवैज्ञानिक समझ लिया, अतार्किक समझ लिया। यह समझा कि उनकी समझ में कोई वैज्ञानिकता ही नहीं है, उनकी समझ में कोई तर्क ही नहीं है, उनकी समझ में जो तर्क था वह आज हमारी वैज्ञानिकता में नहीं है, जो उनकी खुद की पैदा हुई गांव की वैज्ञानिकता है। इसलिए देशी खेती हो और कृषि विश्वविद्यालय देशी खेती की तरफ मुड़ें।

तीसरा मेरा निवेदन है कि यह बड़े-बड़े बांध बड़े-बड़े सफेद हाथी हैं। इनकी जगह गांवों में छोटे-छोटे 50-50 हजार के, एक-एक, दो-दो लाख के नाले बनते हैं और इतना लाभ उनसे गांवों के लोगों को मिलता है, मैंने स्वयं अपने पूरे लोक सभा क्षेत्र में यह प्रयोग करके देखा कि छोटी सिंचाई योजनाओं से गांव में कितना लाभ मिलता है, जिसका डैम बन जाता है, दो लाख रुपये का तो उससे कम से कम आसपास में लगे हुए जो किसान होते हैं, उनको लाभ मिलता है, वहां वह कुएं खोद लेते हैं तो उनके कुओं में पानी ज्यादा हो जाता है या थोड़ी-सी नली बना लेते हैं तो उनके खेत को पानी मिल जाता है। इससे इतना बड़ा लाभ मिलता है, बजाय इन बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के।

मेरा चौथा निवेदन है कि बीज की देशी किस्मों को हम पूरी तरह से संरक्षण दें, उनका ध्यान रखें। वह बनी रहें और लुप्त न हो पाएं, क्योंकि वह पौष्टिक किस्में हैं, बाद में हमें उन्हीं के ऊपर विचार करना पड़ेगा। आज तरह-तरह की बीमारियां हमारे देश में, खासकर गांवों में जो पैदा हो रही हैं और गांव के लोगों का स्वास्थ्य क्षीण दिखाई देता है तो उसका कारण यह है कि यह विदेशी किस्में हमारे पास में हैं, उनको खाना। इसलिए देशी किस्में बनी रहें, उनको प्रोत्साहन देना है और खासकर खाने वाले गेहूं के मामले में, जो बेचा जाता है, इधर-उधर कहीं दिया जाता है, उसकी बात छोड़ दी जाय, लेकिन जो गांव का ही आदमी खाता है, इस मामले में वह देशी गेहूं की तरफ, देशी फसलों की तरफ निर्भर करे तो ज्यादा अच्छा रहे।

पांचवां मेरा निवेदन है कि पंचायत स्तर पर ही भण्डारण की व्यवस्था की जाय और इसमें निश्चित रूप से जब तक सहकारिता का आंदोलन, जो मैंने आपसे निवेदन किया, खाद्यान्न के मामले में हम नहीं करेंगे तब तक यह व्यवस्था हो नहीं पायेगी।

छठा मेरा निवेदन है कि कृषि उपज मूल्य के निर्धारण में. प्राइस कमीशन में किसानों की

[कुमारी उमा भारती]

प्रभावी भागीदारी हो, अब पता नहीं कैसे किसानों की प्रभावी भागीदारी होती है। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो एयरकण्डीशण्ड कमरे में बैठते हैं, एयरकण्डीशण्ड गाडियों में घूमते हैं और बढ़िया-बढ़िया सफारी सूट पहने आते हैं और कहलाते हैं किसान। एक किसान वह होते हैं, जिनको मच्छर भी काटते हैं, जो अपने हाथ से हल भी हांकते हैं, कांछदार धोती पहनते है, शद्ध हिन्दी भी नहीं बोल पाते, वह भी किसान कहलाते हैं, अब यह कृषि उपज मूल्यों के निर्धारण में वह बी० आई० पी० किसान बैठे हैं, जो किसान का तमगा लगा लेते हैं लेकिन असल में पूंजीपति हैं, वह बैठे हैं या फिर वह किसान बैठे हैं जो वास्तव में किसान हैं और पूरी तरह से जिन्हें किसानी का अनुभव है। इसलिए मूल्य निर्धारण में किसानों की, किसानों के बच्चों की प्रभावी भागीदारी हो।

सातवां मेरा निवेदन है कि खाद्यान्न के साथ-साथ हम देख रहे हैं कि खाद्यान्न में तो हमारी रिकार्ड प्रगति हो रही है, जैसा कि मैंने कहा, अपनी तरफ देखकर। लेकिन चीन और जापान की तरफ देखेंगे तो शर्म आ जायेगी। लेकिन अपनी तरफ देखेंगे तो हम बहुत उत्पादन कर रहे हैं लेकिन दलहन और तिलहन के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इस मामले में भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले और अधिक से अधिक संरक्षण मिले, दलहन और तिलहन के मामले में उसकी हम बहुत बड़ी कमी देख रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ हर प्रान्त में बीमा की व्यवस्था जरूरी है। मैंने अपने चुनाव के दर्मियान देखा कि एक गांव की फसल कटी रखी थी, दो एकड़ वाले छोटे किसान, तीन एकड़ वाले किसान या चार एकड़ वाले किसान, बिजली की दो तारें टकराईं और चिनगारी उनकी फसल पर गिरी तथा उनकी पूरी की पूरी फसल फुंक गई। उनके बच्चे परेशान हो गए। वे गरीब लोग थे और उनमें भी हरिजनों की संख्या ज्यादा। जब मैं उस गांव में अधिकारियों के साथ लेकर गई और मैंने निवेदन किया कि इनको कुछ दो, तो उनको एक एकड़ पर सौ रुपये मिले। जिनकी जमीन पांच एकड़ से ज्यादा थी उसको तो कुछ भी नहीं मिलने की व्यवस्था हुई। मेरी समझ में नहीं आता, जब उद्योग बीमार हो जाते हैं, तो पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों को कितने-कितने प्रकार से सहयोग दिए जाते हैं, लेकिन किसान की साल भर की कमाई, खलिहान में रखी और एक मिनट में फुंक गई। उसकी खुद की गलती से नहीं और उसको मुआवजा दिया जाता है, एक एकड़ पर सौ रुपये। अरे, कुछ तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार की व्यवस्था किए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यह शर्म आएगी, आगे और इस पर ध्यान दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि गांवों के लिए बीमा की व्यवस्था लागू हो। अगर उनकी फसल का बीमा हुआ होता तो मुझे मालूम है कि उनको यह तकलीफ न हुई होती। उन परिवारों को मुझे शहर से अन्न उठा करके देना पड़ा, ताकि एक-दो महीने तक उनका गुजारा चल सके। उनके छोटे-छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हो गए पूरे साल भर के लिए। इसलिए अगर हर प्रान्त में बीमा की व्यवस्था है। कटी हुई फसल रखी हैं उसका बीमा होगा, अगर वह जल जाएगी तो भले ही उनको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें, लेकिन कुछ तो उनको मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर किसानों को बचाना है तो हर प्रान्त में फसल की बीमा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो किसान बच नहीं पाएंगे और खास करके छोटे किसान तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे।

इसके साथ ही साथ अब मेरा निवेदन भूमि सुधार कानूनों के पुनरीक्षण के बारे में है। वे कानून लागू तो हुए, लेकिन ठीक ढंग से लागू नहीं हुए। इस कारण जिनको वास्तव में भूमि मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली। लोग कहते हैं कि पुनरीक्षण होगा तो हंगामा हो जाएगा। मैं कहती हूं कि जिन लोगों ने जमीनें दबाकर रखी हैं, उनसे छुड़ाई जाएं। भूमिसुधार के मामले में इतनी अबर-

वस्त गड़बड़ी हुई है कि बड़े-बड़े जमींदार, चार-पांच सौ एकड़ वाले जमींदार, जो कि अधिक सत्तापक्ष से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने चालाकी की···

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश के बारे में कह रही हैं।

कुमारी उमा भारती : मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार अभी बनी है और वहां अभी भूमि सुधार कानून लागू भी नहीं हुआ है। छोटे-छोटे किसानों को बड़े-बड़े किसानों ने अपनी जमीनें दीं और फिर क्या किया, यह कहकर कि वे हमारे कर्जदार हैं, उनसे एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया और यह कह दिया कि तुमने हमसे दो हजार रुपये का कर्जा लिया है और उसके बदले में तुमने जमीन हमारे यहां गिरवी रखी है। उसकी कॉपी उन्होंने अपने पास रख ली। अब हम कह रहे हैं कि उन हरिजनों को जमीन मिल गई, वह जमीन उन आदिवासियों को मिल गई, जबकि वास्तव में हकीकत यह है कि अभी भी वह जमीन जमींदारों के पास है। अगर यह व्यवस्था ठीक नहीं हुई, तो उन हरिजनों के बच्चे खूनी क्रान्ति की ओर विवश हो जाएंगे। उनकी हालत यह हो जाएगी कि वे कुछ भी कर सकते हैं। नक्सली आन्दोलन इसी प्रकार के अन्याय के कारण होते हैं। ठीक है, नक्सली आन्दोलन गलत होते हैं, रक्तपात नहीं होना चाहिए। लेकिन इस रक्तपात को जिस अन्याय के कारण जन्म मिलता है उस अन्याय को पैदा करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दण्ड नहीं मिलता है। नक्सली को गोली मार दी जाती है, मुठभेड़ में मार दिए जाते हैं, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने अन्याय किए हैं। उनके अन्याय के कारण जो मौज मार रहे हैं, उन्हीं के कारण रक्तपात का जन्म होता है। इसलिए जरूरी है कि भूमि सुधार कानूनों का एक बार फिर से पुनरीक्षण हो।

मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि गांव का संबंध फिर से वन के साथ जोड़ा जाए। जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया, वृक्षारोपण के जरिए जमीन पर से इनका दबाव बहुत कम हुआ है। जो किसान पहले छोटा था, फिर सीमान्त किसान हुआ और फिर भूमिहीन मजदूर हुआ। वह जो शहर की तरफ भगता है, उसको वृक्षारोपण के जरिए गांव में रोका जा सकता है। इसके लिए हमें फारेस्ट पॉलिसी में निश्चित रूप से परिवर्तन करना होगा, ताकि वन का सम्बन्ध किसान के साथ जुड़े। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि गो-हत्या के ऊपर रोक लगा करके कृषि का सम्बन्ध गो-पालन और वन के साथ जोड़ना होगा, जाकरतब किसान खुशहाल होगा। फिर मैं निवेदन करूंगी कि फिर वही चक्र चलेगा कि किसान को उचित मूल्य, तो किसान की जेब में पैसा, तो क्रय शक्ति बढ़ी, तो फिर आय भी होगी, फिर बचत भी होगी, फिर निवेश भी होगा, उत्पादन भी होगा और फिर आय होगी, फिर बचत होगी, फिर निवेश होगा और इसी प्रकार एक चक्र चल पड़ेगा। इसलिए इस चक्र को चलाना होगा गांव की तरफ। मैं इस सरकार के मन्त्री महोदय और सरकार के अन्य प्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगी कि इस देश को अगर बचाना है, आज तुम्हारी गलत नीतियों के कारण देश जिस बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है, मैं बतलाना चाहती हूं कि राम जन्म भूमि का सवाल हल हो भी जाएगा, पंजाब की समस्या का समाधान भी हो जाएगा, कश्मीर की समस्या का समाधान भी हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इस इकोनामिक सैट अप को नहीं बदला और इस देस की तरक्की की शुरूआत गांवों की तरफ से नहीं की और यह बर्बादी होती रही, गांवों में बेरोजगारी बढ़ती रही, गांवों में भूमिहीन मजदूर बढ़ते रहे, गांवो मे बंधुवा मजदूरी बढ़ती गई और वे शहर की तरफ आ गए और शहर में स्लम्स बढ़ते हुए और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई···तो वह दिन दूर नहीं होगा जब स्थिति वहां पहुंच जाएगी, जब आप किसी प्रकार से भी काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृषि और गांवों के ढांचे में फिर से परिवर्तन करना होगा ताकि इस देश में गांवों का विकास शुरू हो।

[कुमारी उमा भारती]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और अपने टोकने वाले सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूं।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्री भगवान शंकर रावत : (आगरा) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कृषि उत्पाद के वसूली मूल्य को उत्पादन लागत के अनुरूप निर्धारित करने में असफलता। (1)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

उत्तर प्रदेश के सूखाप्रवण क्षेत्रों में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (7)

"कि पशु पालन और डेरी कार्य विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कम किया जाये।"

गाय तथा स्वस्थ दुधारू पशुओं की हत्याओं को रोकने में असफलता। (10)

"कि पशुपालन और डेरी कार्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कम किया जाये।"

उत्तर प्रदेश में डेरी विकास के विशेष प्रोत्साहन देकर राज्य में दुग्ध क्रांति का विस्तार करने में असफलता। (11)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आगरा जिले के सभी गांवों में कृषि विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता। (65)

श्री मोहन रावले : (मुंबई दक्षिण-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाओं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कीट नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यता। (40)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाओं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पशु चारे और कृषि उपकरणों के लिए महाराष्ट्र में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता। (41)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाओं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन और मत्स्य उद्योग विकसित करने की आवश्यकता। (42)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाओं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पर्याप्त अनुसंधान तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता। (43)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाओं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पशु पालन के लिए और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (44)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाओं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

'गहन कृषि जिला कार्यक्रम' की व्यापक पुनरीक्षा कराने की आवश्यकता। (45)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाओं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

यंत्रीकृत सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (46)

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों से उनके उत्पाद को खरीदकर उन्हें समय पर सहायता पहुंचाये जाने की आवश्यकता। (47)

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन वृद्धि परियोजना को समामेलित करके तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने की आवश्य, कता। (48)

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाय।"

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा उत्पादित खाद्य तेलों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता। (49)

[श्री राम नाईक]

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के कार्यालय को मुंबई से विशाखापत्तनम स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता। (50)

"कि पशुपालन और डेरी कार्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

महाराष्ट्र में डेरी परियोजनाओं को अनुदान देने के लिए विचार करते समय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आनन्द जैसी पद्धति की नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता। (53)

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"****

लाभकारी मूल्य निर्धारित करके काली मिर्च के उत्पादकों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता। (71)

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"**

हानिरहित खाद्य तेल के रूप में नारियल तेल का प्रचार किए जाने की आवश्यकता। (72)

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

किसानों को उचित शिक्षा देकर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता। (73)

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

प्रत्येक तालुका में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (74)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"****

सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को संगठित किए जाने की आवश्यकता। (75)

"कि कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"***

सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (76)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

केरल में नारियल की खेती के साथ-साथ तेल वाली खजूर की खेती करने का प्रचार किए जाने की आवश्यकता। (77)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

नारियल की फसल को महुली कीड़ों से बचाने के लिए अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता। (78)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

काजू की फसल के फूलों को सूखने से बचाने के लिए अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता। (79)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

शुष्क भूमि में सुपारी की खेती करने के सम्बन्ध में अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता। (80)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

केरल में काली मिर्च की बेल को घातक बीमारी से बचाने हेतु उपाय ढूंढ़ने की आवश्यकता। (81)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

भारतीय केन्द्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान परिसर का विस्तार करके, कासरगोड में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (82)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

समतल भूमि पर तेल वाली खजूर वृक्षारोपण का विकास करने की आवश्यकता। (83)

"कि पशुपालन और डेरी विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता। (84)

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

विभिन्न कीटनाशकों को आवश्यक वस्तु नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता। (144)

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से समय पर बीज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (145)

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

देश के सहकारी क्षेत्र के विभिन्न अन्चलों के बीच व्याप्त विसंगतियों को कृषि मंत्रालय द्वारा दूर किये जाने की आवश्यकता। (146)

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

फसल बीमा योजना को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता। (147)

"कि कृषि शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश को सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (148)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (149)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (150)

"कि पशु पालन और डेरी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग मे 100 रुपये कम किए जाएं।"***

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में पशुपालन हेतु पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (151)

"कि पशु पालन और डेरी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

सम्पूर्ण भारत में गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता। (152)

"कि पशु पालन और डेरी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

मध्य प्रदेश में नई डेरियां खोलने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (153)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

छोटे और सीमांत किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (199)

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

किसानों को उचित दर पर अच्छी किस्म का बीज समय पर दिए जाने की आवश्यकता। (200)

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता। (201)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

पौधों के संरक्षण के लिए पर्याप्त अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (203)

"कि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

बीज के विकास के लिए पर्याप्त अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (204)

श्री भगवान शंकर रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

चीनी की कीमतों में वृद्धि रोकने की आवश्यकता। (8)

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि खाद्य मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का उचित भण्डारण करने में असफलता के कारण खाद्यान्नों की भारी क्षति रोकने में निगम की अक्षमता। (19)

"कि खाद्य मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

महाराष्ट्र-सरकार द्वारा सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की अंश पूंजी में लगाई गई धनराशि का भुगतान करने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की अक्षमता। (20)

"कि खाद्य मन्त्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

केन्द्रीय सरकार के पास सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के लम्बित पड़े सभी प्रस्तावों को स्वीकृति देने की आवश्यकता। (21)

"कि खाद्य मन्त्रालय में शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की आवश्यकता। (22)

"कि खाद्य मन्त्रालय में शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

चीनी पर शुल्क निर्धारित करते समय यातायात और चीनी बनाने की लागत को शामिल करने की आवश्यकता। (23)

[श्री राम नाईक]

"कि खाद्य मन्त्रालय में शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ."

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को पर्याप्त धनराशि देने और इसकी कमियों को चीनी विकास निधि से पूरा करने की आवश्यकता। (24)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"****

मध्य प्रदेश में और अधिक चीनी मिलों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (34)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100रुपये कम किए जायें।"

मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों को समय से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (35)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

खाद्य पोषाहार बोर्डों के उचित कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता जिससे उन्हें लाभ कमाने वाली ईकाईयां बनाया जा सके। (36)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

मध्य प्रदेश की जाओरा और दलोण्डा चीनी मिलों को और अधिक नुकसान होने से बचाने के लिए उन्हें आधुनिक बनाये जाने की आवश्यकता। (37)

"कि खाद्य मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

गन्ने के विकास के लिए मध्य प्रदेश की चीनी मिलों को सहायता दिलाए जाने की आवश्यकता। (38)

श्री मोहन रावले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

भूमि की चकबन्दी के लिए व्यापक और प्रभावी भूमि सुधार नीति लागू करने की आवश्यकता। (19)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सीवर तथा जल निकासी की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकया। (20)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (50)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (51)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धन के दुरुपयोग को रोके जाने की आवश्यकता। (52)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

'यूनिसेफ' द्वारा शिशु देखरेख सुविधाओं के लिए प्रदान की गई धनराशि के दुरुपयोग को रोके जाने की आवश्यकता। (53)

"कि ग्रामीण विकास मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता। (54)

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि तथा खाद्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय को अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। देश में उपलब्ध कुल भूमि की 70% भूमि सिंचित नहीं है। यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। यह सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर है। यदि ऐसी भूमि पर सामान्य वर्षा होती है तो साधारण फसल ही उत्पन्न होती है। यदि अनिश्चित वर्षा होती है अथवा वर्षा नहीं होती तो किसानों को भारी क्षति होती है। अतः सिंचित भूमि पर वर्षा पर निर्भर भूमि की अपेक्षा तीन से चार गुना अधिक उपज होती है। इस कारण सरकार का जल संभर बनाकर वर्षा पर निर्भर भूमि तथा सिंचित भूमि के बीच उत्पादन के अन्तर को कम करने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक ने जल-संभर बनाने, भूमि-सुधार, प्राकृतिक रोजगार के अवसर पैदा करने तथा किसानों को अच्छी फसल देने के लिए अत्यधिक ध्यान दिया है। आठवीं योजना के दौरान सरकार का 1140 करोड़ रुपये की लागत से 2594 ब्लाकों में जल-संभर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। इस जल संभर का मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना, सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए गोचर भूमि का विकास, बागवानी इत्यादि का विकास करना है। परन्तु मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में झूम खेती की पद्धति प्रचलित है तथा आदिवासी लोग अत्यधिक क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पेड़ों को काट देते हैं तथा केवल कुछ अवधि के लिए फसलें उगाने के उद्देश्य से पेड़ों को जला देते हैं। उनकी यह धारणा होती है कि यदि वह पेड़ों को जला देंगे तो वह पेड़ों के हटाने के श्रम को बचा सकते है तथा इससे भूमि को खाद प्राप्त होती है। परन्तु दो-तीन वर्षों के बाद वह उस भूमि को छोड़ देते हैं तथा किसी अन्य स्थान पर चले जाते है तथा फिर पेड़ों को काट देते है और उन्हें जला देते है। जब मैंने वन अधिकारियों से लकड़ी बेचने की बात की तो उन्होंने कहा कि यह बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है तथा इस लकड़ी को बेचा जा सकता है परन्तु इसे न्यायालय में दिखाया जाना है। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। परन्तु इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यदि उनका दोष सिद्ध भी हो जाता है तो उन्हें जेल भेजा जाता है क्योंकि वे जुर्माना अदा नहीं कर सकते। यदि उनको दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें 7, 10 अथवा 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता है। परन्तु दोष सिद्धि होना कोई उपाय नहीं है। इससे आदिवासी लोगों को वनों को काटने से नहीं रोका जा सकता। अतः मेरा सुझाव है कि जो आदिवासी लोग वनों की कटाई के इच्छुक है उन्हें एक उपयुक्त स्थान पर बसाया जाना चाहिए तथा उन्हें बैल, बीज, खाद और अन्य चीजें उपलब्ध

[श्री के० प्रधानी]

कराई जायें जिससे वह दुबारा वनों में जाकर पेड़ों को नहीं काटेंगे और न ही उन्हें जलायेंगे। मेरे प्रश्न सं० 1647 दिनांक 5 अगस्त, 1991 के माध्यम से मैंने पूछा है कि क्या सरकार ने झूम खेती को रोकने के लिए कोई धनराशि दी है। सरकार ने बताया कि कृषि मंत्रालय ने 1988-89, 1989-90 और 1990-91 वर्षों में क्रमशः 13.2 करोड़, 15 करोड़ और 15.4 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता दी थी। मेरे राज्य उड़ीसा को वर्ष 1988-89 में 2.49 करोड़ रु०, 1989-90 में 1.7 करोड़ रु० और 1990-91 में 1 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। लेकिन, महोदय, मैं यह जानने में असमर्थ हूं कि धनराशि कैसे खर्च की गई है। मैंने धनराशि को खर्च करने के बारे में वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी और कलेक्टर से पूछा कि कैसे जन जातियों को लाभ पहुंचाया गया है लेकिन मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस राशि से पुनर्वासित किया गया हो। इसलिए, मैं मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा और उनसे अधिक धनराशि देने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि जनजाति अपने उपयुक्त स्थानों पर पुनर्वासित किये जाते हैं और उन्हें वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दी जाती।

अब मैं मूल्य निर्धारण के बारे में जिक्र करूंगा कि किसानों को कृषि पर अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को उचित दरों पर कृषि उत्पाद सप्लाई करने के लिए समर्थन मूल्य निश्चित किए जाते है और उन्हें बीज बोने के पूर्व ही दे दिए जाते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार अनाज के मूल्य निश्चित करती है। अब वह कारक क्या है जिन पर विचार किया जाता है? ये कारक है: उत्पादन की लागत, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति मांग और सप्लाई, जीवन स्तर पर प्रभाव, औद्योगिक लागत, कृषि संबंधी और गैर कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में परिवर्तन, इत्यादि।

श्री हनुमंता राव समिति ने बताया:

1. न्यूनतम वेतन अथवा वास्तविक वेतन की दर पर जो भी अधिक हो, श्रम का मूल्यांकन।

2. दस प्रतिशत की दर पर प्रबन्धकीय उत्पादन और

3. यदि खर्च अधिक हो तो खरीद मूल्य का निर्धारण।

हम जब-तब अनाज के समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमें देखना है कि उपभोक्ताओं को अनाज उचित दर पर प्राप्त हो। लेकिन रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इस समय हमारा देश प्रति एकड़ औसतन 7 क्विंटल धान का उत्पादन करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वर्षा पर निर्भर भूमि पर केवल 3-4 क्विंटल उत्पादन होता है और सिंचित की जाने वाली भूमि पर लगभग 10 से 12 क्विंटल उत्पादन होता है। इस प्रकार सब को देखते हुए जब हम प्रति एकड़ भूमि पर वास्तविक जमा और अन्य उत्पादों की गणना करते है तो लागत 1,700 रुपये आती है और धान की औसत उत्पादन लगभग 7 क्विंटल प्रति एकड़ बैठता है। मेरे राज्य उड़ीसा के लिए उपलब्ध अंतिम आंकड़े चार क्विंटल प्रति एकड़ है। यदि औसत उत्पादन प्रति एकड़ चार क्विंटल है, तो यह 1,600 रुपया बैठती है।

मूल्य निश्चित किए जाने के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि खेती के दौरान काश्तकार चाहता है कि उसे बिजली, उर्वरक पानी आदि उचित दरों पर दिए जायें। यदि उससे इनकी अधिक दरें ली जाती हैं तो उत्पादन लागत बढ़ेगी और किसान को भारी नुकसान होगा। इसलिए उपर्युक्त

मदें किसानों को उचित दर पर मुहैया की जानी चाहिए।

एक अन्य विषय समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर भी मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1981-82 में शुरू हुआ था। सरकार जन-जातियों को परियोजना के पचास प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता देना चाहती है। उनके अनुसार जनजातियों को 5,000 रुपया और सामान्य जनता के लिए 3000 रु० आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने चाहिए छोटे किसानों और सीमान्त किसानों के लिए आर्थिक सहायता की दर क्रमश: 25 प्रतिशत और 33.1 प्रतिशत होती है। लेकिन समय निकल जाने और मूल्य वृद्धि के कारण परि-योजना की लागत अब बढ़ गई है।

2.00 म० प०

वर्ष 1981-82 में गरीबी की रेखा निश्चित करने के लिए आय 3600 रु० थी और अब सरकार ने इसे 6400 रु० कर दिया है। यह लगभग दुगुनी है। आर्थिक सहायता और परियोजना की लागत भी अधिक है। सरकार को मूल्य वृद्धि के अनुपात में आर्थिक सहायता को बढ़ाना चाहिए और आर्थिक सहायता की सीमा 5,000 रु० से बढ़ाकर 10,000 रु० कर दी जानी चाहिए और छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों का 3000 रु० से 6000 रु० तक दिए जाने चाहिए।

मैं एक अन्य मुद्दा उठाने के बाद अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। यह गांव की सड़कों के बारे में है। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा वर्ष, 1981-82 के दौरान और उससे पहले न्यूनतम आवश्य-कता कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था इसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1000 व्यक्तियों वाले 100 प्रतिशत गांवों और जनजाति क्षेत्रों में इससे अधिक व्यक्ति वाले तथा 500 से 1000 व्यक्तियों वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार था।

2.02 म०प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

इस वर्ष में तथा पिछले वर्ष के दौरान हमने आर०एल०ई०जी०पी० तथा एन०आर०ई०पी० के बजाय धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी की है। यह जवाहर रोजगार योजना की धनराशि देश में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने तथा उन्हें आवश्यक व्यवसाय तथा उनके पंचायत क्षेत्र में सक्षम परिसम्पत्तियों का निर्माण के लिए खर्च की जा रही है।

परन्तु वे अपने पंचायत क्षेत्रों में केवल कुछ परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं तथा लम्बी सड़कों, जिनकी आवश्यकता एक खण्ड को दूसरे खण्ड से जोड़ने तथा एक पंचायत को दूसरी पंचायत से जोड़ने के लिए आवश्यक है, को नहीं शुरू किया गया है। उनकी अपनी पंचायतों के लिए धनराशि समाप्त हो चुकी है अतः वे दूर दराज के स्थानों को जोड़ने के लिए लम्बी सड़कों के निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं। भारत सरकार उन स्थानों को विशेष सहायता प्रदान करती है जो विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्र है जो डकैतों आदि से प्रभावित हैं। उड़ीसा भी नक्सलवादियों से प्रभावित है तथा बिहार भी नक्सलवादियों से प्रभावित है।

मैं समझता हूं कि सरकार इन क्षेत्रों के बारे मे विचार करे तथा इन क्षेत्रों को पचास-पचास प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान करे अर्थात केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों लागत

[श्री के० प्रधानी]

को बराबरी के आधार पर बांटे जैसा कि विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों के मामले में किया जाता है ताकि राज्य सरकार एक खंड से दूसरे खंड को जोड़ने के लिए अथवा लम्बी दूरियों को जोड़ने के लिए लंबी सड़कों का निर्माण कर सके।

अन्त में उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई ही एक तरीका है। छोटे और सीमांत किसानों को निःशुल्क जीवनधारा मिलती है जबकि मझोले किसान उसके लिए कोई रियायत नहीं दी जाती है। चूंकि परिसीमन कानूनों के लागू होने के बाद आजकल कोई बड़ा किसान नहीं है, मैं सुझाव देता हूं कि मझोले किसानों को सिंचाई परियोजनाओं जैसे ट्यूब वैल तथा कुओं आदि का निर्माण करने के लिए कुछ विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

इसके साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शिव शरण सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, कृषि सम्बन्धी चर्चा में मैं भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। कृषि का सम्बन्ध किसान से है और एक दूसरे पर निर्भर करने वाली बात है। किसान वह है जो खेती करता है और खेती बिना किसान के नहीं हो सकती। जब हम किसानों की बात करते है तो मुझे याद आता है एक महान सपूत, देशभक्त, महान क्रांतिकारी शहीद सरदार भगत सिंह की, जिसने फांसी के तख्ते को चूमते हुए कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब देश आजाद होगा और किसान-मजदूरों का राज होगा। आज उसकी शहादत को याद करते हुए मैं सिर नवाता हूं। आज भी उस महान क्रांतिकारी की बात याद आती है जिसका निशान यहां मौजूद है किसान कई तरह के हैं। सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान। ये सब किसान खेती में लगे रहते हैं और खेतीहर मजदूरों का भी मुख्य पेशा खेती है, खेत में ही उनका सारा जीवन गुजरता है। वे लगभग भूमिहीन किसान होते है। 80 प्रतिशत खेती पर काम करने वाले लोगों के पास कम जमीन होती है। जो 10-20 प्रतिशत बड़े किसान हैं उनके पास ही अधिकांश भूमि है और वे ही उस भूमि के मालिक बने हुए है। कृषि के समेकित विकास के लिए बड़े-बड़े भू-पतियों की जमीन को लेकर गरीबों में खासकर खेतीहर मजदूरों में बांटनी होगी। कानूनी ढंग से बांटनी होगी। ताकि ये लोग बेरोजगार न हो सकें और अपनी खेती ठीक से चला सकें। किसानों को खेती करने के लिए कितनी ही चीजों की जरूरत पड़ती है। जो उसके उपकरण है, सबके दाम बढ़े हुए हैं। खाद, बीज, दवा आदि जो सिंचाई के अन्य साधन हैं सबके दाम बढ़े हुए हैं। आज किसानों की खेती अधिकांशतः देहातों में बैल के जरिए हल द्वारा होती है। शायद लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। आज बाजारों और मेलों में जो बैलों की बिक्री हो रही है उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। इससे बैलों की कमी हो गई है। कारण यह है कि अच्छे-अच्छे बैल मेलों में काफी ऊंची कीमत देकर बूचड़ खाने वाले ले जाते हैं और इससे अच्छे बैलों की कमी हो गई है। किसानों को इससे बहुत घाटा हो रहा है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिन्दू पर सरकार ध्यान दे ताकि कृषि के काम में बाधा उत्पन्न न हो। खाद के सम्बन्ध में बहुत बातें हुई उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कम जमीन वालों को सरकार ने सिंचाई के लिए बोरिंग का प्रबन्ध लगभग फ्री कर दिया है उसी तरीके से जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको फ्री खाद मिलनी चाहिए और जो कर्ज की व्यवस्था है वह बिना ब्याज के होनी चाहिए।

किसानों को देश हित में व देश के उत्पादन के हित में जितनी सुविधा हम किसानों को दे सकें वह दें, यह अधिक अच्छा होगा।

सिंचाई बहुत जरूरी है, क्योंकि खेती इसके बिना नहीं हो सकती है। सिंचाई दो तरह की होती है। देहातों में जो प्रसिद्ध और लाभकारी सिंचाई है वह बोरिंग के द्वारा होती है। बोरिंग की पाइप पहले आठ-दस रुपये फीट मिलती थी, अब तीस-चालीस रुपये तक हो गई है। किसानों की शक्ति के बाहर यह चीज है। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कम रेट पर बोरिंग का इंतजाम कराना चाहिए। इतना ही नहीं, जो सिंचाई के लिए डीजल खरीदना है, मोटर पम्प जो बिजली से चलते हैं इन सब में किसानों का शोषण हो रहा है। उसको अधिक पैसा देना पड़ रहा है। वह बहुत मेहनत करता है उसकी खेती का लागत खर्च ज्यादा बढ़ गया है। जो हम पैदा करते हैं अपने खर्च के लिए और जो अन्य चीजें पैदा होती हैं बड़े-बड़े कारखानों में जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं। इन दोनों के दाम में काफी अन्तर है। इसमें समन्वय लाना चाहिए ताकि जो कारखाने का माल है और जो खेती का माल है, इन दोनों की कीमतों में जो असमानता है उसको दूर करना चाहिए अन्यथा कहा गया है कि किसानों का शोषण रुकेगा नहीं और उसका खून चूसा जाता रहेगा किसानों की आर्थिक रीढ़ टूटी ही रहेगी। इसलिए इस प्वाइन्ट पर सरकार को काफी ध्यान देकर सोचना होगा कि कृषि मूल्य नीति का निर्धारण कैसे हो। कृषि मूल्य नीति का निर्धारण करने में वही सामंतशाही रूप अपनाया जाता है। इसमें भाग लेने वाले कौन होते हैं? बड़े-बड़े किसानों के प्रतिनिधि होते हैं और जो 80% किसान है, छोटे और मझोले किसान हैं, चूंकि उनका कोई संगठन नहीं है, वह अपनी बात यहां नहीं रख सकता, इसलिए वह इनके हाथ की बात नहीं हो पाती है। ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि जिससे हम इस तरह के किसानों को प्रतिनिधित्व दें उनका भी सुझाव सुना जाए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए, तब न्याय हो सकता है। आज तक भी नयी कृषि नीति का निर्धारण नहीं हुआ। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि शीघ्र होगा। नयी उद्योग नीति का निर्धारण हुआ लेकिन नयी कृषि नीति का निर्धारण नहीं हो पाया है। इसलिए सबसे पहले कृषि के विकास के लिए आवश्यक है कि यह सरकार कौन सी कृषि नीति चलाना चाहती है, वह कृषि नीति जल्द से जल्द हम लोगों के सामने आनी चाहिए। वह सदन में आए, फिर आम किसानों से राय ली जाए, उनका सुझाव आए, ऐसा उपाय करना चाहिए। कृषि के लिए जो जरूरी चीजें है उसमें एक है सिंचाई। इसके सम्बन्ध में बहुत लोगों ने कहा है, और भी कहेंगे, लेकिन मैं कुछ स्थानीय बात कहना चाहता हूं।

उत्तर बिहार में सिंचाई के लिए दो बड़ी योजनाएं बनीं। एक है कोसी योजना और दूसरी गंडक योजना। नेहरु जी के सुझाव पर गंडक योजना का कार्य 1960 में लागू हुई। कार्य आरम्भ हुआ लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर भी वह काम पूरा नहीं हुआ। उसका लक्ष्य था 14.8 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराना। मात्र साढे सात लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित हुई और वह कार्य सातवीं योजना काल में रोक दिया गया कि शेष कार्य दूसरे फेज में होगा। लेकिन उसका दूसरा फेज आज तक नहीं आया। सरकार से मेरी मांग है, अनुरोध है कि गंडक योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में अवश्य पूरा किया जाए ताकि पूरे गंडक क्षेत्र में सिंचाई हो सके और कृषि का उत्पादन बढ़ सके।

उसी तरह से कोसी सिंचाई योजना का भी काम पूरा होना चाहिए। वह सिंचाई ही है जिस पर कृषि निर्भर करती है। इसलिए इसका मैंने जिक्र आपके सामने किया। एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर बिहार में हम सभी जानते है कि 9 लाख हैक्टेयर जमीन में जल जमाव की समस्या

[श्री शिव शरण सिंह]

है और जिसके कारण प्रति वर्ष किसानों को कोई 25 लाख मीट्रिक टन अनाज की क्षति-होती है। यह साधारण बात नहीं है, इस को समझा जाए और अगर यहां जल निकासी का प्रबंध कर दिया जाता है तो 25 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष किसानों की उपज बढ़ जाएगी और किसानों की हालत सुधरेगी।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर कुछ ध्यान दे लेकिन यह एक बड़ा काम है, शीघ्र नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। पार्ट बाय पार्ट किया जा सकता है। एक पार्ट का मैं स्पेसेफिक उदाहरण देता हूं। गंडक क्षेत्र में पूरे बाया कमांड क्षेत्र में तीन लाख नब्बे हजार एकड़ खरीफ के टाइम में जल प्लावित होकर आता रहता है जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है। यह मेरे क्षेत्र का हिस्सा है। वर्षा काल में खरीफ में 40 लाख क्विंटल अनाज की क्षति प्रति वर्ष इस तरह होती है। वैसे ही रबी के समय में, जब हम रबी की फसल बोना चाहते हैं, उस वक्त वहां पर करीब दो लाख साठ हजार एकड़ जमीन में पानी भरा रहता है, वह निकल नहीं पाता है। उससे हमारी फसल की क्षति 26 लाख क्विंटल प्रतिवर्ष हो रही है यानी पूरे पूरे बाधा कमाण्ड एरिया में प्रतिवर्ष किसानों की, 66 लाख क्विंटल अनाज की क्षति हो रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग को। इसलिए कृषि विभाग और सिंचाई विभाग दोनों को मिलकर इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि स्टेट गवर्नमेंट पर इसे छोड़ा जायेगा, कहा जायेगा कि यह स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है तो यह स्टेट गवर्नमेंट की ताकत से बाहर की बात है। केन्द्रीय सरकार के दोनों विभागों को मिल कर इसे देखना होगा।

वैसे तो सरकार ने सारे देश में कई जगह कमाण्ड विकास अभिकरण स्थापित किये हैं कुल मिलाकर 70 से अधिक कमाण्ड विकास अभिकरण सारे देश में होंगे। हमारे उत्तर बिहार में दो हैं—गंडक क्षेत्र विकास अभिकरण और कोसी क्षेत्र विकास अभिकरण, और प्रारम्भ में दोनों का काम बहुत अच्छा रहा है, सिद्धांत रूप में बहुत अच्छा है कि इरीगेशन का पोटेन्शियल कैसे क्रिएट करना है, कैसे हो सकता है, फिर उसका प्रोपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ड्रेनेज कैसे होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, इस का वे पूरा ध्यान रखते हैं, प्रबन्ध करते हैं। उसके बाद, पैटर्न ऑफ क्रोप की व्यवस्था करना भी उनका ही काम है। इसके अलावा जितनी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एक्सपर्टस हैं, उन्हें लेकर किसानों को ट्रेनिंग देना, यह जिम्मा भी उन अभिकरणों का है लेकिन अफसोस है कि आज वे अभिकरण मरणासन्न हैं, शिथिल पड़े हुए हैं, नो वर्किंग एट आल—उनका कोई काम नहीं है। केवल वेतन लेना और टी० ए० बनाना ही उनका काम रह गया है, इसके अलावा दूसरा कोई काम उनका नहीं है।

चूंकि वे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर आते हैं, मेरा निवेदन है कि यदि सही मायनों में आप कमाण्ड एरिया का विकास चाहते हैं तो जिन सिद्धांतों पर आपने कमाण्ड विकास अभिकरणों की स्थापना की थी, गठित किया था, उसे कार्यान्वित किया जाये। उसका एक्ट सक्रिय बनाइये। अच्छे से अच्छे लोगों को उसमें भेजिये। आज क्या हो रहा है कि ऐसे आदमी को उनका चेयरमैन बना दिया जाता है जो तीन-चार महीने बाद रिटायर होने वाला है। इस तरह वह अपने 3-4 महीने मौजमस्ती में काट कर आराम से रिटायर हो जाता है। यही क्रम चल रहा है। मेरा निवेदन है कि कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उसकी किसी भी तरह से उपेक्षा नहीं होनी चाहिये, इसकी सरकार को व्यवस्था करनी होगी।

सभापति महोदय, किसानों के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हमारे दरिद्र नारायण हैं, दरिद्रों के नारायण हैं। शास्त्री जी ने किसानों और जवानों को आपस में मिलाकर एक नारा "जय जवान जय किसान" दिया था। जिस किसान को गांधी जी ने दरिद्र नारायण कहा, शास्त्री जी ने "जय किसान" कहकर सम्बोधित किया, आज उस किसान की हालत क्या हो रही है। किसान भी दरिद्र हो रहे हैं और उनका क्षय हो रहा है। नेहरु जी ने भी कहा था कि बाकी सभी चीजों की प्रतीक्षा की जा सकती है लेकिन कृषि के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। आज हम देखते हैं कि जिस गंडक योजना को नेहरु जी ने अपने जमाने में चालू कराया, उसे सैकेण्ड फेस या थर्ड फेस तक पहुंचते पहुंचते रोक दिया गया है। सीधे नेहरु जी के स्वप्नों, नेहरु जी के आदर्शों के खिलाफ सरकार ऐसे काम कर रही है, चाहे जो भी सरकार हो। इन्दिरा जी ने भी इस देश के किसानों की बहुत तारीफ की थी। राजीव जी ने कहा था कि 'फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द कन्ट्री' परन्तु आज उन्हीं किसानों की आर्थिक रीढ़ टूट गयी है, टूट रही है, सरकार की गलत नीतियों के कारण। उनकी तरफ कोई देखने वाला आज नहीं रह गया है। नीचे गांव के स्तर से लेकर पूरे देश के पैमाने तक, किसानों का कोई संगठन नहीं है और इसीलिए आज उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं है। यदि किसान संगठित हो जायें और उन्हें संगठित होना पड़ेगा तो मजबूर होकर, चाहे कोई भी सरकार हो, उसे किसान की बात सुननी पड़ेगी और कृषि का उत्थान होगा।

अन्त में एक निवेदन मैं ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में आपसे करना चाहता हूं। वैसे तो जवाहर रोजगार योजना के नाम से बहुत सुन्दर स्कीम चलायी गयी थी और उसके पीछे जो मन्तव्य था, उद्देश्य था, मकसद था, वह काफी सुन्दर था, लेकिन आज हो क्या रहा है। आज देहातों में लोग कहते हैं कि जवाहर रोजगार योजना एक लूट योजना है। लूटमार योजना, क्यों ऐसा है? मुखिया लोग बनाए हुए हैं, 15—20 वर्ष से बने हुए हैं, वे बोगस कमेटी बनाए हैं, कितना अच्छा होता कि पूरे गांव की पंचायत के लोगों की बैठक कर के उनकी राय से आम सभा कर के स्कीम बनाते। होता क्या है, 5—7 आदमियों को बैठा दिया, बोगस मीटिंग कर ली और स्कीम बना दी। ऐसी मनमानी स्कीम बनाई जिस पर कार्यान्वयन पहले तो होता नहीं, यदि होता है, तो कोई उनको देखने वाला नहीं। मुखिया पंचायत, सेवक बी० डी० ओ० और ओवरसियर मिलजुलकर बंटवारा कर लेते हैं। जिस मुखिया के पास साइकल नहीं थी, वह आज एम्बेसेडर कार रखे हुए है। पब्लिक को आज बहुत गलतफहमी हो गई है। स्कीम तो बहुत सुन्दर है, तो क्या हम इस स्कीम को छोड़ दें; नहीं। इसको चलाया जाए, लेकिन लूट स्कीम के रूप में नहीं। इसमें सुधार हो सकता है। कैसे होगा; वह मैं बताता हूं, जो आम सभा बुलाई जाए, उसमें कलैक्टर खुद जाए या अपना प्रतिनिधि भेजे, वह सर्टिफाई करे, उसमें विधायक रहे, या उनका प्रतिनिधि रहे, उसमें एम० पी० रहे या उनका प्रतिनिधि रहे, तो जब विधायक, एम० पी० और कलैक्टर रहेंगे या उनके प्रतिनिधि रहेंगे, तो उनके सामने आम सभा होगी, तो वह बोगस नहीं होगी। जो स्कीम तैयार होगी और उसके कार्यान्वयन पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण कैसे होगा, इस पर सरकार को सोचना होगा। यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कलैक्टर, बी० डी० ओ०; विधायक और एम० पी० के साथ कोई और अफसर रखना चाहती हैं या जनता का कोई और आदमी रखना चाहते है, तो वे भी रखे जा सकते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा इसकी निगरानी होती रहे। इसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा चला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए।

सभापति महोदय : यह आपका सुझाव काबिले तारीफ है। अब आप वाइण्ड-अप करिए ठाकुर साहब।

श्री शिव शरण सिंह : सभापति महोदय, मैं तो बहुत कम बोलता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं गांधी जी का जो स्वप्न था सत्ता का विकेन्द्रीकरण, उसकी बात कहना चाहता हूं। उनका कहना था कि सारी सत्ता संगठित कर के दिल्ली में रखा है। जैसे पेड़ की फुनगी रहनी चाहिए दिल्ली में और उसकी जड़ रहनी चाहिए गांव में, तो उल्टा हो रहा है, पेड़ की जड़ दिल्ली में है और फुनगी गांव में है। नतीजा होता है कि यह पेड़ ही सूख जाता है। तो खैर यह तो डैमोक्रेटिक सिस्टम है, सभी जगह ऐसा नहीं होता है। इसमें सुधार हो रहा है। सही माने में इसको उल्टाकर के रखा जा रहा है। इसी सन्दर्भ में, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अब ग्राम पंचायतों के गठन के माध्यम से हम सही डैमोक्रेटिक, जनतंत्र प्रणाली कायम करना चाहते हैं और इसव में जो शिथिलता आ गई है, उसे दूर करना चाहिए और पंचायतों का सही ढंग से गठन करें जिससे पंचायतें चलें. यह केन्द्रीय सरकार की भी जवाबदेही है। राज्यों में 20—25 वर्षों तक चुनाव न हों और केन्द्रीय सरकार चुपचाप देखती रहे, यह गलत है। इसलिए यह अल्टीमेटली केन्द्रीय सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि कहां क्या हो रहा है। एक डैमोक्रेटिक सेट-अप जो हमें चलाना है, उसमें कहां बाधा पड़ रही है, इसको देखना केन्द्रीय सरकार का काम है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां ऐसी बात है, वहां आप परिवर्तन ला सकते है तो लाइए, लेकिन पंचायतों को ठीक से गठित कीजिए और उनको रैगुलर चलाना केन्द्र सरकार की जवाबदेही है।

अन्त में, मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि कृषि का विकास देश का विकास है। यह ठीक है कि जब देश आजाद हुआ, तो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया और कृषि पीछे पड़ गई, लेकिन फिर महसूस किया गया कि कृषि को आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर कृषि आगे बढ़ी और उद्योग जरा पीछे पड़ गया, तब यह हुआ कि नहीं, दोनों को मिलाकर चलाना है, तो साथ-साथ उद्योग और कृषि दोनों आगे बढ़ने लगे और अब मैं आशा करता हूं कि आज की दुनिया में कृषि और उद्योग साथ-साथ चलें, साथ-साथ विकास हो, तभी देश का सही विकास होगा। जैसे गांधी जी ने कहा था कि देश की प्रगति का बैरोमीटर क्या होगा, वह सबसे लोएस्ट मैन ऑफ दी सोसाइटी होगा। निचले स्तर पर जो सबसे गरीब आदमी है उसने कितनी प्रगति की, उसका कितना विकास होगा वही बैरोमीटर देश के विकास का होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार और यह सदन देश के विकास को नापेगा। धन्यवाद।

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की डिमांड्ज के अनुमोदन के लिए समर्थन के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कृषि मंत्रालय का दायित्व वरिष्ठ नेता जो किसानों की समस्याओं को भली-भांति समझते हैं, को सौंपा है। इससे हमें आशा बंधी है कि कृषि के क्षेत्र में जो समस्याएं किसानों के समक्ष हैं यह सरकार उनका समाधान ढूंढ़ पाएगी।

हमारी राय में बड़ी श्रद्धा है क्योंकि हम उनको प्राणदाता मानते हैं और किसान अन्नदाता हैं। हर व्यक्ति अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता और यदि कोई बहुत बड़ा साधक है और फल खाता है तो फल भी किसान पैदा करता है, यदि कोई साधु-संत है तो पवन की शुद्धता के लिए भी किसान ही वृक्ष लगाता है। मैं किसान को राम का छोटा भाई मानता हूं। किसानों के समक्ष जो समस्याएं हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि उसे बीज अच्छा और समय पर मिले। इस देश में सिंचित भूमि बहुत कम है, शुष्क भूमि बहुत है, बंजर भूमि है। इसके लिए ड्राई फार्मिंग के बारे में सरकार की कोई रिजर्व सीट, डेवलपमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन समय पर हो इसकी तरफ निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि किसान पानी के अभाव में कुछ दूसरी फसलों की तरफ

जाता है। जनसंख्या का दबाव भी बढ़ गया है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि 1947 में जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो मेरे दादा के पास डेढ़ सौ एकड़ जमीन थी और आज मेरे लड़कों और भतीजों के पास एक एकड़ भी नहीं रही। बीजों के बारे में मैंने निवेदन किया कि इसके लिए मल्टीप्लीकेशन और रिसर्च करने की आवश्यकता है। जिन किसानों के पास भूमि छोटी की यूनिट्स है उनका ध्यान सनफ्लावर की तरफ जा रहा है और सूरजमुखी का बीज मिल नहीं पा रहा है तो इस तरफ विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त सिंचाई बहुत आवश्यक है, खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए। पंजाब के अन्दर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने का परिणाम है कि वह उत्पादन के क्षेत्र में आगे है। अन्न उत्पादन के मामले में पंजाब, उसके बाद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तमाम भारतवर्ष की जनसंख्या का भरण-पोषण करने में सक्षम हुए हैं। सिंचाई की जो योजनाएं इस वक्त हैं, जैसे हरियाणा की सतलुज, यमुना, लिंक कैनाल है, अगर उसको शीघ्र पूरा कर दिया जाय, इसमें पोलिटिकल बिल की जरूरत है तो इससे अकेले हरियाणा के किसान भारत में कम से कम 100 करोड़ रुपया किसान और ज्यादा पैदा कर सकते हैं, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं तो यह कहता हूं कि जो नान रिपेरियन स्टेट्स हैं, जिन राज्यों के अन्दर दरिया नहीं हैं, रिपेरियन और नान रिपेरियन स्टेट्स का जो झगड़ा है, उस झगड़े का निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय संगठन और बने जिससे तमाम समस्याएं हल हो जाएं। जो पानी वेस्ट जाता है, उसका भरपूर प्रयोग किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए कर सकें, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

इसके अलावा जहां ऊंची-नीची, ऊबड़-खाबड़ जमीनें है, जैसे राजस्थान है और हरियाणा का दक्षिण क्षेत्र है, वहां स्प्रिंकलर और ड्रिप इर्रीगेशन को लागू करना चाहिए और उसके लिए भारत सरकार को राज्य सरकारों को विशेष अनुदान देना चाहिए ताकि वह आगे किसानों को सबसिडाइज्ड रेट्स पर स्प्रिंकलर सेट्स दे सकें। उसके लिए प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि सिंचाई के साथ फर्टिलाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। यह अधिक उत्पादन के लिए निहायत जरूरी है। जमीन मे एक दफा कैमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हो जाता है तो उस जमीन को आदत-सी पड़ जाती है कि जब तक उसको खाद नहीं दिया जाएगा, वह उर्वरक नहीं मिलेगा तो उस जमीन में उत्पादन बिल्कुल नगण्य हो जाता है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि फर्टिलाइजर पर से जो सब्सिडी सरकार ने वापस ली है, यह किसान के साथ ही नहीं, बल्कि तमाम राष्ट्र के अहित मे है।

जहां हम स्माल इण्डस्ट्रीज की बात करते हैं, वह छोटे उद्योगों की बात करते हैं, बड़े उद्योगों की तो बात ही छोड़ दीजिए लेकिन छोटे उद्योगों को भी 20-20 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार दे देती है। एक छोटे उद्योग को जितनी सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी के बराबर एक छोटे किसान की दो पुश्तें भी शायद आमदनी न कर सकें तो यह भेदभाव दूर होना चाहिए और कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। जो सुविधाएं उद्योगों को दी जाती हैं, वही सुविधाएं कृषि को भी दी जानी चाहिए, यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

इसके अतिरिक्त जब मार्केटिंग का प्रश्न आता है तो हर व्यक्ति जो उत्पादन करता है, उद्योग में कोई भी चीज बनाने वाला है, वह अपने उत्पादन का, अपनी पैदावार का, जो चीज वह बनाता है;

[श्री नारायण सिंह]

जो वस्तु वह तैयार करता है, उसका भाव वह स्वयं निर्धारित करता है लेकिन किसान का उत्पादन ऐसा है कि उसे पता ही नहीं होता कि किस भाव पर मण्डी में तेरी चीज बिकेगी। वह केवल पैदा करता है। कई दफा तो वह मण्डियों में कई-कई दिन तक पड़ा रहता है और उसकी दुर्गति होती है। वह बेचारा पसीना बहाकर जो उत्पादन करता है···इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मार्केटिंग का जो मामला है, इसमें ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि स्टोरेज का प्रबन्ध हो, चाहे वह एफ० सी० आई० के माध्यम से हो या किसी भी एजेंसी के माध्यम से हो, या मार्केटिंग कमेटियों के माध्यम से हो। जिस तरह से उद्योगपति जब चाहे अपना सामान बैंक के पास रखकर और ताला लगाकर पैसे ले लेते हैं, उसी तरह से किसानों को भी किसान की जरूरत के लिए पैसा बैंक दे और जब भाव अच्छे हों और जब किसान की इच्छा हो, अपने अनाज को बेचे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि निश्चित तौर से सरकार का इस दिशा में पग उठाना चाहिए।

इसके अलावा जो किसान अंगूर का उत्पादन करते हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने हिसार जिले में देखा है कि जिस वक्त अंगूर पकता है और वे मण्डियों में लेकर जाते हैं, तो मंडियों मे किसी भाव पर भी उनको उठाने वाला नहीं मिलता है और इस प्रकार उनको डिस्ट्रेस प्राइस पर बेचना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए भी कोई उद्योग स्थापित करें, कोई रस बनाने के लिए कारखाना लगाएं, चाहे वह पब्लिक सैक्टर में हो या एग्री-बेस्ड इन्डस्ट्री स्थापित की जाएं, जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ सके।

इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कार्य शुरू किया है। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्रालय ने हरियाणा में सोलह-सोलह जिलों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों का प्रावधान किया था, जिनमें से अभी केवल तीन जिलों में ही कार्य हो पाया है, बाकी जो हरियाणा के तेरह जिले बाकी हैं, उनमें भी कृषिविज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए जिस धन की आवश्यकता है, उसको उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को वहां प्रशिक्षण मिल सके। वहां के किसानों को जो मशीनरी और इम्प्लीमेंट्स के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, वह भी उनको उपलब्ध हो। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस दिशा में कदम उठाए।

इन्सैक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में मेरा निवेदन है कि इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। किसानों द्वारा महंगे भावों पर लिए जाते हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं। मैंने खास तौर पर इस बार देखा है कि पैडी की फसल में वर्षा कम होने की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां हो गईं। इसकी तरफ भी आज विशेष ध्यान देने की जरूरत है और जो इन्सैक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं, वे भी किसानों को सही और उचित मूल्य पर मिलें और उनके प्रयोग करने का ज्ञान भी उनको मिलना चाहिए ताकि उनके प्रयोग से जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनको रोका जा सके। इसके लिए उनको प्रयोग की विधि के बारे में जानकारी देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा व्यवस्था है कि वह हर चीज का इंशोरेंस होता है, लेकिन किसान की फसल जो कुदरत पर आश्रित है सबसे ज्यादा, उसका इंशोरेंस नहीं होता है। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और यूनिट भी छोटे से छोटा हो, क्योंकि देखने में आता है कि ओला यदि पड़ जाता है, कई दफा गांव के एक हिस्से में फसल तबाह हो जाती है और दूसरा बच जाता है, इसलिए कम से कम गांव की यूनिट रखी जाए, ब्लाक और तहसील की यूनिट न रखकर आप इंशोरेंश के लिए यूनिट गांव की रखी जाए।

किसान के उत्पादन के मूल्य निर्धारण के तरीके में भी मूल रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्राइस इन्डेक्स को देखकर डीए वगैरह दिये जाते हैं, उसी प्रकार किसानों को भी हर चीज की आवश्यकता है। चीजों के भाव आसमान छू जाते है, उससे आज किसानों की क्रय शक्ति कम हो गई है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए। दूसरी चीजों की बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखकर कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आज अच्छे से अच्छे किसान के घर-गांव में कार नहीं हो सकती, लेकिन छोटे-छोटे उद्योगों के मालिक भी 1-2 नई गाड़ियां रखते है। यदि किसी किसान के पास कार होगी भी तो वह खेती की आमदनी से न होकर किसी और के जरिए से होगी, उनके घर का कोई सदस्य अच्छी सर्विस मे होगा या कृषि के साथ उससे कोई उद्योग भी लगाया होगा, तब तो बेशक वह कार रख सकता है। किसान की हालत आज बहुत दयनीय है। आज वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में अच्छे स्कूलों में भेजने में समर्थ नहीं है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि किसान से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जैसे कृषि विश्वविद्यालय है, जहां से कृषि स्नातक निकलते हैं, वेटनरी कालेज हैं, जिनमें पशुपालन के बारे में सिखाया जाता है, इसी तरह से टी० आई० टी० (टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स) हैं, इनमें किसान के बच्चों को प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, विचार व्यक्त करने का समय दिया। मुझे पूर्ण आशा है कि श्री बलराम जाखड़ जी के नेतृत्व में उनकी देखरेख में किसानों की समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी और इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : सभापति महोदय, मैं कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का विरोध करता हूं।

मैं इन अनुदान मांगों का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि इस सरकार की पिछली सरकार तथा वर्तमान शासक दल द्वारा घोषित कृषि नीति का प्रमुख उद्देश्य कुछ जमींदारों, भू-स्वामियों तथा कुछ एकाधिकारवादी व बहुराष्ट्रीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। यह छोटे तथा सीमांत किसानों, आध बंटाई पर काम करने वालों तथा खेतिहरों को जोकि हमारे कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है के लिए नहीं है। हमारी कृषि योजना का एक मात्र उद्देश्य किसी न किसी तरह उत्पादन बढ़ाना है। परिणामस्वरूप, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से लगातार उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु क्या हमारे गरीब ग्रामीणों, किसानों, कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों को कहीं पर भी इस उत्पादन वृद्धि से लाभ हुआ है। क्या उनके जीवन-स्तर में कोई परिवर्तन हुआ है ? क्या उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

महोदय, कृषि उत्पादन बढ़ गया है परन्तु साथ ही साथ हमारे किसानों की गरीबी और भुखमरी भी बहुत अधिक बढ़ गई है। उनकी कठिनाई और उत्पीड़न भी बढ़ गये हैं। एक ओर सीमान्त किसानों द्वारा भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, परन्तु दूसरी ओर भूमि तथा ग्रामीण परिसम्पत्तियों का कुछ लोगों के हाथों में जाना भी चल रहा है।

महोदय, हमारे किसानों को पिछले दो दशकों से अधिक उत्पादन करने की सलाह दी जा रही

[श्री जायनल अबेदिन]

है और तदनुसार उन्होंने अधिक उत्पादन किया। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला ? उनको अधिक और अधिक वंचित रखा गया। खाद्यान्नों का उत्पादन दुगुना हो गया है। वर्ष 1965, जबकि तथाकथित हरित क्रान्ति देश में प्रारम्भ की गई थी, की तुलना में 1991 में यह दुगुने से भी अधिक हो गया। इसी बीच ढाई दशक बीत चुके हैं और हरित क्रान्ति कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व के साथ पूरे देश में लागू किया जा चुका है। लेकिन प्रति व्यक्ति प्रति दिन खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी आई है। यह 1965 के मुकाबले में अब बहुत कम है। अनाज और दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्षों से कम होती जा रही है। माननीय सभा में तत्कालीन सरकार द्वारा प्रस्तुत सातवीं योजना की मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ग्रामीण परिवारों में से नीचे के 30 प्रतिशत परिवारों के पास भूमि को छोड़कर केवल 4 प्रतिशत ग्रामीण परिसम्पत्तियां हैं जबकि उच्च स्तर के 30 प्रतिशत परिवारों के पास 78 प्रतिशत परिसम्पत्तियां है। मेरा प्रश्न यह है। क्या मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने से ग्रामीण संसाधनों के आबंटन में कोई तब्दीली आई है ? बदलाव आया है इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन यह अच्छे के लिए नहीं है। इसके विपरीत ग्रामीण जनसंख्या के हमारे गरीब वर्गों के लिए स्थिति और बिगड़ी भी है। अत: यह निष्कर्ष निकाला भी जा सकता है कि कि किसान जितना अधिक उत्पादन करेंगे उतना ही उन्हें अपनी खपत के लिए कम मिलेगा। सरकार की कृषि नीति के पीछे केवल यही धारण कार्य कर रही है।

कृषि उत्पादन बढ़ा है लेकिन प्रति इकाई उत्पादकता में कमी आई है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। 1990-91 के आर्थिक सर्वेक्षण ने माना है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में धीमी गति मुख्यत: छठी योजना के 5.8 प्रतिशत प्रति वर्ष से सातवीं योजना में 3.4 प्रतिशत प्रति हैक्टेयर मन्द गति के कारण है।

इसलिए हमें पता चला है कि कृषि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह आनाज है या दालें या गैर-खाद्यान्न फसलें, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादकता या तो कम या फिर न के बराबर रही है। जब यह स्थिति है, सरकार अधिक से अधिक भूमि को खेती के अन्दर लाकर अधिक से अधिक भूमि को अधिक उत्पादकता वाले कार्यक्रम में लाकर तथा अधिक से अधिक भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत लाकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं अधिक से अधिक भूमि को खेती के अन्तर्गत लाने, या अधिक से अधिक भूमि को अधिक उत्पादकता वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत लाकर या सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत लाकर के विचार के खिलाफ नहीं हूं। बल्कि मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन प्रयत्नों को और तेज करना चाहिए। लेकिन उसी समय, मैं कहना चाहता हूं कि इसको अनन्त और न खत्म होने वाली प्रक्रिया के रूप में जारी नहीं रखा जा सकता। हमारे देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र जितने प्रतिशत भूमि पर पहले से खेती की जा रही है वह दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक है।

जनसंख्या वृद्धि की हमारी लगातार वृद्धि से निपटने के लिए हमारे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना होगा। लेकिन जिसकी अधिक आवश्यकता है वह उत्पादन में वृद्धि है। लेकिन हमारी उत्पादकता क्यों नहीं बढ़ रही है ? वे कौन से तथ्य हैं जो कि उत्पादता के रास्ते में रुकावट डालते हैं ? बाधाओं को दूर करने के लिए क्या किया जाना है। ये प्रश्न हैं जिनका कि हमें जवाब ढूंढना होगा। मेरा जवाब है कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत अधिक भूमि होने के कारण भूमि पर वास्तविक रूप से

खेती करने वालों का पूरी तरह शोषण किया जा रहा है जो कि मुख्य बात है।

दूसरे, अत्यधिक संख्या में भूमिहीन किसान मजदूर और बंटाईदारों के सम्बन्ध में संचलनात्मक नियंत्रण में कमी ऐसे तथ्य हैं जिससे उत्पादकता को क्षति पहुंची है।

तीसरे, कृषि में सामन्तवाद का अस्तित्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारक है जो अनिवार्यतः उत्पादकता में कमी के लिए जिम्मेदार है।

सभापति महोदय : क्या मैं एक मिनट के लिए व्यवधान डाल सकता हूं। मुझे 3 बजे एक बैठक में सम्मिलित होना है। इसलिए, सभा की सहमति से, मैं श्रीमती बासवराजेश्वरी से अनुरोध करूंगा कि वह पीठासीन हों।

2.51 म० प०

(श्रीमती बासवराजेश्वरी पीठासीन हुईं)

श्री जायनल अबेदिन : कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल जोत क्षेत्रों की संख्या अनुमानतः 97.16 मिलियन है और कुल खेतिहर भूमि 164.56 मिलियन हेक्टेयर है। सीमान्त जोत क्षेत्रों का प्रतिशत कुल जोत क्षेत्र का 57.8 प्रतिशत है जबकि इस प्रकार के जोत क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले जोत क्षेत्रों का प्रतिशत केवल 15.6 है। दूसरी तरफ, बड़े और मध्यम आकार के जोत-क्षेत्रों का प्रतिशत कुल का 10 प्रतिशत है लेकिन कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत 48.7 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों मे, कुल 164 मिलियन हेक्टेयर कृषि के लिए प्रयोग की जा रही भूमि में से 25.65 मिलियन हेक्टेयरर भूमि सीमान्त जोत-क्षेत्रों की है जो कि कुल जोत-क्षेत्र का 57.8 प्रतिशत है जबकि बड़े और मध्यम आकार के जोत-क्षेत्र जिनकी संख्या कुल का केवल 10 प्रतिशत है, कुल कृषि के लिए प्रयोग की जा रही भूमि में से 20 मिलियन हेक्टेयर है।

10 प्रतिशत बड़े और मध्यम आकार के जोत-क्षेत्रों में 2.4 प्रतिशत अत्यधिक बड़े जोत-क्षेत्र शामिल हैं। यह 2.4 प्रतिशत अत्यधिक बड़े जोत-क्षेत्र कुल कृषि के लिए प्रयोग की जा रही भूमि का 22.8 प्रतिशत है। जिसका क्षेत्र 37.5 मिलियन हेक्टेयर है। हमारे जोत-क्षेत्रों का औसतन नाप 1.69 हेक्टेयर है। लेकिन 2.4 प्रतिशत अत्यधिक बड़े जोत-क्षेत्रों का औसतन आकार 16 हेक्टेयर से भी अधिक है जबकि सीमान्त जोत-क्षेत्र जिनका प्रतिशत कुल का 57.8 प्रतिशत है आकार केवल 0.45 हेक्टेयर है। इससे पता चलता है कि भूमि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केन्द्रित है। उससे ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे सामन्ती अत्याचार का पता चलता है।

इसलिए, कृषि सम्बन्धी योजनाओं को कृषक मजदूरों की नजरों से देखने की आवश्यकता है। आमूल भूमि सुधार किये जाने की आवश्यकता है। हमारी कृषि सम्बन्धी प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भूमि सुधार कार्यक्रम का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग कम भूमि वाले कृषकों को उच्चतम सीमा के बाद अधिशेष भूमि बांटना और बंटाई पर कार्य करने करने वालों को काश्तकार के अधिकार दिये जाना है। मुझे इस बात का खेद है कि सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है।

उच्चतम भूमि सीमा कानून के अन्तर्गत अभी तक केवल 19 लाख हेक्टेयर अधिशेष भूमि को देश में बांटा गया है। यदि हम उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भूमि सुधार उपायों को

[श्री बासुदेव आचार्य]

प्रयोग में लाना होगा। हमें भूमि को काश्तकारों में बांटना होगा, हमें बंटाई पर कार्य करने वाले कृषकों को काश्तकार के अधिकार देने होंगे और हमें उन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण निवेश जैसे उर्वरक, कीटाणु-नाशक दवाइयां स्थानीय साधनों सहित बैंक ऋण, श्रम तथा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि इससे गरीब ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ग्रामीण भारत में राज-नैतिक शक्ति भू-स्वामियों और बड़े किसानों के हाथ में है। जो केन्द्र में सत्ता दल के वोट बैंक के रूप कार्य करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल का उद्धरण देना चाहूंगा। वर्ष 1990-91 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल जो कि कुछ वर्षों पहले कृषि की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ राज्य था वह जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनाज उत्पादन की उत्पादन दर का सम्बन्ध है सभी राज्यों में पहले नम्बर पर आता है। पश्चिम बंगाल में यह उत्पादन दर 34 प्रतिशत है इसके बाद हरियाणा में उत्पादन दर 24 प्रतिशत है पंजाब में 23 प्रतिशत, बिहार में 21 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत है।

चावल के उत्पादन में, पश्चिम बंगाल का स्थान सभी राज्यों में अब पहला है पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि आलू के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है।

अब प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल जैसे कृषि के सम्बन्ध में पिछड़े हुए राज्य के लिए यह उप-लब्धियां प्राप्त करना कैसे सम्भव हो सका है।

यह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाए गए मौलिक नीति का परिणाम है यह नीति अब पुनर्वितरण भूमि सुधार कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन से शुरू होती है जिसमें ग्रामीण गरीब सीधे तथा सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि अब तक देश में 19 लाख हेक्टेयर भूमि का वितरण किया जा चुका है। इस 19 लाख हेक्टेयर में से 20 प्रतिशत का श्रेय सिर्फ पश्चिम बंगाल को जाता है यद्यपि इस राज्य के पास देश की खेती योग्य भूमि का सिर्फ 4 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त आपरेशन भार्गव के अन्तर्गत 14.26 लाख बटाईदार हैं जिन्होंने उन्हें जोत की सुरक्षा प्रदान की है। इस राज्य की 70 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि छोटे तथा सीमांत किसानों के स्वामित्व तथा प्रचालनात्मक नियंत्रण में है।

महोदय सरकार यह दावा करती है कि उत्पादन लागत एक सदस्य ने पहले ही कहा है और मैं भी उल्लेख करना चाहता हूं—खरीद मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का आधार होती है। सरकार की नीति किसानों को उत्पादन की वृद्धि करने में पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करती है, उप-भोक्ताओं को उचित दर पर खाद्यान्न सप्लाई करती है।

महोदया, किसी फसल की उत्पादन लागत देश के सभी भागों में समान नहीं होती है। यह क्षेत्रवार अलग-अलग होती है; इसलिए उस विशेष फसल का खरीद मूल्य अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी क्षेत्र में उचित और लाभकारी हो सकता है, परन्तु हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र में वह लाभकारी न हो।

जब कभी भी खरीद मूल्य बढ़ता है तो इसके बाद निर्गम मूल्य में काफी वृद्धि हो जाती है।

एक किसान, विशेषकर एक सीमांत किसान एक ही समय उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है। एक उत्पादक के रूप में वह जो पाता है, एक उपभोक्ता के रूप में वह निर्गम मूल्य में वृद्धि के रूप में अम अधिक अदा करता है वे भूमिहीन किसानों, कृषि श्रमिकों, जो बेचने योग्य उत्पादन नहीं कर पाते हैं, को बढ़े हुए निर्गम मूल्य का भार सहना पड़ता है। अतः इन्हीं लोगों को, सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से घटी दर पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए।

सरकारी एजेंसियां कृषि उत्पादों विशेषकर नकद फसल को खरीदने के लिए समय पर बाजारों में नहीं पहुंचती जिससे छोटे तथा सीमांत किसान अपने उत्पादों को जबरन सस्ते में बेच देते हैं।

3.00 म० प०

इसलिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है। इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रोजगार सृजन की तथा गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। हम निरंतर इन सभी योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। जवाहर रोजगार योजना ऐसी ही एक रोजगार सृजन योजना है। जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों तथा अल्प नियोजितों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजन करना है। ग्रामीण आर्थिक ढांचे में तथा जनजीवन में समग्र सुधार के लिए आयोजित परि-सम्पति सृजन करना और उसे मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है।

परन्तु इस कार्यक्रम के लिए इतना कम धन आबंटित किया जाता है कि उस पैसे से न तो ग्रामीण बेरोजगारी जैसी इतनी बड़ी समस्या से लड़ा जा सकता है और न ही स्थायी रोजगार सृजन करने के लिए ग्रामीण आर्थिक ढांचे तथा परिसम्पत्तियों को ही मजबूत किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जितना रोजगार प्रदान किया जाता है वह बहुत कम अवधि के लिए होता है जिसका वास्तव में बेरोजगारी की समस्या पर कोई प्रभाव नहीं होता। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के लिए परिव्यय 2100 करोड़ रु० था। इस वर्ष भी यह राशि उतनी ही रही। परन्तु मूल्यों में अत्य-धिक वृद्धि को देखते हुए इस वर्ष रोजगार सृजन कुछ इस कदर घटेगा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में संकट पैदा होगा।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक और प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं, इसका उद्देश्य पता लगाये गए गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इसका मुख्य सक्षम वर्ग ग्रामीण गरीबों में सबसे गरीब परिवार है अर्थात् असहाय तथा सबसे गरीब समूह के लोग। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सातवीं योजना के आरम्भ में जनसंख्या के 37 प्रतिशत से गिरकर इस योजना के अंत तक 26 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान हमारी 11 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा को पार कर गई है। मुझे आशंका है कि निकट भविष्य में किसी भी दिन हम यह सुनेंगे कि देश से गरीबी पूरी तरह हट गयी है। गरीबी रेखा के नीचे के सभी लोगों को ऊपर उठा दिया गया है। ग्रामीण गरीबी की जड़ें इतनी गहरी है कि एक या दो हजार रुपये की राज सहायता देकर अत्यंत असहाय अथवा अत्यंत निर्धन के परिवारों के प्रत्येक सदस्य को बैंकों से तीन अथवा चार हजार रुपये देकर गरीबी समाप्त नहीं किया जा सकता है।

विभिन्न संगठनों, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा लाभार्थियों के चयन, आय जुटाने, मूलभूत बुनियादी सुविधाओं इत्यादि की उपलब्धता के बारे में बनाए गए कार्यक्रम के मूल्यांकनों के परिणामों

[श्री आयनल अबेदिन]

में काफी अधिक भिन्नता है। उन्होंने इस कार्यक्रम में अनेक कमियों और अन्तर्निहित दोषों के बारे में बताया है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि लाभार्थियों का पता किस प्रकार लगाया जाता है। समवर्ती मूल्यांकन का यह निष्कर्ष निकला है कि 60% लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं की बैठक में किया जाता है। इन ग्राम सभाओं पर किसका नियन्त्रण और अधिकार होता है? निहित स्वार्थ वाले लोगों का जैसे भू-स्वामियों, बड़े-बड़े किसानों तथा गांव के साहूकारों का होते है। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी भयावह गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि ग्राम सभाओं के नियंत्रणाधीन प्राधिकारी अपने निजी हितों के लिए कोई नुकसानदेह कार्य करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं कि लोगों का गरीबी की रेखा से ऊपर आना इनके लिए नुकसानदायक है।

कुछ मामलों में, चयन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो यह चाहता है कि उसका चयन किया जाए उसे अधिकारियों को सन्तुष्ट करना होता है। जो लोग अधिकारियों को सन्तुष्ट करने में अधिक सक्षम होते हैं उनके लाभभोगियों के रूप में चयन के अधिक अवसर होते हैं। ग्रामीण लोगों के निम्नतम वर्ग अधिकारियों को संतुष्ट करने में कम सक्षम होते हैं। अतः उनके लाभभोगियों के रूप में चयन के अवसर भी कम होते हैं। किसी व्यक्ति को इन दो तारीखों के बीच—जिस दिन लाभभोगी के रूप में उसका चयन किया जाता है और जिस दिन उसे सहायता राशि अथवा ऋण दिया जाता है—काफी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस अवधि के दौरान, ऐसे लाभभोगी चयन प्राधिकारियों से बैंक अधिकारियों तक हर किसी के पास आना जाना पड़ता है तथा उसे धन भी खर्च करना पड़ता है। अतः इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि इस प्रतीक्षा की अवधि को काफी कम किया जाए तथा सम्पूर्ण सहायता धनराशि और ऋण लाभभोगी को दिया जाए।

इसके अतिरिक्त लाभभोगियों को पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

लाभभोगियों की नष्ट हुई परिसम्पत्ति को बदलने के लिए उचित रूप से पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

जिन परिवारों को सहायता प्रदान की गई हैं, सहायता दिए जाने के बाद उनकी देखभाल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उपायों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

लाभभोगियों को विपणन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

लाभभोगियों को सामूहिक बीमा सुविधा की जानकारी होनी चाहिए।

इन सब उपायों को किए बिना कोई व्यक्ति कैसे आशा कर सकता है कि निस्सहाय और अत्यधिक निर्धन व्यक्ति किस प्रकार इतनी आसानी से गरीबी की रेखा को पार कर पायेंगे?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में यह दावा किया गया है कि 16 प्रतिशत मामलों में निस्सहाय और अत्यधिक निर्धन वर्गों के परिवारों ने गरीबी की संशोधित रेखा को पार कर लिया है। अब गरीबी की रेखा क्या है? गरीबी की रेखा 1984-85 के मूल्यों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 107 रु० के व्यय की है। वर्तमान मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए यदि गरीबी की रेखा को अद्यतन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि निस्सहाय तथा अत्यधिक निर्धन वर्गों से सम्बन्धित लाभभोगियों द्वारा पार की गई गरीबी की रेखा शून्य प्रतिशत तक आ जाएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० के० वेंकट गिरी गौड़ (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदया, मैं खाद्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा होता हूं और खाद्य वितरण बढ़ाने तथा उचित वितरण के लिए और अधिक अनुदान की मांग करता हूं। भोजन, कपड़ा और मकान ही मानव अस्तित्व के लिए सर्वाधिक आवश्यकताएं हैं उसमें से भोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्यवश निम्न स्तर के पोषक अनाज का वितरण भी सभी को प्रदान करने की व्यवस्था अपर्याप्त है।

भारत की जनसंख्या इस समय 85 करोड़ है और यह 2.3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। किन्तु खाद्य पदार्थों की सप्लाई उस दर से नहीं बढ़ रही है। निश्चित रूप से खाद्य की कमी है। जिन वर्षों में अनाज की सप्लाई बढ़ती है मूल्य सूचकांक गिर जाता है तथा मुद्रास्फिति की दर भी गिर जाती है। जिन वर्षों में अनाज का वितरण गिरता है, मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो जाती है तथा मुद्रास्फीती की दर में भी वृद्धि हो जाती है। अतः अनाज के मूल्यों तथा मूल्य सूचकांक में संबंध है।

पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। अनाज के वितरण में वृद्धि हुई, और मूल्यों में आम गिरावट आई तथा मूल्य सूचकांक में भी गिरवाट आई। दूसरी योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। अनाज के वितरण में गिरावट आई अनाज के मूल्यों में वृद्धि हुई तथा मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई? भुगतान संतुलन में घाटा हुआ। आयात निर्यात से अधिक हो गए और इसके कारण विदेशी मुद्रा उधार देने की आवश्यकता हो गई। अतः भारत में अनाज के मूल्य ही मूल्य सूचकांक को निर्धारित करते हैं। इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि हमारी विकास योजना में अनाज वितरण की ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिससे बिना मुद्रास्फीती के विकास सुनिश्चित किया जा सके।

मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। भारत में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता कम है। चीन ने 110 करोड़ की जनसंख्या के लिए 300 मिलीयन टन का उत्पादन स्तर प्राप्त कर लिया है। यह भारत के 200 कि० ग्रा० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मुकाबले लगभग 330 कि० ग्रा० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता है। चीन की उपलब्धता की बराबरी करने के लिए वर्तमान की मात्रा अनाज वितरण को कम से कम 100 मिलियन टन बढ़ाना होगा। हमें वर्ष 2000 तक प्रति व्यक्ति 300 कि० ग्रा० की उपलब्धता का लक्ष्य बनाना चाहिए। अतः इसके लिए वर्ष 2000 तक उत्पादन स्तर को 300 मिलियन टन तक लाने की आवश्यकता है। यदि चीन 100 मिलियन हक्टेयर कृषि योग्य भूमि में 360 मिलियन टन से अधिक अनाज का उत्पादन कर सकता है तो हम 143 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि पर 300 मिलियन टन अनाज का उत्पादन यदि अभी नहीं तो वर्ष 2000 से पहले क्यों नहीं कर सकते हैं? अतः इस बात की आवश्यकता है कि अनाज की वितरण की ऐसी नीति बनाई जाए जो अतिरिक्त सिंचाई पर आधारित हो। जिसमें पानी के जमा होने तथा नमकीन होने से रोकने, कीट नाशकों का प्रयोग करने, रियायती दर के उवर्रकों का प्रयोग करने, बदल-बदल कर अनाज उगाने तथा वैज्ञानिक खेती करने की व्यवस्था हो जिससे कि सामान्य रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके तथा विशिष्ट रूप से अनाज उत्पादन में वृद्धि हो सके। अनाज वितरण नीति के बिना हम मुद्रा स्फीती मुक्त विकास अथवा स्थिरता के साथ विकास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जोकि विकास नीति का उद्देश्य है।

अनाज वितरण नीति प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिना अपूर्ण है। इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बहुत कुछ अपेक्षा की जाती है। उचित दर की डिपो अनुचित मूल्य डिपो बन गए हैं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। अनाज के भंडारों की काले बाजार में होटलों तथा

[प्रो० के० वेंकटगिरी गौड़]

रेस्तरा को बिक्री की जाती है तथा कार्ड धारकों से यह कह दिया जाता है कि अभी माल आया नहीं है।

उचित मूल्य पर अनाज का वितरण गरीबों तथा समस्त के कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए। यही एक मात्र तरीका है जिसके द्वारा अनाज के मूल्य तथा मुद्रा स्फीती की दर को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अत: अनाज वितरण नीति का उद्देश्य पर्याप्त अनाज वितरण तथा कम मूल्यों पर उचित वितरण होना चाहिए। अनाज वितरण नीति द्वारा अनाज के मूल्यों में कमी मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा मे पहला कदम है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना अपने अन्तिम रूप में अप्रैल 1992 मे सही कर दी जाएगी। यदि देश को अत्याधिक मुद्रा स्फीती से बचाना है तो योजना आयोग को अनाज वितरण नीति तैयार करते समय मुद्रास्फीति मुक्त विकास तथा मैक्रो आर्थिक स्थिरता के हित में उचित प्रकार से ध्यान देना होगा। इसलिए मैं खाद्य मंत्रालय से यह निवेदन करूंगा कि अनाज वितरण तथा उसके प्रभावी वितरण व्यवस्था के लिए अधिक अनुदान दिया जाए।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री और उनके द्वारा ग्रामीण विकास मन्त्री, जोकि भारत के प्रधानमन्त्री भी हैं का ध्यान कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके घोषणा पत्र के समय बद्ध भाग में किए गए सबसे पहले वायदे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे घोषणा-पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार पहले सौ दिनों में स्थानीय स्व-शासन की इकाइयों को शक्तियां सपुर्द करने के लिए पचायती राज और नगरपालिका पर संविधान संसोधन विधेयक पुन: प्रस्तुत करेगी और पास करेगी। यह बड़े खेद का विषय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में, इस तथ्य के बावजूद कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में इसे सर्वप्रथम वायदे का रूप दिया गया था, इन संविधान संशोधनों का कोई जिक्र नहीं है। यह जानकर बहुत निराशा हुई कि सरकारी कार्य जो वर्तमान लोक सभा के पहले सत्र के लिए निर्धारित किया गया था उसमें इस बात का कोई संकेत नहीं है कि सरकार द्वारा पंचायती राज तथा नगरपालिका के संबंध में संविधान संसोधन विधेयकों को प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव है। मैं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि उनके मंत्री बनने के बाद 65 दिन बीत चुके हैं। इस सभा के इस सत्र के केवल तीन सप्ताह बाकी हैं। यदि पंचायत राज और नगरपालिका से संबंधित संविधान संसोधन विधेयक अगले तीन सप्ताह अर्थात इस लोक सभा के पहले सत्र की शेष अवधि के दौरान नहीं लाए गए तो हम इस महत्वपूर्ण चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सौ दिन के लक्ष्य को पार कर जाएंगे। जैसाकि कांग्रेस पार्टी तथा उसके भूतपूर्व नेता श्री राजीव गांधी ने अपने दल को विजयी बनाने तथा इस सभा के लिए निर्वाचित किए जाने के लिए किया था। पंचायती राज देश के भविष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी पार्टी के भविष्य के लिए, जैसाकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के पृष्ठ 12 में दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी इन दो संसोधन विधेयकों को लाना चाहती है जोकि देश के लोकतंत्र के लिए सच्चे तीर्थ हैं, जोकि जनता को सत्ता प्रदान करना है। यदि इस लोक सभा के सदस्य अपने वायदों को गंभीरतापूर्वक जनता के पास पहुंचाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार इन दो संविधान संसोधन विधेयकों को सभा में प्रस्तुत करे या यह बताए कि वह ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है या वह ऐसा कब करना चाहती है।

मुझे आशा थी कि जब मैंने इस विषय को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाया था तो सरकार द्वारा इन संसोधन विधेयकों को प्रस्तुत करने के संबंध में अपने उत्तर में कोई संकेत दिया जाता। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि चर्चा पर अपने उत्तर में सरकार ने इन संसोधन विधेयकों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हमारे पास एक और अवसर है। इस चर्चा पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री को उत्तर देना है। मैं आशा करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता के लिए तथा श्री राजीव गांधी के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य मंत्री महोदय यह बताएं कि वे पंचायती राज के बारे में क्या करने जा रहे हैं।

अक्तूबर, 1989 के उस काले दिन के बाद जब कुछ मुट्ठी भर, कुल 83, विपक्षी सदस्यों ने राज्य सभा में संविधान संसोधन विधेयकों को अस्वीकार करके 83 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी तथा बीते हुए महीनों में कम-से-कम दो महत्वपूर्ण अवसर ऐसे आए थे जब ऐसे विधेयक की आवश्यकता महसूस की गई थी। इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि ये दो मौके कौनसे थे मुझे श्री राजीव गांधी द्वारा इस सभा में दिए वक्तव्य का हवाला देने दीजिए। उन्होंने कहा कि: "इन दो संविधान संसोधन विधेयकों को लाने से पहले हमने कांग्रेस शासित सरकारों तथा गैर-कांग्रेस शासित सरकारों दोनों ही के कार्यकाल में पंचायती राज के प्रति अनुभव का गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने कहा था कि पंचायती राज पर न केवल कांग्रेस के अनुभव बल्कि गैर-कांग्रेसी सरकारों के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा था कि इनमें से कुछ सबक नकारात्मक थे और कुछ सकारात्मक। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के लोगों को सत्ता सौंपने के सपनों को साकार बनाने के प्रयासों के चालीस वर्ष के अनुभव के बाद हम इन संविधान संसोधन विधेयकों को ला रहे हैं।

उन्होंने इस आधार पर कि यह विधेयक दलगत विधेयक नहीं था, अपितु कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी सभी के अनुभव पर आधारित था, संसद के विपक्षी दलों से सहयोग की मांग की।

इसकी परिचायक जानकारी दे चुकने के बाद अब मैं उन दो घटनाओं का उल्लेख करूंगा जो अक्तूबर 1989 से अब तक की अवधि में घटित हुई है जिनके कारण सरकार के लिये इस कानून को तत्काल लाना आवश्यक हो गया। मैं कांग्रेस सरकार के अनुभव से अपनी बात शुरू करूंगा क्योंकि मैं उस भावना को जारी रखना चाहता हूं जिससे वशीभूत होकर राजीव जी इस कानून को लाये थे। 1990 में कर्नाटक सरकार ने यह देखते हुये कि पंचायत चुनावों में बड़ी संख्या में स्थानीय निकाय गैर सरकारी दलों के पास चले गये थे और राज्य की विधान सभा में उसे तीन चौथाई बहुमत प्राप्त था, अपने राज्य के पंचायती कानून में कतिपय संशोधन प्रस्तुत किये। कुल मिला कर क्योंकि कांग्रेस हाई कमाण्ड ने पाया कि ये संशोधन संविधान संशोधन विधेयकों की भावना के अनुरूप नहीं थे, इसलिये हाईकमाण्ड ने कर्नाटक सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह इन विशिष्ट संशोधनों के लिए जोर न डाले और इसकी बजाय कर्नाटक पंचायती राज विधान को पूर्णतः संविधान संशोधन विधेयक में निर्दिष्ट भावना की अनुरूप नया रूप दे। मैं एक कांग्रेसी राज्य सरकार के एक विशिष्ट अनुभव के बारे में बता रहा हूं जिसमें उसे उस राज्य में एक प्रकार की स्थानीय सरकार लाने के लिए अपने ही स्थानीय दबावों में आना पड़ा जो संविधान संशोधन विधेयकों के अनुरूप नहीं थी।

मैं जिस दूसरी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं, वह मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है जिसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय शासन को सदैव जो महत्व देती आई है और जब हम यह संशोधन विधेयक ला रहे थे, उस

[श्री मणि शंकर अय्यर]

समय हमें लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी जिस समर्थन की आशा थी, उसका विचार करते हुए यही जान पड़ता है कि उन्होंने पूर्णतः पक्षपातपूर्ण प्रयास किया था पहले तो उन्होंने कहा था कि वे पिछली कांग्रेस सरकार के अधीन निर्वाचित पंचायतों के बारे में कुछ नहीं करेंगे और बाद में उन्होंने चुपचाप अकस्मात पंचायती राज के चुनाव करवाने और उन चुनावों को शासित करने वाले कानूनों और नियमों को बदलने के प्रयास किये जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय शासन की संस्थाओं को नष्ट करने के पूर्णतः गैर कानूनी प्रयास को रोकने के लिये उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता पड़ी।

यदि अक्तूबर 1989 से एक कांग्रेसी राज्य सरकार और एक गैर कांग्रेसी राज्य सरकार, दोनों का वाजिब लोकतांत्रिक स्थानीय शासन सुनिश्चित करने का प्रयास सुखद नहीं रहा होता तो महोदया आप यह समझ सकता हूँ कि राजीव जी ने इस बात पर इतना जोर क्यों दिया कि हमें हमारी सरकार की इस तीसरी पंक्ति को अवश्य ही सांविधानिक स्वीकृति और मान्यता देनी चाहिए। राजीव जी ने कहा था कांग्रेसी अथवा गैर कांग्रेसी, किसी भी सरकार की कार्यवाहियों से दिल्ली में और संसद के स्तर पर लोकतंत्र पथभ्रष्ट नहीं हुआ है, इसी प्रकार हमारे राज्यों में जिनका शासन कांग्रेसी सरकारों और गैर कांग्रेसी सरकारों, और तो और कांग्रेस विरोधी सरकारों द्वारा चलाया गया, हमारा अनुभव यह रहा है कि राज्य का कोई भी कानून वस्तुतः प्रभावी ढंग से राज्य स्तर पर लोकतन्त्र को पथभ्रष्ट करने में सफल नहीं हुआ है। वे ऐसा क्यों नहीं कर सके, इसका कारण यह है कि भारत के संविधान द्वारा संसद में और राज्यों के स्तर पर लोकतंत्र की गारन्टी दी गई है और उसे पवित्र बताया गया है। आप संविधान को लीक से हटाये बिना संसद में अथवा राज्यों के विधान मंडलों को लोकतन्त्र को पटरी से नहीं उतार सकते। किन्तु आप संविधान को नष्ट किये बिना तीसरे स्तर पर लोकतन्त्र को, स्थानीय शासन युक्त लोकतन्त्र के पटरी से उतार सकते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे संविधान में तीसरे स्तर पर लोकतन्त्र के लिए वस्तुतः कोई व्यवस्था नहीं है।

यदि निम्नतम स्तर पर लोकतन्त्र न हो, तो हमारे लोकतन्त्र की आधिरचना कमजोर और अस्थिर होगी हमारे देश में लोकतन्त्र तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक उसकी बुनियाद मजबूत न हो। न केवल ग्रामीण भारत में, बल्कि शहरी भारत में भी हम बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए राजीव गांधी संसद में चौसठवां और पैंसठवां संविधान संशोधन विधेयक लाये थे जो क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित है। इन विधेयकों में निहित क्रांतिकारी नये विचारों में जनता को शक्ति प्रदान करने के अतिरिक्त स्थानीय शासी निकायों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करने और स्थानीय शासी निकायों को न केवल प्राधिकार, बल्कि शक्तियां, जिम्मेदारियां सौंपने और धन देने और जिला आयोजना समितियों की अप्रतिम व्यवस्था करके ग्रामीण विकास को शहरी विकास के जोड़ने की व्यवस्था है जिनमें पंचायती राज संस्थाओं और भारत के प्रत्येक जिले की नगरपालिका के सदस्य नियुक्त किए जायेंगे। ये सभी क्रांतिकारी नये विचार महात्मा गांधी के सपनों को सत्य करने के लिए तैयार किए गए थे। न सिर्फ महात्मा गांधी के स्वपनों को बल्कि श्री राजीव गांधी के स्वपनों को भी साकार करना हमारा दायित्व हो गया है क्योंकि अपने उद्देश्य को पूरा करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

यह दायित्व हमारे माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के कंधों पर आता है, मैं उनसे अनु-

रोध करता हूं कि सत्र समाप्त होने के पहले संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए, यदि दो विधेयक न लाये जा सकें तो एक संयुक्त विधेयक पुरःस्थापित किया जाए। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन विधेयकों को पारित करने के लिए हमारे पास सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं है। परन्तु यदि हम उन्हें लाते हैं और उन्हें प्रवर समिति को भेजते हैं तो एकमत होना सम्भव हो जाएगा। जिससे हम श्री राजीव गांधी के स्वपनों को साकार करने में एक कदम आगे बढ़ेंगे।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हासन) : सभापति महोदया, ग्रामीणों से संबंधित एक काफी महत्वपूर्ण मांग पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैंने दोनों पक्षों के बहन उमा भारती से युवा श्री अय्यर जी के स्वस्थ वाद विवाद को सुना है जिन्होंने ग्रामीणों के उत्थान के समर्थन में कहा। आज सभी राजनैतिक दल ग्रामीणों पर निर्भर हैं। लगभग सभी राजनैतिक दल अपने अस्तित्व के लिए ग्रामीण जनता को जीतने का प्रयास कर रही हैं। परन्तु ऐसे समय में भी कुछ लोगों का यह कहना है कि समृद्ध किसान अभी भी ग्रामीण जनता का शोषण कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से जो कुछ भी सहायता प्रदान की जा रही है या की जानी हैं उसे वे इन सभी लाभों से छीन लेते हैं।

मैं तथाकथित ग्रामीण जनसंख्या के दुखों के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह शोषित रहा है या कम सुविधा प्राप्त क्षेत्र या शिक्षा की कमी वाला असंगठित क्षेत्र या अशिक्षित क्षेत्र और देश में शोषित क्षेत्र है तो वह यही कृषि क्षेत्र है। ये लोग जो जीवनयापन के लिए पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में पूरी तरह पीड़ित किये जाते रहे हैं। परन्तु बौद्धिक वर्ग इन्हें लघु तथा सीमान्त किसानों में बांटकर इस क्षेत्र को बांटना चाहता है।

मैं इस सभा का ध्यान अपने कुछ मित्रों द्वारा उठाये गये मुद्दों की ओर दिलाना चाहूंगा जो यह कहते हैं कि बड़े किसानों की अधिशेष जमीन को वितरित नहीं किया गया है। इसे मैं नहीं जानता। परन्तु भूमि सुधार अधिनियम लागू किये जाने के बाद तथा इस विषय को संविधान की नौवीं अनुसूची में लाये जाने के बाद भी आज देश में ये सामन्तवादी लोगों का अस्तित्व कैसे बना हुआ है।

पिछले 30-35 वर्षों में राजनीतिक दृश्य बदल गया है। विभिन्न राज्यों में अनेक पार्टियां सत्ता में आई हैं। अतः यह सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के हाथ में नहीं है यदि कोई कमी है तो उसके लिए हम किसी एक राजनीतिक पार्टी को दोश नहीं दे सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में आज एक भी सामन्ती किसान नहीं है। इस सभा की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि स्वयं सभापति महोदया के पास 2-3 सौ एकड़ जमीन पहले थी। आज वह एक लघु या सीमान्त किसान हैं। मुझे नहीं पता वे किस श्रेणी में हैं।

सभापति महोदया : आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : यही मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक में भूमि सुधार अधिनियम लागू किये जाने का सारा श्रेय स्वर्गीय देवराज उर्स तथा सभी विपक्षी दलों को दिया जाना चाहिए। उस समय मैं विपक्ष का नेता था। भूमि सुधार कानून सर्वसम्मति से समय पर पारित किया गया था। किसी भी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। यदि ऐसा कोई कानून किसी अन्य राज्य में लाया गया हो तो मैं नहीं समझता कि वहां किसी प्रकार का कोई सामन्ती किसान होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केरल पहला राज्य है ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : जी हां, मैं आपकी बात से सहमत हूं मैं आपको बधाई देता हूं । मैं केरल भूमि सुधार अधिनियम का महत्व कम नहीं करना चाहता । परन्तु कुछ मित्र अभी भी यह क्यों कह रहे हैं कि बड़े भूस्वामि, बड़े किसान हैं जो राज्य या केन्द्र द्वारा छोटे किसानों को दिये जाने वाले सभी लाभ को स्वयं हजम कर जाते हैं । पश्चिम बंगाल के मेरे एक मित्र हैं, मैं नहीं जानता कि प्रशासन भी कम्युनिस्टों के हाथ में है । श्री ज्योति बसु को मैं काफी सम्मान देता हूं जो पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री हैं । मुझे नहीं पता कि तथाकथित सामन्ती किसान अभी भी उनके राज्य में कैसे हैं । क्या उनकी पार्टी के समक्ष, जो राज्य में शासन कर रही है, भूमि सुधार लागू करने, क्या यह देखने के लिए कोई समस्या है कि अधिशेष भूमि भूमिहीन किसानों को वितरित कर दी जाये ।

मैं इस मुद्दे को ज्यादा मोड़ना नहीं चाहता क्योंकि यह सम्बन्धित राज्यों तथा इससे जुड़े राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है । परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि यह वह समुदाय या क्षेत्र है जिसकी पूर्ण तया उपेक्षा की गई है और आज भारतीय किसानों की यह स्थिति है । भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है वह ऋण में पलता है वह ऋण में मर जायगा और वह इस ऋण को अपने और बेटे या भाई को उत्तराधिकार में दे देगा, जो इस ऋण को भुगतेगा । भारतीय किसान की यह वर्तमान स्थिति है ।

महोदया, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज कृषि मंत्रालय का प्रमुख एक किसान है और मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं । परन्तु दुर्भाग्यवश उनके समय में, मैं प्रधान मन्त्री को दोष नहीं देना चाहता हूं । क्योंकि इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय को 6 या 7 भागों में बांट दिया गया है । मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ ।

महोदया, मैं समझता हूं कि वह इन सभी विभागों को संभालने में समर्थ हैं । बाबू जगजीवन राम सहकारी, उर्वरक और सिंचाई, कृषि और सभी ग्रामीण विकास कार्य करते रहे । यह सभी विभाग एक मन्त्री के अधीन में एक मंत्रालय के अन्तर्गत आते थे चाहे वह फखरुद्दीन अली अहमद का समय था अथवा बाबू जगजीवन राम का । एक विभाग को एक मन्त्री के हाथों सौंपा जाना चाहिए क्योंकि इनकी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं और मैं नहीं जानता कि एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान प्रधान मन्त्री, जिन्हें बहुत अनुभव प्राप्त है तथा जो एक वरिष्ठतम सांसद हैं, के शासनकाल में इस विभाग को कई भागों विभक्त कर दिया गया है । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं । मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के बाध्यकारी कारण से प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया ।

महोदया, मैं माननीय कृषि मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि महानिदेशक का पद क्यों नहीं भरा गया । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं । अनेक महत्वपूर्ण पद ऐसे हैं जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है, क्या इन्हें तकनीशियनों द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए जो हमारी कृषि सम्बन्धी समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हो ? तकनीशियनों को नजरन्दाज किया गया क्यों है तथा उन पदों पर भा० प्र० से० के अधिकारी को ही क्यों बैठने दिया गया है । क्षमा करियेगा, मुझे भा० प्र० से० के अधिकारियों से कोई वैमनस्य नहीं हैं, परन्तु मैं केवल कृषि मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि इन समस्याओं पर ध्यान दें । ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्यायें हैं क्योंकि हम बुनियादी सुविधायें देने जा रहे है ताकि अन्य विकास कार्यकलाप उचित दिशा में चल सकें ।

महोदया, मैं सभा का ध्यान विभिन्न मामलों पर दिलाना चाहता हूं । ये कोई नई बातें नहीं हैं और सभी इन बातों को जानते हैं । मेरी बहिन कुमारी उमा भारती ने बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें

बतायी हैं जिन्हें मैं नहीं दोहराऊंगा। परन्तु मेरे लिए यह अपरिहार्य हो गया है कि मैं अपने तर्कों को और बल देने के लिए उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को दोहराऊं। पिछली सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमारे देश में कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर 3.19 प्रतिशत रही, जबकि पाकिस्तान में 4.92 प्रतिशत, चीन में 4.91 प्रतिशत तथा बर्मा में 4.98 प्रतिशत है। पड़ोसी देशों में यह स्थिति है, हम पीछे क्यों हैं। इसका क्या कारण है ? कुछ लोग यह कहकर दोष निकाल रहे हैं कि भूमि कुछ चुने हुए सामन्तवादी भू-स्वामियों के हाथों में केन्द्रित है। ऐसा नहीं है। मैं अपने इस तर्क की सत्यता की पुष्टि करूंगा। आज हमारे देश में दस करोड़ भू-स्वामी हैं जबकि 1960-61 में 490 लाख भू-स्वामी थे। भूमि परिवार के सदस्यों में बंट गई। 1960-61 में 490 लाख भू-स्वामियों में से 310 लाख जोत क्षेत्रों के स्वामी छोटे तथा मंझोले किसान थे। आज दस करोड़ हैं। प्रत्येक भू-स्वामी के कब्जे में वास्तविक भूमि 0.6 प्रतिशत है ऐसी स्थिति होने से कम विकास हुआ। उपलब्धि हुई है यद्यपि हमने कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए कुछ प्रयास किये हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि पिछले 40 वर्षों में सरकार ने कुछ नहीं किया। परन्तु उपरोक्त अन्तर्निष्ट समस्याओं के कारण इस देश में जहाँ तक उत्पादन का सवाल है इसमें आशानुरूप वृद्धि नहीं हो सकी है। आगे इन सभी सातों योजनाओं के दौरान यदि आप उन वर्षों की संख्या को देखें जिनमें हमें सूखे के कारण नुकसान हुआ है, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष में हमने 4 वर्ष गम्भीर सूखे का सामना किया है। यह एक ऐसी बात है जिसे हर किसी को ध्यान में रखना होगा।

महोदया, मैं समझ सकता हूं कि समय बहुत कम है हमारे किसानों के विकास के संघटक कारक कौन-कौन से हैं? ऋण, सिंचाई, तकनीक तथा विपणन ऐसे घटक हैं जिन पर किसानों का कल्याण निर्भर करता है। मैं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के 43 वर्षों के बाद भी सिंचाई की किस प्रकार पूरी तरह उपेक्षा की गई है। सात पंचवर्षीय योजनाओं तथा चार वार्षिक योजनाओं को कार्यान्वित कर चुकने के बाद भी सिंचाई में उपलब्धि मात्र लगभग 70 प्रतिशत है। यदि देश में उपलब्ध कुल जलका उपयोग करना हो, तो हमें इसके लिए लगभग दो लाख करोड़ रुपया खर्च करना होगा। मैं कह सकता हूं कि यह ऐसी बात है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक योजना में हम सिंचाई पर 14000 अथवा 15000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान कर रहे हैं। परन्तु इससे भी कृषक समुदाय को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए देश की सम्पूर्ण सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

मैं यह दिखाने के लिए कुछ आंकड़े दूंगा कि वर्ष 1980-81 तथा 1987-88 में किस प्रकार कृषि क्षेत्र में निवेश किया गया था। 1980-81 में सरकारी क्षेत्र में निवेश 23,617 रुपये था जबकि कृषि क्षेत्र में निवेश 4,537 रुपये था। 1987-88 में सरकारी क्षेत्र में निवेश 35,776 रुपये था जबकि कृषि क्षेत्र में निवेश 4,197 रुपये था जोकि 11.7 प्रतिशत ठहरता है। हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में कहा था :

"हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि योजना संसाधनों का 50 प्रतिशत कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवेश किया जाए।"

मुझे नहीं पता कि यह आंकड़े कैसे तैयार किये गये।

मैं माननीय कृषि मन्त्री का ध्यान इन आंकड़ों की ओर दिलाना चाहूंगा तथा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह ऐसे गुमराह करने वाले आंकड़े न दें। मैं इस बात पर चुप नहीं रहूंगा क्योंकि यह ऐसा विषय है जिसके प्रति मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं।

सभापति महोदया : कृपया समाप्त करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : भगवान के लिए मुझे इस पर चर्चा करने के लिए कुछ और समय दीजिये। यदि आप चाहते हैं तो मेरी पार्टी और मैं भविष्य में होने वाले वाद-विवादों में किसी अन्य विषय पर नहीं बोलेंगे, परन्तु जहां तक इन अनुदान मांगों का सवाल है, कृपया मेरे समय में कटौती न करें।

क्षेत्रवार केन्द्रीय योजना परिव्यय इस प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	कृषि	ग्रामीण विकास	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण
1990-91	1584	2664	223
1991-92	1858	2702	267

कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय 42,969 करोड़ रुपये का है जिसमें से ये तीन संघटक सीधे ग्रामीण तथा कृषक समुदाय से सम्बन्धित है।

यह वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में दिए गए वक्तव्य के अनुरूप नहीं है कि "हम यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि योजना संसाधनों का 50% कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवेश किया जाए।"

इसी कारण, मैं यह नहीं जानता कि यह 50% आंकड़े किस प्रकार रखे गए हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मैं माननीय सभा का ध्यान ऋण की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। सभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि समुदाय को ऋण देना बन्द कर दिया है यद्यपि कृषि क्षेत्र तथाकथित प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह रिकार्ड में आ गया है। यह बात कुछ समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। इसका कारण ऋणों की वसूली न होना है।

यही कारण है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कुशक समिति की सिफारिशों के अनुसार ऋण पद्धति का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि उस समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ। मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट पर नजर भी डाली गई है या नहीं। कृपया मुझे बताएं कि यह रिपोर्ट कहां पड़ी है ?

जहां तक ऋण के बारे में अन्तर्राज्यीय विषमताओं का सम्बन्ध है, पंजाब के किसानों को 415 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलते हैं, जबकि असम के किसानों को 6 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलते हैं।

वर्ष 1979-80 के दौरान कृषि के लिए कुल ऋण इस देश में प्रति हेक्टेयर 80 रुपये आता है तथा वर्ष 1983-84 के दौरान यह 124 रुपये प्रति हेक्टेयर है।

यह विषमता है। हम इस प्रकार की विषमता को किस प्रकार जारी रख सकते हैं ?

सभापति महोदया : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : आपने दस मिनट का समय दिया है। मैं समय की समस्या को भली भांति समझता हूं। परन्तु दुर्भाग्यवश हम उन विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जबकि इस अत्यावश्यक विषय के लिए हमारे पास समय की कमी है।

परन्तु फिर भी मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि किस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1947 से यह क्षेत्र पूर्णतया उपेक्षित रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि मैंने कुछ बुद्धिजीवियों के तर्क पढ़े हैं। विकास के इन 40 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र पर कोई कर नहीं लगाया गया है। यह तर्क उन तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा दिया गया है जो इस देश के तथाकथित अशिक्षितों और अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाते हैं। हम पूर्ण रूप से उनके अधीन हैं।

श्री जाखड़ जी, जब आप अध्यक्ष के पद पर थे तब आप किसानों के हित के लिए संघर्ष करते थे। परन्तु सौभाग्यवश आज आप कृषि मंत्री हैं। आपको किसानों के हितों के लिए संघर्ष करने हेतु कृषि समुदाय को बल और साहस प्रदान करना होगा। मैं आपसे यही आशा करता हूं।

मैं आपको यह दिखाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि किस प्रकार बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाने वाला ऋण कितना कम हो गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

वर्ष 1984 में बैंकों द्वारा कुल 41,378 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था जिसमें से कृषि क्षेत्र के लिए दिया गया ऋण 6,531 करोड़ रुपया था।

वर्ष 1990 में बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण 97,037 करोड़ रुपये था जिसमें से कृषि क्षेत्र में दिया गया गया ऋण 16,937 करोड़ रुपये था। मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा और आपके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। यह आंकड़े हमारे कर्नाटक में भूतपूर्व राज्यपाल श्री भानू प्रताप सिंह द्वारा उद्धृत किए गए हैं। जहां तक ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय का सम्बन्ध है, कृषि के क्षेत्र में 5% कमी है, तथा जहां तक गैर-कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसमें 84% की वृद्धि हुई है। यह 1970-71 से 1988-89 की अवधि के दौरान की स्थिति है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कृषि क्षेत्र के मामले में कमी 51% है। यह हमारे कृषकों की तथाकथित आर्थिक नीति का भाग्य है, जहां तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध है जिसने हमारे कृषि क्षेत्र का विनाश कर दिया है।

अब मैं ऋण के बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात कर रहा हूं। आज प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की दर 18% निर्धारित की गई है। अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव के कारण इसमें 11% की कमी आई है। जहां तक इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र का सम्बन्ध है, बैंकों ने पहले से ही इसका पालन करना शुरू कर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय कृषि मन्त्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि ऋण की प्रतिशतता को बढ़ाकर 25% किया जाना चाहिए। आज कुल बैंक जमा पूंजी लगभग 200 लाख करोड़ रुपये है। अगले 10 वर्षों में—2000 सदी तक बैंक जमा पूंजी 6,50,000 करोड़ हो जाएगी। जहां तक कृषि समुदाय का सम्बन्ध है ऋण का कार्य-व्यापार निष्पक्ष नहीं है यह ऋण मेला नहीं है। निश्चय ही हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा ऋण मेले को प्रोत्साहन दिया गया था। मैं उनकी गलती नहीं समझता क्योंकि वह छोटे लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति वचनबद्ध हैं। जहां तक इसके कार्यान्वयन पहलू का सम्बन्ध है, उसमें ही कोई त्रुटि रही होगी।

सभापति महोदया : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एच० डी० देवगोड़ा : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी पर केवल इस बात के लिए जोर दे रहा हूं कि जहां तक प्राथमिकता क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसका प्रतिशतता 18% से बढ़ाकर 25% की जानी चाहिए। ऋण की सुविधा कृषि समुदाय को प्रदान की जानी चाहिए।

प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में मैं यह कह रहा था कि वर्ष 1970-71 के दौरान यह कृषि के क्षेत्र में 425 रु०/- थी, वर्ष 1988-89 में 420 रु० थी इसमें 5% की कमी आई थी। गैर-कृषि क्षेत्र में वर्ष 1970-71 के दौरान यह 972 रु०/- थी और वर्ष 1988-89 के दौरान यह बढ़कर 1783 रु० हो गई थी और 84% की वृद्धि हुई।

उर्वरकों के सम्बन्ध में, मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं राजसहायता की सुविधा नहीं चाहता। उस दिन इस महान सभा में मैंने राजसहायता को समाप्त करने के बारे में बहुत जोरदार तर्क दिए। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह एक समिति के गठन के लिए सहमति दें, जिसमें संसद की दोनों सभाओं के सदस्य शामिल हों। विशेषज्ञों के दल की सहायता से एक संसदीय समिति बनाई जाए। यह पता लगाया जाए कि राजसहायता का यह सम्पूर्ण नाटक किस प्रकार चलाता है। क्या यह किसानों के उद्देश्य के लिए बनाया गया है ? अथवा क्या यह राजसहायता सीधे किसानों को मिलती है अथवा फैक्टरी के मालिकों को प्राप्त होती है ? मैं इस समिति में यह सब ब्योरा दूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों से उर्वरकों के मूल्य नहीं बढ़ाए हैं। तथाकथित राजसहायता को समाप्त करने के निर्णय के समर्थन का प्रयास करते हुए उन्होने यह तर्क दिया था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नेप्था का मूल्य क्या है ? हमारे देश में उर्वरक बनाने के लिए कच्ची सामग्री सहित जिस नेप्था का प्रयोग किया जाता है, उसका क्या मूल्य है ? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्पाद शुल्क को 300% से कम करके 150% करने का क्या प्रभाव पड़ा है। इसका उर्वरक के मूल्यों के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तथाकथित मूल्य निर्धारण समिति द्वारा इन बातों पर विचार किया गया है। क्या एक संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव, कोई भी हो, जो उर्वरकों के मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रभारी होंगे, किसानों अथवा उत्पादकों अथवा किसके हितों की रक्षा करेंगे ? क्या आपको इस सभा के सदस्यों में विश्वास है ? कृपया एक संसदीय समिति के गठन पर अपनी सहमति दें और इसे एक विशेषज्ञ दल द्वारा सहायता प्रदान की जाए। हम इस बात की जांच करेंगे कि कहां त्रुटि हो रही है तथा यह किस प्रकार उत्पादकों अथवा तथाकथित फैक्टरी मालिकों को सहायता प्रदान करेगी।

धारक मूल्यों के बारे में, सरकार के अधिकार वाली फैक्टरी को धारक मूल्य के रूप में 4000 रुपये प्राप्त होते हैं जबकि उद्योगपति अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व अधिकार वाली फैक्टरी को 5000 रुपये धारक मूल्य के रूप में प्राप्त होते हैं। यह विषमता क्यों है ? मैं इसे समझ नहीं सकता। एक फैक्टरी जो एक ही वर्ष में उतनी ही क्षमता के साथ शुरू की गई है, को मुश्किल से 4000 रुपये धारक मूल्य मिलता है जबकि वह फैक्टरी जो तथाकथित उद्योगपतियों अथवा निहित स्वार्थों के नियंत्रणाधीन होती है, को 5000 रुपये धारक मूल्य प्राप्त होता है। इस देश में 50 एकड़ भूमि का मालिक किसान निहित स्वार्थी व्यक्ति बन जाता है, जबकि बिड़ला और टाटा जैसे व्यक्ति हैं जिनके लिए हम यहां कार्य करते हैं। हम इस सभा में किस उद्देश्य से आते हैं ? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हम उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रहे हैं ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चालीस वर्षों बाद भी, हम

राजनीतिज्ञ स्थिति को उद्योगपतियों के प्रतिकूल नहीं पाए। हमने विगत समय में अपनी योजनाओं में कुछ गलतियां की होंगी। परन्तु आप यहां हमारी गलतियों को सही करने के लिए हैं। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे केवल स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। मैं आज राजनीतिक पार्टी से सम्बद्ध हो सकता हूं -- मैं आज जनता पार्टी का सदस्य हूं—परन्तु मैं मूल रूप से 1947 में कांग्रेस का सदस्य था। यह एक अलग बात है। परन्तु एक व्यक्ति, जो कृषक समुदाय के लिए वर्ष 1960 से लड़ते रहे थे वह स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह थे। मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वह कृषक समुदाय के प्रति बहुत अधिक प्रतिबद्ध थे। मैं उन्हें भूल नहीं सकता। मै इस बात की फिक्र नहीं करता कि वह इस दल से सम्बन्धित थे अथवा उस दल से। (व्यवधान)

क्या आप आदानों की कीमत के बारे मे जानते है ? कृषि समुदाय के लिए आदानो की कीमत 90% तक पहुंच गई है जिसमें से औद्योगिक आदानों की कीमत 78% हो गई है। हम औद्योगिक उत्पादों के मूल्या पर नियन्त्रण रखने मे असमर्थ है जिनका किसानों द्वारा उवरको,डीजल, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों आदि के रूप मे उपयोग किया जाता है क्योंकि हम तथाकथित उद्योगपतियों के हितो की रक्षा कर रहे है। क्या हम अपने लाभकारी मूल्य, खरीद मूल्य निर्धारित करते समय औद्योगिक आदानों की लागत को ध्यान में रखते हैं। इससे औद्योगिक आदानो की लागत का 25% भी पूरा नही हो पाता है। (व्यवधान)

यदि माननीय मंत्री उर्वरकों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध मे एक संसदीय समिति बनाने को सहमत हो जाएगे तो मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा अन्यथा माननीय मंत्री की संतुष्टि के लिए और अनेक तर्क देने होंगे। यदि आप इन मामलों की जांच के लिए एक समिति बनाने के लिए सहमत हैं तो मैं अन्य विषयों पर बात करूंगा।

ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में क्या आप पास बुक पद्धति शुरू नहीं कर सकते ? क्या हमे पास बुक नहीं प्रदान कर सकते ? सोने की कीमतें बढ़ गई है। एक व्यक्ति जो अपना पैसा बैंक मे रखता है वह जाकर अपनी धनराशि निकाल सकता है। परन्तु हमारी भूमि की कोई कीमत नहीं है। यदि किसान के पास 50 एकड़ भूमि भी है, यदि वह बैंक मे धनराशि लेने आता है तो उसके समक्ष अनेक प्रकार की समस्यायें आती हैं। उसे बैंक से ऋण लेने के लिए कुछ दस्तावेज बंक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ग्राम लेखापाल, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। क्या हमें इस तरीके से कृषक समुदाय से व्यवहार करना चाहिए ? क्या हम आसान तरीका नहीं ढूंढ़ सकते ? क्या हम ऐसा तरीका नहीं ढूंढ़ सकते जो किसानों को सीधे बैंक जाकर ऋण प्राप्त करने मे सहायक हो और वह पास बुक दिखा सकें और यह कह सके "यह भूमि इतनी कीमत की है और मुझे इतना ऋण दे दें।" क्या आप किसानों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं कर सकते ? ये सब मूल समस्यायें है जिन्हे सुलझाया जाना चाहिए। मेरे मन में कुछ विचार हैं। जब मैं कर्नाटक में मंत्री था तो मैंने अनेक बातों का कार्यान्वियन किया था।

आज हमारे कुछ मित्र एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे मे बात कर रहे है। मैंने अभी कृषि विभाग के सम्बन्ध में अपनी बातें पूरी नहीं की है। मैं माननीय मत्री जी के विचार के लिए कुछ बाते कहना चाहता हूं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में शामिल करने के लिए अन्य अनेक क्षेत्र है।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि श्री जी०वी०के० राव की अध्यक्षता मे आई०सी०ए०आर० समिति द्वारा दी गई कुछ उपयोगी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाए।

दूसरा प्रश्न यह है कि हनुमन्तराव समिति, भानुप्रताप सिंह समिति और कृषक समिति द्वारा

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

को गई उन सिफारिशों, जो कृषक समुदाय के उत्थान में सहायक हैं, को चुना जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन सिफारिशों को अविलम्ब कार्यान्वयन किया जाए। उर्वरक मूल्य सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति और कृषि उत्पाद तथा लागत सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी विचार किया जाए तथा उनमें से कुछ उपयोगी सिफारिशों की जांच की जाए तथा यह देखा जाए कि उनका कार्यान्वयन किया जाए।

मेरा तीसरा प्रश्न एजेंसी की व्यवस्था के बारे में है। हम किसानों को कितने प्रकार के ऋण देते हैं? हमारे पास कितने प्रकार की सहकारी संस्थायें हैं? यहां बहुत से बैंक हैं - केन्द्रीय भूमि विकास बैंक, एपेक्स बैंक, ग्रामीण बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, औद्योगिक सहकारी बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय कृत बैंक हैं। आप यह क्यों चाहते हैं कि किसान को कुछ वित्तीय सहायता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े? आप उद्योगपतियों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान करना चाहते है और उन्हें वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो वे चाहते हैं। फिर कृषक समुदाय के लिए ऐसा क्यों नहीं है जो कि लगभग हमारी जनसंख्या का 65% है? यह सही है। भारत मूलरूप से कृषि प्रधान देश है और हम इस क्षेत्र की पूर्णतया उपेक्षा करना चाहते हैं। मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। कृपया एकल एजेंसी प्रणाली शुरू करें तथा विभिन्न प्रकार की तथाकथित ऋण देनेवाली एजेंसियों को समाप्त करें। कृपया इन्हें एक ही स्थान पर और एक ही एजेंसी के अधीन लायें और यह सुनिश्चित करें कि जितनी भी धनराशि की आवश्यकता हो उन्हें सही समय पर प्रदान की जाए उन्हें यह राशि उस अवधि के बाद नहीं दी जानी चाहिए जब किसान के लिए उसका कोई उपयोग न हो। उन्हें सही समय पर ऋण दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार पास बुक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए तथा ऋण के लिए प्राथमिकता को 18% से बढ़ाकर 25% किया जाना चाहिए तथा 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाना चाहिए। हमने कर्नाटक में इस पद्धति का कार्यान्वयन किया है। यदि किसान ऋण को समय से अदा करें तो नाबार्ड 12 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की राज सहायता दी जाती है ताकि किसान को केवल 7 प्रतिशत ही देना पड़े। हमने यह निर्णय कर्नाटक में लिया है। जहां तक ऋणों को माफ करने का सवाल है, मेरी अपनी आपत्तियां हैं। मैं इस अवसर पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सभा को संतुष्ट करने के लिए मुझे और अधिक समय की आवश्यकता है। पिछली सरकार द्वारा पहले जो वायदे किए जा चुके हैं, अर्थात किसानों को दिए गए ऋण की पूर्ण माफी के बारे में उनको केवल एक समय के लाभ के लिए ही लागू किया जाना चाहिए।

हम उचित मूल्य की मांग करते हैं। खरीद मूल्य, समर्थन मूल्य तथा लाभकारी मूल्य के बारे में विभिन्न समितियों की सिफारिश हैं। परन्तु कृपया बतायें कि इनमें से कौन कौन सी सिफारिशें लागू की गई हैं। बाजार संबंधी क्या व्यवस्था है जिससें किसानों को विवश होकर अपनी उपज बेचने से बचाया जा सके।

इस सभा में संसद सदस्य के रूप में आने तथा वेतन-भत्ते के रूप में 5000 रुपये पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी समितियों की शीर्ष संस्था का सदस्य बनना लाभप्रद है तथा अधिक आकर्षक है तथा इसमें एक महाराजा जैसा जीवन जी सकते हैं।

दोहरी मूल्य नीति से आपकी बदनामी होगी। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा यदि आप

राज सहायता बचाकर 2000 करोड़ रुपये बचाना चाहते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जहां तक उर्वरकों का सवाल है, यह दोहरी मूल्य नीति शासक दल अर्थात कांग्रेस की साख को नष्ट कर देगा। आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे ? कृपया ऐसा न करें। यदि आप कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मैं आपको इन 2000 करोड़ रुपये को इकट्ठा करने के अनेक तरीके बता सकता हूं जिसे उर्वरकों पर राज सहायता को समाप्त करके बचाया जा सकता है। आप किसानों को उत्पीड़ित क्यों कर रहे हैं ? मैं आपसे केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि छोटे तथा मझोले किसानों के नाम पर कार्ड प्रणाली शुरू करने की बजाय दोहरी मूल्य नीति को समाप्त करने जैसा दृढ़ निर्णय लें। आप दोहरी मूल्य नीति को पूरी तरह समाप्त कर दें। इस देश में उर्वरकों की खपत कितनी है ? पंजाब में खपत प्रति हैक्टेयर .150 किलोग्राम है जबकि असम में खपत प्रति हैक्टेयर 1.5 किलो ग्राम है। यह आपको कहां तक सहायता पहुंचाएगा ? कुल 426 जिलों में से 100 जिले कुल उर्वरक के 80 प्रतिशत भाग को खपत करते हैं। आप इसे समझ सकते हैं और ऐसी स्थिति है कि तथाकथित शुष्क-भूमि वाले किसान को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

सभापति महोदया : श्री देवगौड़ा कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एच०डी० देवगौड़ा : मैं दो तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं।

कृपया कृषि वस्तुओं का आयात बन्द कीजिए और किसान को दु:खद बिक्री से बचायें।

4.00 म०प०

मैं इस सरकार से कोई सहायता नहीं चाहता। पिछले दिन तेलगू देशम सदस्य श्री राव ने माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि हमें अपने उत्पाद स्वतंत्र रूप से बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए माननीय वित्त मन्त्री ने तुरन्त यह कहा था : हम स्वतन्त्र रूप से आपके उत्पाद बेचने के रास्ते में नहीं आ रहे हैं।

आप लेवी प्रणाली को क्यों प्रारम्भ कर रहे हैं। किसान को लेवी क्यों दी जाए जबकि आपने उसे उसके उत्पाद को स्वतन्त्र रूप से उसकी इच्छानुसार बेचने की अनुमति दे दी है। आप चीनी, तिलहनों जैसे खाद्य उत्पादों को बाहर से क्यों मंगवाना चाहते हैं ? आप खाद्य, तेल के आयात पर प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे है। मैं कर्नाटक के सिंचाई मन्त्री के रूप में प्रत्येक वर्ष हमारी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 300 करोड़ रुपये की ऋण की मांग करता हूं। इसके बदले में हम तिलहनों की खेती करके तथा राज्य सरकार को उसकी आपूर्ति करके ऋण चुकाएंगे। यह मांग है जो कि मैंने केन्द्र सरकार से की है परन्तु भारत सरकार अंधी और बहरी है और हमारे अनुरोध पर विचार करने के लिए उसके पास दिल नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदया, मैं माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वे मेरे लिए कुछ और समय निकालें।

120 दिन की अवधि में हम अपने तिलहनों का उत्पादन कर सकते हैं। इन विदेशी मुद्रा पर 1500 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। जब हम अपनी अर्थ व्यवस्था में ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप भारतीय किसानों को क्यों उत्साहित नहीं करते हैं। आपके बाजार तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने मूल्य निर्धारित करने जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय कृषि मन्त्री से वस्तुओं के निर्यात के लिए एक विभाग के गठन का अनुरोध करता

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

चाहता था। जहां तक कृषि वस्तुओं का संबंध है इसे आपके मंत्रालय के अधीन गठित किया जाना चाहिए। मैं चाहता था कि कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए आपके मन्त्रालय में पाक्षिक पुनरीक्षण के लिए एक सेल हो। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग वित्त निगम का गठन किया जाना चाहिए।

सभी चालू मुख्य और मझोली सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और किसान समुदाय के लाभ के लिए उपलब्ध पानी के इस्तेमाल हेतु भी दस वर्ष का एक समेकित कार्यक्रम होना चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक जिलों में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

'ड्रिप' और 'स्प्रिंकलर' सिंचाई के बारे में आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 50 प्रतिशत राज सहायता दे सकते हैं और अन्य किसानों को 25 प्रतिशत ताकि कम पानी इस्तेमाल करके अधिक उत्पादन किया जा सके। आपको 'ड्रिप' सिंचाई को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहा हूं। कृषक समुदाय को ऋण देने के लिए केवल नाबार्ड नामक एक वित्तीय संस्था है। इसको सभी सुविधायें प्रदान करके और मजबूत बनाया जाना चाहिए।

अन्त में मैं तथाकथित ग्रामीण विकास के बारे में एक या दो विषयों पर बल देना चाहूंगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों की दशा में सुधार के लिए विभिन्न योजनायें बनाई गई हैं। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों तथा बेरोजगार गरीब लोगों के उत्थान के लिए पिछले 40 वर्षों के दौरान 36 योजनायें लागू की गई हैं। मैं योजनाओं की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। परन्तु अनुचित दूरदृष्टिता के कारण सभी योजनायें ग्रामीण लोगों की स्थिति सुधारने में लाभकारी सिद्ध नहीं हो पायी है।

आधे से अधिक धनराशि बिचौलियों द्वारा हड़प ली जाती है। पांच लाख कूप निर्माण योजना विफल हो गई है। क्योंकि 13,000 रुपये की धनराशि प्रत्येक लाभान्वित व्यक्ति को दी जाएगी जिसका व्यक्तिगत रूप से सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाएगा। इसके बदले मैं सुझाव दूंगा कि कूप निर्माण योजना को सरकारी एजेंसियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए तथा यह योजना अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को हाथों में दे देनी चाहिए और उन पर इसका कोई आर्थिक भार नहीं डाला जाना चाहिए।

सभापति महोदया : श्री देवगौड़ा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर। मैं लगातार आपसे अपना भाषण समाप्त करने को कह रही हूं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : तथाकथित अनभिज्ञ अशिक्षित और उत्पीड़ित ग्रामीण लोगों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। यदि आप ग्रामीण लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्र की अवहेलना करेंगे तो यह बाहरी खतरे तथा देश की सीमाओं पर उत्पन्न खतरे से ज्यादा खतरनाक होगा। हमारे ग्रामीण लोगों तथा कृषक समुदाय में यदि कोई आन्तरिक विद्रोह होता है तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, तथा केन्द्र और राज्य किसी भी स्तर पर कोई भी सरकार इसको रोक नहीं पाएगी।

इस चेतावनी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम (तिरुचेंगोड़) : सभापति महोदया, अखिल भारतीय

अन्नाद्रमुक की ओर से मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

मैं अपना भाषण तमिल के महान कवि तिरुवल्लूवर की सदाबहार पंक्ति से शुरू करती हूं :

"चुलन्द्रम अंपिनाडु उलगम अधनाल

उवन्धुम उलधे तिलई"

इसका तात्पर्य है : "विश्व में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। अत: कृषि सभी उद्योगों से अधिक महत्वपूर्ण है"। उनका यह कथन आज भी इस आधुनिक विश्व में सार्थक है। मानव को खाद्य पर निर्भर रहना होता है, यद्यपि विज्ञान की उन्नति से उसके पास बहुत अधिक सुविधायें मौजूद हैं। खाद्यान्न का उत्पादन आवश्यक है जिसकी वजह से कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति की आवश्यकता है। यह केवल कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर ही किया जा सकता है।

महोदया, हमारे देश में भूमि बहुत उपजाऊ है। मजदूर सस्ते हैं तथा हमारे किसान मेहनती हैं। इन सब अनुकूल बातों के बावजूद हमारा देश वांछित प्रगति नहीं कर पा सका है। वर्तमान सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत 700 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आती है तथा 2100 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के अन्तर्गत आती है। 45 प्रतिशत भूमि ऐसी हो सकती है जो सिंचाई के अन्तर्गत नहीं आती है।

महोदया, कृषि मुख्यत: पानी पर निर्भर करती है। मैं इस अवसर पर सरकार से अपील करती हूं कि देश में सभी जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अनेक दशकों से यह मांग हो रही है कि गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ा जाए। गंगा मां और उसकी बहन कावेरी को मिलाकर भारत भूमि को उपजाऊ बनाने दीजिए। आने वाले वर्षों में तथा आने वाले युग में गंगा मां तथा उसकी बहिन कावेरी को मिला दीजिए। यह उचित अवसर है जब यह गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया जाए। यद्यपि इसका लाभ आने वाले दशकों में सामने आएगा। यह दोनों को जोड़ने के लिए सुझाव देने का उचित समय है। इसी प्रकार प्रमुख नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। महोदया, केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बहाव की दिशा को मोड़ने से तमिलनाडु की भूमि उपजाऊ होगी। इस नदी से लगभग कोयम्बटूर, मदरै, रामानाथपुरम तथा तिरुनेलवेली जिलों की लगभग 1,20,000 हैक्टेयर भूमि को लाभ होगा।

कावेरी के संबंध में तमिलनाडु के सामने बहुत सी रुकावटें डाली जा रही हैं। इस बीच हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी क्षति पूर्ति के लिए प्रकृति अच्छा मानसून देकर हमारे साथ न्याय कर रही है। मेट्टूर जल-भण्डार पूरा भरा हुआ है फिर भी धान की फसल के क्षेत्र में 1.5 लाख हैक्टेयर कमी को टाला जा सकता था। यदि कर्नाटक में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के अन्तरिम आदेश का पालन कर लिया होता। यदि इस प्रकार के बहाव को बरकरार रखते हुए पानी कावेरी में छोड़ा जाता तो केवल तमिलनाडु अपने कुरुवई फसल को ही नहीं उगाता बल्कि कर्नाटक भी अपने जल भण्डारों में वृद्धि कर पाता जिससे बाढ़ का पानी उसमें जमा हो जाता तथा उसको उसके लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। पानी का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए सरकार फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई तथा तेल युक्त फसल जैसे मूंगफली, सब्जियां आदि के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई शुरू करने के लिए राज सहायता में वृद्धि करे। वर्तमान राज सहायता पर्याप्त नहीं है। हम सभी फसलों के लिए प्रति हैक्टेयर कम से कम 10,000 रुपये की राज सहायता चाहते हैं। इस समय भारत सरकार केवल

[डा० श्रीमती के० एस० सौन्द्रम]

तिलहन फसलों को इस दर पर राज सहायता दे रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री को किसानों के लिए उर्वरकों के मूल्य में प्रस्तावित 40 प्रतिशत की वृद्धि को कम करके 30 प्रतिशत करने तथा छोटे और मझौले किसानों को उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि से पूरी तरह से छूट देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिए डीजल एक महत्वपूर्ण आदान है। किसान डीजल के मूल्यों में वृद्धि न करने के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा करते हैं। महोदया किसान को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए बिजली की भी जरूरत है। यदि इन्हें आवश्यकतानुसार बिजली नहीं मिलती है तो उन्हें सिंचाई करने में परेशानी होगी।

आस्ट्रेलिया, थाईलैंड तथा कुछ अन्य स्थानों की भांति हमें भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ बागवानी का भी विकास करना है ताकि हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तमिलनाडु में 12 किसान प्रशिक्षण केन्द्र हैं। उनके प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण सामग्री जैसे पुस्तिकायें, वीडियो टेप, पोस्टर, आडियो कैसट आदि तैयार करने के लिए और धन की आवश्यकता है हमें ऐसे अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों की भी आवश्यकता है जो सभी किसानों को लाभान्वित कर सके। चूंकि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में चीनी मिलें हैं मैं अत: मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि निर्यात के लिए गुड़ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठायें।

महोदया, तमिलनाडु के पेरियार जिले के किसान हल्दी का उत्पादन करते हैं जिससे वर्ष 1991 के दौरान 14.34 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय हुई है। हल्दी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मैं केन्द्र से निवेदन करता हूं कि पेरियार जिले में एक हल्दी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करें।

तमिलनाडु में कृषि पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला उपाय राज्य कृषि उद्योग निगम को पुन: संचालित करना है।

टी० ए० आई० कीटनाशक का उत्पादन तथा सूरजमुखी के बीजों का परिष्करण करके 'सनोला' तेल का उत्पादन करके अच्छा काम कर रहा है। इसे अपने उपकरणों का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए।

महोदया, मैं यह भी निवेदन करता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक क्षेत्रीय केन्द्र मद्रास में स्थापित करना चाहिए क्योंकि इससे टी० ए० आई० को निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त रूप से परिष्कृत खाद्य पदार्थ विशेषकर, आम की चटनी, आम की लोंजी, आम का रस तथा टमाटर की चटनी बनाने के लिए नई कम्पनियों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। विपणन की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए तथा किसानों को उचित मूल्य मिलने चाहिए तथा बिचौलियों के चंगुल से बचाना चाहिए।

तीन चुने हुए राज्यों के 21 जिलों में बासमती चावल की खेती शुरू की गयी है। तमिलनाडु में तिरुचि, पेरियार, तथा तंजोर जिले बासमती की खेती के लिए उपयोगी हैं। इस कार्यक्रम को उन क्षेत्रों में भी लागू करना चाहिए जहां चावल के विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया गया है।

हमारे पास तिल्हनों की भी कमी है। हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें देश में तिल्हनों के उत्पादन के लिए और अधिक प्रोत्साहन तथा सहायता देनी चाहिए। किसानों को कृषि से

संबंधित व्यवसाय जैसे दूध के उत्पादन (डेरी फार्मिंग), मुर्गी पालन, रेशम के कीड़े पालना तथा मधु-मक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। यह कृषक समुदाय के लिए बहुत उपयोगी होगा।

महोदया, युवा पीढ़ी को भी विचार करना चाहिए तथा उन्हें पूरी सहायता तथा प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे अपने कृषि व्यवसाय में ही लगे रहें तथा अन्य व्यवसायों की ओर न जायें। कृषि को प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अनिवार्य विषय बनाना चाहिए ताकि बच्चों को कृषि की जानकारी प्राप्त हो। एक नई नीति बनानी चाहिए तथा कृषक और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं कृषि मन्त्री से निवेदन करूंगा कि लघु सिंचाई योजनाओं तथा जल आपूर्ति योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता के बारे में तमिलनाडु को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं कि तमिलनाडु के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। यह न्याय आम लोगों के हित में होगा, देश के हित में तथा सारे विश्व के हित में होगा। यह हमारे लोगों को अनाज उपलब्ध कराने में भी लाभप्रद होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं तथा आपने मुझे अनुदान मांगों पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री के० तुलसिऐया वाण्डायार (थंजावुर) : सभापति महोदया, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं कृषि के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री के समक्ष निम्नलिखित सुझाव पेश करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि सरकार उच्च प्राथमिकता के आधार पर उन पर विचार करेगी तथा उनका कार्यान्वयन करेगी।

तमिलनाडु के तन्जौर जिले के कावेरी डेल्टा को सिंचाई के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। डेल्टा क्षेत्र के साथ बहने वाला गन्दा पानी उसमें मिल जाता है। सरकार द्वारा नहरें बनाई जानी चाहिए जो इस क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, ताकि कृषि के उद्देश्यों के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सके। कंकरीट नहरों के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की अधिकारियों द्वारा उपयुक्त रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि खराब मौसम का मुकाबला करने के लिए नहर पर्याप्त रूप से मजबूत हों।

जल-निकासी तथा सिंचाई की नहरें अलग होनी चाहिए, ताकि सिंचाई के लिए शुद्ध पानी प्रदान करना सुनिश्चित हो सके।

यह देखा गया है कि सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया में तन्जौर जिले के सिद्ध माली नामक गांव में नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था का एक अलग तरीका है तथा पानी के एक समान प्रवाह के लिए खेतों में समान रूप से बुलडोजर चलाया जाता है। इसके फलस्वरूप अच्छी पैदावार हो रही है। सरकार को इसे उदाहरण के रूप में लेना चाहिए तथा पानी के उपयुक्त प्रवाह के लिए अलग से कंकरीट की नहरों की व्यवस्था करनी चाहिए तथा इसे उपयुक्त रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

सरकार को पानी के अपव्यय को रोकने के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। जब मेटूर जलाशय से पानी छोड़ा जाता है तो डेल्टा में आने वाले पानी का प्रवाह एक-समान नहीं होता और इसलिए अमूल्य पानी के अपव्यय को रोकने के लिए उच्च जल प्रबन्ध योजनाओं की आवश्यकता है।

तन्जौर जिले के किसान व्यावहारिक दृष्टि से वर्ष में छः माह तक खाली रहते हैं क्योंकि उन्हें

[श्री के० तुलसिऐया वान्डायार]

पूरे साल पानी नहीं मिल पाता। इस खाली मौसम के दौरान सरकार को उन्हें ग्रामीण उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि उनके लिए आय का साधन होगा। सरकार को लघु केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए जो उन्हें श्रम राशि प्रदान कर सकें और नारियल-जटा की चटाइयां, डिब्बा बन्द फल जैसे आम और अन्य उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दे सके।

योजना आबंटन धनराशि सामान्य किसानों तक पहुंचनी चाहिए। बिचौलियों को इसमें नहीं आने दिया जाना चाहिए अन्यथा वास्तविक और जरूरतमन्द किसानों को नुकसान होगा।

इस जिले में किसानों के लिए मुख्य समस्या बिजली की है। सरकार को ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों के लिए योजनाएं बनानी चाहिए तथा पवन चक्कियों की स्थापना करनी चाहिए और कृषकों को बिजली प्रदान करनी चाहिए जो उन्हें अच्छी सिंचाई की व्यवस्था के लिए सहायक हो। सरकार को तन्जौर जिले में और अधिक अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए जो कि पूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र है।

गैर सरकारी उपक्रमों के हाथ में छोड़ने की अपेक्षा धान की खरीद तथा फसल की सुरक्षा का कार्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार के पास महत्वपूर्ण खरीद केन्द्रों में आधुनिक गोदाम होने चाहिए तथा इनके रख-रखाव का कार्य सीधे भारतीय खाद्य निगम के नियन्त्रणाधीन होना चाहिए जो अत्यधिक मात्रा में आने वाले रक्षित भंडार की उपयुक्त देख-रेख कर सकें तथा उपभोग के लिए स्वास्थ्य कर ढंग से उसका भण्डारण कर सके।

सड़कें उपयुक्त रूप से बनाई जानी चाहिए तथा सभी गांवों को शहरों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जिससे अच्छी और तीव्र परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकें। सरकार को इन योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि आबंटित करनी चाहिए तथा दूर-दराज के इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए।

विभिन्न गांवों में मिनी बसें चलाई जानी चाहिए इन बसों के निरन्तर चलने से बहुत से लोगों को लाभ होगा।

किसानों को लघु ट्रैक्टर प्रदान किये जाने चाहिए जो उन्हें खेतों में तीव्र रूप से कृषि कार्यों के निपटाने में सहायक हो सकेंगे। किसानों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए तथा सरकार को किसानों को अपनी भूमि से और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कृषि के आधुनिक तरीकों की शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए।

भूमि गत जल संसाधनों के लिए कुछ सुझाव हैं। तमिलनाडु के अनेक भागों में तालाबों और झीलों को गहरा किया जाना है ताकि वर्षा के मौसम के दौरान वे स्वतः ही भर जाएं। जब वर्षा न हो तो नदियों में से पानी भरा जा सके।

भवनों के निर्माण के लिए नदी की गाद नहीं हटायी जानी चाहिए। इसका पेय जल के निस्यन्दन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। यदि रेत की आवश्यकता हो तो नदी के बीच से रेत निकाली जानी चाहिए जिससे पानी के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नदियों में पानी के पर्याप्त प्रवाह के बावजूद अनेक क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक कमी है। यह अत्यन्त खेदजनक बात है कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा पूर्व रूप से भूमि-

गत सर्वेक्षण किए जाने आवश्यक हैं।

सभी गांवों में शुद्ध पेय जल प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई करके कुएं बनाए जाने चाहिए।

हमारे जैसे विकासशील देश में सामन्तवादी मालिक, जमींदार और राजाओं का आदर्श राज्य है। अब हमारे कुछ मित्र इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आज के भारत देश में विद्यमान नहीं हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां केवल प्रतिभाशाली किसान है जो समृद्ध बन गए हैं और वह देश के लिए घाटे की नहीं अपितु लाभादायक बात है।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु (तेनाली) : सभापति महोदया, तेलगु देशम पार्टी की ओर से मैं कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मांग है।

महोदया, सर्वप्रथम, मैं इस मांग का विरोध करता हूं क्योंकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया।

प्रारम्भ में, मैं इस सभा का ध्यान माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने हमारे देश के प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए दी थी।

> "सरकार द्वारा कृषि पर गम्भीर रूप से ध्यान दिया जाएगा। अब तक की गई प्रगति को संघटित किया जाना चाहिए और अधिक तथा विविध प्रकार की प्रगति के लिए स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए। सिंचाई के विस्तार, शुष्क भूमि कृषि के विकास, की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा तथा हमारे किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जाएगा। किसानों के लिए उचित मूल्य भी सुनिश्चित किया जाएगा।"

महोदया, यह वक्तव्य सुनकर, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर कृषि क्षेत्र के लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई थी। यह सरकार वास्तव में कृषि समुदाय के हितों की देख-रेख करेगी। इस वक्तव्य में कांग्रेस दल के चुनाव घोषणापत्र में किए गए वायदों की बात का उल्लेख है कि उनकी पार्टी सभी वस्तुओं के दाम कम करने के लिए वचनबद्ध है इससे लोगों को कुछ आशा हुई है कि यह सरकार कृषक समुदाय के हितों की देख-रेख के लिए है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अत्यन्त अभूतपूर्व तरीके से उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि से वास्तव में कृषक समदाय को अत्यन्त गम्भीर आघात लगा है। उर्वरकों के मूल्यों मे एक साथ ही 40% की वृद्धि हो गई। सभी विरोधी दलों ने विशेष रूप से उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में आवाजें उठाई हैं। यहां तक कि कृषक समुदाय ने भी विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में आन्दोलन किए है। पहली बार किसानों ने इस सरकार द्वारा किसान-विरोधी निर्णय लिए जाने पर आन्दोलन किया।

उनके साथ यह अन्याय किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आन्ध्र प्रदेश में आन्दोलन में तीन किसानों की मृत्यु हो गयी, किसान समुदाय को यह लाभांश प्रदान किया गया। मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होने कृषि के लिए अपनी जानें दे दीं। इस देश को करोड़ों लोगों के लिए अनाज पैदा करने के लिए कृषकों तथा कृषि वैज्ञानिकों का आभारी होना चाहिए।

[प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु]

मैं इस सम्बन्ध में आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यदि कृषक समुदाय के लिए कभी भी कुछ किया गया है तो वह केवल गैर-कांग्रेस (इ) सरकारों द्वारा ही किया गया है जो पहले इस देश में बनी थी। उन्होंने कृषक समुदाय के लिए कुछ किया था। वर्ष 1977 के दौरान पहली बार जनता पार्टी की सरकार द्वारा उर्वरक राजसहायता शुरू की गई थी। अब इस सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा यह सोचकर 10,000 रुपये तक के ऋण माफ किए गए थे कि कृषि क्षेत्र में ग्रामीण ऋण बहुत अधिक हो गया है। श्री एन० टी० रामाराव द्वारा आंध्र प्रदेश में फसल ऋणों पर 90 करोड़ ब्याज माफ किया गया $5\frac{1}{2}\%$ ब्याज में छूट प्रदान की गई। अब इस सरकार द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने औद्योगिक क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपये के ऋण तथा कर्ज माफ किए हैं। पिछले इतिहास से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र तथा गैर-कृषि क्षेत्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने भी योजना धनराशि में से 50% धनराशि कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का प्रतियोगी क्षेत्र बन गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कृषि क्षेत्र के साथ एक बराबर का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मेरे वक्तव्य के प्रमाण के रूप में, इस देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 54% से घटकर 33% रह गया है। इतना ही नहीं इस देश को औद्योगिक विकास अथवा औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसके साथ ही, साथ कृषि क्षेत्र को भी उचित महत्व, उचित हिस्सा भी दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में हम पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। इस कारण आज किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। किसानों को समुचित मान्यता प्रदान नहीं की जाती, कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी बहन अथवा बेटी की शादी एक किसान के बेटे, जो कृषि कार्य के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हो, से करने को तैयार नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे वर की खोज करता है जो किसी कार्यालय में सेवारत हो और जिसे मासिक वेतन मिलता हो। मैं अवश्य ही यह कहना चाहता हूं कि अन्य सभी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है जबकि कृषकों तथा कृषि क्षेत्र के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। कृषि क्षेत्र का प्रभाव यही रह गया है।

इस देश में कृषि सम्बन्धी अनुसंधान की कोई दिशा नहीं है। और तो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख तक का पद पिछले दो वर्षों से रिक्त पड़ा है तथा अनुसंधान संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण नौकरशाह कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनेक वरिष्ठ पद रिक्त पड़े हैं तथा इन पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता है। यदि कृषि संबंधी अनुसंधान की ऐसी दुर्दशा रहेगी तो हमारी स्थिति क्या होगी।

श्री एम० एस० स्वामीनाथन, जो कि विश्व विख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं और लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन कृषि संबंधी अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया है तथा हरित क्रांति में अपना योगदान दिया है, को देश भारत रत्न पुरस्कार के लिए बहुत पहले ही चुन लिया जाना चाहिए था। वह देश के समर्पित सपूत हैं। जब इंजीनियरों तथा राजनीतिज्ञों को उस सम्मान के लिए चुना जा सकता है, तो इस कृषि प्रधान देश में जहां 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, कृषि वैज्ञानिकों को ऐसे सम्मान से क्यों नहीं सम्मानित किया जाता? इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि कृषि क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित करेगी।

अब मैं अपने देश में उवरक की प्रति हेक्टेयर खपत की अन्य देशों से तुलना करता हूं। बंगला देश उर्वरक का प्रति हेक्टेयर 72.3 किलोगाम, उपयोग करता है। चीन उर्वरक का प्रति हेक्टेयर 55.1 किलोग्राम उपयोग करता है जबकि भारत उर्वरक का प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम उपयोग करता है जो कि एशियाई देशों में सबसे कम है। इजरायल प्रति हेक्टेयर 78 किलोग्राम, जापान प्रति हेक्टेयर 381.5 किलोग्राम, कोरिया प्रति हेक्टेयर 305 किलोग्राम, कोरियाई गणराज्य प्रति हेक्टेयर 406 किलोग्राम, पाकिस्तान प्रति हेक्टेयर 66.8 किलोग्राम तथा फिलीपीन्स प्रति हेक्टेयर 56.4 किलोग्राम उर्वरक उपयोग करता है। सभी एशियाई देशों में भारत की प्रति हेक्टयर उर्वरक खपत सबसे कम है।

उर्वरक की खपत का उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह बात असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो चुकी है। अन्य आदानों की अपेक्षा उर्वरकों की खपत का उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपने देश में विभिन्न राज्यों को देखें तो पंजाब में उर्वरक की खपत 179 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा उत्पादन 3,300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जबकि अखिल भारत औसत उर्वरक खपत 49.6 किलोग्राम है और औसत खाद्यान्न उत्पादन लगभग 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर केवल 14.6 किलोग्राम उर्वरक का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार उर्वरक की खपत का उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

इन परिस्थितियों में हमने उर्वरकों पर दी जा रही सभी राजसहायताएं वापस ले ली गई है और अब हम किसानों को उर्वरकों का उपयोग करने से हतोत्साहित कर रहे हैं। इन सब आन्दोलनों के होने पर वित्त मंत्री छोटे और बड़े किसानों को उनके स्तर के अनुसार बांटने का प्रस्ताव लाए हैं जिसके अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को इसवृद्धि से मुक्त कर दिया जाएगा और बड़े किसानों के लिए इसमें 30 प्रतिशत कमी कर दी जाएगी। हमारे वरिष्ठ साथियों और कई अन्य सथियों ने कहा है कि वर्गीकरण करने में कठिनाई होगी कि कौन छोटा किसान है, कौन सीमांत किसान और कौन बड़ा किसान है। इस देश में इसके लिए कोई रिकार्ड नहीं है। अब किसानों को राजस्व विभाग की दया पर छोड़ दिया गया है। पहले वे परमिट प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी के पास जाया करते थे। अब इस राजनैतिक रूप से प्रेरित सीमांत तथा बड़े किसान के रूप में किसानों का विभाजन हो जाने पर तथाकथित छोटे और सीमांत किसानों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पहले राजस्व विभाग के पास जाना होता है और फिर उर्वरक के लिए परमिट प्राप्त करने के लिए उस प्रमाणपत्र को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी के पास जाना होता है और उसके बाद उर्वरक प्राप्त करने के लिए डीलर के पास जाना पड़ता है। इस प्रकार अब उन्हें खाद के एक थैले के लिए तीन एजेंसियों के पास जाना पड़ता है। क्या इस देश में यह न्यायसंगत है कि एक किसान को खाद के एक थैले के लिए तीन एजेंसियों के पास जाना पड़े?

जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी श्री देवगौड़ा ने कहा है कि यदि हम इन सभी लोगों के लिए एक आम मूल्य नहीं रख पाते तो इससे न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि सभी राजनीतिज्ञों और अफसरशाहों के लिए बदनामी की बात होगी।

अधिकांश राज्यों में अतिरिक्त काश्तकारी का प्रचलन है। बहुत से राज्यों से कोई लिखित काश्तकारी नहीं है। इन सभी काश्तकारों का क्या होगा? भूमि को कौन जोतेगा? ये काश्तकार न तो प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के पास जाएंगे न ही खाद के एक थैले के लिए परमिट लेने के लिए कृषि विभाग के पास जा सकेंगे, क्योंकि वे भूमि पर किसी भी प्रकार के स्वामित्व का

[प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु]

दावा नहीं कर सकते। वे भी बड़े किसानों के समान ही खुले बाजार से खरीद करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की भरपाई खरीद मूल्यों से कर दी जाएगी। सभी वस्तुओं के लिए खरीद मूल्य नहीं दिया जाएगा। सभी वस्तुओं के लिए खरीद मूल्य एक-सा नहीं होगा। छोटे और सीमांत किसान, जो कि 70% से भी अधिक है, बाजार के लिए उत्पादन नहीं करेंगे। सरकार इस बारे में समझदारी से काम ले और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह खाद के मूल्यों में की गई वृद्धि को पूर्ण रूप से वापस ले ले।

पिछले दस वर्षों से इस देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन का स्तर लगभग स्थिर है। यदि हम स्वतंत्रता के बाद के समय को तीन चरणों में बांटें, 1950 से 1964 तक के 14 वर्ष में कृषि उत्पादन स्थिर था। 1965 में हरित क्रांति आई। 1965 से 1968 तक कृषि उत्पादकता 629 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1023 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर हो गई। इस अवधि के दौरान अत्यधिक सुधार हुआ। 1981 में पुनः कृषि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर औसतन 1023 कि० ग्रा० से 1173 कि० ग्रा० तक बढ़ गई। अतः हरित क्रांति का प्रभाव मुश्किल से 10 से 12 वर्ष तक रहा। और बाद में, पिछले एक दशक के दौरान, हरित क्रांति का प्रभाव कम होता चला गया और उत्पादकता लगभग स्थिर हो गई।

इन सभी वर्षों में देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता लगभग स्थिर रही। 1951 में इस देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 394.9 ग्राम प्रति दिन थी। 1961 में यह 468.7 ग्राम प्रति हो गई। 1988 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 436.5 ग्राम तक बढ़ गई। यदि कोई यह सोचता है कि इस देश का कृषि उत्पादन की स्थिति अच्छी है, तो वह भ्रम में है। हम निश्चिन्तता की स्थिति में नहीं है। जहां तक कृषि उत्पादन का संबंध है हम कोई सीमा नहीं बना सकते। 1961 से 1988 के बीच की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता ही इस बात का द्योतक है कि कृषि ने किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं की है।

एक और विचित्र बात है। भारत में प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत 2159 है जबकि जीवित रहने के लिए 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। भारत में हम मुश्किल से 2189 कैलोरी ले रहे हैं। यहाँ इस संबंध में मैं विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के बारे में कहना चाहूंगा। विश्व बैंक ने टिप्पणी की, कि यह टिप्पणी करते हुए खेद होता है कि कैलोरी खुराक, जो कि जीवन स्तर का मुख्य द्योतक है, के मामले में भारत का औसतन 2189 कैलोरी का आंकड़ा बहुत कम है। सभी औसत आंकड़ों की तरह, भारत के मामले में यह आंकड़े वास्तविक स्थिति दर्शाने में असफल रहे हैं। हालांकि आबादी के कुछ भाग कैलोरी खुराक 2189 से भी अधिक हो सकती है, किन्तु आबादी को एक बहुत बड़े हिस्से के लिए संगत आंकड़े इस औसत से काफी हद तक कम हो सकते हैं।" इस देश में 43% लोग, जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, मुश्किल से शून्य और 100 के बीच कैलोरी लेते हैं। इसी कारण नीचे निर्वाह कर रही इस 43 प्रतिशत आबादी में कुपोषण, अल्प-पोषण, नवजात शिशु मृत्यु, शिशु मृत्यु जैसी दुर्घटनाएं होती हैं, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे है, होती रही हैं। यदि आप कहते हैं कि खाद्य उत्पादन संतोषजनक है, यह सत्य नहीं है। कृषि को अधिक प्रोत्साहन देना होगा। कृषि को उद्योग क्षेत्र का प्रतिस्पर्धी बना दिया गया है। उद्योग का विकास हो रहा है, ऐसे में उसे कृषि से आगे ले जाया गया है। यदि इन दोनों क्षेत्रों को साथ-साथ विकसित किया जाता है तो

कोई भी देश उन्नति कर सकता है। एक क्षेत्र की कीमत पर दूसरे का विकास नहीं हो सकता जैसा कि भारत में हो रहा है कि उद्योग विकास कर रहे हैं और कृषि अपना आधार खो रही है।

इस देश में, जबकि 1968 का नाशी कीटनाशक अधिनियम प्रचलन में है, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड-व्यवस्थाएं लागू नहीं की गई। अधिकांश राज्यों में नमूने लिए जा रहे हैं और निरीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं है जबकि दोषियों को सजा दी गई हो। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषि निवेशों में किसी भी प्रकार की मिलावट से सख्ती से निपटा जाए और दोषियों को आर्थिक अपराधियों की तरह दण्ड दिया जाना चाहिए तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की व्यवस्थाओं को कृषि आदानों के मामलों के दोषियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

इस देश में कुल क्षेत्र का दो तिहाई क्षेत्र बारानी खेती का है। हालांकि शुष्क भूमि प्रौद्योगिकी में कुछ सुधार हुआ है। फिर भी बारानी खेती अन्वेषण तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए फसल उगाने के उपयुक्त विधियां विकसित करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

जहां तक उत्पादकता का सम्बन्ध है, जल प्रबन्ध एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। वर्षा पर निर्भर खेती जल की कमी के कारण प्रभावित हो रही है, सिंचित खेती जल की अधिकता के कारण प्रभावित हो रही है। जल की अधिकता के दोष निर्जलता से अधिक है।

पुराने अयाकट क्षेत्रों में वर्षों से जमीन का खारापन बढ़ रहा है और उससे उत्पादकता में बहुत तेजी से गिरावट आई है। विशेषकर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पर पी० एच० 50 वर्ष पहले के 7.4 प्रतिशत के मुकाबले ९ प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसी कारण आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई नहरों और निकासी प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं।

प्रयोगशाला से भूमि पर तकनीक के हस्तांतरण को बहुत अधिक विकृत कर दिया गया। कुछ मामलों में विस्तार सेवा में स्थानांतरण कार्य में 60 से 70 प्रतिशत घाटा हुआ है क्योंकि तकनीक का हस्तांतरण क्षेत्रीय स्तर पर पूर्णतः असक्षम और गैर-तकनीकी उप-सहायकों द्वारा किया जाता है। वे केवल राज्य कृषि विभागों के गोदामों की निगरानी को बढ़ावा देने वाले है। इसलिए यही वह कारण है जिससे कि के० वी० के० को प्रत्येक जिलों तक बढ़ाया जाना है तथा तकनीक, जिसका विकास उच्चतर स्तर के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया हो, के प्रभावशाली हस्तांतरण के लिए निम्न स्तर पर डिप्लोमाधारियों को भर्ती करना होगा। जब तक कि निम्न वर्ग को प्रशिक्षित नहीं किया जाता तब तक इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।

चर्चा समाप्त करने से पहले मुझे अपने राज्य में कृषि क्षेत्र में लम्बित पड़ी परियोजनाओं का जिक्र करना होगा। कुछ परियोजनाएं जो कि भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास लम्बित है, वे हैं—(एक) आंध्र प्रदेश में मत्स्यन को बढ़ावा देना; (दो) खारा पानी झींगा उत्पत्तिशाला और (तीन) भैंस अनुसंधान केन्द्र, बकरा अनुसंधान स्टेशन और बतख अनुसंधान केन्द्र। यह अनुसंधान प्राथमिकता वाले आवश्यक विषय भी है जिन पर बहुत से लोग आश्रित हैं। व्यावहारिक रूप से ऐसा कोई अनुसंधान नहीं है जो कि भैंस अनुसंधान, बकरा अनुसंधान या बतख अनुसंधान के लिए किया गया हो। ओंगिल और गोदावरी प्रजातियों को भैंस अनुसंधान स्टेशन द्वारा सुधारा जाता है। दक्षिणी क्षेत्र भैंस अनुसंधान केन्द्र, जिसे मूलतः उगटूर में स्थापित किया जाना था का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करना होगा।

[प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु]

चौदह कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया जाना है।

सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश में कोई राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र नहीं है। यह बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। जहां तक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों का संबंध है इनके लिए किए जाने वाले वितरण में बहुत असंतुलन है। अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित तीन राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाएं :

(1) दालों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र।

(2) अंगूरों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र।

(3) मास्ता के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र।

इनको आंध्र प्रदेश में शीघ्र खोला जाए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : भारतीय कृषि अनुधान परिषद में निधि आवंटन के लिए कोई विधिवत् दिशानिर्देश नहीं है। धनराशि न तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है और न ही जोताई के अन्तर्गत आने वाली भूमि के आधार पर। यह केवल भारतीय अनुसंधान परिषद की स्वेच्छा पर निर्भर करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा धनराशि का आवंटन में पी० एच० डी० फार्मूले के आधार पर किया जाता है। 'पी०' पंजाब के लिए है, 'एच०' हरियाणा के लिए है और 'डी०' दिल्ली' के लिए है। ये राज्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राशि का एक बड़ा अंश हथिया लेते हैं। यह पी० एच० डी० फार्मूला एक बहुत विलक्षण फार्मूला है। इन तीनों राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों का उचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

टिशु पालन, जीवोत्पत्ति और जैविक-प्रौद्योगिकी ऐसे तीन क्षेत्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस दिशा में हम पड़ोसी देशों से लगभग चालीस-पचास वर्ष पीछे हैं। सभी सजावटी, फूलदार और बागवानी पौधे टिशु-कल्चर तकनीक पर आधारित है। इस सम्बन्ध में हम केवल आरम्भिक चरण में हैं। इसलिए देश को इस टिशु-कल्चर पर विस्तृत ध्यान देना है।

मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में तूफान और बाढ़, प्रत्येक तीन या चार वर्ष में एक बार तबाही मचाते रहे हैं। प्रत्येक तीन-चार वर्षों में जो नुकसान होता है उसको पूरा करने के लिए बीमे आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी कारण हम सुझाव देते रहे हैं कि एक तूफान पुनर्वास कोष होना चाहिए जिससे किसानों को मुसीबत के समय मुआवजा देने की व्यवस्था की जा सके।

इसके साथ, आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय सभापति महोदया, मैं अपने भाषण का प्रारम्भ भूमि के बारे में रविन्द्र नाथ टैगोर ने जिसकी हम लोग अपेक्षा करते आ रहे हैं, उस वाक्स से कर रहा हूं।

उन्होंने लिखा है "जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है वह मिट्टी हमारे गांव की है। धरती की किसी मातृ वत्सल खोज में हमारा यह समूचा देश प्रतिदिन अपना पोषण प्राप्त करता है। हमारे शिक्षक मद्रजन इस मूलाधार से बेखबर होकर वृथा ही विचार के उच्च आकाश में निरुद्देश्य बादलों की तरह अपने घर को छोड़कर भटकते फिरते हैं। यदि भटके हुए मेघ स्नेहमयरूपी वर्षा के रूप में अपनी रस धारा नहीं बरसाते तो धरती मां से मनुष्य का संबंध कभी भी सार्थक नहीं हो पायेगा। यदि हमारे ये सभी सुकुमार विचार व्यर्थ की भाप बनकर उड़ते फिरते रहे तो नवयुग का बीजोदय निरर्थक नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे बड़े विद्वान ने भूमि के प्रति मां का संबंध जोड़ा है और दूसरी ओर हमारे कृषि विभाग की कृषि नीतियां उससे मां का संबंध तो जोड़ने की बात छोड़िये, उसके बारे में, न किसानों के बारे में, न भूमि पुत्रों के बारे में और न भूमि के बारे में विचार कर रही हैं।

महोदया, इस देश में 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। यह मौजूद समय है कि इस समझ से हम अनाज और कृषि के क्षेत्र में विचार करें। आत्म-निर्भरता के लिए उन 30 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें जो गरीब हैं, जिनको कि अनाज की जरूरत है जो कृषि की चीजें खरीदना चाहते हैं, खाद्य पदार्थ खरीदना चाहते है, उनको नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं। उसका कारण है कि किसान अपनी जो चीजें खरीदता है और जो चीज बेचता है, उन दोनों में अन्तर है। किसान अपनी उपज को बेचता है उसके लिए तो कृषि मंत्रालय ने भारत सरकार ने समिति बनायी हुई है व कृषि उत्पादों के मूल्य तय करता है मगर भारत सरकार ने औद्योगिक निर्माणों के लिए कोई समिति नहीं बनायी है कि कृषि में जो उपकरण लगते हैं, वह उसके भी मूल्य तय करेगा। आज किसान जो कुछ पैदा करता है, उसमे घाटा खा रहा है। उसकी लागत का मूल्य उसे नहीं मिल रहा है जबकि मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उपजों का लागत मूल्य हमे निकालना पड़ेगा। खाद, बीज, बिजली, पानी की कीमत से और उसकी जो भूमि लगी हुई है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी कीमत जोड़नी पड़ेगी और उसका इन्टरेस्ट निकालना पड़ेगा। साथ ही उसमें उसका पूरा परिवार काम करता है जिसमें बेटा, भाई, पत्नी और बच्चे भी हैं। अगर वह कहीं भी मजदूरी करने जाये तो 20—25 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल सकती है। मगर दुर्भाग्य है कि उसकी उस कीमत को नहीं आंका जाता। उसको जो चीजें खरीदनी है, उसमें समानता नहीं है। वह अपनी चीजें बाजार में बेचने जाता है तो लोग उसको धक्का देते हैं कि आगे बढ़ो। बेचना है तो बेचो नहीं तो आगे जाओ। जब वह अपने लिए कोई चीज खरीदने जाता है तो भी उसको धक्के मिलते हैं कि खरीदना है तो खरीदो नहीं तो मत खरीदो, इससे कम नहीं मिलेगा। यह किसान का दुर्भाग्य है कि यदि बेचने जाता है या खरीदने जाता है तो उसको धक्के ही खाने पड़ते हैं।

महोदया, आज देश की 44 साल की आजादी के बाद भी किसान को क्या मिला है? मैंने पिछली बार भी कहा था कि हर चीज की प्लानिंग हुई है लेकिन कृषि की प्लानिंग नहीं हुई है। चीन और हमारे साथी देश आजाद हुए हैं, कुछ थोड़ा कम आगे फर्क है लेकिन आज भी चीन में 300 कि० ग्राम प्रति व्यक्ति उपज हो रही है जबकि भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। यहां पर सब कुछ करने के बाद भी 17 करोड़ टन के लक्ष्य के स्थान पर नहीं पहुंच पाये है और हमारे लक्ष्य के लिए खाली सरकारी बयानबाजी से आत्म-संतुष्टि के लिए काम नहीं चलने वाला है। चीन में आज केवल 10 हजार करोड़ हैक्टेयर में खेती होती है जबकि हिन्दुस्तान में 14 हजार करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है, उसके बाद भी अनाज के लिए मोहताज हैं। हमारी सरकार उसको उपज का मूल्य देने को

[श्री राजवीर सिंह]

तैयार नहीं बल्कि सरकार ने किसानों के परिश्रम पर एक और चोट मारी है।

यूरिया के दाम बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए। किसान परिश्रम कर रहा है। सन् 1950-51 में जो गेहूं की भीख मांगने के लिए हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री विदेशों के दौरे करते थे कि हम भूखे मर रहे हैं, हमको गेहूं दो, इस कलंक को मिटाने के लिए हिन्दुस्तान के किसान ने बड़ा परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद खेती की उपज को बढ़ाया और आज इस स्थिति में आ गया है कि वह बराबर की स्थिति लाने की कोशिश कर रहा है। जब वह बड़ी तेजी से कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता की ओर देश को ले जाने की कोशिश कर रहा था, हमारी भारत की सरकार ने उस पर एक बहुत बड़े डंडे का प्रहार कर दिया सब्सिडी हटाकर, फर्टिलाइजर महंगा करके। आज इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या आप हिन्दुस्तान के पैसे को विदेशों में भेजना चाहते हैं ? फर्टिलाइजर की सब्सिडी हटाकर जब किसान उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो कृषि उपज घटेगी, गेहूं का उत्पादन घटेगा, गन्ने का उत्पादन घटेगा, तो चीनी का उत्पादन घट जाएगा। गेहूं का उत्पादन घटेगा तो आप विदेशों में मांग करने जाएंगे, विदेशों से आयात करेंगे चीनी का, विदेशों से आयात करेंगे दालों का, विदेशों से आप आयात करेंगे गेहूं का। तो आप विदेशी लोगों को तो पैसा देना चाहते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के किसान को पैसा नहीं देना चाहते हैं। विदेशी किसान तो सुख-सुविधा की जिन्दगी इसलिए जिएगा कि भारत की सरकार हिन्दुस्तान के किसानों की विरोधी है, वह हिन्दुस्तान के किसान को चार पैसा नहीं देना चाहती, वह अमरीका और विदेशी किसानों की दोस्त है, उनको पैसा देना चाहती है। आखिर हम अनाज की कमी से बचने के लिए उसको विदेशों से आयात करना पड़ेगा, और जब विदेशों से आयात किया जाएगा तो पैसा हमारे देश का, किसान के खून-पसीने की कमाई, हमारे उपभोक्ताओं के खून-पसीने की कमाई से विदेशों के लोग सरसब्ज होंगे, विदेशों के लोग आराम से रहेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि सन् 2000 तक इस देश की आबादी बहुत अधिक हो जाएगी। एक अनुमान यह है कि हम 84-85 करोड़ आज हैं और हम सन् 2000 तक एक अरब हो जाएंगे। उस समय हम लोगों को क्या खिलाएंगे ? अगर आज यह सरकार किसानों को इस तरह की तकलीफ पहुंचाएगी और यह स्वाभाविक है कि अगर अच्छा काम करने वाले लोगों को परेशान किया जाए, उनको टोका जाए तो वह व्यापार नहीं करेंगे और घाटे का सौदा करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और इस देश की खाद्य पर आत्मनिर्भर नीति बनाकर किसानों को अधिकतम सहायता दें। यह मैं कहना चाहता हूं।

भारत में लोगों को पर्याप्त रूप से पोषण आहार नहीं दिया जाता है और आबादी सर्वव्याप्त विफलता में जीती रही। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की कृषि नीति ठीक नहीं है। कृषि नीति ऐसी बननी चाहिए कि वह किसानों के हित में भी सोचे और उपभोक्ताओं के हित में भी सोचे। किसान भी उपभोक्ता है। किसान को अपनी जरूरत की बहुत सी चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती है और किसान बहुत सी चीजें सप्लाई करता है। किसान की इन समस्याओं पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत कष्ट हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं तथा सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान लोग जो चीजें खरीदते हैं, उस पर भी हम लोगों को छूट देने की बात करनी चाहिए। उसको अन्य सुविधाएं देनी चाहिए। आज आप इंडस्ट्री की सुविधा दे रहे

हैं। इंडस्ट्रीज को आप कोटा देते है, इंडस्ट्रीज को परमीट देते है, उसको कई सुविधाएं देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार की इंडस्ट्री लगे तो इतने साल तक बिक्री कर नहीं लगेगा, इतने साल तक इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा । वहां पर उद्योग लगाओ, ये लगाओ । तो क्या भारत के जो एक अरब लोगों के पेट भरने का जो मालिक किसान है उसकी सुख-सुविधाओं का आप ख्याल नही करेंगे ? उसकी सुविधाओं को आप छीन रहे है । उसको अच्छी उपज के दाम नही दे पा रहे है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि किसान जो अपना उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन को बाजार में लाने के लिए सुविधा नहीं है । गांव में जरा जाकर देखें । यहां के हमारे कृषि मंत्री जी किसान कहलाते है पर वे बड़े किसान हैं । उस दिन वह कह रहे थे कि मैं साइज मे बड़ा हूं, कद में बड़ा हूं । वह कद में भी बड़े है और होल्डिंग में भी बड़े है और होल्डिंग का साइज भी उनका बड़ा है । इसके कारण उनके छोटे किसानों को ···(व्यवधान) मेरे एक मित्र बता रहे है कि कितने हजार एकड़ है, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। मगर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के जो छोटे और मझोले किसान है,

5.00 म० प०

क्या उनकी तरफ सरकार ने कभी ध्यान दिया है, कभी सोचा है। वह देश के लिए गेहूं पैदा करता है मगर उसे 20 किलोमीटर कच्चे में जाना पड़ता है। आज गांव में सड़क नहीं है। अपना उत्पादन बेचने के लिए, किसान को मण्डी तक अपना उत्पादन लाने के लिए सड़कों का अभाव है । किसान चाहता है कि वह सब्जी पैदा करे, अनाज पैदा करे, दुग्ध का उत्पादन करे, मगर दुर्भाग्य यह है कि मण्डी तक ले जाने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है । शाम का दुआ हुआ दूध जब बाजार ले जाने के लिए वह रात को रखता है तो सवेरे वह दूध फट जाता है । बिल्कुल ऐसी स्थिति है। एक कहावत है कि चौबे जी छब्बेजी बनने चले और दूबे जी रह गये, बिल्कुल यही स्थिति आज हिन्दुस्तान के किसान की हो गयी है । वह चाहता है कि मैं अपनी गरीबी मिटाऊं, मैं अपने उत्पाद को बाजार में ले जाऊं, मण्डी में ले जाऊं, मगर मण्डी में नहीं ले जा सकता । आजकल तो बरसात होने लगी है, मगर इससे पहले सूखा पड़ रहा था और उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी । वह सूखे से पीड़ित था।

अब तो प्रकृति का कुछ ऐसा हो गया है कि हिन्दुस्तान में यदि सूखा पड़ता है तो सूखा ही पड़ता रहता है और यदि बाढ़ आती है तो बाढ़ ही आती रहती है। अब फिर बाढ़ आने के दिन आ गये हैं । हिन्दुस्तान की आजादी के पिछले 40 सालों में क्या सरकार ने बाढ़ की समस्या के हल के लिए या सूखे की समस्या से निपटने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था की है । यदि की है तो बताइये। (व्यवधान) आप क्या बाढ़ को रोक सकते है, आपकी तो कल्पना ही नहीं है । आप तो पहाड़ों पर रहते हैं। आपने कभी देखा भी है, आपने तो कल्पना भी नहीं की है । आपने किसान के दर्द को नहीं समझा है । आप तो यहां पार्लियामेंट में वर्षों से राजनीति कर रहे हैं इसलिये आपको किसान के दुख-दर्द का पता नहीं है । आप तो यहां की सुख-सुविधाओं के इतने मोहित हो गये हैं कि आपको सेब के अलावा कुछ पता ही नहीं। आप सेबों की बात करते हैं, मगर मैं किसान को सेव करने की बात कह रहा हूं । आज हालत बहुत खराब है।

आज हालत यह है कि किसान बेहद परेशान है । हम किसान के लिए सड़कें नहीं दे पा रहे है, हर गांव को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ पा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आप गांवों के विकास के लिए कुछ भी मत दीजिए, यदि आपको किसानों का विकास करना है, गांवों का विकास करना है तो आप हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दीजिए, किसान को बिजली दे दीजिये और पानी दे दीजिये और कुछ मत करिए, सब कुछ वापस ले लीजिये, किसान अपनी तरक्की अपने आप कर लेगा।

आज आप गांवों में बिजली नहीं दे पा रहे है इसलिए किसान सूखे से पीड़ित हो जाता है।

[श्री राजवीर सिंह]

यदि गांवों में चौबीसों घण्टे बिजली मिले तो उसे किसी चीज की परवाह नहीं। हमने पार्लियामेंट हाउस में तो कभी बिजली जाते हुए देखी नहीं मगर गांवों में जब बिजली आती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, और मिठाई बांटने तक की नौबत आ जाती है कि बिजली आयी है, चलो पानी लगायें। यदि सरकार गांवों में चौबीसों घण्टे बिजली देने की व्यवस्था करती तो आज किसान उतना परेशान न होता, सूखे से पीड़ित न होता बल्कि वह सूखे से टक्कर ले सकता था। आज गांवों में 4 घण्टे या 6 घण्टे ही बिजली पहुंच पाती है और बिजली उत्पादन के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई। आपने पानी पर आधारित बिजली तैयार करने की योजनाएं बनायी हैं, जब बारिश होगी तो डैम में पानी भरेगा और बिजली बनेगी। यदि पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं बनेगी। जब बिजली नहीं मिलेगी तो उससे खेत सूखेंगे। आज बिजली का उत्पादन भी नहीं हो रहा है और किसान के खेत सूख रहे हैं।

5.03 म० प०

[श्री पी० एम० सईद—पीठासीन हुए]

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप किसान के खेत तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था कर दीजिए, पानी पहुंचा दीजिये, और हर गांव को सड़कों से, पक्की सड़कों से जोड़ दीजिये, किसान अपने आप तरक्की कर लेगा। किसान तो वह है जो फटे हाल मस्त होकर जिन्दगी गुजारता है और चटनी से रोटी खाने के बाद भी स्वाभिमान से अपना सिर और माथा ऊंचा करके चलता है। वह इस देश को भुखमरी की कगार से बचाने के लिए कोशिश करता है मगर केन्द्र की सरकार का उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है।

जहां तक उर्वरकों का सवाल है, सरकार की तरफ से हमें जो आंकड़े मिल हैं, उसके अनुसार आपने 1989-90 में 121.30 लाख टन उर्वरकों की खपत का लक्ष्य रखा है। एक जगह कहा गया है कि जहां 1950 में उर्वरकों की कुल खपत 69 हजार टन रही, 1988-89 में 110.36 लाख टन उर्वरकों की खपत का अनुमान था, वर्ष 1989-90 में 121.30 लाख टन उर्वरकों की खपत का लक्ष्य रखा गया है। उर्वरकों की ज्यादा खपत से खेती का उत्पादन बढ़ता है, अनाज ज्यादा पैदा होता है। अभी आपने उर्वरकों के दाम बढ़ा दिये हैं। उसका परिणाम यह होगा कि किसान खेती में अधिक उर्वरक नहीं डाल पायेगा और इससे उपज घटेगी। यहां पर हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं, पिछली बार भी हमने कहा था और आज फिर आग्रह करना चाहता हूं कि मन्त्रिमण्डल की बैठक में आप इसकी लड़ाई लड़िये। छोटे और बड़े किसानों का झगड़ा ही पैदा नहीं होने देना चाहिए। आज बड़ी दुखद स्थिति हो गयी है। मैं जहां से चुनकर आता हूं, वहां अधिकांश किसान छोटे हैं, मगर मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी, मुझे जानकारी नहीं है मगर मुझे ऐसा लोग बता रहे थे ··

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं आपको सारा दे देता हूं, आप मुझे 100 एकड़ करके दे दीजिए बस।

श्री राजवीर सिंह : मुझे पता नहीं मंत्री जी। मेरी जानकारी में आपके बारे में ठीक नहीं है। हां, इतना जरूर मैंने सुना है कि पंजाब और हरियाणा में जो सीलिंग हुई है और उसमें खेतों का जो बंटवारा हुआ है, उसमें ऐसे गुमनाम नामों से बंटवारा हुआ है। मैं आप पर कोई अरोप नहीं लगा रहा हूं। गेंदा सिंह, कोई जर्नेल सिंह, कोई कर्नेल सिंह और पता नही क्या-क्या नामों से बंटवारा हुआ और

पता नहीं वे सिंह कहां हैं। अजीब बात है, डॉगों के नाम पर भी जमीन बंटी थी। डॉगसिंह आदि और वे बड़े पाकसाफ हो कर कहते हैं कि हम तो सीलिंग में हैं, हमारे पास तो जमीन ज्यादा है ही नहीं। अब अगर इस तरह से बंटवारे होंगे और अपने को छोटा कहा जाएगा, तो मैं मान सकता हूं, वास्तव में आप छोटे होंगे। मेरा आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : आप जो कहना चाहते है, कह दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। किसी के पास होती है, तो भी कोई बात नहीं है। कमजोरी तो हमारी सरकार की है। चाहे आपकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, कमजोरी तो सरकार की है, अगर वह नहीं निकलवा सके और लैंड रिफार्म नहीं कर सके, तो यह अपनी कमजोरी है, किसी बाहर की तो नहीं है। चोर को पकड़ना तो हमारा काम है, आपका भी काम है। मेरे पास भी थी, अवश्य थी, लेकिन मैं वह आदमी हूं जिसने बिना एक पैसा लिए हुए, जितनी अपनी अधिक भूमि थी, वह सारी की सारी मुजारों को दे दी।

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, मंत्री जी ने सफाई दी। मैं तो मन्त्री जी से निवेदन कर रहा था कि मन्त्री जी आप भी किसान हैं, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों। मैं कोई इस बात पर चुनौती नहीं दे रहा हूं—आप साइज में बड़े हैं या होल्डिंग में बड़े हैं। मेरा यह कहना है आपको मैं बहरहाल अपने से तो बड़ा मानता हूं।

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस करिए। आपस में डायलॉग मत कीजिए।

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मंत्रिमण्डल में चाहे कृषि मंत्री हैं, लेकिन आप किसानों के मसीहा हैं, किसानों के ऊपर यह जो सबसिडी को हटाने की बात आ रही है, इसको जरा दूर कराइए। किसानों को एक दाम पर खाद दिलवाइए। छोटे और बड़े किसानों की आपस में आपने जो लड़ाई पैदा कर दी है, बजट में यह कह कर कि छोटे किसानों को मिलेगा, बड़ों को नहीं, तो बड़े किसान कौन हैं, जब सीलिंग के आधार पर आपने 18 एकड़, 16 एकड़ और 12 एकड़ जमीन कर दी है, तो फिर बड़ा किसान कौन है? फिर आपने बजट में सबसिडि हटाने की बात कही है, इससे तो बेईमानी बढ़ेगी, भ्रष्टचार बढ़ेगा और क्या आप भ्रष्टाचार पनपाना चाहते हैं? यदि नहीं, तो इन प्रतिबंधों को कम करिए। जहां-जहां कंट्रोल ज्यादा हुआ है, जहां-जहां प्रतिबन्ध लगे हैं वहां-वहां भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसके कारण आप किसानों में भी भ्रष्टाचार पैदा करना चाहते हैं? मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सबसिडी लागू करे और कृषि उर्वरकों के दाम कम करे।

सभापति जी, मेरे क्षेत्र विशेष में और सारे देश में इस बार गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है और गन्ने का उत्पादन ज्यादा होने के बाद भी चीनी की कमी है। कारण यह है कि चीनी मिलें कम हैं। जितनी चीनी मिलों की जरूरत है, उतनी चीनी मिलें नहीं बनी हैं। किसान गन्ना पैदा करता है, वह जो प्राईवेट क्रशर चलते है, छोटे-छोटे कोल्हू चलते है, उनमें अपना गन्ना ले जाता है, वहां गुड़ बनाते हैं, राब बनाते हैं, उसमें उनको जितना गुड़ या चीनी मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, उनमें गन्ने के रस का प्रतिशत कम निकलता है, रेश्यो कम निकलता है, जितना परसेंटेज निकलना चाहिए, उतना नहीं निकलता है, क्यों कि वे आधुनिकतम यन्त्र नहीं है, वे पुराने कोल्हू है। गन्ने में से पूरा रस नहीं निकाल पाते हैं। परिणाम यह होता है कि चीनी का उत्पादन कम होता है और चीनी की शार्टेज रहती है। मैं माननीय मन्त्री जी से और भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि गन्ने के किसानों को यदि आप सही दाम दिलाना चाहते है, तो उनको देश में चीनी मिलों की संख्या बढ़ाकर आप

[श्री राजवीर सिंह]

सहयोग दे सकते हैं। इसलिए चीनी मिलों का निर्माण देश में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए।

सभापति महोदय, पिछली बार मैंने सवाल पूछा था और सरकार ने बताया था कि हम गवर्नमेंट सैक्टर में और पब्लिक सैक्टर में तो चीनी मिलें नहीं खोल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सैक्टर में हम चीनी मिलें खोलने के लाइसेंस दे सकते हैं। मेरा कहना है कि सरकार इसका सर्वेक्षण करवाए और जहां-जहां ये चीनी मिलें खुल सकती है, वहां इन्हें खोलने का लाइसेंस दें। आपने बड़ी उदार औद्योगिक नीति बना दी है वह क्या सिर्फ और चीजों के लिए ही है, क्या किसान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों की उपज का पूरा और सही मूल्य दिलाने के लिए, उसके अन्तर्गत चीनी मिलों को नहीं लगा सकते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि आंवला मेरा क्षेत्र है और वहां पर एक भी शुगर मिल नहीं है।

श्री मेघे दत्त (नागपुर) : आप महाराष्ट्र में आकर देखिए।

श्री राजवीर सिंह : अगर आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलों को बनाने का लाइसेंस दे। आंवला क्षेत्र में एक भी चीनी मिल नहीं है और तीन चीनी मिलों के लायक गन्ना पैदा होता है। कोई कहीं ले जाता है तो कोई कहीं ले जाता है, किसान बहुत दुखी हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चीनी मिलों का होना बहुत आवश्यक है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जोन बनाकर प्रतिबंध लगा दिए है। किसान गेहूं को पैदा करता है लेकिन उसको बाहर नहीं ले जा सकता है। इसलिए हमारा गेहूं बहुत कम पैसे में बिकता है। क्या आपने और उत्पादनों में भी रोक लगाई हुई है या कृषि उत्पादन पर ही यह बाऊंड्री खींची हुई है। हमारा गेहूं है हम जहां बेचना चाहेंगे बेचेंगे। किसान पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं कि वह अपनी उपज को बाहर नहीं ले जा सकता, वह आपकी कृपा पर निर्भर है और एक पूंजीपति गोवा में कारखाना खोले और हिमालय में माल बेचे, कोई नहीं रोकता या अमृतसर में फैक्ट्री खोले और माल बंगाल में जाकर बेचे, कोई नहीं रोकता। किसानों की उपज पर सीमा का बन्धन क्यों लगा रखा है, कृपया सीमा का बन्धन और जोन सिस्टम तोड़ें।

श्री बलराम जाखड़ : कोई जोन सिस्टम नहीं है।

श्री राजवीर सिंह : लगा हुआ है। ऐसैन्शल कमोडिटीज एक्ट के कारण किसान बहुत दुखी है, आप देख लें। किसान को दिक्कत आती है कि कोई उससे माल खरीदता नहीं है। जब मार्केट में माल खत्म हो जाता है तब उसके माल को खरीदा जाता है। इन कारणों से किसान को कठिनाई आ रही है।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : क्या आप कहना चाहते हैं कि ऐसैन्शल कमोडिटीज एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री राजवीर सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि इसको ऐसा बनाना चाहिए जिससे किसानों को परेशानी नहीं हो। किसानों की स्थिति यह है कि हमारी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि गांव के विकास के लिए हम इतना प्रतिशत देंगे। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि गरीब किसान और झोपड़ी के किसान के उत्थान के लिए बजट का 60 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए भेजना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज हिन्दुस्तान का किसान आबादी में बढ़ रहा है क्षेत्रफल उतना ही है, जमीन बढ़ाई नहीं जा सकती और वह बेरोजगारी के कारण शहरों की तरफ भाग रहा है। शहरों की हालत इतनी खराब है कि उनको रहने के लिए स्थान नहीं है। इसलिए बढ़ती हुई आबादी जो शहरों की तरफ भाग रही है उसको रोकने के लिए हर न्याय पंचायत क्षेत्र पर या हर विकास खंड क्षेत्र पर कृषि उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग खोले जाएं जिससे गांव का नौजवान शहरों की तरफ न भागे, उसे अपने घर के पास रोजगार मिले और वह वहां पर काम करे और जमीन का बोझा घटे। जब जमीन का बोझा घटेगा तभी गांव का किसान प्रगति कर पाएगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इधर उधर मोड़ेंगे तो लोग बोलेंगे।

श्री राजवीर सिंह : नहीं, मैं तो आपकी तरफ मोड़ रहा हूं लेकिन बीच में से आवाज आई तो मैंने कहा, देखूं क्या है। पीछे से वार करें तो देखना ही पड़ता है।··· (व्यवधान)

ग्रामीण क्षेत्र में आज किसी भी गांव में पीने का पानी नहीं है, मैंने पहले ही कहा, ऊर्जा नहीं है, प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो इनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति जी, मैं एक दो बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

हमारे कृषि मन्त्री जी बैठे हैं, कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत कुछ बड़े संस्थान चलते हैं। एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद चलता है, जो पिछले सौ सालों से भी ज्यादा से चल रही है करोड़ों रुपया उसपर खर्च किया जा रहा है, उसकी बड़ी वाहवाही होती है। मैं पिछले वर्ष उसकी कमेटी मे था, मैंने उसे नजदीक से जाकर देखा। किताबें बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी अनुसंधान की आ गई हैं मगर गांवों के गरीब किसान को पता नहीं कि हमने क्या अनुसंधान कर दिया। मैंने पिछली बार जब बैठक में यह कहा कि महाराज, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है या इंग्लैंड की कृषि अनुसंधान परिषद् है या इंग्लैंड की कृषि अनुसंधान परिषद् है, सारा साहित्य अंग्रेजी में है। हिन्दुस्तान का किसान मेरे ख्याल से शायद एक प्रतिशत भी अंग्रेजी नहीं जानता। वह हिन्दी जानता है, वह तेलगु जानता है, वह तमिल जानता है, मराठी जानता है, गुजराती जानता है तो आप यह साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में क्यों नहीं बनाते। अगर आपने अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि की है तो उनको क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य दीजिए, किसान उसको पढ़कर उससे लाभ उठाने की कोशिश करेगा। माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया इसे देखें और इसे करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

दूसरी बात, इसी आई० सी० ए० आर० के अन्तर्गत कई संस्थान है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां एक आई० वी० आर० आई० है, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। पिछले दो वर्षों में वहां बड़े आन्दोलन, प्रदर्शन हुए। वहां के जो निदेशक महोदय थे, उनपर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे। वह सस्पेण्ड हुए, उनके खिलाफ सी० बी० आई० की इन्क्वायरी पैण्डिंग है। वहां के किसी नेता ने वहां पत्र लिख दिया, पता नहीं क्या सत्य है और क्या असत्य है, यह तो जिनको पत्र आया है, वह बताएंगे। मुझे तो लोगों ने बताया है, उसमें यह लिखा है कि अगर यह कृषि निदेशक वहां पर चुनाव के दौरान निदेशक होते तो कांग्रेस की हार नहीं होती इसलिए इनको तुरन्त निदेशक के पद पर बहाल किया जाय। सभापति जी, आप आश्चर्य करेंगे कि सी० बी० आई० की इन्क्वायरी पैण्डिंग है, वह भ्रष्टाचारों के आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं और उनको बहाल करके उसी स्थान पर निदेशक बना दिया गया है। उनकी पत्नी भी उसी मे है तो क्या कृषि विभाग के आई०बी०आर०आई० जैसे गौरवास्पद संस्थान में यह बात चले कि यह पति पत्नी उसको लूटें, वहां के साधारण कर्मचारियों को दण्डित करें, बड़ी खराब स्थिति है।

[श्री राजवीर सिंह]

मैंने कृषि मन्त्री जी से निवेदन भी किया था कि अगर आप पर बहुत दबाव पड़ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पार्लियामेंटरी परम्परा के अनुसार नाम नहीं लिया जाता है इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर मुझे मालूम है कि उनके यहां बहुत वेल विशर हैं और कृषि मन्त्री जी पर बहुत दबाव दिया गया। मेरी जानकारी में यह भी है कि वह फोमेण्टा मशीन जो हिन्दुस्तान में आई थी, घास पैदा करने की, चारा पैदा करने की, वह भी आई० बी० आर० आई०] में खरीदी गई। वह फोमेण्टा मशीन जिस जिस ने खरीदी, उनको अब अभयदान मिला हुआ है कि कुछ भी करें, देश को लूटें, चाहे इंस्टीट्यूट को लूटें। अब उसने फोमेण्टा मशीन खरीदी है, वह फोमेण्टा मशीन किसने देखी···

श्री बलराम जाखड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कुछ दबाव डाला जा सकता है तो इतने तगड़े आदमी पर दबाव पड़ सकता है? और एक बात और, अगर बेईमानी में पकड़ा गया तो छूटेगा नहीं। चिन्ता मत करो।

श्री राजवीर सिंह : मेरा यह निवेदन है कि जब सी० बी० आई० की इन्क्वायरी अभी तक समाप्त नहीं हुई तो उसको उस स्थान पर क्यों भेजा गया? क्या वह फाइलें दिखा पायेगा, क्या सी० बी० आई० उसकी जांच कर पायेगी, वह उस केन्द्र का सबसे बड़ा अधिकारी है, वहां पर मोजूद है। सी० बी० आई० वहां जायेगी तो उसे क्या मिलेगा? किसकी हिम्मत है कि जो उसके खिलाफ वहां पर बयान दे पाये, सी० बी० आई० को सबूत दे पाये? सारे सबूत नष्ट कर दिये जायेंगे। सी० बी० आई० की जांच पेण्डिंग पड़ी हुई है, अभी तक सी० बी० आई० की जांच खत्म नहीं हुई और उसको निदेशक का पद दे दिया गया। मैं उन नेताओं के, उन अधिकारियों के, उन मिनिस्टरों के नाम नहीं लेना चाहता मगर मेरी जानकारी में है कि किन किन लोगों ने जाकर उसको वहां पर चार्ज दिलाने में, सस्पेंशन खत्म कराने के लिए प्रयास किये। क्षमा करें, जांच का विषय है इसलिए जांच करायें मगर दुर्भाग्य है, मंत्री जो, सी० बी० आई० की जांच पेण्डिंग है, सी० बी० आई० ने उसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई, उसको निर्दोष करार नहीं दिया और आपने उसको चार्ज दे दिया।

सभापति महोदय : वह तो पेण्डिंग है न?

श्री राजवीर सिंह : सी० बी० आई० की इन्क्वायरी चल रही है और उसको चार्ज दे दिया गया। सभापति जी, आप हमारी सुरक्षा करें। उसको इन्स्टीचूट का इन्चार्ज बना दिया गया है। उस इन्स्टीचूट की जांच चल रही है।

सभापति महोदय, मेरे ही क्षेत्र में फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा प्लान्ट है।···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री राजवीर सिंह : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।···(व्यवधान)···मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में इफको का फर्टिलाइजर का कारखाना है। वह भी कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत है। वहां पर इसको बनाने से पहले जो जमीन ली गई थी, जो लैंड लूजरर्स थे, जिनकी जमीन ली गई थी, आज तक उनको नोकरी नहीं मिली है। हमने थोड़ा-बहुत प्रयास किया, उनको पन्द्रह दिन की नोकरी मिलती है। अब पन्द्रह दिन की नोकरी भी खत्म हो गई है। वहां के जनरल मैनेजर का जवाब आया है कि हम उनको नोकरी नहीं दे सकते हैं। अब यह कैसे चलेगा? एक तरफ तो आपका नियम है कि जिनकी भूमि ली गई है, उनको नोकरी देंगे,

और दूसरी तरफ उनको नौकरी नहीं दी गई है। पन्द्रह दिन की दी गई और फिर उनको निकाल दिया गया। अब उनको सात दिन रखा जाता है और जनरल मैनेजर की चिट्ठी आई है कि अब सात दिन भी नहीं दे पाएंगे। हमारे पास नौकरी नहीं है। मगर दुखद पहलू यह नहीं है कि वे नौकरी नहीं दे पाएंगे। अगर वे नहीं दे पाएंगे तो किसी को भी न दे पाएं : स्थानीय व्यक्तियों को नहीं दे सकते हैं तो बाहरी आदमियों को भी नहीं मिलनी चाहिए। मगर क्या षड्यन्त्र है, क्या घोटाला है, क्या जादू का चमत्कार है, वहां रोज नौकरियां दी जा रही हैं। अभी तीन दिन पहले लोग एप्वाइंट हुए हैं। कोई टैक्नीकल स्टाफ नहीं है, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क और चपरासी आदि हैं। इसका मतलब मेरे गांव के लोग इस लायक भी नहीं हैं कि क्लर्की कर सकें। इसलिए कि उनकी जमीन गई है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। गरीब है, इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी। बाहर से आएंगे, कौन-सी दक्षिणा देंगे, क्या किसी की सिफारिश लाएंगे, उनको नौकरी मिलेगी। जिनकी भूमि गई है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। आप कृपया इसको देखिए, इसकी जांच कराइए। मैं आपको तारीखें दे सकता हूं।... (व्यवधान)... मैं इफ्को आंवला प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। वहां एक गार्ड की ड्यूटी पर आदमी मर गया। वह मर गया, ड्यूटी पर मर गया, हमने कहा कि कम्पेंसेंटरी ग्राउन्ड्स पर उसकी पत्नी को नौकरी दे दो, चपरासी की नौकरी दे दो, लेकिन नहीं दी गई। मेरे पास इतना लम्बा खत आया है कि नौकरी नहीं दी जा सकती है। हमारे यहां नियम नहीं है। मगर मेरी जानकारी है, आफिसर ग्रेड का एक आफिसर मरा था, तो उसकी पत्नी को नौकरी दी गई थी। यह दुभांति कैसे चलेगी। एक तरफ तो आप समाजवादी समाज की बात करते हैं और दूसरी तरफ आफिसर की बीवी को नौकरी मिलेगी और चपरासी की बीवी को नौकरी नहीं मिलेगी, यह कौन-सा कानून है। केवल गरीब को नौकरी नहीं दी जाती है, अमीर को नौकरी दी जाती है, आफिसरों को नौकरी दी जाती है। वहां पर भी आफिसरवाद चलेगा, बिरादरीवाद चलेगा। मुझे लग रहा है कि बिरादरीवाद का सा जहर, वह अवसरवाद का भी और मजदूरवाद का भी जहर है। मजदूर की बीवी को नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके यहां कायदा नहीं है। इस बारे में मेरे पास पत्र आया है।

सभापति महोदय, मैं किसान के दर्द में बह गया था। मुझे कष्ट होने लगा। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, यह किसानों का दर्द है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे क्षेत्र का का मामला है।... (व्यवधान) इस दर्द की समीक्षा करने का मौका दीजिए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं। मैंने कांग्रेस की आलोचना नहीं की है। इसलिए आप लोग मेरी बात सुन लें। हालांकि आप ही की पार्टी की नीतियों के कारण यह दुर्दिन देखने को मिल रहा है। 44 सालों की आजादी के बाद भी देश आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है और किसान गरीबी की रेखा से नीचे पल रहा है। यह आप ही की नीतियों का परिणाम है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछली सरकार में, जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, माननीय मधु दण्डवते जी वित्त मंत्री थे। उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों के दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ किए जाएंगे।

एक माननीय सदस्य : आप भी शामिल थे।

श्री राजवीर सिंह : हम शामिल थे, तभी तो कह रहे हैं। हम शामिल नहीं होते, तो क्यों कहते। दस हजार रुपये के कर्जे माफ करने की बात कही गई थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो चुनी गई सरकार है, उसने दस हजार रुपये के किसानों के कर्जे माफ नहीं किए है। उन किसानों के कर्जे माफ हुए जिन्होंने एक भी किश्त अदा नहीं की थी, जो बेईमान थे;

[श्री राजवीर सिंह]

वे मौज मार रहे हैं और जिन्होंने आधा पैसा दे दिया था, जिन्होंने कर्जा गिरवी रखकर, पैसा रखकर दिया था उनके कर्जे माफ नहीं हुए।

सभापति जी, अब नई सरकार हमारे उत्तर प्रदेश मे आई है मैं उसका कोई प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की। हमारे यहां एक-एक साल से किसानों को गन्ने की कीमत नहीं मिली है, 6-6 महीने के गन्ने की कीमत बाकी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि एक नवम्बर से पहले-पहले हम 9 करोड़ रुपये, जो किसानों का गन्ना मिलों पर बाकी है सरकार उसका भुगतान करेगी। (व्यवधान) यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है। (व्यवधान)

सभापति जी, अन्त मे मैं कृषि मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह किसी की आलोचना या बुराई के लिए नहीं कहा है। मान्यवर, आज किसान का जो दर्द और कठिनाइयां हैं, चाहे वह गन्ना, कपास या गेहूं पैदा करने वाला किसान हो या धान पैदा करने वाला किसान हो, उसकी लागत का सही ढंग से उसको मूल्य नहीं मिल रहा है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है। उसके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध नहीं हो रहा है और आज की खेती तो शिक्षित लोगों की खेती होती जा रही है। आज उसको पढ़ना पड़ता है। आज की खेती केवल पुराने जमाने की खेती नहीं रह गई है।

मान्यवर, अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए उसको डेढ़ लाख रुपया कर्जा लेना पड़ता है। आज छोटे-छोटे जो किसान हैं वह ट्रैक्टर और पम्पिंग सेट नहीं खरीद सकते है। उसको बैल से खेती करनी पड़ती है।··· (व्यवधान)

सभापति महोदय, इस देश में गो वंश की सुरक्षा नहीं है, पशु और बैल भी काटे जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करें। संविधान की धारा 48 में संशोधन करके गो वंश के कत्ल को रोकें और गाय जो किसान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, एक बिल्कुल बूढ़ी गाय भी किसान को खाद और गोबर देती है, जिससे उसको उपज का लाभ मिलता है। आज गाय कट रही है और भारत की सरकार गाय के मांस को बेचकर विदेशी मुद्रा कमाने के फेर में गो वंश की हत्या कर रही है।

मान्यवर, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि धारा 48 में संशोधन करिए और यदि आप गो वंश की रक्षा करेंगे तो किसानों का हित होगा। उसे अच्छे और सस्ते बैल मिलेंगे। आज बैलों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि किसान उसे खरीद नहीं सकता है, आज 12 और 15 हजार में एक बैल की जोड़ी आ रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है क्योंकि गाय नहीं मिल रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया हिन्दुस्तान के किसानों की तरफ देखें। आप मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों की वकालत करें, आप मंत्रिमंडल में उद्योग मन्त्री और वित्त मन्त्री जी की वकालत न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

*श्री वी० कृष्ण राव (चिक्कबल्लापुर) : सभापति महोदय, मैं खाद्य, शहरी विकास और कृषि

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मांगों पर बोलते हुए मैं भारत सरकार के विचार के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारे देश में अधिकांश लोग कृषि व्यवसाय वाले हैं। एक समय था जब भारत खाद्यान्नों का आयात किया करता था। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो स्थिति में सुधार हुआ और हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। उसकी नीतियों ने इस देश के किसानों को अपना जीवन-स्तर सुधारने के काबिल बनाया। देश के अधिकांश लोग कृषक, हैं और इसलिए हमारा खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें सारे विश्व को खाद्यान्न भेजने में भी सक्षम होना चाहिए। हमारे देश में यह सामर्थ्य है। हमारे देश में सभी प्राकृतिक संसाधन हैं और हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्नों की बहुत मांग है और इसलिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना है। इसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि किसानों को सभी सुविधाएं मिलें तथा कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़े। सिंचित भूमि राष्ट्रीय औसत का केवल 25% है। शेष 75% भूमि जोतने के लिए ठीक है। परन्तु जल सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, आदि हमारी मुख्य नदियां है। लेकिन विडम्बना यह है कि इनका अधिकांश पानी समुद्र में चला जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन सभी नदियों के अधिशेष पानी को काम में लाया जाए। केवल तभी हम सारे विश्व को खाद्यान्न सप्लाई करने में सक्षम होंगे। अमरीका में केवल 7% जनसंख्या कृषकों की है। फिर भी वे अपने देश के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करने में सक्षम हैं। वे खाद्यान्नों का निर्यात भी करते है। उपर्युक्त देशों के किसानों की तुलना में भारत के किसान पीछे है। इसके कई कारण है। उनमें से कुछ ये हैं:—

1. अच्छे बीजों की सप्लाई;
2. उर्वरक;
3. विपणन सुविधाएं;
4. परिवहन सुविधाएं;
5. विद्युत सप्लाई;
6. पानी।

अब मैं उपर्युक्त विषयों को विस्तार में कहूंगा। गांवों में किसान समय पर उचित बीज प्राप्त नहीं कर पाते। सप्लायरों को किसानों की सुविधा की कोई चिन्ता नहीं है। हम अच्छी फसल की तभी आशा कर सकते हैं जबकि किसानों को समय पर अच्छे बीज मिलें।

पानी कृषि का मुख्य अवयव है। किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में प्रत्येक वर्ष कई हिस्सों में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल भी उपलब्ध नहीं होता है।

बिजली एक अन्य महत्वपूर्ण निविष्टि है जिसके बिना कृषि में सुधार नहीं हो सकता। केन्द्र को किसानों को बिजली मुहैया करानी चाहिए। इस पहलू पर उन्हें उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

कृषि उत्पादों के मूल्यों को नोट करके दुःख होता है। कटाई के समय कीमतें बहुत कम होंगी। जब

[श्री वी० कृष्ण राव]

कम सप्लाई होगी तो मूल्यों एकदम बढ़ जाएंगे। यदि कृषि उत्पादों के मूल्यों में इसी प्रकार उतार-चढ़ाव होते हैं तो हम किसानों की प्रगति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। यह किसानों को हतोत्साहित करता है। किसान जंगल के खरगोश की तरह है जिसे कि अन्त में शिकारी द्वारा मारा जाना है? मैं एक किसान हूं और मेरा कृषि का व्यक्तिगत अनुभव है? आज भी मैं कृषि पर आश्रित हूं। वास्तव में कृषि उत्तम शिक्षा है?

किसान की रहने की दशा बहुत स्पष्ट हो जाएगी यदि हम उसके जीवन की तुलना एक व्यवसायिक या दुकानदार के साथ करें। जो कि बीड़ी और सिगरेट बेचने वाला एक दुकानदार किसान से अच्छा जीवन व्यतीत करता है। लगभग दस एकड़ जमीन वाला किसान एक दुकानदार की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हमारे देश में किसानों का जीवन स्तर वास्तव में दयनीय है। किसानों के परिवारों से संबंध रखने वाले कितने लोग स्नातक, इंजीनियर और डाक्टर बने हैं। मैं माननीय मन्त्रीजी से इस संबंध में आंकड़े प्राप्त करने का अनुरोध करता हूं। किसानों और व्यापारियों के जीवन-स्तर में बहुत बड़ा अन्तर है। हमारे देश में किसानों को सम्पूर्ण समाज द्वारा नजरअंदाज किया जाता है।

किसान अपने निवेश की कीमत भी वसूल नहीं कर पाते तेलुगू में एक कहावत है मैं उद्धृत करता हूं:—

"ओका इकाराम चेरुकु पंडीस्ते ओका किलो बेल्लम राबादी" [जिसका अभिप्राय है कि एक एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती करने वाले किसान को केवल एक किलोग्राम गुड़ प्राप्त होता है? बैंक का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दस एकड़ जमीन वाले किसान की तुलना में अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इसलिए किसानों को समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। यदि एक किसान ऋण के लिए आवेदन करता है तो उसे यह छः माह के बाद ही मिलता है। प्रत्यक्ष तौर पर और अल्प समयावधि के भीतर ऋण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। बिचौलियों को बीच में नहीं लाना चाहिए। देश के बहुत से भागों में सूखे की स्थिति बनी हुई है उत्तर में पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर देश के दूसरे सभी राज्यों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यदि इस वर्ष भी सूखा पड़ता है तो किसानों को उसके प्रभाव से मुक्त होने के लिए कम-से-कम तीन वर्ष लगेंगे। वह पीढ़ी-दर पीढ़ी कर्जदार रहता है।]

किसानों के पास उर्वरक भी समय पर नहीं पहुंच पाते। छोटे और सीमान्त किसानों जैसे किसानों की कुछ श्रेणियो तक उर्वरकों पर सहायता सीमित करके सरकार ने एक विभेदी व्यवहार किया है। छोटे और सीमान्त किसान सहायता को अधिकतम सीमा तक प्राप्त कर सकें। किसानों को परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसी प्रकार किसानों को कीटनाशक भी समय पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

यदि किसानों को सभी सुविधाएं समय पर प्रदान की जाती हैं तो हम विश्व के किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक खाद्यान्न उगा सकते हैं। कृषकों को समाज में अपेक्षित दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। किसान को शादी के लिए कोई भी अपनी बेटी का हाथ देने के लिए आगे नहीं आएगा। किसान को इस प्रकार की बेइज्जती को खत्म किया जाना चाहिए।

उद्योग और कृषि में काफी बड़ा अन्तर है हालांकि कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र माना जाता है? उद्योग फल-फूल रहा है और कृषि लुप्त हो रही है। कृषि को सभी के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा

है। किसानों के प्रति अन्याय को इस देश में और अधिक बर्दास्त नहीं किया जा सकता। हमारी नीति एक को लाभ पहुंचाना और दूसरे को हानि पहुंचाना नहीं होनी चाहिए।

वास्तव में कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। "जय किसान" हमारा ध्येय होना चाहिए। किसान को सभी प्रकार की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसकी इज्जत और मान किया जाना चाहिए। वास्तव में वे इसके हकदार है। यदि हमने देश में कोई भी प्रगति की है तो वह केवल किसान के कड़े परिश्रम के कारण है।

माननीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ ये सभी तथ्य जानते हैं। मैं यह भी आशा करता हूं कि वे इस संबंध में उचित कदम उठाएंगे। किसान के जीवन में सुधार होना चाहिए क्योंकि वह देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वह एक मुस्तैद जीवन व्यतीत करता है। उसका खुला दिमाग है और वह निष्कपट परिश्रम करता है। इसलिए सरकार को किसान को उसके प्रयत्नों के लिए उत्साहित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए।

पिछले अनेक वर्षों से राज्यों के बीच जल विवाद लम्बित पड़े हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद चल रहा है। पंजाब और हरियाण के बीच जल विवाद है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच भी जल विवाद है। ऐसे अनेक जल विवाद हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे ये जल विवाद कब हल करेंगे। जब तक इन जल विवादों को हल नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य कृषि के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते हैं। मैं केन्द्र से अपील करता हूं कि वे इस बात पर ध्यान दें तथा जल विवादों से उत्पन्न समस्याओं को तुरन्त हल करें।

जिला परिषदें और ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं। ये संस्थाएं किस प्रकार काम कर रही हैं ? इन संस्थाओं के कार्यकरण में गलतियों को सुधारने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिएं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक टंकी चार वर्ष पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी। मरम्मत कार्य पर काफी अधिक धन खर्च किया जाना था परन्तु स्वीकृति धन अपने गन्तव्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था। इस देरी के क्या करण हैं ? अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है, तो जिलों परिषदों का क्या लाभ है। इन सभी गड़बड़ियों के लिए जिला परिषदों तथा ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि हमारे पास एक रूप ग्राम पंचायतें तथा जिला परिषदें होनी चाहिए।

महोदय, माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ न केवल एक प्रतिष्ठित संसदविद है, बल्कि एक अनुभवी कृषक भी हैं। हाल ही में जब वे बंगलौर गए थे, तो उन्होंने वहां पर कुछ बगीचों को देखने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने उनमें गहन रुचि दिखाई तथा कुछ अंगूर के बागों को देखा। इसी प्रकार माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भी गांवों के विकास में रुचि लेते है। वह एक गांव में पैदा हुए थे तथा उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझने के लिए सैकड़ों गांवों का दौरा किया था।

मुझे विश्वास है कि दोनों नई योजनाएं तैयार करेंगे तथा किसानों के लाभ के लिए उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में बताया था कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दूरदराज के गांवों तक पहुंचाएंगे। यह सही दिशा में एक सही कदम है। परन्तु जब तक किसान अपने उत्पादन में सुधार नहीं कर पाएंगे तो सार्वजनिक वितरण प्रणालीदूरद राज के गांवों तक कैसे पहुंच पाएगी। किसान सारे देश का भरण-पोषण करता है। वह हमारे समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति

[श्री वी० कृष्ण राव]

है। हम देश में राम राज्य तभी ला सकते हैं जब हमारे देश के किसान उन्नत दशा में हों। राम राज्य हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। इस सपने को साकार बनाने के लिए किसानों को उनके प्रयासों में सहायता करनी होगी। मुझे आशा है कि सरकार किसानों की सहायता करने के लिए कदम उठाएगी।

किसान देश में प्रगति और समृद्धि के एक नये युग का सूत्रपात करने में सहायक होगा। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इस देश में कृषि विकास तथा किसानों की समस्याओं के बारे में काफी चर्चा हुई है।

अनेक माननीय सदस्यों ने 1990 के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प का भी हवाला दिया तथा सरकार से निवेदन किया है कि इसके साथ-साथ 1990 के कृषि नीति संबंधी वक्तव्य को भी समझाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश में कृषि नीति सालो साल असंगत तरीके से बनाई गई है। पहले 20 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रशासनिक, बुनियादी सुविधाओं का विकास करने पर ध्यान दिया गया था। इसके बाद हमें कृषि विकास का दूसरा दौर देखना है जो 1952 से शुरू होता है। बुनियादी सुविधाओं तथा सामुदायिक विकास एजेंसियों की स्थापना की प्रक्रिया से शुरूआत की गई थी। यदि हमारे कृषि क्षेत्र के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधाओं की जांच की जाए तो हम पाएंगे कि केवल 1959 में सरकार ने कृषि विकास के क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया था तदनुसार सरकार ने जिला-स्तर, खण्ड-स्तर तथा ग्राम-स्तर पर तीन-स्तरीय पंचायतीराज की स्थापना करने के लिए कदम उठाये थे।

पिछले कुछ समय से हम हरित क्रांति के बारे में बहुत कुछ बात करते है तथा हरित क्रांति के बारे में सब लोग गर्व है। यथार्थ रूप से यह देखा गया है कि हरित क्रांति के बाद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रामीण लोगों की गरीबी, अस्वस्थता तथा निरक्षरता दूर नहीं हुई है तथा अब सरकार इस बात के लिए अथक प्रयास कर रही है कि इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हो। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि कृषि को अनेक सुविधाएं दी गई है, परन्तु इस सभा में मेरे अनेक मित्रों द्वारा यह बताया गया है कि सरकारी सहायता अपर्याप्त है।

इस अवसर पर मैं नारियल की खेती के संबंध में पिछली सरकार के निर्णय तथा केरल में नारियल की खेती करने वाले किसानों को लाभ के लिए किए गए वायदे का हवाला देता हूं। केरल के लोगों तथा केरल सरकार द्वारा लम्बे समय तक आन्दोलन करने के बाद भारत सरकार ने नारियल को एक तिलहन घोषित किया है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि यद्यपि उन्होंने नारियल को तिलहन घोषित किया है, पिछली सरकार द्वारा नारियल की खेती करने वालों को तकनीकी मिशन के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। अब मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार नारियल को एक तिलहन के रूप में प्रदान किए जाने वाले लाभ को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मुझे कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि सरकार विभाग को यह निर्देश दे रही है कि जिस वस्तु को तिलहन घोषित किया गया है उसे वे सारे लाभ प्रदान किए जाएं जो कि दिए जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार नारियल की खेती करने वालों को लाभ देने में शीघ्र एवं त्वरित कदम उठाएगी।

एक अन्य बात मैं मत्स्य उद्योग के बारे में सरकार के रवैये का जिक्र करना चाहता हूं। मत्स्य पालन भी कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुर्भाग्यवश मत्स्य पालन के विकास के लिए सरकारी सहायता अपर्याप्त है।

जहां तक मत्स्य पालन के लिए तटीय सुविधाओं का सवाल है। भारत के पास पूर्ण आर्थिक क्षेत्र (ई० ई०जैड०) 2.02 मिलियन वर्ग कि०मी० तथा लगभग 5700 कि०मी० है। यदि अन्तर्देशीय मत्स्य पालन विकास की सुविधाओं को देखा जाए तो वह लगभग 29,000 कि० मी० होगा। ताजे पानी के तालाब से मत्स्य उत्पादन लगभग 7.53 लाख टन है। भारत के पास प्रतिवर्ष 4.5 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन की क्षमता है। भारत सात देशों में से एक है जो अपने सभी उपलब्ध स्रोतों से कहीं अधिक मछली का उत्पादन करते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनसे यह पता चलेगा कि 1950-51 में मछली का उत्पादन 7.5 लाख टन था तथा यह 1989-90 में बढ़कर 32.5 लाख टन हो गया।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें। सभा कल प्रात: 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 28 अगस्त, 1991/6 भाद्र, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053

पी०एल०एस०— 48/4/33/91 (एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित